भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

रिपोर्ट 01–08–2014 को संसद में सदन के पटल पर रखी गई है

संघ सरकार (वाणिज्यिक)
2014 की संख्या 13
(अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार (वाणिज्यिक)
2014 की संख्या 13
(अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां)

विषयसूची

अध्याय/ पैराग्राफ	विषय	पीएसयू	पृष्ठ सं.
	प्राक्कथन		**ix**
	कार्यकारी सार		**xi**
अध्याय I	**परमाणु ऊर्जा विभाग**		
1.1	गौण उत्पाद की गैर वसूली के कारण हानि	यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1
अध्याय II	**रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय**		
2.1	एचओसी स्कूल से महात्मा एजुकेशन सोसायटी को स्वायत्त प्रबंधन के स्थानान्तरण में अनियमिततायें	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	4
2.2	निधियों का अवरोधन	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	7
अध्याय III	**नागर विमानन मंत्रालय**		
3.1	डेडहेड लागत पर परिहार्य व्यय	एयर इंडिया लिमिटेड	13
अध्याय IV	**कोयला मंत्रालय**		
4.1	'ई-नीलामी' के माध्यम से बिक्री पर वाशरी प्रभारों की वसूली न करना	सेंट्रल कोलफील्डस लिमिटेड	18
अध्याय V	**वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय**		
5.1	वित्तीय समझदारी की कमी के कारण निधियों का अवरोधन	एमएमटीसी लिमिटेड और पीईसी लिमिटेड	21
5.2	लाभ का अनाधिकृत स्थानांतरण	द स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	24

अध्याय VI	**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय**		
6.1	गन्नी मूल्यह्रास पर अधिक भुगतान	भारतीय खाद्य निगम	31
अध्याय VII	**रक्षा मंत्रालय**		
7.1	आकस्मिक छुट्टी का अनियमित नकदीकरण	हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	33
अध्याय VIII	**पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय**		
8.1	परिचालन निष्पादन	नोर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड	35
अध्याय IX	**वित्त मंत्रालय**		
9.1	इन्टेग्रेटिड नॉन लाइफ इंश्योरेंस एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर (आईएनएलआईएएस) की इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी (आईटी) लेखापरीक्षा	ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	45
9.2	दावे का गलत निपटान	दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	53
अध्याय X	**खान मंत्रालय**		
10.1	रॉयल्टी का अतिरिक्त भुगतान	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड	56
अध्याय XI	**पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय**		
11.1	परिहार्य व्यय	भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड	58
11.2	ऐसी संयुक्त उद्यम कम्पनियों के लिए गैरसरकारी कम्पनियों का - स्टेटस पाने हेतु सयुंक्त उद्यम में सरकारी कम्पनियों द्वारा नोवल वित्तपोषण दृष्टिकोण	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा गेल (इंडिया) लिमिटेड	60

11.3	अनुबंध शर्तों में छूट के कारण अतिरिक्त लागत	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	66
11.4	बिक्री प्रतिफल की कम वसूली	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	69
11.5	उत्पाद की अमितव्ययी संचलन के कारण हानि	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	71
11.6	दोषयुक्त अधिप्राप्ति प्रक्रिया के कारण अतिरिक्त व्यय	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	73
11.7	मानित निर्यात का लाभ ना उठाने के कारण परिहार्य व्यय	ऑयल एवं नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	77
11.8	वसई ईस्ट फील्ड में प्लेटफॉर्म के स्थान में परिवर्तन के कारण परिहार्य व्यय	ऑयल एवं नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	82
11.9	गैस का परिहार्य फैलाव	ऑयल एवं नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	85
11.10	आवश्यक क्षमता के अलावा रिग किराये पर लेने के कारण अतिरिक्त व्यय	ऑयल एवं नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	89
अध्याय XII	**ऊर्जा मंत्रालय**		
12.1	अनुबंधों में संशोधनों के कारण अतिरिक्त व्यय	एनटीपीसी लिमिटेड	92

अध्याय XIII	लोक उद्यम विभाग		
13.1	अर्ध वेतन अवकाश अस्वस्थता/ अर्जित अवकाश के साथ साथ अवकाश नकदीकरण पर के ईपीएफ अंशदान के नियोक्ता के हिस्से के नकदीकरण का अनियमित भुगतान	नेशनल एलयूमिनियम कम्पनी लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड, गेल (इंडिया) लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इन्डिया लिमिटेड, एसजेवीएन लिमिटेड, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड	95
13.2	निष्पादन संबंधी वेतन के प्रति अनियमित भुगतान	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड, मेकोन लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड और भारत डायनामिक्स लिमिटेड	101

13.3	लेखापरीक्षा के बताने पर वसूलियां	जनरल इन्श्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नोर्दन कोलफील्डस लिमिटेड, स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनएमडीसी लिमिटेड, ऑयल एण्ड नेचरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया और एयरपोर्टस अथोरिटी ऑफ इंडिया	106
13.4	लेखापरीक्षा के बताने पर सुधार/संशोधन	नेशनल हाइवेज अथोरिटी ऑफ इंडिया,एक्सपोर्ट क्रेडिट गारन्टी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	106
अध्याय **XIV**	**सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय**		
14.1	टोल संचालन के प्रारम्भ करने में असामान्य विलम्ब के कारण राजस्व की हानि	नेशनल हाईवेज अॅथोरिटी ऑफ इंडिया	107
14.2	खराब ठेका प्रबंधन के परिणामस्वरूप निर्णीत हर्जानों की कम वसूली हुई	नेशनल हाईवेज अॅथोरिटी ऑफ इंडिया	110
14.3	ठेकेदार को अनुचित पक्षपात	नेशनल हाईवेज अॅथोरिटी ऑफ इंडिया	113

अध्याय XV	**वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग**		
15.1	सीवीसी दिशानिर्देशों का उल्लंघन और सिलिकोन वेफरों की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय	सेन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड	117
अध्याय XVI	**पोत परिवहन मंत्रालय**		
16.1	सेतुसमुद्रम शिप चैनल परियोजना	सेतुसमुद्रम कारपोरेशन लिमिटेड	122
16.2	परिहार्य हानि	ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	160
16.3	एसएपी ईआरपी प्रणाली को लागू करना	शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	163
अध्याय XVII	**इस्पात मंत्रालय**		
17.1	ब्लास्ट फरनेस यूनिट में पिग कास्टिंग मशीन पर अविवेकपूर्ण व्यय	केआईओसीएल लिमिटेड	171
17.2	प्राप्यों की वसूली न होने के कारण हानि	एमएसटीसी लिमिटेड	174
17.3	वित्तीय हितों के रक्षोपाय में विफलता के कारण हानि	एमएसटीसी लिमिटेड	176
17.4	आयातों के अवास्तविक वित्तपोषण के कारण वसूली न होना	एमएसटीसी लिमिटेड	178
17.5	परिहार्य भाड़ा व्यय	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	179
17.6	वी आई एस पी / सेल में रीहीटिंग/ फरनेस के चालू करने में विलम्ब	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	181
अध्याय XVIII	**कपड़ा मंत्रालय**		
18.1	बातचीत के विकल्प का उपयोग न करने के परिणामस्वरूप कम दरों पर भूमि की बिक्री	नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड	184

अध्याय XIX	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई		187
	परिशिष्ट I		193
	परिशिष्ट II		196
	परिशिष्ट III		199

प्राक्कथन

1. कम्पनी अधिनियम के उपबंधो के अधीन स्थापित सरकारी कम्पनियों (कम्पनी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार मानी गई सरकारी कम्पनियों सहित) के लेखाओं की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 के उपबंधों के अधीन भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम के अधीन सीएजी द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षकों (सनदी लेखाकारों) द्वारा प्रमाणित लेखाओं की सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा की जाती हैं जिसकी टिप्पणियां सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनो में शामिल की जाती है। इसके अतिरिक्त इन कम्पनियों की सीएजी द्वारा नमूना जाँच भी की जाती है।

2. कुछ निगमों और प्राधिकरणों को शासित करने वाली संविधियों में सीएजी द्वारा उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा करने की अपेक्षा की गई है। पाँच ऐसे निगमो यथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारतीय खाद्य निगम और दामोदर घाटी निगम के सम्बन्ध में सुसंगत संविधियों के अधीन सीएजी उनका एकमात्र लेखापरीक्षक है। एक निगम यथा सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के संबंध में सीएजी को निगम को शासित करने वाली संबंधित संविधि के अधीन नियुक्त किए गए सनदी लेखाकारों द्वारा की गई लेखापरीक्षा के बाद अनुपूरक और नमूना लेखापरीक्षा करने का अधिकार है।

3. एक सरकारी कम्पनी या निगम के लेखाओं के संबंध में रिपोर्ट 1984 में यथा संशोधित सीएजी के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 ए के उपबंधों के अधीन नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा सरकार को प्रस्तुत की जाती है।

4. इस रिपोर्ट में उल्लिखित दृष्टान्त उन मामलों में से हैं जो 2012-13 और पिछले वर्षों की लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए। कुछ मामलों में मार्च 2013 के बाद के लेन देनों की लेखापरीक्षा के परिणाम भी उल्लिखित किए गए हैं।

5. इस रिपोर्ट में 'सरकारी कम्पनियों/निगमों या सा.क्षे.उ.' के सभी 'प्रसंग केन्द्रीय सरकारी कम्पनीयों/निगमों' के प्रसंग में माने जाएं जब तक कि संदर्भ में अन्यथा सुझाव न दिया जाए।

6. लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

कार्यकारी सार

I प्रस्तावना

1. इस प्रतिवेदन में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (बी) अथवा उन विशिष्ट कारपोरेशनों को अधिशासित करने वाली सांविधियों के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा केन्द्रीय सरकार की कम्पनियों और निगमों के लेखाओं तथा अभिलेखों की नमूना जांच के परिणामस्वरूप पाए गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल किए गए हैं।

2. इस प्रतिवेदन में 18 मंत्रालयों/विभागों के अधीन 39 पीएसयूज़ से संबंधित 40 पृथक आपत्तियां शामिल हैं। आपत्तियों के प्रारूप संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों, जिनके प्रशासनिक नियंत्रण में पीएसयू काम कर रहे हैं, को छः सप्ताह की अवधि के अन्दर प्रत्येक मामले में उनका उत्तर/ टिप्पणी प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के लिए भेजे गए थे। अप्रैल 2014 में इस प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने तक 23 आपत्तियों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे। इससे पूर्व, आपत्तियों के प्रारूप संबंधित पीएसयूज़ के प्रबंधन को भेजे गए थे, जिनके उत्तर इस प्रतिवेदन में उपर्युक्त रूप से समाविष्ट किए गए हैं।

3. इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए पैराग्राफ भारत सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत पीएसयूज़ से संबंधित है:

मंत्रालय/विभाग (शामिल पीएसयूज़ की संख्या)	**पैराग्राफों की संख्या**	**उन पैराग्राफों/विषयक अध्ययनों की संख्या जिनके संबंध में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था।**
1. परमाणु ऊर्जा (यूसीआईएल)	1	-
2. रसायन और उर्वरक (एचओसीएल, आरसीएफ)	2	-
3. नागर विमानन (एआईएल)	1	1
4. कोयला (सीसीएल)	1	1
5. वाणिज्यिक एवं उद्योग (एमएमटीसी, पीईसी, एसटीसीएल)	2	2
6. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण (एफसीआई)	1	1

7. रक्षा (एचएएल)	1	-
8. पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास (एनईआरएएमएसी)	1	-
9. वित्त मंत्रालय (ओआईसीएल, एनआईएसी)	2	1
10. खान (एचसीएल)	1	1
11. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस (बीपीसीएल, एचपीसीएल, गेल, आईओसीएल, ओएनजीसी)	10	8
12. विद्युत (एनटीपीसी)	1	-
13. लोक उद्यम विभाग (नालको,भेल, हुडको, गेल, एनएचपीसी, एनटीपीसी, पीएफसी, पीजीसीआईएल, एसजेवीएन, टीएचडीसी, आईओसीएल, ओएनजीसी, मेकान, आरईसी, बीडीएल)	2	2
14. सड़क परिवहन और राजमार्ग (एनएचएआई)	3	1
15. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (सीईएल)	1	-
16. शिपिंग (एससीएल, डीसीआईएल, एससीआई)	3	-
17. इस्पात (केआईओसीएल, एमएसटीसी, सेल)	6	4
18. कपड़ा (एनटीसी)	1	1
जोड़	**40**	**23**

4. लेखापरीक्षा आपत्तियों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 2946.39 करोड़ हैं।

5. **इस प्रतिवेदन में शामिल की गई पृथक लेखापरीक्षा आपत्तियां मौटे तौर पर निम्नलिखित स्वरूप की है:**

- ❖ नियमों, निदेशों प्रक्रियाओं, ठेका की निबंधन एवं शर्तों आदि का अननुपालन जिनमें सात पैराओं में ₹ 766.22 करोड़ की राशि शामिल है।
- ❖ संगठनों के वित्तीय हितों की रक्षा न करना जिनमें 22 पैराओं में ₹ 1854.97 करोड़ की राशि शामिल है।
- ❖ दोषपूर्ण/त्रुटिपूर्ण नियोजन जिनमें आठ पैराओं में ₹321 करोड़ की राशि शामिल है।
- ❖ उद्देश्यों की प्राप्ती न होना/आंशिक रूप से प्राप्त होना जिसमें तीन पैराओं में ₹4.20 करोड़ की राशि शामिल है।

6. प्रतिवेदन में आठ पीएसयूज़ द्वारा की गई ₹115.53 करोड़ की वसूलियों से संबंधित एक पैरा तथा लेखापरीक्षा के कहने पर चार पीएसयूज़ द्वारा किए गए संशोधनों/परिशोधनों से संबंधित एक अन्य पैरा भी शामिल है।

II प्रतिवेदन में शामिल महत्वपूर्ण पैराग्राफों की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

सैन्ट्रल कोलफील्डस लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की एक सहायक नियंत्रक कम्पनी ने ई-नीलामी ग्राहकों से वाशरी प्रभारों की वसूली नहीं की, जैसा कि सीआईएल की अन्य सहायक कम्पनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में प्रथा चल रही थी, जिसके कारण अप्रैल 2008 से दिसम्बर 2012 के दौरान ₹418.58 करोड़ के अर्जन करने के अवसर की हानि हुई।

(पैरा सं. 4.1)

एमएमटीसी लिमिटेड और पीईसी लिमिटेड दोनों नेशनल स्पाट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) पर क्रमश: मई 2011 और दिसम्बर 2010 से व्यापारिक सदस्य थे जो उपभोगी वस्तुओं की प्रत्यक्ष सुपुर्दगी के साथ कृषि पण्यों की खरीद और बिक्री के लिए स्पष्ट संविदा से संबंधित हैं जिसका क्रमश: टी+2 और टी+25 दिनों में निपटान किया जाता था। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा दिनांक 12 जुलाई 2013 में पत्र द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में एनएसईएल ने व्यापार की निपटान प्रक्रियाओं में परिवर्तन कर दिया। अब तक सुपुर्दगी और 11 दिनों के बाद भुगतान द्वारा निर्धारित की जा रही सभी संविदाओं को 'टी+10' दिनों के आधार पर 23 जुलाई 2013 से निपटाया जाना था। तत्पश्चात एनएसईएल पर व्यापार में कटौती के कारण दायित्वों में भिन्नता थी और जिसके परिणामस्वरूप इससे व्यापार स्थगित कर दिया गया (31 जुलाई 2013) और सभी एक दिवसीय आगामी संविदाओं के निपटान स्थगित कर दिए गए थे।

26 जून 2013 से 26 जुलाई 2013 तक की अवधि के व्यापार के लिए एमएमटीसी लिमिटेड द्वारा एनएसईएल से ₹ 218.53 करोड़ की राशि की अभी भी वसूली की जानी थी (नवम्बर 2013) जबकि पीईसी को 25 जून 2013 और 25 जुलाई 2013 के बीच होने वाले लेन देनों के लिए एनएसईएल से ₹ 123.19 करोड़ की वसूली करनी थी। एक्सचेंज पर व्यापार प्रथा के अनुसार क्रय भुगतानों और विक्रय वसूली के बीच समयांतराल के कारण राशि वसूली योग्य थी। एनएसईएल ने अगस्त 2013 से दोनों कम्पनियों को इसके प्राप्यों का भुगतान करने में लगातार चूक की।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कम्पनियों एनएसईएल पर व्यापार और सौदे कर रही थीं जो निवेश/वित्तीय माध्यम के अन्तर्गत एक स्पॉट एक्सचेंज था जहां माल की किसी प्रभावी सुपुर्दगी की मांग नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि एनएसईएल मालगोदाम के स्टॉक के प्रत्यक्ष सत्यापन के लिए अनुदेश व्यापार शुरू करने के 18 महीने बाद दिसम्बर 2012 में एमएमटीसी द्वारा जारी किए गए थे जबकि पीईसी लिमिटेड ने किसी भी उपयोगी

वस्तुओं का कोई प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया। कम्पनी ने जिससे वे व्यापार कर रही थी उससे व्यापार दूसरे पक्ष का विवरण सुनिश्चित करने का प्रयास नहीं किया और उपयोगी वस्तुओं की खरीद के प्रति या तो दूसरे पक्ष से अथवा एनएसईएल से टाइटल का दस्तावेज भी नहीं प्राप्त हुआ था।

इस प्रकार कमियों के बावजूद एमएमटीसी लिमिटेड और पीईसी लिमिटेड ने एनएएसईएल पर व्यापार जारी रखा जिसके परिणामस्वरूप दो कम्पनियों के ₹ 341.72 करोड़ का अवरोधन हुआ। इतनी सारी घटनाओं से इसकी वसूली बहुत दूरस्थ प्रतीत होती है।

(पैरा सं. 5.1)

नोर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड अपने संसाधन संयंत्रों का उन्नयन करने में विफल रही और इसने अपनी संचित हानियों को मिटा दिया जैसाकि ₹ 3.96 करोड़ जो कार्यशील पूँजी आवश्यकताओं और नगद हानियों के प्रति इसके पूँजी व्यय को पूरा करने के लिए थे की निधियों के विपथन के कारण पुनरूद्धार योजना में परिकल्पना की गई थी। इसके अतिरिक्त कम्पनी पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसानों को विपणन सहायता भी मुहैया कराने के मुख्य उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकी क्योंकि इसे कार्यशील पूंजी की कमी और सरकार से वित्तीय सहायता के अभाव के कारण सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत कृषि इनपुटस की आपूर्ति के लिए कृषि-बागवानी उत्पादों की खरीद एवं बिक्री से अपने फोकस को शिफ्ट करना था।

(पैरा सं. 8.1)

इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड ने विलम्ब के लिए कीमत कटौती और जुटाव अग्रिम पर ठेका की सामान्य शर्तों में छूट और अनुमान की अपेक्षा 17.41 प्रतिशत तक उच्च कीमत पर नामांकन आधार पर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को कैप्टिव पावर प्लांट के लिए ठेका दिया (फरवरी 2010)। कथित रियायतों पर आरोप्य अतिरिक्त लागत ₹ 194.10 करोड़ थी, जबकि बीएचईएल को निर्धारित से उच्च मूल्य पर नामांकन आधार पर ठेका देने का सीपीपी के सामयिक समापन का मूल उद्देश्य अधूरा रह गया।

(पैरा सं. 11.3)

पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पीईएल)/खनन लाइसेंस (एमएलपी), प्री-एनईएलपी और एनईएलपी ब्लाक्स के तहत आने वाले योग्य क्षेत्रों में पैट्रोलियम प्रचालनों में खपत हेतु मानित निर्यातों के अन्तर्गत उत्पाद शुल्क के भुगतान से विदेशी व्यापार नीति को हाई फ्लैश हाई स्पीड डीजल (एचएफएचएसडी) की खरीद में छूट देती हैं, यदि ऐसे एचएफएचएसडी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (आईसीबी) द्वारा खरीदे गए हों। ऑयल एण्ड नेचुरल गेस कार्पोरेशन लिमिटेड ने 2006-13 के दौरान अपने योग्य क्षेत्रों में इनके

पेट्रोलियम प्रचालन हेतु आईसीबी निविदा का सहारा लिए बिना उत्पाद शुल्क का भुगतान करते हुए और बाद में आईसीबी द्वारा उत्पाद शुल्क सहित आपूर्तिकर्ता को कीमत उद्धृत करने का विकल्प यह कहते हुए कर दिया कि कम्पनी द्वारा उत्पाद शुल्क के प्रतिदाय का दावा किया जाएगा जिसपर डीजीएफटी से कोई प्रतिदाय प्राप्त नहीं हुआ था। कम्पनी की ओर से जागरूकता की इस प्रकार की कमी तर्कसंगत नहीं है, विशेष रूप से जबकि समान प्रावधानों के तहत तेल कुएं सीमेंट की अधिप्राप्ति में डीईबी लेने में इसकी विफलता को सीएजी के 2007 के प्रतिवेदन सं. 11 में उजागर किया गया है। कम्पनी को यह भी पता था कि पीएमटीजेवी ऐसी छूट प्राप्त कर रही थी जहां कम्पनी का भागीदारी हित 40 प्रतिशत है। 2006-13 के दौरान ₹ 326.75 करोड़ का मानित निर्यात लाभ न लेने के कारण परिहार्य व्यय हुआ था।

(पैरा सं. 11.7)

एनटीपीसी लिमिटेड (कम्पनी) ने बार सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट (चरण I) को मुख्य संयंत्र पेकेज (भाग-क एवं भाग-ख) के लिए क्रमश मैसर्स एफजीयूपी 'वीओ' टेक्नोप्रोमेक्सपोर्ट रशिया (टीपीई) और मैसर्स पावर मशीन्स (पीएम) को ठेके दिए। ठेके में इसके ठेकागत मूल्य के 20 प्रतिशत की सीमा के अध्यधीन विदेशी ओर देशज सामग्री दोनो के लिए कीमत वृद्धि को अनुबद्ध किया गया था। टीपीई ने कम्पनी द्वारा टीपीई की विधिक प्रास्थिति के परिवर्तन की स्वीकृति में विलम्ब के कारण 20 प्रतिशत की कीमत परिवर्तन सीमा के हटाने और ठेकागत डीलीवरी कार्यक्रम के बढ़ाने के लिए कम्पनी से सम्पर्क किया। पीएम ने सामग्री लागत में स्फीति प्रवृत्तियों और प्रतिकूल विनियम दरों के आधार पर समान अनुरोध का अनुसरण भी किया। कम्पनी ने ठेकागत प्रावधानों के उल्लंघन के आधार पर ठेका को समाप्त करने और टीपीई की लागत एवं खर्चों पर ठेका पूरा करने के लिए विद्युत मंत्रालय(एमओपी) से अनुमति मांगी। एमओपी ने 2005 से 20 प्रतिशत की कीमत परिवर्तन सीमा को हटाते हुए समापन कार्यक्रम को संशोधित करने के लिए और टीपीई के साथ ठेका समाप्त न करने के कम्पनी को निदेश दिए। तदनुसार, कम्पनी ने पूर्वप्रभावी रूप से उपर्युक्त कीमत परिवर्तन सीमा को हटाते हुए और समापन कार्यक्रम को बढ़ाते हुए टीपीई एवं पीएम के साथ ठेका संशोधित किया। संशोधनों के परिणामस्वरूप ठेकेदारों को अनुचित लाभ हुआ जिसके लिए कम्पनी को मूल ठेकागत अवधि के अन्दर आपूर्त की गई विदेशी सामग्री के प्रति 3.51 यूएस मिलियन डॉलर की अतिरिक्त देयता और 31.53 यूएस मिलियन डॉलर (₹ 142.33 करोड़) का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा। यह समान स्तर पर कार्य की अस्वीकृति थी क्योंकि कीमत भिन्नता के प्रतिबंध एक महत्वपूर्ण मानदण्ड को हटाने से टीपीई और पीएम को पश्च् ठेकागत लाभ दिया गया।

(पैरा सं. 12.1)

पांच सीपीएसईज़ (नालकों, भेल, हुडकों, गेल और आईओसीएल) ने सेवानिवृत्ति पर अस्वस्थता अवकाश या अर्जित अवकाश के साथ 300 दिनों से अधिक की एचपीएल के नकदीकरण के लिए छुट्टी नियामावली/नीति के लिए डीपीई दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया और इसके परिणामस्वरूप जनवरी 2006 से मार्च 2013 के अवधि के दौरान ₹ 138.58 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ। इसके अतिरिक्त, सात सीपीएसईज़ (भेल, एनएचपीसी, एनटीपीसी, पीजीसीआईएल, टीएचडीसी, एसजेवीएन, पीएफसी) ने 2008 से 2012 के दौरान कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण के संबंध में भविष्य निधि के कारण ₹ 23.42 करोड़ का अनियमित योगदान किया और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले (मार्च 2008) और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनुदेशों के उल्लंघन में मार्च 2008 से पूर्व किए गए ₹ 38.70 करोड़ की राशि के अधिक योगदान को समायोजित नहीं किया।

(पैरा सं. 13.1)

पांच सीपीएसईज़ (ओएनजीसी, मीकान, आरईसीएल, भेल और बीडीएल) ने पीआरपी के भुगतान के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया और 2008-09 से 2012-13 के पांच वर्षों के लिए ₹ 202.95 करोड़ का अनियमित भुगतान किया।

(पैरा सं. 13.2)

कार्य समापन की तारिख से टोल के संग्रहण को प्रारम्भ करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों और संग्रहण का अवधारण) नियमावली, दिनों के 45 में अनुबद्ध किए गए 2008 प्रति एनएच 2-पर इलाहाबाद बायपास परियोजना पर टोल संग्रहण लगभग तीन वर्षों के विलम्ब के बाद प्रारम्भ हो सका जिसके परिणामस्वरूप ₹ 150.09 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(पैरा सं. 14.1)

सेतुसमुद्रम शिप चैनल परियोजना पाक बे और मन्नार खाड़ी को जोड़ने के लिए भारत की समुद्री सीमा में शिपिंग चैनल के निर्माण का प्रस्ताव रखता है। यह परियोजना भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट और दूसरे देशों के बीच शिप की यात्रा के लिए यात्रा समय में कमी को परकल्पित करता है। सेतुसमुद्रम कारपोरेशन लिमिटेड (एससीएल) दिसम्बर 2004 में परियोजना के लिए एक विशेष उद्देश्य के माध्यम के रूप में समाविष्ट किया गया था और तूतीकोरीन पोर्ट ट्रस्ट (टीपीटी) को परियोजना पूर्व कार्यकलापों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामांकित किया गया था।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्देश करते हुए सितम्बर 2007 में एक अन्तरिम आदेश पारित किया कि ड्रेजिंग कार्यकलाप किए जा सकते हैं, लेकिन कथित एडम्स ब्रिज/राम सेतु किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त नहीं किया जाएगा। एडम्स ब्रिज क्षेत्र में समस्त ड्रेजिंग कार्य सितम्बर 2007 से स्थगित कर दिया गया था। तथापि मामला अभी निर्णयाधीन है। पर ड्रेजिंग कार्य पाक स्ट्रेट पर जारी रहा जब तक की ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया ने जुलाई 2009 में अपने ड्रेजर को वापस नहीं ले लिये। इसके बाद से परियोजना में कोई कार्यकलाप नहीं किया गया और ड्रेजिंग की आंशिक मात्रा पर ₹ 800 करोड़ से अधिक का व्यय किया जा चुका है।

परियोजना की परिकल्पना और अनुमोदन परिवहन प्रक्षेपणों के आधार पर किया गया था जो पूर्ण रूप से वास्तविक नहीं था। परियोजना का अनुमोदन मई 2005 में ₹ 2427.40 करोड़ की लागत पर किया गया था जिसका डेब्ट इक्विटी अनुपात 1.5:1 था। निजी स्थापन के माध्यम से इक्विटी और बाजार से ऋण जैसा कि आर्थिक मामलों पर संसदीय समिति के नोट में परिकल्पित था को कभी मूर्तरूप नहीं दिया जा सका था। दिसम्बर 2008 तक ₹ 4,504.09 करोड़ की संशोधित लागत को अनुमोदन नहीं दिया गया था और यह आगे बढ़ सकता था।

ड्रेजिंग परियोजना का मुख्य कार्यकलाप था। ड्रेजिंग के उद्देश्य के स्ट्रेच को चार कार्यों ए, बी, सी और डी में विभाजित किया गया था।

पोत परिवहन मंत्रालय ने डीसीआई को नामांकन आधार पर परियोजना को जल्द प्रारम्भ करने के हित से कार्य 'डी' देने के लिए आर्थिक मामलों पर मंत्रीमंडल समिति का अनुमोदन मई 2005 में प्राप्त किया। न केवल ठेका को नामांकन आधार पर दिया गया था किन्तु दरों को भी अन्तिम रूप नहीं दिया गया था।

यह भी पाया गया कि पर्याप्त मृदा डॉटा के अभाव के कारण, कार्य ए, बी और सी के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली का पहला राउंड निष्फल रहा। डीसीआई ने ड्रेजरों की कमी के कारण बोली के पहले राउंड में भाग नहीं लिया। दूसरे राउंड में उन्होंने पाक स्ट्रेट में कार्य सी और एडम्स ब्रिज क्षेत्र में ए-बी भाग के लिए ड्रेजिंग इंटरनेशनल के साथ संघ के रूप में भाग लिया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि टीपीटी ने फरवरी 2006 में बोली के दूसरे चरण में भी पुराने अनुमानों का अद्यतन नहीं किया था, जो नवम्बर 2004 में तैयार किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप बोली के दूसरे चरण में प्राप्त की गई दरों की तार्किकता का अवास्तविक

मूल्यांकन हुआ। दूसरी निविदा भी निविदाकारों द्वारा उद्धधृत उच्च दरों के आधार पर जुलाई-अगस्त 2006 में भी कर दी गई थी।

एडम्स ब्रिज क्षेत्र में ड्रेजिंग कार्य के निष्पादन के लिए श्रमबल, प्रौद्योगिकी और उपकरणों के संदर्भ में डीसीआई की बाध्यताओं के बावजूद, मंत्रालय ने 19 सितम्बर 2006 को आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति को सभी भागों में ड्रेजिंग कार्य के लिए ₹ 2171.40 करोड़ की संशोधित बढ़ी हुई लागत के अन्दर डीसीआई के नामांकन का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु भेजा। मंत्रालय ने अक्तूबर 2006 में नामांकन के आधार पर डीसीआई को ड्रेजिंग का पूरा कार्य दे दिया। इस प्रकार मंत्रालय ने जून 2005 में कार्य डी के लिए और अक्तूबर 2006 में बाकी के सभी खण्डों अर्थात ए, बी, सी के लिए डीसीआई को नामांकित किया और देय दरों की अवधारण विधि प्रचलित बाजार दरे थी।

डीसीआई ने पोत परिवहन मंत्रालय के चार्टरिंग विंग के ट्रांसचार्ट के माध्यम से ड्रेजर किराए पर लिए। ट्रांसचार्ट ने डीसीआई द्वारा दिए गए विनिर्देशों को विभिन्न एजेंटों, दलालों तथा शिपिंग कम्पनियों को जारी किए और उद्धरण प्राप्त किए। किसी निविदा प्रकिया की सहायता नहीं ली गई थी और ड्रेजर की उपयुक्तता के साथ कीमत वसूली प्रक्रिया डीसीआई द्वारा की गई बातचीत पर आधारित थी और इसमें पारदर्शिता की कमी थी। इसके अतिरिक्त ड्रेजरों को भी तकनीकी विशिष्टता के लिए आधारभूत जानकारी को अन्तिम रूप दिए बिना ही लगाया गया था और कारणों का विश्लेषण किए बिना कि क्यों अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली के दो प्रयास जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय फर्मों ने भाग लिया था, विफल हो गए थे।

पूरी की गई ड्रेजिंग एडम्स ब्रिज क्षेत्र में ड्रेज्ड किए जाने वाले 48 मीलियन घनमीटर की स्वथाने मात्रा के लक्ष्य का केवल 20 प्रतिशत था इसे इस तथ्य के मद्देनजर भी देखा जाएगा कि 'डीसीआई ने एडम्स ब्रिज क्षेत्र में कार्य के लिए दिनांक 16 सितम्बर 2006 के अपने पत्र में भी पुष्टि की थी कि एक सीएसडी एक्वेरियस के अलावा इसके पास कोई अन्य उपकरण अथवा श्रमबल नहीं था। ड्रेजर एक्वेरियस भी विफल हो गया था।

फरवरी और सितम्बर 2007 के बीच 9.52 मीलियन घनमीटर की एक स्वस्थाने मात्रा एडम्स ब्रिज क्षेत्र के उत्तरी दिशा में ड्रेजड की गई थी तथा चैनेज 30-35 किमी के बीच चैनल संरेखण में डम्प की गई थी। ऐसी डम्पिंग अप्राधिकृत थी।

चैनल संरेखण में ड्रेज्ड सामग्री को डालने का निर्णय स्वयं में ही पर्यावरणीय मंजूरी में लगाई गई शर्तों का उल्लंघन था। ऐसे स्थान पर डम्पिंग जिसका पर्यावरणीय प्रभाव के लिए निर्धारण नहीं किया गया है, से समुद्रीय पर्यावरणीय प्रणाली में गम्भीर विध्न डालने को

नकारा नहीं जा सकता। यह अनुमान लगाया गया है कि ड्रेज्ड तथा डाली गई सामग्री के 9.52 मिलियन घनमीटर में से लगभग 5 मिलियन घन मीटर को पुन: संभालने की आवश्यकता है। अत: पर्यावरणीय प्रणाली में गड़बड़ी की संभावना बढ रही है।

पाक स्ट्रैट क्षेत्र में जुलाई 2007 में पूर्ण होने वाला कार्य डी जनवरी 2009 में पूरा किया गया था। पाल्क स्ट्रैट क्षेत्र में कार्य सी के लिए जुलाई 2009 में जब कार्य को रोका गया था, केवल 38 प्रतिशत ड्रेजिंग कार्य पूरा हुआ था।

यद्यपि एडम्स ब्रिज क्षेत्र के लिए डीसीआई और एससीएल के बीच समझौता ज्ञापन में अन्तरिम सर्वेक्षण अनुबद्ध था, फिर भी डीसीआई द्वारा फरवरी और सितम्बर 2007 के बीच की अवधि के लिए कार्य नहीं किया गया और ड्रेज्ड सामग्री स्वंय संरेखण में ही डाल दी गई थी।

जुलाई 2009 में ड्रेजिंग कार्य के आस्थगित होने के पश्चात, एनएचओ ने पाक स्ट्रैट क्षेत्र में अगस्त/सितम्बर 2009 में सर्वेक्षण किया एवं जनवरी 2009 में अपने सर्वेक्षण में डीसीआई द्वारा आकलित 21.43 मीलियन घनमीटर की ड्रेज्ड मात्रा के प्रति 18.9 मिलियन घनमीटर के ड्रेज्ड मात्रा को प्रमाणित किया। यह सिल्टेशन प्रक्रिया के कारण था।

डीसीआई की दर संरचना में सिल्टेशन तथा अतिरिक्त ड्रेजिंग की आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के आधार पर चार प्रतिशत की अतिरिक्त मात्रा पर विचार किया था। तथापि, डीसीआई द्वारा नियुक्त किए गए एक विशेषज्ञ द्वारा बाद में सिल्टेशन 10 प्रतिशत प्रति वर्ष आकलित किया गया था।

इस प्रकार डीपीआर की तैयारी सटीक नहीं थी।

(पैरा सं. 16.1)

बीआईएफआर दिशानिर्देशों के अनुसार बातचीत के विकल्प का उपयोग किए बिना भारत टेक्सटाइल मिल्स मुम्बई (सितम्बर 2010) की भूमि की बिक्री को एक सप्ताह पूर्व हुई सन्निकट भूमि की बिक्री से कम दर पर करने के नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन के निर्णय के परिणामस्वरूप भूमि की बिक्री से ₹ 156.97 करोड़ अर्जित करने के अवसर की हानि हुई।

(पैरा सं. 18.1)

अध्याय I: परमाणु ऊर्जा विभाग

यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

1.1 गौण उत्पाद की गैर वसूली के कारण हानि

तूरम दीह मिल द्वारा मैग्नेटाइट हेतु गौण उत्पाद वसूली संयंत्र की स्थापना में देरी के कारण मार्च 2009 से नवम्बर 2013 की अवधि के दौरान ₹ 13.47 करोड़ की हानि हुई।

यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया (कम्पनी) ने सिंहभूमि पूर्व, झारखण्ड जिले में तूरम दीह में यूरेनियम अयस्क खान स्थापित करने के लिए सलाहकार के रूप में मै. डेवलपमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड (डीसीपीएल) का नियुक्त किया (1982)। पर्यावरण एवं वन मंजूरी के बाद अप्रैल 1989 में भारत सरकार (जीओआई) द्वारा डीसीपीएल द्वारा बनाई गई (1984) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को अनुमोदन दिया गया। तदनुसार परियोजना शुरू की गई लेकिन मई 1992 में सम्पूर्ण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की समीक्षा करने के पश्चात भारत सरकार द्वारा तूरम दीह खनन की गतिविधियों को रोक दिया गया था। तूरम दीह को पुन: शुरू करने के लिए भारत सरकार से 2001 के दौरान कम्पनी को दोबारा अनुमोदन मिला। कम्पनी ने तूरम दीह प्रक्रिया संयंत्र की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अद्यतित करने के लिए फिर से डीसीपीएल को संबद्ध किया तथा इसके निदेशक मंडल ने दिसम्बर 2002 में अद्यतित रिपोर्ट को मंजूरी दी। यूरनेनियम संयंत्र का निर्माण कार्य सितम्बर 2003 से शुरू किया गया। संयंत्र का ट्रायल जून 2007 में शुरू हुआ और मार्च 2009 में ₹ 343.27 करोड़ की लागत से संयंत्र चालू किया गया थ। यूरेनियम के उत्पादन हेतु संयंत्र में खपत हुए अयस्क में मैग्नेटाइट भी था। कम्पनी ने तूरम दीह से सृजित टेलिंग्स* से मैग्नेटाइट निकालने के लिए एक गौण उत्पादन पुनर्प्राप्ति संयंत्र लगाने के लिए ₹ 20 करोड़ का निवेश करने का निर्णय लिया (नवम्बर 2011) जिसे भारत सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई (मई 2013)।

** टेलिंग्स, अयस्क से उपयोगी खनिज निकालने के बाद बची हुई खनिज हैं।*

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

- कम्पनी ने झारखण्ड के सिंहभूमि क्षेत्र में 1968 में जादूगुडा में पहले ही एक यूरेनियम संयंत्र स्थापित किया था, जिससे अयस्क में 3.2 प्रतिशत मैग्नेटाइट निहित था। इस प्रकार, कम्पनी ने 1982 में एक मैग्नेटाइट पुनर्प्राप्ति संयंत्र का निर्माण किया और इसके बाद 1984 में इसे उन्नत किया । बाद में 2003 में तूरम दीह खान से निकाला गया अयस्क जादूगुडा मिल में उपयोग किया गया था।

- मैग्नेटाइट पुनर्प्राप्ति संयंत्र लगाने के निर्णय में देरी के परिणामस्वरूप मार्च 2009से नवम्बर 2013 की अवधि के दौरान तूरम दीह की टेलिंग्स से मैग्नेटाइट न निकालने के कारण ₹ 13.47 करोड़ की हानि हुई। मैग्नेटाइट पुनर्प्राप्ति सुविधा के चालू होने तक मैग्नेटाइट की बिक्री न कर पाने के कारण राष्ट्रीय संसाधनों का लगातार दुरूपयोग हेागा और कम्पनी को लगातार हानि उठानी पड़ेगी, जबकि यह एक अच्छा बाजार है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2013) में अन्य बातों के साथ-साथ कहा कि:

- 150 किमी के क्षेत्र में फैले सम्पूर्ण सिंहभूमि थ्रस्ट में आर्थिक रूप से वसूलीयोग्य पैमाने पर मैग्नेटाइट की उपस्थिति का हस्तक्षेप गलत है। सीमित क्षेत्र में किसी धातु की आर्थिक पुनर्प्राप्ति विभिन्न खनिजों और इसके प्रकार के समानुपातिक वितरण पर निर्भर करेगा। तूरम दीह प्रक्रिया संयंत्र को आपूर्त अयस्क की खनिज शास्त्र में मैग्नेटाइट की उपस्थिति 2011 में सुनिश्चित की गई थी।

- लीचिंग (टेलिंग्स के रूप में ज्ञात) के पश्चात् ठोस स्ट्रीम के साथ-साथ खनन क्षेत्र में मैग्नेटाइट की उपलब्धता की पुष्टि करना आवश्यक है। संयत्र की वास्तविक शुरूआत की आवश्यकता थी ताकि नमूने लेने और विश्लेषण करने के लिए लंबी अवधि हेतु परिचालन संयंत्र से नमूना लिया जा सकता। यह वास्तविक कार्यदशा में वाणिज्यिक निवेश के आर्थिक औचित्य का भरोसा देता है।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योकि:

- कम्पनी को सिंहभूमि थ्रस्ट क्षेत्र में मैग्नेटाइट होने के बारे में जानकारी थी और 1982 से इसके जादूगुडा संयंत्र से मैग्नेटाइट भी निकाल रही थी।

- तूरम दीह खान से निकाले गए अयस्क का 2003 से 2009 के बीच जादूगुडा मिल में उपयोग किया गया था जिससे यह स्थापित होता है कि कम्पनी 2003 से तूरम दीह में मैग्नेटाइट सामग्री के बारे में जानती थी।

- तूरम दीह संयंत्र की संपूर्ण प्रक्रिया स्ट्रीम का ट्रायल जून 2007 में शुरू किया गया था और मार्च 2009 में चालू किया गया। दिए गए तथ्य कि तूरम दीह अयस्क का 2003 से जादूगुडा मिल में उपयोग किया जा रहा था, यह उत्तर कि तूरम दीह प्रक्रिया संयंत्र को आपूर्त अयस्क की खनिज शास्त्र में मैग्नेटाइट की उपस्थिति 2011 में ही सुनिश्चित हुई थी, औचित्यपूर्ण नहीं है।

- ''पूर्वी सिंहभूमि और आस-पास के क्षेत्रों में जमा खनिज'' के शीर्षक वाली भारत सरकार की रिपोर्ट जो 1937 में प्रकाशित हुई थी, में बताया गया कि मैग्नेटाइट, क्षेत्र में सबसे प्रचुर मात्रा में था और सिंहभूमि के लगभग सभी चट्टानों में मौजूद था। इसके अतिरिक्त, कम्पनी द्वारा 1977 में तैयार अध्ययन रिपोर्ट में सिंहभूमि थ्रस्ट क्षेत्र के खनिज अपरूपण क्षेत्र में मैग्नेटाइट की मौजूदगी का उल्लेख था।

- 1937 से किए गए विभिन्न अध्ययनों से कम्पनी सम्पूर्ण सिंहभूमि थ्रस्ट बेल्ट में आर्थिक रूप से पुनर्प्राप्ति पैमाने पर मैग्नेटाइट के मौजूदगी के बारे में अच्छी तरह से जानती थी। कोयला प्रक्षालनों, आर्थिक रूप से पुनर्प्राप्ति पैमाने आदि से मैग्नेटाइट की उपयुक्त मांग से संबंधित विस्तृत अध्ययनों के पश्चात् कम्पनी ने 1982 में जादूगुडा में एक पूर्ण पैमाना मैग्नेटाइट पुनर्प्राप्ति संयंत्र लगाया। निवेश से अधिकतम संभव लाभ उठाने के क्रम में कम्पनी तूरम दीह के गौण उत्पाद पुनर्प्राप्ति संयंत्र में निवेश का शीघ्र निर्णय लेने और लंबी अवधि से अर्जित ज्ञान और अनुभव का लाभ उठाने में विफल रही।

इस प्रकार, तूरम दीह में गौण उत्पाद पुनर्प्राप्ति सुविधा स्थापित करने के विलम्बित निर्णय के कारण ₹ 13.47 करोड़ की हानि हुई जिसे समुचित योजना के द्वारा रोका जा सकता था।

अध्याय II: रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड

2.1 एचओसी स्कूल से महात्मा एजुकेशन सोसायटी को स्वायत्त प्रबंधन के स्थानान्तरण में अनियमिततायें

हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड ने महात्मा एजुकेशन सोसायटी को इसकी गतिविधियों में विस्तार के लिए अनियमित और अनाधिकृत लाभ दिया और ₹ 6.54 करोड़ के पट्टे के किराये की वसूली करने में भी विफल रही

हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसी) ने कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक स्कूल की स्थापना की थी (अक्टूबर 1966)। एचओसी द्वारा 1966 से 1974 तक स्कूल चलाया गया। उसके बाद 1974 से स्कूल का प्रबंधन 40 वर्षों के पट्टे पर डेक्कन एजुकेशन सोसायटी, पुणे (डीईएस) को हस्तांतरित कर दिया गया। डीईएस द्वारा समाप्ति का नोटिस जारी करने के बाद स्कूल का प्रबंधन वापस ले लिया गया (मई 2000)।

एचओसी ने स्कूल के स्वायत्त प्रबंधन को एक उपयुक्त संस्थान को सौंपने के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू किया (अगस्त 2000)। निदेशक मंडल ने एचओसी स्कूल के प्रबंधन को निविदागत प्रक्रिया के माध्यम से चयनित महात्मा सोसायटी एजुकेशन (एमईएस) को स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया(मार्च 2006)। एचओसी ने 1 जून 2006 से 30 वर्षों तक के लिए एमईएस के साथ लीज करार किया (अक्टूबर 2006)। करार में स्कूल भवन/परिसरों तथा स्कूल के मैदान के लिए लीज किराए के रूप में ₹ 14.50 लाख प्रति वर्ष के भुगतान का प्रावधान था और यह कि एमईएस शिक्षक अथवा गैर शिक्षक कर्मचारियों को पूरी तरह से जिम्मेदारी उठायेगा (अनुमानित बचत ₹ 13.50 लाख प्रति माह)।

तत्पश्चात्, एमईएस ने पॉलिटेक्निक, इंजीनिरिंग, प्रबंधन आदि जैसे पेशेवर डिग्री/पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति देने का अनुरोध किया (अक्टूबर 2007) तथा

पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए नए भवनों के निर्माण करने हेतु स्कूल परिसर से सटे 40-50 एकड़ भूमि के आबंटन करने का भी अनुरोध किया। निदेशक मंडल ने निर्णय लिया (30 अक्टूबर 2007) कि स्कूल के प्रयोजन से एक अलग ढाँचा बनाने के लिए कोई और जमीन देने के पक्ष में नहीं थे क्योंकि ऐसे कार्यों से बाद में कई कानूनी अड़चनें आने की संभावना थी। हालांकि बोर्ड ने महसूस किया कि कोई निष्क्रीय भवन जिसका आने वाले वर्षों में कम्पनी उपयोग न करने वाली हो, को स्कूल प्रबंधन को इसके अपने लागत पर अतिरिक्त डिग्री/पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु सुविधा प्रदान करने के लिए दिया जा सकता है। बोर्ड ने हालांकि 30 अक्टूबर 2007 को आयोजित अपनी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि करते हुए(24 जनवारी 2008) कार्यवृत्त को संशोधित कर दिया और दर्ज किया कि एमईएस केवल एचओसी स्कूल के मौजूदा परिसर के भीतर ही डिग्री/पेशेवर पाठ्यक्रम चला सकता है और यह कि एमईएस को कोई अतिरिक्त जमीन नहीं दी जाएगी।

लेखापरीक्षा जॉच से पता चला कि बोर्ड का अपना निर्णय लेने से पहले ही एचओसी के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक ने एमईएस को स्वयं के खर्च पर शैक्षणिक परिसर के खाली क्षेत्र पर नए भवन का निर्माण करने की अनुमति दे दी (26 अक्टूबर 2007)। नए भवनों के संबंध में पट्टा किराया बाद में निर्धारित किया जाना था । उसके बाद 29 अक्टूबर 2007 को यह कहते हुए एक शुद्धिपत्र जारी किया गया कि दी गई अनुमति बोर्ड के अनुमोदन के विषयगत होगी। यद्यपि बोर्ड ने नए भवन के निर्माण की अनुमति देने के विरूद्ध निर्णय लिया था, एचओसी ने अपना पत्र वापस नहीं लिया और एमईएस को अनधिकृत रूप से शैक्षिक परिसर में लगभग 1 एकड़ खाली जमीन पर नए भवन बनाने की अनुमति दी।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि नवम्बर 2011 तक पट्टे का किराया निर्धारित करने में काफी विलम्ब हो चुका था। सितम्बर 2010 और उसके बाद से निर्धारित किराया ₹ 1.73 करोड़ प्रति वर्ष था और निर्माण अवधि के दौरान शुरू पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षणिक वर्ष 2009-10 के लिए किराया ₹ 1.73 करोड़ का 50 प्रतिशत था, अर्थात जून 2009 से अगस्त 2010 तक ₹ 86 लाख प्रतिवर्ष। एचओसी द्वारा निर्धारित किराया विभिन्न आधारों पर एमईएस द्वारा विवादित था (नवम्बर 2011) और बाद में

₹ 6.54 करोड़ के पट्टा किराये (जून 2009 से मार्च 2014 की अवधि के लिए) का अब तक (मार्च 2014) भुगतान नहीं किया।

इसके अतिरिक्त, एचओसी ने अपने खाली आवसीय कमरों को एमईएस द्वारा छात्रावास के रूप में उपयोग करने हेतु आबंटित किया। एचओसी द्वारा जारी निविदा के अनुसार खाली कमरों को शिक्षक/गैर शिक्षक कर्मचारी को आवासीय प्रयोजनों हेतु दिया जाना था। हालांकि, पट्टा करार करते समय एचओसी ने एमईएस को मौजूदा स्कूल भवन में आवासीय स्कूल और खेल अकादमी शुरू करने की अनुमति दी थी और विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा का आबंटन प्रचलित दरों पर उपलब्धता के आधार पर किया जा सकता था। तदनुसार एमईएस के अनुरोध पर एचओसी ने उस दर पर स्कूल परिसर के बाहर के 56 आवसीय क्वार्टरों (लगभग 27640 वर्ग फीट वाले) को आबंटित किया, जिस पर आवसीय प्रयोजन के लिए एचओसी से किराये पर क्वार्टर लेने वाले व्यक्तियों से प्रभारित किया जाता है। प्रबंधन एमईएस द्वारा अपने विद्यार्थियों हेतु छात्रावास के रूप में उपयोग करने के लिए खाली क्वार्टरों के वाणिज्यिक उपयोग से लाभ अर्जित करने में विफल रहा।

एक शिकायत के आधार पर मंत्रालय ने एचओसी को पूरी व्यवस्था की समीक्षा करने तथा यदि आवश्यक हो तो एमईएस के साथ पट्टा करार रद्द करने का निर्देश दिया (दिसम्बर 2011)। तदनुसार, निदेशक मंडल ने तत्कालीन सीएमडी के निर्णय बोर्ड द्वारा पूर्णत: प्राधिकृत थे अथवा नही, इस बात का निर्धारण करने के लिए बोर्ड के पेपरों की जॉच सहित पूरे मामले को देखने के लिए एक बोर्ड स्तरीय उप-समिति गठित किया (मार्च 2012)। मंत्रालय ने बोर्ड की निष्क्रियता पर फिर से चिंता व्यक्त किया (अक्टूबर 2012) और 16 नवम्बर तक अंतिम रिपोर्ट मॉगा। बोर्ड की उपसमिति ने निर्णय लिया (जून 2013) कि अंतिम निर्माण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित विभागीय जॉच के निष्कर्ष के बाद लिया जाएगा। दो वर्ष बीत जाने के बावजूद भी न तो एचओसी प्रबंधन ने और न ही मंत्रालय ने कोई निर्णय लिया था।

एचओसी ने कहा (दिसम्बर 2013) कि चूँकि डिग्री/पेशेवर पाठ्यक्रम चलाने के लिए एचओसी स्कूल के पुराने भवनों में जगह उपलब्ध नहीं था, एमईएस को एचओसी के शैक्षणिक परिसर के मौजूदा जगह में एआईसीटीई और यूजीसी के मानकों के अनुसार इसके लिए नए भवनों का निर्माण करने की आवश्यकता थी। आगे कहा गया कि कम्पनी

ने एमईएस को अपनी जमीन पट्टे पर नहीं दिया था बल्कि भवनों/परिसरों को पट्टे पर दिया था। कम्पनी ने 19 लाख प्रतिमाह का बचत किया (₹ 2.28 करोड़ प्रतिवर्ष) जो स्कूल चलाने के लिए एचओसी द्वारा किया जाना था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शैक्षणिक परिसर में लगभग 1 एकड़ के क्षेत्र में नए भवनों का निर्माण करने के लिए एमईएस को अनुमत करना एमईएस को जमीन पट्टे पर देने के बराबर था। यह भी तर्क है कि कम्पनी द्वारा की गई ₹ 19 लाख प्रतिमाह की बचत प्रासंगिक नहीं है क्योंकि व्यवस्था एमईएस के साथ करार के अनुसार थी जिसे निविदा के माध्यम से अंतिम रूप दिया गया था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जनवरी 2014) में एचओसी को पृष्ठांकित किया कि एमईएस की व्यवस्थाओं में कोई अनियमितताएं नहीं थी। हालांकि इससे एचओसी को मामले की जॉच पड़ताल करने का निर्देश दिया (दिसम्बर 2011) और विभागीय जॉच करने का निर्णय लिया (अक्टूबर 2012)। इस प्रकार, मंत्रालय का रूख स्वयं विरोधाभासी था।

एमईएस को प्रबंधन हस्तांतरित करने से पूर्व एचओसी स्कूल के पास 1267 विद्यार्थी थे। प्रबंधन हस्तांतरित करने के बाद 926 स्कूल विद्यार्थी और 20 नए इंजीनियरिंग/प्रबंधन पाठ्यक्रम थे जिनमें 3409 विद्यार्थी थे (अक्टूबर 2013)। शैक्षणिक परिसर में निर्मित क्षेत्र 2.301 एकड़ बढ़ गया जो हस्तांतरित करने से पूर्व 1.308 एकड़ था। इस प्रकार एचओसी प्रबंधन द्वारा विभिन्न अनियमित और अप्राधिकृत सुविधाओं के विस्तार के कारण एचओसी स्कूल के प्रबंधन का हस्तांतरण एमईएस द्वारा धीरे-धीरे एक निजी वाणिज्यिक उद्यम में परिवर्तित हो गया। इसके अतिरिक्त, जून 2009 से मार्च 2014 की अवधि के लिए एचओसी ₹ 6.54 करोड़ के पट्टे का किराया भी नहीं वसूल सकी।

राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

2.2 निधियों का अवरोधन

परियोजना व्यवहार्यता के अपर्याप्त निर्धारण के कारण ₹ 12.92 की परिचालनात्मक हानि और ₹ 52 करोड़ का अवरोधन हुआ।

राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजरस लिमिटेड (आरसीएफ) का ट्राम्बे में 100 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का एक फासफोरिक एसिड़ प्लान्ट फोस्फोरिक एसिड के प्रत्येक टन के उत्पादन के साथ 4.30 मीट्रिक टन की दर पर फोस्फोजिप्सम (जिप्सम) का उत्पादन करता है। रैपिड बिल्डिंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड (आरबीएस), आस्ट्रेलिया ने जिप्सम से उच्च गुणवत्ता प्लास्टर और लोड बीयरिंग पैनेल्स आदि बनाने के लिए एक नई तकनीक

के साथ संपर्क किया (नवम्बर 2004)। रैपिडवाल* परियोजना के लिए आरसीएफ और आरबीएस के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था (अक्टूबर 2005)।

आरसीएफ बोर्ड ने ₹ 75.70 करोड़ की लागत पर 'रैपिडवाल' परियोजना की मंजूरी दी (मार्च 2006) जिसे संशोधित करके ₹ 81.10 करोड़ कर दिया गया (अगस्त 2010)। परियोजना से प्रतिवर्ष 14 लाख वर्ग मीटर 'रैपिडवाल', 23,000 मीट्रिक टन वाल प्लास्टर और 6,000 मीट्रिक टन उच्च गुणवत्ता वालपुट्टी की परिकल्पना की गई थी। परियोजना से 4.61 वर्षों की पे बैक अवधि के साथ 19.84 प्रतिशत आईआरआर सृजित करना अपेक्षित था।

आरसीएफ ने 92,81,400 आस्ट्रेलियन डॉलर (मई 2007 में 1 आस्ट्रेलियन $ = ₹ 33.19 के विनिमय दर पर ₹ 30.80 करोड़) की लागत पर अनुरक्षण उद्देश्य से उपकर तकनीकी नियमावली, ड्राइंग्स के रूप में सामान्य व्यवस्था और रूपरेखा, ड्राइंग्स और तकनीक सहित एक रैपिड फ्लो कैल्सिनर प्लांट और रैपिडवाल प्लांट के लिए आरबीएस के साथ एक करार किया (मई 2007)। परियोजना मई 2007 में चालू हुई और आरसीएफ ने मार्च 2010 में उत्पादन शुरू किया। परियोजना पर हुआ कुल लागत व्यय ₹ 82.30 करोड़ था।

कम्पनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर सकी। वर्ष 2010-11 से 2013-14 (अक्टूबर 2013 तक) के दौरान संयंत्र से उत्पादन का विवरण नीचे दिया गया है:

उत्पादन	इकाई	वार्षिक क्षमता	वार्षिक उत्पादन			
			2010-11*	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**
वाल पैनल	वर्ग मीटर	14,00,000	10,944.00 (0.78)	12,024.00 (0.86)	6,156.00 (0.44)	4428.00 (0.32)
वाल प्लास्टर	मीट्रिक टन	23,000	864.55 (3.76)	2047.20 (8.90)	8,153.55 (35.45)	4309.50 (18.74)
वाल पुट्टी	मीट्रिक टन	6,000	शून्य	3	शून्य	शून्य

* 2010 से। कोष्ठक में आंकड़े प्रतिशत उपयोग दर्शाते हैं।

**** रैपिडवाल व्यापक निर्माण अनुप्रयोगों के साथ पर्यावरण के अनुकूल एक लोड बियरिंग, कम लागत पूर्व फैब्रिकेटेड प्लास्टर और ग्लास फाइब्रे रैनफोर्स्ड वालिंग सिस्टम है।***

कम क्षमता उपयोग के कारण उत्पादन की लागत बहुत अधिक थी और बिक्री किए जाने हेतु बचे भंडारण पर परिकल्पित हानि को ध्यान में रखने के बाद कम्पनी को ₹ 12.92 करोड़ की हानि हुई। कम्पनी ने परिवर्तनीय लागत भी नहीं वसूला क्योंकि ₹ 11.91 करोड़ के उत्पादन के परिवर्तनीय लागत के प्रति कुल वसूली ₹ 9.63 करोड़ थी। कम्पनी को अपने उत्पादों को बाजार में बेचने में कठिनाई हो रही थी और इसलिए यह बहुत कम मात्रा में वाल पैनेल्स और प्लास्टर का उत्पादन कर रही थी और वाल पुट्टी का कोई उत्पादन नहीं था।

लेखापरीक्षा में जॉच से पता चला कि कई जटिल कारक थे जिस पर कम्पनी ने परियोजनासे पूर्वविचार नहीं किया था।

जोखिम कारक	**अनुवर्ती घटनाये**
उत्पादों की मात्रा निम्नलिखित कच्चे माल पैमानो पर निर्भर था:	कच्चा माल पैमाना तभी पूरा हो सकता था जबकि रॉक फॉस्फेट (फास्फोरिक एसिड के लिए कच्चा माल) निश्चित गुण में हो। जब आरसीएफ ने अपने रॉक फॉस्फेट का स्रोत (विदेशी आपूर्तिकर्ता) बदल दिया, कच्चा माल पैमाना भी बदल गया :
जिप्सम शुद्धता : >90 प्रतिशत	जिप्सम शुद्धता : <90 प्रतिशत
नमी की मात्रा: < 20 प्रतिशत	नमी की मात्रा : 26 से 28 प्रतिशत
फास्फोरस पेंटोक्साइड (P_2O_5): अधिकतम 0.05 प्रतिशत	P_2O_5 का स्तर : 0.25 प्रतिशत और 0.60 प्रतिशत के बीच की रेंज
रैपिडवाल प्रौद्योगिकी देश और निर्माताओं के लिए नई थी और सिविल इंजीनियरों और वास्तुकारों के पास उत्पाद के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं थी। रैपिडवाल का आकार 2.85 x 12 मीटर था। रैपिडवाल्स के लोडिंग और अनलोडिंग के लिए कुशल श्रमिक, हाइड्रोलिक	विशेषज्ञता की कमी को दूर करने के क्रम में कम्पनी ने उत्पादों को बेचने हेतु एचएम कंसोर्टियम (मै; हीरानन्दानी कंस्ट्रक्शनस प्राइवेट लिमिटेड और मै. महिमतुरा कंस्लटन्टस प्राईवेट लिमिटेड) के साथ एक संयुक्त उद्यम किया। हालंकि इस व्यवस्था से उत्पादों की स्वीर्कायता के मुद्दे का समाधान नहीं हुआ। जेवी प्रयोग सफल नहीं हुआ

क्रेन्स, परिवहन के लिए लंबे कैरियर आदि की आवश्यकता थी। चिनाई मजदूरों के प्रशिक्षण की भी आवश्यकता थी।	क्योंकि उत्पादों को बाजार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। जेवी समाप्त कर दी।

चूंकि निवेश की आवश्यकता बहुत अधिक थी, कम्पनी को उपरोक्त जोखिम को ध्यान में रखना चाहिए था।

कम्पनी ने कहा (अक्टूबर 2013) कि:

- यह फास्फोरिक एसिड के लिए कच्चे माल के रूप में जार्डन से खरीदे हुए रॉक फॉस्फेट का प्रमुखता से उपयोग कर रही थी। इस प्रकार, सह उत्पाद जिप्सम की गुणवत्ता इस रॉक पर आधारित थी। अत: उत्पादित जिप्सम की तकनीकी की आपूर्तिकर्ता द्वारा जॉच की गई थी और वाल पैनेल्स और अन्य प्लास्टर उत्पादों को बनाने के लिए उपयुक्त बताई गई थी। चूंकि केवल जार्डन से रॉक का उपयोग किया जा रहा था, अन्य स्रोतों से रॉक द्वारा उत्पादित जिप्सम की परिकल्पना नहीं की गई थी, जॉच के लिए उपलब्ध नहीं थे। गैर तकनीकी और वाणिज्यिक दबाव के कारणों से जार्डन के अलावा अन्य स्रोतों से रॉक फास्फेट खरीदा गया था। यद्यपि जटिल उर्वरक बनाने में वैकल्पिक रॉक इसके शुरूआती उपयोग के लिए उपयुक्त था, इसलिए उत्पादित सह उत्पाद की गुणवत्ता, रैपिडवाल पैनेल गुणवत्ता की निरंतरता पर प्रतिकूल प्रभाव वाला पाया गया। रॉक स्रोत में परिवर्तन के कारण जिप्सम गुणवत्ता और फलस्वरूप पैनेल गुणवत्ता ऐसे परिवर्तन प्रत्याशित नहीं थे।

- रैपिडवाल उत्पादों की मार्केटिंग के लिए बिल्डर्स की नामी कम्पनियों और स्ट्रक्चरल इंजीनियरों के साथ एक संयुक्त उद्यम बनाया गया। संयुक्त उद्यम साझेदारों ने क्षेत्रीय जॉच किया और वाल पैनेल के निर्माण के लिए अपनी स्वंय की कार्य प्रणाली विकसित की। हालांकि कई अन्य कारणों से संयुक्त उद्यम समाप्त हो गया क्योंकि साझेदारों ने वहन करने योग्य से ज्यादा छूट की मॉग की।

- सुयंक्त उद्यम साझेदारों के सिविल इंजीनियरों और वास्तुकारों के लिए प्रशिक्षण सत्र की व्यवस्था की गई थी। बिल्डर द्वारा काम में लगाए गए राजमिस्त्री

कामगारों और श्रमिक के लिए ऑन साइट प्रदर्शन और प्रशिक्षण संचालित किया गया था।

- परियोजना के कार्यान्वयन से पूर्व एक नामी कंसल्टेंसी फर्म, एसी निल्सन ओआरजी मार्ग द्वारा बाजार सर्वेक्षण करके बाजार में उत्पाद की स्वीकार्यता स्थापित की गई थी और सभी पहलुओं में सकारात्मक था।

- परियोजना के कार्यान्वयन से पूर्व आस्ट्रेलिया में तकनीक आपूर्तिकर्ता से आयातित वाल पैनेल के साथ कम्पनी के टाउनशिप में एक दो मंजिला आवसीय बंग्ला बनाया गया था। भवन के निर्माण का प्रमाण देने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गई थी, जिसमें बहुत सारे बिल्डर्स और वास्तुकारों ने भाग लिया और उन्होंने अपनी परियोजनाओं में उत्पाद का उपयोग करने की अपनी इच्छा व्यक्त किया।

दिए गए उत्तर का उल्लेख करते हुए (फरवरी 2014) मंत्रालय ने कहा कि लगभग ₹ 30 करोड़ की लागत वाले वाल प्लॉस्टर के लिए सुविधा प्रचालन में थी और निधियों पर अवरोधन और राजस्व सृजन केवल लगभग ₹ 52 करोड़ था। आगे कहा गया कि:

- कम्पनी को लेखाकरण मानकों के अनुपालन में ₹ 48.74 करोड़ की क्षति हानि हुई जो सुधार उत्पादन/बिक्री/नकद आगमन के आधार पर बाद के वर्षों में प्रतिवर्तित हो सकता था।

- कम्पनी ने अपशिष्ट सह उत्पादन से टिकाउ और कम लागत विकल्प से मंहगे और दुर्लभ सीमेंट, बालू और पानी, आगामी वर्षों में जिनकी मांग बढ़ने की संभावना थी, में बदलने के व्यापारिक जोखिम की निश्चित राशि के साथ निर्णय लिया था और आगामी कार्ययोजना का विवरण दिया था।

कम्पनी/मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि:

- कम्पनी ने रॉक फॉस्फेट के केवल एक स्रोत की उपयुक्तता की जॉच की। इसे रॉक फॉस्फेट के अन्य स्रोतों पर भी विचार करना और उपयुक्तता का पता लगाना चाहिए था। क्योंकि केवल एक स्रोत पर निर्भर रहने से जोखिम का खतरा था जो संयंत्र लगने के बाद सही साबित हुआ;

- कम्पनी तीन वर्षों में संयंत्र के परिचालन से मुख्य उत्पाद, वाल पैनेल की अपनी स्थापित क्षमता का एक प्रतिशत भी प्राप्त नहीं कर सकी और कम्पनी उत्पादित मात्रा का केवल 30 प्रतिशत ही बेच सकी;

- कम्पनी द्वारा बनाई गयी भावी योजना में भी 2014-15 और 2015-16 के दौरान वाल प्लास्टर की स्थापित क्षमता के क्रमश: 65 और 65 प्रतिशत तथा वाल पैनेल की स्थापित क्षमता के केवल 7.71 और 15.43 प्रतिशत उत्पादन का प्रावधान था;

- परियोजना से अनुमानित वार्षिक लाभ ₹ 10.78 करोड़ था, जिसमें से ₹ 5.81 करोड़ वाल पुट्टी के बिक्री से था। 2011-12 के दौरान वाल पुट्टी का उत्पादन केवल 3 मी. टन था और अन्य वर्षों में कोई उत्पादन नहीं हुआ। चूंकि वाल पुट्टी का कोई उत्पादन और बिक्री नहीं था, जिससे परियोजना के 50 प्रतिशत से अधिक लाभ अर्जित करने की संभावना थी, परियोजना की व्यवहार्यता संदिग्ध हो गई थी;

- 4.61 वर्षों की पेबैक अवधि के साथ परियोजना से 19.84 प्रतिशत आईआरआर सृजित करने की संभावना थी। हालांकि, मार्च 2010 से अक्टूबर 2013 तक रैपिडवाल संयंत्र के परिचालन से ₹ 12.92 करोड़ की हानि हुई;

- 2011-12 और 2012-13 के दौरान कम्पनी को परियोजना के लिए ₹ 48.74 करोड़ की हानि हुई क्योंकि संभावित उपयोग मूल्य वहन राशि से कम था। इसने इंगित किया कि कम्पनी परियोजना के भावी पहलुओं के प्रति आश्वस्त नहीं थी। क्षमता का कम उपयोग और 2013-14 के दौरान हानि की निरंतरता को देखते हुए कम्पनी को 2013-14 के दौरान और हानि हो सकती है और पहले से हुई हानि का परिवर्तन अनिश्चित है।

इस प्रकार जोखिम कारकों के अपर्याप्त निर्धारण के कारण कम्पनी ने अव्यवहार्य परियोजना में निवेश किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 52 करोड़ की निधि अवरूद्ध हुई, जिसका कम्पनी को हानि हो सकती है। इसके अलावा इसे ₹ 12.92 करोड़ की प्रचालन हानि भी उठानी पड़ी।

अध्याय III: नागर विमानन मंत्रालय

एयर इंडिया लिमिटेड

3.1 डेडहेड लागत पर परिहार्य व्यय

एयर इंडिया लिमिटेड (कम्पनी) 2011-12 और 2012-13 के दौरान दिल्ली में तैनाती कर्मी दल के अनुपात में वृद्धि करने में विफल रही यहाँ तक कि इस अवधि के दौरान दिल्ली से उड़ानों के अनुपात में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई जिसके कारण दिल्ली में मुम्बई आधारित कर्मी दल की तैनाती में ₹ 17.17 करोड़ का अतिरिक्त डेडहेड व्यय हुआ।

एयर इंडिया लिमिटेड (कम्पनी) को दिल्ली और मुम्बई स्टेशनों से विदेशी गंतव्यों के लिए अपनी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों (वाइड बाडी डब्ल्यूबी) को संचालित करने के लिए इन स्टेशनों पर केबिन क्रू* की विभिन्न श्रेणियों की अपेक्षित संख्या बनाए रखना आवश्यक है। केबिन क्रू उड़ान भत्ते के साथ-साथ एक माह में उड़ान के घंटो की संख्या के आधार पर निर्वाह भत्ते का पात्र हैं। क्रू उड़ान संचालन के लिए ट्रांस-शिपमेंट या तैनाती के मामले में एक विशेष माह में निर्धारित ब्लॉक घंटों के पैंसठ प्रतिशत भत्ते का पात्र है। क्रू की तैनाती के लिए किया गया ऐसा व्यय कम्पनी द्वारा 'डेडहेड' लागत के रूप में माना जाता है।

कम्पनी ने 'विंटर 2010' से दिल्ली को हब घोषित कर दिया। परिणामस्वरूप, दिल्ली से संचालित की जाने वाली अनुसूचित 'वाइड बॉडी फ्लाइटस' की संख्या में परिवर्तन हो गया। दिल्ली को हब घोषित करने के साथ मुम्बई और दिल्ली से शुरू होने वाली उड़ानों के मौजूदा अनुपात 67:52 (अक्टूबर 2010) परिवर्तित होकर नवम्बर 2010 में 48:52 हो गया। दिसम्बर 2010 से मार्च 2013 के दौरान दिल्ली से शुरू होने वाली उड़ानों की प्रतिशतता 51 से 63 प्रतिशत के बीच थी। मार्च 2013 को मुम्बई : दिल्ली का संचालन 46:54 था।

** केबिन क्रू की श्रेणियाँ नामतः उड़ान पर्यवेक्षक /प्रभारी कर्मी केबिन क्रू, फ्लाइट पर्सर , एयर हास्टेस और अन्य केबिन क्रू।*

इसके अतिरिक्त, जबकि दिल्ली से शुरू होने वाली उड़ानों में महत्वपूर्ण वृद्धि 33 प्रतिशत (अक्टूबर 2010) से 54 प्रतिशत(मार्च 2013) हो गई, इस अवधि में दिल्ली की क्रू क्षमता में मौजूदा आवश्यकतानुसार वृद्धि नहीं हुई। इसके कारण 2010-11 से 2012-13 के दौरान क्रू को मुबई से दिल्ली जाने की आवश्यकता पड़ी। मुम्बई के क्रू ने स्टॉफ ऑन डयूटी (एसओडी) के रूप में पैक्स/सपी[α] की तरह फ्लाइट ड्यूटी से एक दिन पहले यात्रा की, एक पूरी रात के लिए होटल में रूके और अतिरिक्त व्यय करते हुए अगले दिन उड़ान को संचालित किया। आगामी ड्यूटी को पूरा करके क्रू या तो उसी दिन मुम्बई लौट गए अथवा एक या दो दिन दिल्ली में रूके जिससे डेडहेड लागत बढ़ गयी।

'क्रू आवागमन विवरण प्रपत्रों' की संवीक्षा से पता चला कि 2011-12 और 2012-13 में कम्पनी के मुम्बई के क्रू ने एसओडी की 36,736 और 28,059 घंटे की यात्रा की थी और कम्पनी ने मुम्बई और दिल्ली पर तैनात क्रू को व्यवस्थित करने के लिए अक्टूबर 2010 से मार्च 2011 तक के छः महीने की गुंजाइश को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त दो वर्षों के दौरान क्रमशः ₹ 6.19 करोड़ और ₹ 3.86 करोड़ के परिहार्य भत्ते का भुगतान किया। इसके अलावा जिस सीट पर केबिन क्रू ने यात्रा किया वे यात्रियों को नहीं दिए जा सके जिसके कारण मुम्बई - दिल्ली -मुम्बई जैसे व्यस्त रूट के लिए भी कम राजस्व सृजित हुआ। यद्यपि नए शुरू हुए बी-787 (ड्रीमलाइर्स) हवाई जहाज की सभी उड़ानें दिल्ली से शुरू हुई थी, इसके संचालन के लिए प्रशिक्षित 42 प्रतिशत केबिन क्रू सदस्य मुम्बई में थे (जून 2013 तक)।

तथ्य स्वीकार करते हुए कि दिल्ली से कई उड़ानों में काफी हद तक वृद्धि हुई थी और दिल्ली में तैनात क्रू की बताई गई संख्या अपेक्षित स्तर तक नहीं बढ़ाई गई थी, कम्पनी ने कहा कि (अक्टूब/नवम्बर 2013) कि:

- एसओडी यात्रा (डेडहेड घंटे) सितम्बर 2012 में 787 हवाई जहाज वाली उड़ानों के वाणिज्यिक संचालन की शुरूआत के साथ ही बढ़ गयी थी।
- वाइड बॉडी क्रू में कार्य करने वाले फ्लाइट पर्सर्स का दूसरे केबिन क्रू की दूसरी श्रेणियों में कार्य करना इस तथ्य के मद्देनजर सम्भव नहीं था कि कार्यों का अंतर

[α] ***सपी से तात्पर्य है क्रू सदस्य का एक आनवर्ड स्टेशन से अगली ड्यूटी के उद्देश्य से यूनीफार्म में एक स्टेशन से यात्रा करना या दी गई ड्यूटी को पूरा करने के पश्चात् मूल स्टेशन वापस आना और यात्री सीट का हकदार होना।***

परिवर्तन नहीं हो सकता और यह दो शीर्ष न्यायालयों के फैसलों सहित विभिन्न न्यायालयी निर्णयों का उल्लंघन भी होता और इससे न्यायालय की अवमानना होती। इसके अलावा केबिन क्रू के दिल्ली अनिवार्य स्थानान्तरण से औद्योगिक असंतोष हो जाएगा क्योंकि यह वर्ग बहुत अधिक संगठित था। यह एक विवेकपूर्ण और मितव्ययी निर्णय नहीं होता कि क्रू को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाय और बड़े पैमाने पर वापसी आवागमन हो, क्योंकि मुम्बई हवाई अड्डे के विकास के बाद मुम्बई से अधिक उड़ाने संचालित होनी थी।

- अन्य केबिन क्रू जो दिल्ली स्थानान्तरण चाहते थे, के लिए अनुबंध पर और स्वैच्छिक आधार पर सभी 'एयरलाइन अटेंडेंट्स' हेतु दिल्ली में तैनाती की गई थी। दिल्ली के लिए स्थायी स्थानान्तरण एक स्पष्ट स्थानान्तरण नीति होने के बाद ही लागू किया जा सकता था जिसे बनाया जा रहा था।

- दिल्ली से संचालनों में वृद्धि हुई थी क्योंकि मुम्बई हवाई अड्डे पर प्रमुख कार्य चल रहे थे जिससे अतिरिक्त उड़ाने संभव नहीं थी, जबकि दिल्ली हवाई अड्डा सभी सुविधाओं और बुनियादी ढाँचे के साथ एक ब्रांड न्यू हवाई अड्डा है जो दिल्ली को अधिक उड़ाने संचालित करने में सक्षम बनाता है।

- मुम्बई में प्रशिक्षण सुविधाओं और बुनियादी ढाँचे की उपलब्धता और मूल रूप से वरिष्ठता और उपलब्धता के मापदण्ड के आधार पर केबिन क्रू को प्रशिक्षित करने के पूर्व प्रबंधन के निर्णय के कारण बी-787 हवाई जहाज के लिए प्रशिक्षित सबसे अधिक क्रू मुम्बई से थे।

- सभी एयरलाइन संचालनों में विनियामक निकाय द्वारा बनाए गए विनियमों को अनुरूप करने के क्रम में 'डेडहेड लागत' एक आम घटना है और डेडहेड लागत में कटौती करने के लिए कई स्थानों पर बेस बनाना न तो व्यवहार्य था, और न ही मितव्ययी था।

- संचालनों को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाये गए कि डेडहेड कॉस्ट को न्यूनतम किया जाए।

उत्तर को निम्नलिखित के संदर्भ में देखा जाना चाहिए :

- लेखापरीक्षा में शामिल की गई अवधि अर्थात 2011-12 से 2012-13 के दौरान बी-787 उड़ाने केवल 5 महीनों में संचालित की गई अर्थात सितम्बर 2012 से जनवरी 2013।

- केबिन क्रू को कम्पनी के किसी रूट अथवा सहयोगियों द्वारा संचालित रूट पर स्टेशन से बाहर तैनात किए जाने थे।

- यद्यपि कम्पनी ने दिल्ली से उड़ाने बढा दी थीं क्योंकि मुम्बई हवाई अड्डे पर अतिरिक्त उड़ाने संचालित करना सम्भव नहीं था, यह दिल्ली में केबिन क्रू की अपेक्षित संख्या की उपलब्धता की योजना बनाने में विफल रही जिसके कारण डेडहेड व्यय हुआ।

- वरिष्ठता और उपलब्धता के आधार पर केबिन क्रू को प्रशिक्षित करने और बी-787 हवाई जहाज पर तैनात करने के प्रबंधन के निर्णय से और भी डेडहेड व्यय हुआ जबकि उड़ाने दिल्ली से बढ़ाई गई थी।

- कम्पनी द्वारा किए गए उपाय के बावजूद दिल्ली में मुम्बई की तुलना में आनुपातिक रूप से वृद्धि नहीं हुई। यद्यपि 'डेडहेड कॉस्ट' कम करने के उपाय किए जा रहे थे, अप्रैल 2013 से अगस्त 2013 की अवधि के दौरान कुल पीएएक्स घंटों में 1491.38 घंटे से 2706 घंटे (81 प्रतिशत वृद्धि) तक की वृद्धि हुई। यह भी देखा गया है कि बी-787 हवाई जहाजों में दिल्ली के प्रशिक्षित केबिन क्रू की प्रतिशतता जून से अक्टूबर 2013 के दौरान 58 से 53 हो गई।

जहाँ तक संचालनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ डेडहेड लागत आवश्यक थे, बताई गई उपरोक्त स्थिति परिहार्य थी जो मुम्बई की तुलना में दिल्ली में क्रू की कमी के कारण व्यय हुआ जबकि अंतर्राष्ट्रीय हब दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसे उपयुक्त मानव संसाधन प्रबंधन उपायों के माध्यम से कम्पनी द्वारा सुधारा जा सकता था। कम्पनी को वित्तीय सहायता मंजूर करते समय बदलाव के लिए लागत के युक्तिकरण पर भारत सरकार द्वारा जोर देने और कम्पनी द्वारा सामना की जा रही वर्तमान वित्तीय कठिनाईयों को देखते हुए इसका बहुत अधिक महत्व है।

इस प्रकार, दिल्ली स्टेशन से शुरू होने वाली उड़ानों के अनुपात में केबिन क्रू की तैनाती में कम्पनी की असमर्थता के कारण 2011-12 और 2012-13 के दौरान डेडहेड लागत पर ₹ 17.17 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

मामले को नवम्बर 2013 में मंत्रालय को बताया गया; उनका उत्तर प्रतिक्षित था (मार्च 2014)।

अध्याय IV: कोयला मंत्रालय

सेंट्रल कोलफील्डस लिमिटेड

4.1 'ई-नीलामी' के माध्यम से बिक्री पर वाशरी प्रभारों की वसूली न करना

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल), कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की एक सहायक नियंत्रण कम्पनी ने 'ई-नीलामी' ग्राहकों से वाशरी प्रभारों की वसूली नहीं की जिसके कारण अप्रैल 2008 से दिसम्बर 2012 के दौरान ₹ 418.58 करोड़ अर्जित करने के अवसर की हानि हुई।

सीआईएल द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार कोयले को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है जैसे कि कोकिंग कोयला, गैर कोकिंग कोयला और अर्द्ध और कमजोर कोकिंग कोयला । कोयले की केवल कोकिंग श्रेणी वाशरी कोटि की है और निहित राख की प्रतिशतता के आधार पर इसे फिर श्रेणी I, II, III और IV में वर्गीकृत किया गया है। उच्चतर कोटि के कोयले में राख की कम प्रतिशतता होती है।

सीसीएल, सीआईएल की सहायक कम्पनी ने एमओयू के आधार पर सेल और आरआईएनएल को वाशरी श्रेणी का कोयला बेचा। कोयले को साफ किए बिना इन ग्राहकों को आपूर्त वाशरी श्रेणी II, III और IV के कोयले के संबंध में अधिसूचित मूल्य से अधिक और उसके ऊपर वाशरी वसूली प्रभारों के रूप में सीसीएल वाशरी की निर्धारित लागत अवयव संग्रहीत करता है।

लेखापरीक्षा जॉच से पता चला कि जबकि 'ई-नीलामी' सूचनाओं में बोली मूल्य के अतिरिक्त जोड़े गए मूल्य की वसूली से संबंधित एक क्लॉज शामिल था, सीसीएल ने वाशरी ग्रेड II, III और IV के कोयले की बिक्री पर 'ई-नीलामी' के माध्यम से कोयला खरीदने वाले ग्राहकों से सेवा वाशरी वसूली प्रभारों की वसूली नहीं कर रही थी। सीसीएल की अन्य सहायक कम्पनी, बीसीसीएल अन्य विधिक प्रभारों के ऊपर और अधिक 'ई-नीलामी' के माध्यम से बिके सभी प्रकार के वाशरी श्रेणी के कोयले के लिए इसकी संग्रहण कर रही थी और बोली मूल्य के ऊपर और अधिक अतिरिक्त मूल्य (वाशरी वसूली प्रभार) की वसूली के लिए क्लॉज को लागू करते हुए उगाही करती है।

अप्रैल 2008 से दिसम्बर 2012 के दौरान, 'ई-नीलामी' ग्राहकों ने सीसीएल से वाशरी श्रेणी का 45.50 लाख टन कोयला उठाया जिस पर सीसीएल, वाशरी वसूली प्रभारों की उगाही के माध्यम से ₹ 418.58 करोड़ संग्रहीत करने में विफल रही।

सीसीएल ने कहा (फरवरी 2012 एवं मार्च 2013) कि:

- इसने 'ई-नीलामी' के माध्यम से केवल वाशरी श्रेणी का कोयला बेचा जिसे वाशरी में साफ नहीं किया जा सकता था अथवा साफ करने हेतु वाशरी द्वारा स्वीकार करने योग्य नहीं था।

- बीसीसीएल वाशरी श्रेणी का कोयला सीसीएल की तुलना में बेहतर गुणवत्ता वाला है।

- 'ई-नीलामी' के लिए घोषित मूल कीमत अधिसूचित मूल्य से 30 प्रतिशत अधिक है और 'ई-नीलामी' के तहत ऐसे प्रस्ताव के प्रति प्राप्त दर मूल्य दर से अधिक माने जाने योग्य है। 'ई-नीलामी' मूल्य बाजार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

- नई कोयला वितरण नीति अथवा एमओसी/सीआईएल द्वारा जारी किसी अन्य दिशा-निर्देश में प्रावधान नहीं था कि वाशरीज़ को आपूर्त मात्रा के पश्चात् भण्डार में बचे कच्चे कोकिंग कोयले को वाशरी वसूली प्रभरों के साथ अधिसूचित मूल्य पर बेचा जाना था।

निम्नलिखित के मद्देनजर उत्तर स्वीकार्य नहीं है:-

- बीसीसीएल 'ई-नीलामी' के माध्यम से वाशरी श्रेणी के कोयले के लिए वाशरी वसूली प्रभार की उगाही करती रही है चाहे कोयला सफाई के लिए किसी वाशरी से जुड़ा था अथवा नहीं। सीसीएल ने भी अधिसूचित मूल्य से अधिक और ऊपर वाशरी वसूली प्रभारों के साथ सेल और आरआईएनएल पर वाशरी श्रेणी के कोयले की आपूर्ति के लिए बिल जारी करती रही है।

- सीआईएल मूल्य अधिसूचना के अनुसार, सीसीएल और बीसीसीएल, दोनों के द्वारा 'ई-नीलामी' के माध्यम से समान श्रेणी के वाशरी श्रेणी का कोयला बेचा।

- सीआईएल की नई कोयला वितरण नीति 'ई-नीलामी' के माध्यम से बिके वाशरी ग्रेड कोयले के लिए वाशरी वसूली प्रभारों को आरोपित करने में कोई प्रतिबंध नहीं लगाती।

लेखापरीक्षा में बताए जाने पर सीसीएल ने अतिरिक्त प्रभार के रूप में 'ई-नीलामी' मात्रा पर जनवरी 2013 से वाशरी वसूली प्रभार संग्रहीत करना शुरू कर दिया जिससे सिद्ध होता है कि इसे पहले भी किया जा सकता था।

इस प्रकार, बीसीसीएल के अनुरूप 'ई-नीलामी' के माध्यम से वाशरी श्रेणी के कोयले की बिक्री पर वाशरी प्रभारों की वसूली न करने के कारण सीसीएल ने अप्रैल 2008 से दिसम्बर 2012 के दौरान ₹ 418.58 करोड़ अर्जित करने का अवसर खो दिया।

मामले को नवम्बर 2013 में मंत्रालय को बताया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2014)।

अध्याय V: वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय

एमएमटीसी लिमिटेड और पीईसी लिमिटेड

5.1 वित्तीय समझदारी की कमी के कारण निधियों का अवरोधन

नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) पर व्यापार करते समय वित्तीय समझदारी की कमी के कारण ₹ 341.72 करोड़ राशि की निधियों का अवरोधन हुआ।

एमएमटीसी लिमिटेड और पीईसी लिमिटेड (कम्पनियाँ) क्रमश: मई 2011 और दिसम्बर 2010 से नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) मुम्बई के व्यापारिक सदस्य थे। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) ने दिनांक 05 जून 2007 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा अग्रेषित संविदा (विनिमय) अधिनियम, 1952 के तहत प्रावधानों के परिचालन से एनएसईएल पर प्रतिभूति की बिक्री और खरीद के लिए एक दिन की अवधि की आगामी संविदाओं से छूट दे दिया बशर्ते कि विनिमय के सदस्यों द्वारा कोई कम बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। एनएसईएल उपभोगी वस्तुओं की मौलिक सुपुर्दगी के साथ कृषि उपयोगी वस्तुओं की खरीद और बिक्री के लिए स्पॉट संविदा का प्रस्ताव दिया जिसे क्रमश: T+2 और T+25 दिनों पर निर्धारित किया। एमएमटीसी और पीईसी दोनों ने शुरू में क्रमश: ₹ 10 करोड़ और ₹ 50 करोड़ के व्यापार और दालों का व्यापार करने पर वित्तीय सीमा प्रतिबंध लगा दिया। एक वर्ष की अवधि के दौरान दोनों कम्पनियों ने विविध उत्पादों यथा धान, खाद्य तेलों, गेहूँ आदि के व्यापार प्रारंभ कर दिया। दोनों कम्पनियों द्वारा समग्र व्यापार सीमा ₹ 250 करोड़ तक बढ़ा दिया गया था। एमएमटीसी और पीईसी ने क्रमश: 26 जुलाई 2013 और 25 जुलाई 2013 तक एनएसईएल पर व्यापार जारी रखा।

उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा दिनांक 12 जुलाई 2013 के पत्र द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में एनएसईएल ने दिनांक 23 जुलाई 2013 से प्रभावी व्यापारों के निर्धारण प्रक्रियाओं में परिवर्तन कर दिया। एनएसईएल द्वारा दिनांक 22 जुलाई 2013 को जारी परिपत्र के परिवर्तित प्रक्रिया के अनुसार अब तक सुपुर्दगी और 11 दिनों के बाद

भुगतान द्वारा निर्धारित किए जा रहे सभी संविदाओं को 'T+10' दिनों के आधार पर 23 जुलाई से निपटाया जाना था। तत्पश्चात एनएसईएल पर व्यापार में कटौती के कारण दायित्वों में भिन्नता थी जिसके परिणामस्वरूप इसने व्यापार स्थगित कर दिया (31 जुलाई 2013) और सभी एक दिवसीय आगामी संविदाओं को स्थगित कर दिया।

26 जून 2013 से 26 जुलाई 2013 की अवधि के व्यापार के लिए एमएमटीसी द्वारा एनएसईएल से ₹ 218.53 करोड़ की राशि की अभी भी वसूली की जानी थी जबकि पीईसी को 25 जून 2013 और 25 जुलाई 2013 के बीच होने वाले लेनदेनों के लिए एएनएसईएल से ₹ 123.19 करोड़ की वसूली करनी थी (नवम्बर 2013)। एक्सचेंज पर व्यापार प्रथा के अनुसार क्रय भुगतानों और विक्रय वसूली के बीच समयांतराल के कारण राशि की वसूली की जानी थी। एनएसईएल अगस्त 2013 से दोनों कम्पनियों को इसके बकाए का भुगतान करने में लगातार चूक गई ।

लेखापरीक्षा ने देखा कि दोनों कम्पनियों की एनएसईएल के साथ व्यापारिक सौदे निम्नलिखित कमजोरियों और कमियों के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुए थे :

- कम्पनियाँ एनएसईएल पर व्यापार और सौदे कर रही थी जो निवेश/वित्तीय माध्यम के अन्तर्गत एक स्पॉट एक्सचेंज था जहां माल की किसी प्रभावी सुपुर्दगी की मांग नहीं की गई थी।

- एनएसईएल पर अपना व्यापार शुरू करने के एक वर्ष के भीतर कम्पनियों ने किसी कार्यात्मक ड्रिल या मानक संचालन प्रक्रिया के बिना अपनी वित्तीय प्रकटन सीमा 5-25 गुना बढ़ा दिया। तत्पश्चात एमएमटीसी ने एनएसईएल पर कृषि उत्पादों का व्यापार करने के लिए 30.11.2012 को अपना कार्यात्मक ड्रिल तैयार किया।

- एनएसईएल में मालगोदामों के भौतिक सत्यापन के लिए व्यापार शुरू करने के 18 महीने बाद दिसम्बर 2012 में एमएमटीसी द्वारा निर्देश जारी किए गए थे जबकि पीईसी ने किसी भी उपयोगी वस्तुओं का भैतिक सत्यापन नहीं किया।

- एनएसईएल के साथ लेनदेन करते समय कोई जोखिम बीमा समीक्षा नहीं की गई। परिणामस्वरूप, एनएसईएल पर बेची गई उपयोगी वस्तुओं के लिए कोई बीमा कवर नहीं लिया गया।

- कम्पनी ने जिससे वे व्यापार कर रहे थे, से दूसरे पक्ष का विवरण सुनिश्चित करने का प्रयास नही किया।

- उपयोगी वस्तुओं की खरीद के प्रति दूसरे पक्ष से अथवा एनएसईएल से टाइटल का दस्तावेज भी नहीं प्राप्त हुआ।

लेखापरीक्षा आपत्तियों पर कम्पनियों द्वारा प्रस्तावित टिप्पणियॉं (एमएमटीसी- नवम्बर 2013 और पीईसी-जनवरी 2014) निम्न प्रकार से थे:

- एमएमटीसी ने उत्तर दिया कि सुपुर्दगी और भुगतान कार्यक्रम के लिए एनएसईएल प्रति गारंटर थी। इसी प्रकार पीईसी ने उत्तर दिया कि गैर निपटान वाले क्रय के लिए उन्हें मालगोदाम रसीद संख्या, भार और मालगोदाम का स्थान दर्शाते हुए सुपुर्दगी आबंटन किया गया था जिसमें दर्शाया गया था कि भौतिक माल द्वारा व्यापार दुबारा शुरू हुआ और पीईसी की बिक्री देयताओं को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जा सकता था।

- एनएसईएल पर व्यापार करने के लिए वित्तीय प्रकटन सीमा बाजार में उपलब्ध आगामी जोखिम मुक्त विवाचन अवसर के लिए चरणबद्ध तरीके से बढ़ा दिया गया थ।

- एमएमटीसी ने माना कि मालगोदाम के मासिक निरीक्षण के लिए दिसम्बर 2012 में निर्देश जारी किए गए थे जबकि पीईसी ने बताया कि उपयोगी वस्तुओं और मालगोदाम का प्रबंधन हमेशा एनएसईएल की जिम्मेदारी और कार्यक्षेत्र के भीतर आते थे।

- कम्पनियों ने आश्वासन दिया था कि उपयोगी वस्तुओं की बीमा पहले ही एनएसईएल द्वारा की गई थी और जालीकरण रोकने के लिए उन्होंनें उपयोगी वस्तुओं का बीमा नहीं कराया गया।

- सुपुर्दगी और भुगतान निपटान के लिए एनएसईएल काउंटर पार्टी/काउंटर गारटर थी और उन्हें पता नहीं था कि कौन उनकी काउंटर पार्टियॉं थी।

कम्पनियों का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि:

- मातहत मालों के स्वामित्व समर्थन दस्तावेज के बिना क्रय और विक्रय साथ साथ हो रहे थे। संविक्षाओं में शामिल मालों के स्वामित्व के दस्तावेजों की वास्तविक

निविदाकरण का अभाव था, यद्यपि प्रत्येक क्रय और विक्रय लेनदेन व्यापार दर के आधार पर निपटाए जाने थे, इसके परिणामस्वरूप निपटान प्रक्रिया पर एनएसईएल के नियम और शर्तों के अनुसार अनिवार्य सुपुर्दगी हुई। ऐसे सुपुर्दगी का तर्क कम्पनियों द्वारा स्टॉक के भैतिक सत्यापन की आवश्यकता होगा।

- किसी जोखिम विश्लेषण के बिना समय के कम अंतराल के भीतर वित्तीय प्रकटन सीमा को 5-25 गुना बढ़ाना सामान्य वित्तीय समझदारी के विपरीत था।

- कम्पनियों ने न तो एनएसईएल पर उनके द्वारा व्यापार की गई उपयोगी वस्तुओं के लिए कोई बीमा कवर लिया न ही एनएसईएल द्वारा की गई बीमा की प्रति की मॉग की। यह केवल चूक के बाद हुआ कि कम्पनियों ने निपटाए गए व्यापार के बीमा दस्तावेजों के लिए एक्सचेंज का अनुरोध किया।

- कम्पनियों ने काउंटर पार्टी का विवरण सुनिश्चित करने का कभी प्रयास नहीं किया जिनके साथ वह व्यापार कर रही थी। काउंटर पार्टियों के एक स्वतंत्र और विश्वसनीय मूल्यांकन की आवश्यकता थी।

उपरोक्त से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कमियों के बावजूद भी एनएसईएल पर एमएमटीसी और पीईसी ने व्यापार जारी रखा जिसके परिणामस्वरूप दो कम्पनियों के ₹ 341.72 करोड़ का अवरोधन हुआ। इतनी सारी घटनाओं से इसकी वसूली दुगर्म प्रतीत होती है।

मामले को दिसम्बर 2013 में मंत्रालय को सूचित किया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2014)।

द स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

5.2 लाभ का अनाधिकृत स्थानांतरण

कम्पनी के हित की सुरक्षा में विफलता के कारण आगामी संविदाओं के रद्द करने पर सहयोगियों को ₹ 31.94 करोड़ के लाभ का अनाधिकृत स्थानान्तरण हुआ।

दि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कम्पनी) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वेंडरों (आपूर्तिकर्ताओं) से अपने सहयोगियों के लिए सोना चॉदी आयात करता

है। सोने चॉंदी के कारोबार के अन्तर्गत एक योजना 'क्रेडिट योजना का 90 दिनों का मियादी पत्र' है। इसके लिए कम्पनी द्वारा दिए गए मांगपत्र में बताई गई मात्रा के आयात के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ता से प्रोफार्मा इंवाइस की प्राप्ति के पश्चात् विदेशी आपूतिकर्ता के पक्ष में कम्पनी द्वारा क्रेडिट पत्र (एलसी) शुरू करने की आवश्यकता है।

आगामी संविदायें (एफसीज) विदेशी विनिमय दरों में उतार–चढ़ाव के प्रति बचाव के लिए हैं। व्यापारिक प्रथा के अनुसार एफसीज़ सोने चॉंदी के आयात के संबंध में देयता परिणति (अर्थात, प्रोफार्मा इंवाइस के अनुसार प्रेषण तिथि पर बकाया धनराशि) के पश्चात् ही लिए जाते हैं। केवल एलसीज़ की शुरूआत के पश्चात् ही कम्पनी द्वारा एलसी मूल्य और एलसी परिपक्वता तिथि के आधार पर विदेशी आपूर्तिकर्ता पर एफसीज़ लिए जाते हैं।

सोने का आयात कोलकाता में स्थित कम्पनी के शाखा कार्यालय और कम्पनी की सहयोगी मै; लिचेन मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड (एलएमपीएल) के बीच दिनांक 31 जनवरी 2011 के करार द्वारा शासित होता है। प्रोफार्मा इंवाइस की प्राप्ति के पश्चात शुरूआती एलसीज़ की व्यापारिक प्रथा को कथित करार के क्लॉज 5 में दोहराया गया था। मै. एलएमपीएल ने 'मियाद एलसी/स्टैंडबाय एलसी आधार' पर 2000 किग्रा शुल्कमुक्त सोने के आयात के लिए कम्पनी पर दिनांक 25 जुलाई 2011 को एक आर्डर दिया। तदनुसार, कम्पनी ने 30 अप्रैल 2012 तक की सुपुर्दगी अवधि के साथ अपने विदेशी आपूर्तिकर्ता अर्थात मै; नैटिक्सिस कमोडिटी मार्केट्स लिमिटेड (एनसीएमएल) और मै. एमकेएस फाइनेंस (एमकेएसएफ) को क्रमश: 25 और 26 जुलाई 2011 को प्रत्येक को 1000 किग्रा का आदेश दिया। कम्पनी ने एसबीआई से 26 जुलाई 2011 को 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर (10 जुलाई 2012 से 13 जुलाई 2012 तक प्रेषण की तिथियॉं) में तथा 27 जुलाई 2011 को 68 मिलियन अमेरिकी डालर (16 जुलाई 2012 से 26 जुलाई 2012 तक प्रेषण की तिथियॉं) में एफसीज़ खरीदा। 26 व 27 जुलाई 2011 को मै. एलएमपीएल द्वारा उपरोक्त उल्लिखित एफसीज़ की खरीद की इस शर्त पर पुष्टि की गई कि एफसीज की बिक्री पर लाभ/हानि उनके खाते में होगा।

मै. एलएमपीएल ने 25 सितम्बर 2011 को एफसीज़ से संबंधित बुकिंग और कथित मांग रद्द कर दिया। तदनुसार, कम्पनी के कोलकाता शाखा कार्यालय ने इस आधार पर 26 सितम्बर 2011 को विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ अपनी मॉंग रद्द कर दिया कि कम्पनी

ने 2000 किग्रा. शुल्कमुक्त सोने की कथित मात्रा के आयात की पहले ही व्यवस्था कर लिया है। कोलकाता के शाखा कार्यालय ने एसबीआई को यह सूचित करते हुए एफसीज़ रद्द कर दिया (26 सितम्बर 2011) कि इसने कथित सोना पहले ही आयात कर लिया था। एफसीज़ को रद्द करने के लिए रद्दीकरण दर और बुकिंग दर के बीच अंतर दर्शाते हुए ₹ 35.73 करोड़ का लाभ हुआ जैसा कि तालिका में नीचे दर्शाया गया है:

संदर्भ संख्या	मुद्रा	राशि (₹ में)	बुकिंग दर	रद्दीकरण दर	कुल लाभ	पास्ड आन लाभ	छूट मूल्य	जेवी संख्या
0999811 एफएस 0000444	अमेरिकी डालर	40	46.4025	50.0470	145,78,000	13034645	1543355	2838
0999811 एफएस 0000443	अमेरिकी डालर	40	46.4000	50.0470	145,88,000	13043586	1544414	2839
0999811 एफएस 0000449	अमेरिकी डालर	80	46.3925	50.0570	293,16,000	26155646	3160354	2840
0999811 एफएस 0000448	अमेरिकी डालर	80	46.3975	50.0520	292,36,000	26112514	3123486	2841
0999811 एफएस 0000447	अमेरिकी डालर	80	46.4150	50.0495	290,76,000	25978985	3097015	2842
0999811 एफएस 0000452	अमेरिकी डालर	40	46.4075	50.0620	146,18,000	13028043	1589957	2843
0999811 एफएस 0000451	अमेरिकी डालर	80	46.4025	50.0595	292,56,000	26083305	3172695	2844
0999811	अमेरिकी	80	46.3975	50.0595	292,96,000	26128381	3167619	2845

एफएस 0000450	डालर							
0999811 एफएस 0000435	अमेरिकी डालर	80	46.6275	50.0395	272,96,000	24450378	2845622	2861
0999811 एफएस 0000434	अमेरिकी डालर	80	46.6225	50.0370	273,16,000	24477153	2838847	2862
0999811 एफएस 0000433	अमेरिकी डालर	80	46.6175	50.0345	273,36,000	24503948	2832052	2863
0999811 एफएस 0000442	अमेरिकी डालर	40	46.3950	50.0445	145,98,000	13057245	1540755	2864
0999811 एफएस 0000441	अमेरिकी डालर	40	46.3925	50.0445	146,08,000	13066190	1541810	2865
0999811 एफएस 0000436	अमेरिकी डालर	80	46.6575	50.0395	270,56,000	24226628	2829372	2866
0999811 एफएस 0000445	अमेरिकी डालर	40	46.4075	50.0495	145,68,000	13020998	1547002	2867
0999811 एफएस 0000446	अमेरिकी डालर	40	46.4100	50.0495	145,58,000	13012060	1545940	2868
कुल		**100**			**35,73,00,000**	**319379705**	**37920295**	

पास्ड ऑन प्रॉफिट ₹ 319379705 घटा ₹ 12000 रद्दीकरण प्रभार=28.9.2011 को क्रेडिट किया गया ₹ 319367705

एसबीआई ने एफसीज़ पर मार्जिन और प्रीमियम के लिए ₹ 3.79 करोड़ की कटौती की और कम्पनी को ₹ 31.94 करोड़ का क्रेडिट दिया। यह कथित राशि कम्पनी द्वारा मै; एलएमपीएल को स्थानांतरित की गई थी।

लेखापरीक्षा जॉच में पाया गया कि उपरोक्त कथित एफसीज़ की बुकिंग और कम्पनी के कोलकाता शाखा कार्यालय द्वारा मै. एलएमपीएल को ₹31.94 करोड़ का लाभ स्थानांतरित करने में निम्नलिखित अनियमितताये हुई:

(i) दिनांक 25 जुलाई 2011 की मॉग को संसाधित नहीं किया जा सका क्योंकि एलएमपीएल ने आदेश समाप्त कर दिया। चूंकि मै; एलएमपीएल की ओर से चूक के कारण कभी लेनदेन नहीं किया गया था, मै. एलएमपीएल को एफसीज़ के लिए ₹ 31.94 करोड़ के लाभ का स्थानांतरण अनुचित और प्रश्नगत था।

(ii) शाखा कार्यालय, कोलकाता ने 2000 किग्रा सोने की मांग रद्द करने के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ-साथ एफसीज़ को रद्द करने के लिए एसबीआई को गलत जानकारी दी। उपलब्ध अभिलेख एलएमपीएल के लिए 25 जुलाई 2011 की मॉग के प्रति 2000 किग्रा. सोने के आयात का समर्थन नहीं किया।

(iii) मै. एलएमपीएल के साथ संविदात्मक करार के क्लॉज 5 में प्रोफार्मा इंवाइस की प्राप्ति के बाद एलसीज़ की शुरूआत करने का प्रावधान है। विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से प्रोफार्मा इंवाइस प्राप्त नहीं करने पर शुल्कमुक्त 2000 किलोग्राम सोना की खरीद के लिए देयता का गैर क्रिस्टलीकरण हुआ। देयता के गैर क्रिस्टलीकरण के बावजूद शाखा कार्यालय,कोलकाता ने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर में एफसीज़ खरीदने को तरजीह दिया।

कम्पनी मै. एलएमपीएल को एफसीज़ रद्द करने पर ₹ 31.94 करोड़ के लाभ के अनुचित रूप से स्थानान्तरण पर लेखापरीक्षा आपत्तियों पर निम्नलिखित आधार पर सहमत नहीं हुई:

(i) आरबीआई के दिनांक 15.12.2011 के परिपत्र से पहले एफसी की बुकिंग के पश्चात् प्रोफार्मा इंवायस प्रस्तुत किया जा सकता था। इस प्रकार, प्रोफार्मा इंवाइस की प्राप्ति से पहले एफसीज़ बुक किया जा सकता था।

(ii) सहयोगियों से विशेष अनुरोध पर एफसीज़ लिए गए थे और सभी लागत/आकस्मिक व्यय सहयोगियों द्वारा सृजित की जानी थी। एसटीसी को लेनदेन की समाप्ति पर केवल एक निश्चित मार्जिन लेना था।

(iii) दिनांक 26 जुलाई 2011 और 27 जुलाई 2011 के पत्र द्वारा सहयोगी ने पुष्टि की कि आगामी खरीद पर विनिमय लाभ/हानि इसके अपने खाते पर होगा। चूंकि सहयोगी के निर्देश पर काम किया गया, यह करार का हिस्सा था।

(iv) सहयोगी से प्राप्त ठेके के रद्दीकरण का कारण विदेशी आपूर्तिकर्ताओं और एसबीआई को सूचित किया गया था।

निम्नलिखित के मद्देनजर उत्तर स्वीकार्य नही है:

- प्रोफार्मा इंवाइसेज़ के अभाव में एफसीज़ में दर्शाया गया मूल्य और नीतियाँ इस प्रकार निराधार और काल्पनिक थी। इसके अतिरिक्त दिनांक 31 जनवरी 2011 के करार में मै. एलएमपीएल द्वारा मॉगी गई मात्रा को रद्द करने का प्रावधान नहीं था। इसमें रोक प्रतिबंध शर्तों यदि सोने के आयात पर सरकार द्वारा कोई आरोपित की जाती हैं, के लिए मॉगी गई मात्रा को रद्द करने के लिए केवल एसटीसी के लिए एक विकल्प का प्रावधान हैं, इस प्रकार एलएमपीएल द्वारा आदेश को रद्द करना तथा तत्पश्चात एफसी को रद्द करना अनियमित था। इस प्रकार आपूर्तिकर्ता से प्रोफार्मा इंवाइस प्राप्त करने में विफल होना और उसके बाद मॉग को रद्द करना और कवर को आगे बढ़ाना औचित्यपूर्ण नहीं था।
- मै. एलएमपीएल के आगामी खरीद के लाभ/हानि के उनके लेखांकन से संबंधित पत्र का संदर्भ देते हुए कम्पनी का औचित्य अप्रासंगिक है और दिनांक 31 जनवरी 2011 के करार के बाहर है। इसी तरह मै. एलएमपीएल के मॉग के अनियमित रद्दीकरण के परिणामस्वरूप मै. एलएमपीएल को एफसीज़ के रद्दीकरण पर लाभ का प्रेषण करार की शर्तों के बाहर था।
- आदेश रद्द करते समय मै. एलएमपीएल ने रद्द करने का कोई कारण स्पष्ट नहीं किया जबकि कॅपनी ने ठेका रद्द करते समय विदेशी आपूर्तिकर्ता और एसबीआई को विशेष रूप से बताया कि इसने 2000 किग्रा. सोने की कथित मात्रा का पहले ही आयात कर लिया था, जो कि सत्य नहीं था।

लेनदेन, वास्तविक सोने की खरीद के बजाय काल्पनिक व्यापार को इंगित करता है। यह कम्पनी द्वारा अपने कोलकाता के शाखा कार्यालय द्वारा अपने वित्तीय हितों के साथ

सहझौता करने का भी संकेत देता है क्योकि यह उस प्रश्न के तहत एफसीज़ में अपने लाभ व्यवहार करने में विफल रहा जिसे देयता से पहले क्रिस्टलीकृत किया गया था और इस प्रकार यह करार के बाहर था। कम्पनी का कारपोरेट कार्यालय ऐसे चूक होने से रोक सकता था यदि यह बुलियन ड्रिल/परिपत्रों के माध्यम से एफसीज़ पर प्रक्रिया बना देता।

इस प्रकार मांगपत्र के रद्द होने के बावजूद कम्पनी के लाभ को मै. एलएमपीएल को देने के कारण मै. एलएमपीएल को ₹ 31.94 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ और इस घटना में कम्पनी द्वारा राजस्व छोड़ दिया गया।

मामले को अक्टूबर 2013 में मंत्रालय को बताया गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2014)।

अध्याय VI: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

भारतीय खाद्य निगम

6.1 गन्नी मूल्यह्रास पर अधिक भुगतान

एफसीआई ने कस्टम मिल्ड चावल की खरीद पर केएमएस[1] 2010-11 से 2012-13 के दौरान राज्य सरकार और अपनी एजेंसियों को गन्नी मूल्यह्रास पर ₹ 11.53 करोड़ का अधिक भुगतान किया।

भारत सरकार (जीओआई) केन्द्रीय पूल के लिए राज्य सरकार की एजेसियों (एसजीएज़) द्वारा सुपुर्द किए गए कस्टम मिल्ड चावल (सीएमआर) के लिए उनको भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा प्रतिपूर्ति किए जाने वाले दर तय करता है। दरों में अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय पूल को सुपर्द की गई अन्य दो बोरियाँ प्रति क्विंटल चावल के लिए गन्नी मूल्यह्रास और दो बोरियों[2] के लिए बोरी लागत के अवयव निहित हैं। दो नई बोरियों की लागत के 40 प्रतिशत दर पर गन्नी डेप्रसिएशन अनुमत करने का मूल कारण 50 किग्रा के चार बोरियों के लिए था। प्रत्येक को 100 किग्रा चावल बनाने के लिए (आउट टर्न अनुपात 67 प्रतिशत[3]) 150 किग्रा धान भरने के लिए खरीदा जाना था जैसाकि भारत सरकार ने निर्णय लिया था। इस प्रकार एक सीएमआर के साथ एफसीआई को दो बोरिया भेजनी चाहिए थी और राज्य सरकार/ एजेंसियों /मिल मालिकों के पास पड़ी दो बोरियों पर मूल्यह्रास अनुमत करना चाहिए था जिसे सीएमआर की पैकिंग के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा जॉच में पाया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) ने केएमएस 2010-11 से 2012-2013 के लिए अपनी धान खरीद नीति में निर्देश दिया कि 40 किग्रा. धान को 50 कि.ग्रा. क्षमता वाले गन्नी बैग्स में भरा जाना था। इस प्रकार जब

[1] *खरीफ मार्केटिंग सीज़न*

[2] *प्रत्येक बोरी में 50 किग्रा. चावल पैक किया जाना था।*

[3] *धान से निकले चावल का अनुपात*

40 किग्रा. धान वास्तव में 50 किग्रा. क्षमता वाले गन्नी बैग्स में भरा जाने लगा तब 67 प्रतिशत के आउट टर्न अनुपात को ध्यान में रखते हुए एक क्विंटल चावल के बाराबर धान भरने के लिए केवल 3.75 गन्नी बैग्स की आवश्यकता होगी जिसके लिए एक क्विंटल चावल भरने और इसे एफसीआई को भेजने के लिए प्रयुक्त दो बोरियों की गन्नी लागत का एसजीए को भुगतान किया जाएगा। हालांकि एसजीए के पास पड़े बाकी प्रयुक्त गन्नी बैग्स के लिए 40 प्रतिशत की दर पर गन्नी मूल्यह्रास केवल 1.75 बैग्स हेतु देय होगा, जिसके द्वारा 0.25 गन्नी बैग्स प्रति क्विंटल चावल के लिए गन्नी मूल्यह्रास की बचत होगा।

उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के आधार पर केएमएस 2010-11 से 2012-13 के दौरान उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय पूल के लिए एसजीएज़ द्वारा कुल 335.28 लाख कुंतल चावल सुपुर्द किया गया था। इस प्रकार 2010-11 से 2012-13 के दौरान सीएमआर की खरीद पर उत्तर प्रदेश सरकार और इसकी एजेंसियों को अधिक गन्नी मूल्यह्रास के लिए एफसीआई द्वारा ₹ 11.53 करोड़ राशि का भुगतान किया गया।

एफसीआई ने बताया (अक्टूबर 2012) कि भारत सरकार की लागत शीट के अनुसार भुगतान किए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि गन्नीज़ पर मूल्यह्रास का भुगतान राज्य सरकार/एजेंसियों के पास पड़ी गन्नियों की संख्या जानने के पश्चात वास्तविक आधार पर अनुमत किया जाना चाहिए और न कि निर्धारित दर पर। भारत सरकार की नोडल एजेंसी होते हुए एफसीआई को उपरोक्त मामला बाद में देना चाहिए था।

इस प्रकार, उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों के आधार पर गन्नी बैग्स पर लागत/मूल्यह्रास की अधिक राशि अनुमत करने के कारण 2010-11 से 2012-13 के दौरान सीएमआर की खरीद पर राज्य सरकार और इसकी एजेंसियों को ₹ 11.53 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

मामले को अक्टूबर 2013 में मंत्रालय को बताया गया , उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2014)।

अध्याय VII: रक्षा मंत्रालय

हिन्दुस्तान ऐरोनोटिक्स लिमिटेड

7.1 आकस्मिक छुट्टी का अनियमित नकदीकरण

कम्पनी ने डीपीई में छुट्टी के नगदीकरण पर रोक वाले दिशानिर्देशों के उल्लंघन और उक्त दिशा-निर्देशों के पालन करने के मंत्रालय के निर्देशों के विपरीत कैलेण्डर वर्ष 2010-12 के लिए समाप्त वर्ष पर अप्रयुक्त आकस्मिक छुट्टी के लिए अपने कर्मचारियों को ₹ 12.43 करोड़ के उपस्थिति बोनस का भुगतान किया।

छुट्टी नियम 1967[1] और 1988[2] में प्रावधान है कि कम्पनी का पर्यवेक्षी स्टॉफ और गैर पर्यवेक्षी स्टॉफ आकस्मिक/अप्रत्याशित परिस्थितियों में अथवा मामूली अस्वस्थता में एक कैलेण्डर वर्ष में क्रमश: 7 और 12 दिनों की आकस्मिक छुट्टी के हकदार होंगे। आकस्मिक छुट्टी कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगी। अगस्त 1988[3] में कम्पनी ने प्रत्येक अनुप्रयुक्त सीएल के लिए एक दिन के मूल वेतन का उपस्थिति बोनस अनुमत करते हुए 1967 के नियमों में संशोधन कर दिया बशर्ते कि यह 4 से कम और एक वर्ष में 10 से अधिक न हो। कम्पनी ने कैलेण्डर वर्ष 2010 से अन्य सभी कर्मचारियों को उपस्थिति बोनस अनुमत करने हेतु मई 2010 में 1988 के नियमों में संशोधन कर दिया। इस प्रकार कम्पनी ने आकस्मिक छुट्टी का नकदीकरण अनुमत किया था।

अक्टूबर 2010 में लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने स्पष्ट किया कि सीएल का नकदीकरण नहीं किया जाना चाहिए और यह कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगी। सीएल का कोई भी नकदीकरण अनुमत करना डीपीई द्वारा जारी नीति दिशानिर्देशों का उल्लंघन होगा। हालांकि डीपीई दिशानिर्देश प्राप्त होने के बावजूद भी कम्पनी ने अपने नियमों में संशोधन नहीं किया और अपने कर्मचारियों को उपस्थिति बोनस का भुगतान

[1] *कार्मिक परिपत्र सं. 71, दिनांक 11 दिसम्बर 1967*

[2] *कामगारों के लिए कर्मिक परिपत्र सं. 582, दिनांक 15 जुलाई 1988*

[3] *कार्मिक परिपत्र संख्या 584, दिनांक 30 अगस्त 1988*

जारी रखा। 2010 और 2011 के दौरान ₹ 9.06[1] करोड़ की राशि का भुगतान किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा मंत्रालय को अनियमितताएं बताएं जाने (जुलाई 2012) के बाद इसने अपने वित्तीय विंग से विचार विर्मश करने के बाद कम्पनी को डीपीई दिशा निर्देशों का पालन करने तथा सीएल नकदीकरण अनुमत न करने का निर्देश दिया (नवम्बर 2012) । मंत्रालय ने इस संबंध में कम्पनी को की गई कार्रवाई रिपोर्ट तत्काल प्रस्तुत करने के लिए भी कहा।

मंत्रालय द्वारा जारी उपरोक्त निर्देशों के बावजूद भी कम्पनी ने मंत्रालय से विशेष मामले के रूप में कम्पनी के कार्य के हित में योजना को जारी रखने की अनुमति देने तथा योजना को जारी रखने का फिर से अनुरोध किया (फरवरी /अप्रैल 2013) । कम्पनी ने कामगारों तथा कार्यकारियों, दोनों को अप्रयुक्त सीएल के आधार पर 2012 के लिए उपस्थिति बोनस के रूप में जनवरी/फरवरी 2013 के दौरान 3.37[2] करोड़ की राशि का भुगतान किया था।

इस प्रकार कम्पनी ने डीपीई दिशानिर्देशों के उल्लंघन तथा उक्त दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय के निर्देशों के उल्लंधन में अपने कर्मचारियों को उपस्थिति बोनस के रूप में 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान कुल ₹ 12.43 करोड़ का भुगतान किया।

लेखापरीक्षा आपत्ति के पश्चात् परवर्ती निर्देशों के अनुपालन न करने पर मंत्रालय को पुन: बताया गया (अगस्त 2013), मंत्रालय ने कहा (अक्तूबर 2013) कि एचएएल ने तत्काल प्रभाव के साथ अधिकारियों के संबंध मे योजना को बंद कर दिया था तथा तब से औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के अनुसार श्रमिको, प्रक्रियाओं के संदर्भ में उसे प्रारम्भ किया जा रहा था।

[1] ***वर्ष 2010 के लिए जनवरी /फरवरी 2011 के दौरान ₹ 4.87 करोड़ (कामगारों के लिए ₹ 3.98 करोड़ तथा कार्यकारी के लिए ₹ 0.89 करोड़ का भुगतान तथा वर्ष 2011 के लिए जनवरी 2012 के दौरान ₹ 4.19 करोड़ (कामगारों के लिए ₹ 3.19 करोड़ तथा कार्यकारियों के लिए ₹ 1 करोड़) का भुगतान।***

[2] ***कामगार ₹ 2.50 करोड़ तथा कार्यकारी ₹ 0.87 करोड***

अध्याय VIII: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

नोर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड

8.1 परिचालन निष्पादन

8.1.1 प्रस्तावना

नोर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) को मार्च 1982 में भारत सरकार (जीओआई) उद्यम में सम्मिलित किया गया। कम्पनी, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (मंत्रालय) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। कम्पनी का गुवाहटी में अपना कॉरपोरेट कार्यालय, नोर्थ-इस्टर्न क्षेत्र में आठ जोनल कार्यालय[1] तथा तीन प्रसंस्करण यूनिट[2] है। कम्पनी के प्राथमिक उद्देश्य उत्तर-पूर्व के किसानों/उत्पादको की उनके उत्पाद हेतु लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में सहायता करना है जिससे किसानों तथा बाजार के बीच अन्तर पूरा हो तथा भारत में पूर्वोत्तर क्षेत्र की उपज, खरीद, प्रस्संकरण तथा विपणन बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाना है।

8.1.1.2 कम्पनी को औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण (बीआईएफआर) हेतु बोर्ड को भेजा गया (दिसम्बर 1996)। बीआईएफआर के निर्देशों पर, भारत सरकार ने कम्पनी के लिए एक पुनरूत्थान योजना को मंजूरी दी (फरवरी 1999) जिसे जून 1999 में बीआईएफआर द्वारा स्वीकृत किया गया। 31 मार्च 2013 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के दौरान कम्पनी का वित्तीय निष्पादन नीचे दर्शाए अनुसार था:

(₹ करोड़ में)

विवरण	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**
प्रदत्त पूँजी	7.62	7.62	7.62	7.62
संचित हानि	6.29	4.81	3.81	6.63
निवल धन	0.86	2.33	3.46	0.66
नकद और बैंक शेष	5.40	5.48	5.92	5.73
बिक्री	89.65	99.91	96.04	43.71
कर के बाद लाभ	1.12	1.47	1.00	(2.82)

स्रोत: कम्पनी के वार्षिक लेखें

[1] *असम, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड तथा अरूणाचल प्रदेश में 8 जोनल कार्यालय*

[2] *फ्रूट जूस कन्सट्रेट प्लांट, त्रिपुरा; कैशू प्रोसेसिंग यूनिट, त्रिपुरा; तथा जिन्जर प्रोसेसिंग प्लांट, मेघालय*

8.1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा यह निर्धारण करने हेतु की गई कि:

- बीआईएफआर के निर्देश तथा पुनरूत्थान योजना के प्रावधान का कम्पनी/भारत सरकार द्वारा अनुपालन किया गया;
- कम्पनी अपने अनिवार्य कार्यों को करने के लिए भारत सरकार से आवश्यक वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सक्षम थी; तथा
- कम्पनी ने किसानों को विपणन सहायता उपलब्ध कराने के अपने मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने के विचार से अपने कार्य किए।

8.1.3 लेखापरीक्षा मानदण्ड के स्रोत

- कम्पनी की अपनी विपणन गतिविधियों से संबंधित नीतियां तथा दिशा-निर्देश।
- प्रशासनिक मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन तथा योजना कार्यान्वयन रिपोर्ट।
- कॉरपोरेट योजना, अध्ययन रिपोर्ट, कम्पनी के निदेशक बोर्ड के निर्देश।
- विक्रय अनुबंध के नियम तथा शर्तें।

8.1.4 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा ने बीआईएफआर की पुनरूत्थान योजना के कार्यान्वयन तथा 2009-10 से 2011-12 की समयावधि के दौरान कम्पनी द्वारा किए गए विपणन तथा प्रसंस्करण कार्यो की समीक्षा की। वर्ष 2012-13 के लिए लेखापरीक्षा अवलोकनों को अद्यतित किया गया है।

8.1.5 लेखापरीक्षा जांच परिणाम

8.1.5.1 बीआईएफआर निर्देशों का अनुपालन न होना

व्यवसायिक प्रबंधन तथा ढांचागत सुविधाओं के अभाव, संयंत्र की कम क्षमता उपयोग आदि जैसे विभिन्न कारकों के कारण आरम्भ से कम्पनी का प्रदर्शन असंतोषजनक था। कम्पनी ने मार्च 1996 तक ₹ 12.74 करोड़ हानि संचित की थी तथा इसे दिसम्बर 1996 में बीआईएफआर को भेजा गया। कम्पनी के पुनरूत्थान की योजना को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया (फरवरी 1999) गया जिसे बीआईएफआर द्वारा पूँजीगत तथा अन्य व्यय हेतु ₹ 16.34 करोड़ की नकद सहायता तथा कम्पनी के वित्तीय पुनर्गठन हेतु

₹ 16.34 करोड़ की गैर-नकदी सहायता सहित ₹ 26.70 करोड़ की लागत को मंजूरी दी गई (जून 1999)। कम्पनी/भारत सरकार ने पुनरूत्थान योजना के प्रावधानों तथा बीआईएफआर के तत्कालिक निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जैसाकि नीचे वर्णित है:

8.1.5.2 पुनरूत्थान योजना के कार्यान्वयन में कमियां

कम्पनी द्वारा पुनरूत्थान योजना के कार्यान्वयन में निम्नलिखित कमियां थी:

(i) पाइनेपल जूस कन्संट्रेट (पीजेसी) प्लांट, नालकत्ता, त्रिपुरा में पूंजीगत व्यय हेतु भारत सरकार द्वारा दी गई राशि (₹ 4.22 करोड़) में से, कम्पनी ने केवल ₹ 0.45 करोड़ का उपयोग किया। ₹ 3.77 करोड़ की शेष राशि को कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा कम क्षमता उपयोग के कारण वहन की गई नकद हानि के लिए लगाया गया। इसके परिणामस्वरूप, कम्पनी पीजेसी प्लांट का उन्नयन नहीं कर सकी जिससे 2002-03 से 2010-11 की समयावधि के दौरान ₹ 3.71 करोड़ तक संचित हानि में वृद्धि जारी रही जिसके बाद इसे पुनर्गठन जिसे अभी किया जाना है (सितम्बर 2013), हेतु बंद कर दिया (मई 2011) गया।

(ii) कम्पनी ने कैशू प्रोसेसिंग यूनिट (सीपीयू), त्रिपुरा में पूँजी व्यय हेतु भारत सरकार द्वारा दी गई राशि (₹ 19 लाख) का उपयोग नहीं किया तथा इसे नकद हानि और कार्यशील पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने में लगाया। परिणामस्वरूप, कम्पनी बीआईएफआर योजना में परिकल्पित रूप में सीपीयू क्षमता को 0.5 एमटी प्रति दिन से 2.5 एमटी प्रतिदिन तक नहीं बढ़ा सकी।

कम्पनी ने कहा (सितम्बर 2013) कि विद्रोही समस्याओं के कारण, पीजेसी प्लांट में कम से कम निवेश करने का निर्णय लिया गया ताकि प्लांट को केवल दिन की शिफ्ट में चलाया जा सके। सीपीयू के संदर्भ में, उनके पास इसे एक नए स्थान पर स्थानांतरित करने का विचार था। तथापि, इसे स्थान की अनुपलब्धता के कारण नहीं किया जा सका।

हालांकि, कम्पनी के निर्णयों ने स्वीकृत पुनरूत्थान योजना के प्रावधानों का उल्लंघन किया। पुनरूत्थान योजना ने परिकल्पित किया कि कम्पनी को वर्ष 1999-2000 तक हानियां उठानी होगी तथा इसे 2003-04 के दौरान हटा दिया जाएगा। तथापि, कम्पनी ने 2006-07 तक हानियों को वहन किया तथा उसके पश्चात् 2007-08 से 2011-12 के दौरान अत्यल्प लाभ उपार्जित किए परन्तु वह इसकी संचित हानि को घटाने में सक्षम नहीं थी जो 31 मार्च 2013 तक ₹ 6.63 करोड़ रही।

8.1.5.3 सलाहकार की सिफारिशों को क्रियान्वित न करना

बीआईएफभार ने कम्पनी को इसके दायरे से उन्मुक्त कर दिया (अगस्त 2001) क्योंकि कम्पनी का निवल धन 31 मार्च 2001 से धनात्मक हो गया था। तथापि, बीआईएफआर ने निर्देश दिए (अगस्त 2001) कि कम्पनी तथा प्रशासनिक मंत्रालय को कम्पनी द्वारा उठाई निरन्तर हानियों के लिए कारकों पर ध्यान देना चाहिए तथा उपयुक्त कार्रवाई करनी चाहिए। तदनुसार, प्रशासनिक मंत्रालय ने मै. ए. एफ. फर्ग्यूसन एवं कॉरपोरेशन, कोलकाता (सलाहकार) को कम्पनी के प्रतिवर्तन हेतु एक अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया (दिसम्बर 2003)। सलाहकार ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की (जनवरी 2005) जिसमें कम/मध्यम समय में किए जाने वाले कार्यो के लिए ₹ 11.13 करोड़ तथा दीर्घ अवधि में किए जाने वाले कार्यों के लिए ₹ 62 करोड़ की आवश्यकता प्रस्तावित थी। रिपोर्ट के आधार पर, कम्पनी ने मंत्रालय की अपनी कार्य योजना प्रस्तुत की (मार्च 2005) तथा मुख्यत: कार्यशील पूंजी की कमी, स्थानांतरण तथा कैशू प्रोसेसिंग यूनिट की क्षमता विस्तार करने के लिए ₹ 10.02 करोड़ की वित्तीय सहायता मांगी। मंत्रालय द्वारा सलाहकार की रिपोर्ट पर कोई अन्य कार्रवाई नहीं की गई।

कम्पनी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (अगस्त 2012 तथा मार्च 2013)। मंत्रालय ने कम्पनी के उत्तर की पुष्टि की (जुलाई 2013)।

8.1.5.4 नोर्थ ईस्टर्न काउंसिल द्वारा बिक्री अनुदान जारी न करना

नार्थ ईस्टर्न काउंसिल (एनईसी) के मामले पर, कम्पनी ने 1988 में नालकत्ता, त्रिपुरा में एक फ्रूट जूस कसंट्रेंट प्लांट की स्थापना की। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार, दुर्गम क्षेत्र तथा उत्पादन की अधिक लागत के कारण प्लांट केवल बिक्री अनुदान के एक तत्व के साथ आर्थिक रूप से व्यवहार्य था। प्लांट जून 1988 में प्रमाणित हुआ। तथापि, इसके आरम्भ से, यह एनईसी से बिक्री अनुदान न मिलने के कारण नुकसान में चल रही थी। जून 1999 में बीआईएफआर द्वारा पुनरूत्थान योजना स्वीकृत होने के पश्चात, कम्नी ने 1988-89 से 1992-93 के अवधि हेतु ₹ 4.41 करोड़ के बिक्री अनुदान हेतु एनईसी को अपने दावे प्रस्तुत किए जिन्हें एनईसी द्वारा 1998-99 में जारी किया गया। तत्पश्चात्, वित्तीय नकद हानियों की बजटीय सहायता के विस्तार हेतु बीआईएफआर के निर्देशों (जुलाई 2001) के अनुसार, कम्पनी ने एनईसी को प्रत्येक वर्ष बिक्री अनुदान जारी करने का अनुरोध किया। तथापि, एनईसी ने कहा (फरवरी 2009) कि कम्पनी को बिक्री अनुदान जारी करने के लिए बजट प्रावधान खत्म कर दिए गए थे। जैसाकि 1993-94 से 2008-09 की अवधि से संबंधित ₹ 8.66 करोड़ के दावों को 4 से

19 वर्षों की समाप्ति के पश्चात् भी एनईसी द्वारा जारी नहीं किया (सितम्बर 2013) गया था।

कम्पनी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (अगस्त 2012 तथा मार्च 2013)। मंत्रालय ने उत्तर की पुष्टि की (जुलाई 2013)।

8.1.5.5 भारत सरकार से वित्तीय सहायता का अभाव

क्योंकि कम्पनी का कम पूँजी आधार था उसने प्राधिकृत शेयर पूँजी बढ़ाने, कार्यशील पूंजी सहायता तथा बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए निधि हेतु प्रशासनिक मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत किए। उक्त प्रस्तावों पर लेखापरीक्षा अवलोकनों की नीचे चर्चा की गई है:

8.1.5.6 प्राधिकृत शेयर पूँजी में वृद्धि न होना

कम्पनी ने मंत्रालय को बाद में दत्त पूँजी बढ़ाने के लिए अपनी प्राधिकृत शेयर पूँजी में ₹ 10 करोड़ से ₹ 20 करोड़ की वृद्धि हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया (अगस्त 2008)। प्रस्ताव का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में विपणन अवसंरचना तथा प्रसंस्करण सुविधाएं निर्मित करने के लिए अपनी अल्पकालिक योजना को कार्यान्वित करना है। तथापि, मंत्रालय की स्वीकृति अभी तक प्रतीक्षित थी (सितम्बर 2013)।

8.1.5.7 कार्यशील पूंजी सहायता का अभाव

कम्पनी ने मंत्रालय के साथ किए वार्षिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) में प्रतिबद्ध कारोबार के 20 प्रतिशत के बराबर इसकी आवश्यक कार्यशील पूँजी को प्रस्तावित किया। 2009-10 से 2012-13 के दौरान मंत्रालय द्वारा स्वीकृत राशि की तुलना में कंपनी द्वारा प्रस्तावित कार्यशील पूंजी का विवरण निम्नानुसार था:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	**कंपनी द्वारा प्रस्तावित कार्यशील पूंजी**	**मंत्रालय द्वारा स्वीकृत कार्यशील पूंजी**	**मंजूरी की तिथि**	**कार्यशील पूंजी का अभाव**
2009-10	4.83	0.67	19.05.2009	2.83
		1.33	17.09.2009	
2010-11	5.07	2.00	15.09.2010	3.07
2011-12	5.33	2.00	23.08.2011	3.33
2012-13	5.59	2.00	10.09.2012	3.59

जैसाकि तालिका से देखा जा सकता है कि मंत्रालय द्वारा संस्वीकृत कार्यशील पूंजी कम्पनी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। हालांकि, मंत्रालय ने कम्पनी को विभिन्न स्रोतों के माध्यम से निधि बढ़ाने के लिए प्रयास करने के निर्देश दिए (अप्रैल 2006) थे तथापि, कम्पनी इस दिशा में कोई प्रयास करने में विफल रही। परिणामत: कम्पनी को सरकारी योजनाओं जहां कार्यशील पूंजी की कम राशि की आवश्यकता थी, के तहत किसानों को कृषिगत सामग्री की आपूर्ति की ओर अपना ध्यान स्थानांतरित करना पड़ा तथा इस प्रकार खरीद तथा विपणन के अनिवार्य कार्यों को कंपनी द्वारा कार्यशील पूंजी के अभाव में नहीं किया गया।

8.1.5.8 संग्रहण तथा खरीद केन्द्रों के लिए वित्तीय सहायता का अभाव

पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसानों को कृषि-बागवानी उत्पादों के कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग तथा पैकिंग जैसी फसलोत्तर सुविधाएं प्रदान करने के विचार से, कम्पनी ने असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम तथा मेघालय राज्यों में ₹ 72 करोड़ की कुल लागत के नौ संग्रहण तथा खरीद केन्द्र स्थापित करने हेतु प्रशासन मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया (जुलाई 2008)। योजना आयोग ने पूर्वोत्तर क्षेत्रों हेतु 2008-09 के लिए बजट भाषण में वित्त मंत्री द्वारा घोषित ₹ 500 करोड़ के पैकेज के तहत इन केन्द्रों की स्थापना करने के लिए 'इन प्रिंसिपल' मंजूरी को स्वीकार किया (सितम्बर 2008)। तथापि, मंत्रालय से निधि प्रतीक्षित थी (सितम्बर 2013)।

कम्पनी ने पैरा 8.1.5.5 में वर्णित लेखापरीक्षा आपत्तियों के साथ सहमति व्यक्त की (अगस्त 2012 तथा मार्च 2013)। मंत्रालय ने उत्तर की पुष्टि की (जुलाई 2013)।

8.1.5.9 उत्पादों की खरीद, प्रसंस्करण तथा विपणन में कमियां

कम्पनी का प्रमुख उद्देश्य आगामी बिक्री हेतु उनके कृषि उद्यान उत्पादों के विपणन अधिशेष की खरीद द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्रों के किसानों को व्यापार सहायता प्रदान करना है। कम्पनी की वसूली तथा विपणन गतिविधियों पर लेखापरीक्षा अवलाकनों की चर्चा नीचे की गई है:

8.1.5.10 किसानों को बाजार सहायता उपलब्ध कराने में असमर्थता

पूर्वोत्तर क्षेत्रों के किसानों को उनके उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में बाजार सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु, कम्पनी को किसानों से कृषि उद्यान

उत्पादों के विपणन अधिशेष की खरीद द्वारा ससांधित उत्पाद तथा व्यापारिक उत्पाद की बिक्री को बढ़ाने की आवश्यकता है। तथापि, कम्पनी ने निवेश की गई पूंजी के अभाव के कारण भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को व्यापारिक उत्पाद/ससांधित उत्पाद की बिक्री से अपने फोकस को बीजों, उर्वरक आदि जैसी कृषिगत सामग्री की आपूर्ति पर स्थानातंरित किया। व्यापारिक/ससांधित उत्पादों की बिक्री तथा 2009-10 से 2012-13 के दौरान सरकारी सहायता योजनाओं के तहत बिक्री का विवरण नीचे तालिका में दर्शाए अनुसार था:

(₹ करोड़ में)

विवरण	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**
कुल बिक्री (ए)	89.65	99.91	96.04	43.70
व्यापारिक/ससांधित उत्पादों की बिक्री (बी)	11.50	5.63	2.10	1.40
सरकारी योजनाओं के तहत बिक्री (सी)	78.15	94.28	93.94	42.30
(बी) से (ए) तक प्रतिशतता	12.83	5.64	2.19	3.20
(सी) से (ए) तक प्रतिशतता	87.17	94.36	97.81	96.80

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि कुल बिक्री में व्यापारिक तथा ससांधित उत्पादों की बिक्री की प्रतिशतता 2009-10 के दौरान 12.83 प्रतिशत कम स्तर से 2012-13 के दौरान 3.20 प्रतिशत मामूली स्तर तक घटी। इस प्रकार, कम्पनी ने धीरे-धीरे अपना फोकस कृषि उधान उत्पादों के विपणन तथा बिक्री से सरकारी योजनाओं के तहत कृषिगत सामग्री की आपूर्ति पर स्थानांतरित किया था जिससे मूल उद्देश्य विफल हुआ जिसके लिए इसे स्थापित किया गया था।

सरकारी योजनाओं के तहत बिक्री की मात्रा राज्य सरकारों से आदेश प्राप्त करने पर आधारित थी। इसीलिए, बिक्री राजस्व में तदनुसार भिन्नता होने की संभावना थी जैसाकि 2012-13 के दौरान बिक्री में अचानक गिरावट से देखा जा सकता है। इस प्रकार, कम्पनी को व्यापारिक उत्पादों की बिक्री के पोर्टफोलियों पर अधिक ध्यान देने तथा किसानों को बाजार सहायता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कम्पनी ने कहा (अगस्त 2012) कि कृषि-उद्यान उत्पादों की खरीद तथा विपणन हेतु आवश्यक अधिक निवेश पूंजी के अभाव में,

इसने मुख्य रूप से केन्द्रीय योजनाओं के तहत राज्य सरकारों के साथ व्यापार पर ध्यान केन्द्रित किया। मंत्रालय ने उत्तर की पुष्टि की (जुलाई 2013)।

8.1.5.11 पाइनेपल जूस कंसन्ट्रेट प्लांट का उन्नयन न होना

कम्पनी ने ₹ 3.60 करोड़ की लागत पर 48 एमटी प्रतिदिन की संस्थापित क्षमता के साथ नलकाता, त्रिपुरा में पाइनेपल जूस कसंन्ट्रेट (पीजेसी) प्लांट स्थापित (1988) किया। प्लांट कम क्षमता उपयोग, उच्च फ्रूट-टू-जूस कसंन्ट्रेट अनुपात के परिणामस्वरूप कम उपज आदि के कारण प्रारंभ से ही हानि उठा रहा था। कंपनी ने हानि को कम करने तथा वर्ष 2010-11 तक इसका प्रचालन जारी रखने के लिए प्लांट के उन्नयन हेतु कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की। मई 2011 में, कंपनी ने जब तक कि प्लांट के पुनर्गठन को प्रारंभ किया जाता है तथा पूर्ण किया जाता है तब तक पीजेसी उत्पादन न करने का निर्णय लिया। तदनुसार, जून 2011 से प्लांट प्रचालित नहीं है। कंपनी द्वारा प्लांट के आधुनिकीकरण तथा पुनर्गठन हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को त्रिपुरा सरकार को प्रस्तुत किया गया (मई 2013) जो उसके विचाराधीन है।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि पीजेसी का उत्पादन वर्ष 2010-11 तक इस तथ्य के बावजूद भी जारी रहा कि प्लांट बहुत पुराना हो गया था तथा कम क्षमता उपयोग तथा कम उपज के कारण निरन्तर हानि उठा रहा था। प्लांट के उन्नयन न होने तथा इसे बंद करने के निर्णय में विलम्ब के परिणामस्वरूप 2002-03 से 2010-11 की समयावधि के दौरान ₹ 3.71 करोड़ की परिहार्य हानि हुई। प्लांट बन्द करने के पश्चात् भी, कम्पनी ने प्लांट में कार्यरत अस्थायी श्रमिको की सेवाओं को न तो प्रतिबंधित किया न ही सभी श्रमिको को अन्य प्लांट/कार्यालयों में स्थानांतरित किया जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान ₹ 79.16 लाख की व्यर्थ मजदूरी तथा वेतन का भुगतान हुआ।

कंपनी ने कहा (अगस्त 2012) कि पीजेसी का उत्पादन 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मंजूरी के आधार पर किया गया जिससे यह भी सूचना मिली कि उत्पादन के परिणामस्वरूप हानि होगी। मंत्रालय ने उत्तर की पुष्टि की (जुलाई 2013)।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि प्लांट के उन्नयन तथा व्यर्थ मजदूरी तथा वेतन के भुगतान के बिना हानि के बावजूद उत्पादन की निरंतरता के कारण केवल संचित हानियां जारी रही।

8.1.5.12 प्रभावी विपणन ढ़ांचे का अभाव

कम्पनी के पास अपने विपणन प्रचालन को एक व्यस्थित रूप में करने के लिए आवश्यक परिचालन ढांचा नहीं था जैसाकि नीचे चर्चा की गई है:

- कम्पनी के पास अपने व्यापारिक तथा विपणन कार्यों को करने के लिए नीतियों तथा प्रक्रियाओं के वर्णन वाली कोई विपणन नियमपुस्तिका नहीं थी।

 कंपनी ने अनुपालन हेतु लेखापरीक्षा आपत्तियों पर ध्यान दिया (अगस्त 2012)। मंत्रालय ने उत्तर की पुष्टि की (जुलाई 2013)।

- संघ तथा कॉरपोरेट योजना के इस ज्ञापन के अनुसार, कम्पनी को बाजार आसूचना नेटवर्क का विकास करने की आवश्यकता थी जो मांग-आपूर्ति, प्रचलित बाजार कीमत आदि से संबंधित बाजार जानकारी के संग्रहण तथा प्रसार में सहयोग देगा। तथापि, कम्पनी ने किसी बाजार आसूचना प्रणाली की स्थापना नहीं की।

लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करते हुए, कंपनी ने कहा (अगस्त 2012) कि वह प्रशासनिक मंत्रालय से स्वीकृति के अभाव के कारण महाप्रबंधक (विपणन), विपणन प्रबंधक आदि जैसे महत्त्वपूर्ण पदों को भरने में असमर्थ थी। इसके अलावा कंपनी ने कहा (सितम्बर 2013) कि वे सभी अधिकारियों को बाजार सर्वेक्षण तथा आसूचना में लगाने के लिए प्रयास कर रहे थे।

निष्कर्ष

कम्पनी ने आवश्यक निवेश पूंजी तथा कम क्षमता उपयोग के कारण हुई नकद हानि को पूरा करने के लिए पूंजीगत व्यय हेतु पुन: प्रवर्तन योजना के तहत प्राप्त निधि का विपथन किया। कम्पनी के बदलाव हेतु सलाहकार की रिपोर्ट (जनवरी 2005) ने ₹ 73.30 करोड़ के सम्मिश्रण को प्रस्तावित किया तथा कम्पनी ने अपनी कार्यवाही योजना प्रस्तुत की परन्तु मंत्रालय द्वारा (जुलाई 2013) कोई अन्य कार्रवाई नहीं की गई। पूर्वोत्तर परिषद ने भी 1993-94 से 2008-09 की अवधि से संबंधित ₹ 8.66 करोड़ के बिक्री आर्थिक सहायता दावों को निर्मुक्त नहीं किया (सितम्बर 2013)। इसके अलावा, प्राधिकृत शेयर पूंजी की बढ़ोतरी न होने के रूप में भारत सरकार से वित्तीय सहायता का अभाव था तथा निवेशित पूंजी की स्वीकृति में कमी थी। भारत सरकार ने 2008-09 में

योजना आयोग द्वारा 'इन प्रिंसिपल' मंजूरी देने के बावजूद संग्रहण तथा खरीद केन्द्रों की स्थापना के लिए ₹ 72 करोड़ जारी नहीं किए। कार्यशील पूंजी सहायता के अभाव के कारण, कम्पनी ने संसाधित कृषि-बागवानी उत्पादों की बिक्री से अपना ध्यान इन क्षेत्रों में किसानों को कृषिगत सामग्री की आपूर्ति पर स्थानांतरित किया। इस प्रकार, कम्पनी इन क्षेत्रों में किसानों को बाजार सहायता उपलब्ध कराने के अपने मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने में असमर्थ थी।

सिफारिशें

उक्त लेखापरीक्षा निष्कर्षों को देखते हुए, यह परामर्श दिया जाता है कि मंत्रालय निम्न पर विचार कर सकता है:

- *कम्पनी की ऑपरेटिंग प्रदर्शन की समीक्षा करना तथा अपने प्रचालनों को आत्म स्थायी बनाने के लिए लंबित मुद्दों को निपटाने हेतु उपचारात्मक उपाय करना।*
- *अनुत्पादक व्यय को कम करने के लिए घाटे में चल रहे प्लांटो का पुनर्निर्माण करना/योजना बनाना।*

अध्याय IX: वित्त मंत्रालय

ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

9.1 इन्टेग्रेटिड नॉन-लाइफ इंश्योरेंस एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर (आईएनएलआईएएस) की इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी (आईटी) लेखापरीक्षा

9.1.1 प्रस्तावना

ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) भारत में सामान्य बीमा व्यवसाय का संचालन करने वाली चार सार्वजनिक क्षेत्र सामान्य निवेश कम्पनियों में से एक है जिसका प्रधान कार्यालय दिल्ली में है। 31 मार्च 2013 तक, कम्पनी के 27 क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ), तीन कॉरपोरेट बिजनेस रीजनल कार्यालय (सीबीआरओ), 346 डिविजनल कार्यालय (डीओ), 494 शाखा कार्यालय (बीओ) तथा मोटर थर्ड पार्टी दावे केन्द्रों व सर्विस सेन्टरों के अतिरिक्त 596 वन मैन कार्यालय थे। वर्ष 2012-13 के दौरान, भारत में कम्पनी की सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय ₹ 6,737.66 करोड़ थी तथा कम्पनी का परिचालन लाभ ₹ 404.41 करोड़ था। कम्पनी के अपने परिचालन हेतु तीन मुख्य अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर अर्थात् इन्टेग्रेटिड नॉन-लाइफ इंश्योरेंस एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर (आईएनएलआईएएस), इन्वेस्टमेंट सॉफ्टवेयर तथा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) है।

आईएनएलआईएएस अनुप्रयोग जोखिम बीमांकन, दावों, लेखें, पुनर्बीमा तथा संबंधित रिपोर्टों को कवर करने वाला एक समेकित समाधान है। अपने कार्यक्षेत्र में, यह सभी उत्पादों को कवर करता है तथा परिचालन कार्यालयों के सम्पूर्ण व्यवसाय संचालन को इस अनुप्रयोग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह कंपनी के सभी कार्यालयों में है तथा इसका रोल आउट मार्च 2009 में पूर्ण हुआ। सिस्टम में आरओ के लिए आवश्यक्तानुसार समेकित रिपोर्ट भी बनाता है। अनुप्रयोग का वैब पोर्टल के साथ एक ऑनलाइन समेकन है तथा इसमें विभिन्न कार्यों के लिए ईमेल तथा एसएमएस समेकन भी है। परिचालन कार्यालयों तथा आरओ की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले जोखिम बीमांकन, दावों तथा लेखा माड्यूल्स 2009 से पूर्ण रूप से क्रियात्मक हैं। तथापि, पुनर्बीमा मॉड्यूल के

कुछ भाग तथा एचओ लेखा समेकन संबंधित उपयोगकर्त्ता विभाग द्वारा अभी भी जांच के अन्तर्गत है (फरवरी 2014)। बजट मॉड्यूल जो विस्तृत जांच के अन्तर्गत था, परिचालित हो गया है तथा अचल परिसम्पत्ति मॉड्यूल की उपयोगकर्त्ता विभाग द्वारा जांच की जा रही है। अनुप्रयोग का फ्रंट एंड ओरेक्ल फार्मस है तथा रिपोर्ट और बैकएन्ड ओरेक्ल 10 जी डाटाबेस है।

हालांकि विभिन्न मॉड्यूल को कम्पनी द्वारा अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है तथापि, कुछ मॉड्यूल्स की नमूना जांच लेखापरीक्षा द्वारा की गई। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि पुनर्बीमा तथा एचओ लेखा समेकन मॉड्यूलों के कार्यान्वयन में काफी विलम्ब हुआ है क्योंकि आईएनएलआईएएस हेतु करार पर अगस्त 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे तथा यह करार की तिथि से दो वर्षों के अंदर पूरा करने हेतु निर्धारित था।

कम्पनी ने आईएनएलआईएएस से संबंधित सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर की खरीद के संदर्भ में जून 2007 तक ₹ 68.29 करोड़ तथा जुलाई 2007 से मार्च 2013 तक ₹ 232.90 करोड़ का व्यय किया।

9.1.2 लेखापरीक्षा जांच परिणाम

आईएनएलआईएएस में उचित नियंत्रण तथा वैधता के अभाव के संबंध में लेखापरीक्षा आपत्तियां नीचे दी गई है:

9.1.2.1मैरीन कार्गो पॉलिसियों मे अनुचित बीमांकन वैधीकरण

सामान्य बीमा उत्पाद (सितम्बर 2006) हेतु आवश्यक 'फाइल एंड यूज' पर इंश्योरेंस रेग्युलेटरी तथा डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (आईआरडीए) दिशानिर्देशों के अनुसार, बीमाकृत राशि पर प्रीमियम दरों, जो ₹ 0.1 प्रति मिले* से कम है, की कम्पनी के वित्तीय सलाहकार के साथ चर्चा की जानी चाहिए तथा उचित तकनीकी कारणों के आधार पर उसकी सहमति ली जानी चाहिए। ऐसे मामलों में, वित्तीय सलाहकार को यह सुनिश्चित करने हेतु मध्यस्थ की भूमिका निभाना अपेक्षित था कि शर्तों को केवल तर्क

** प्रति हजार*

की परवाह किए बिना मूल्य में प्रतिस्पर्धा को पूरा करने के लिए नहीं अपितु सही तकनीकी आधार पर निर्धारित किया गया। बीमांकन हेतु लाइव जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि बीमाकृत राशि पर 0.1 प्रति मिले से कम प्रीमियम के साथ पॉलिसी के बीमांकन के लिए एचओ द्वारा स्वीकृति हेतु कोई वैधीकरण नहीं था। सिस्टम ने सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना बीमाकृत राशि पर 0.1 प्रति मिले से कम प्रीमियम दर पर परिचालन कार्यालयों द्वारा पॉलिसियों के जारी होने को नहीं रोका।

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2012-13 के दौरान कंपनी द्वारा जारी मैरीन कार्गो पॉलिसियों का डाटा एकत्रित किया, विश्लेषण से पता चला कि मैरीन बीमांकन के कुल 1,20,843 मामलों में से 1317 पॉलिसी को 0.1 प्रति मिले की दर से कम पर जारी किया गया। सिस्टम में आवश्यक वैधता के अभाव में, ₹ 31.38 करोड़ के न्यूनतम प्रभार्य प्रीमियम के प्रति संग्रहित प्रीमियम ₹ 9.56 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 21.82 करोड़ की प्रीमियम राशि का कम संग्रहण तथा उसी सीमा तक कम्पनी को हानि हुई है।

प्रबधंन ने कहा (अक्तूबर 2013) कि परिचालन कार्यालयों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जा रही है कि ऐसे प्रस्तावों की स्वीकृति के समय उचित प्रशासनिक नियंत्रण का प्रयोग किया जाना चाहिए तथा ऐसा केवल तब करना चाहिए जब सक्षम प्राधिकारी की आवश्यक स्वीकृति प्राप्त हो गई हो। तथापि, उत्तर इस तथ्य के मद्देनजर स्वीकार्य नहीं है कि व्यक्तिगत हस्तक्षेप से बचने तथा आईआरडीए दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने के लिए ऐसे नियंत्रण को सिस्टम में सन्निहित करना चाहिए।

9.1.2.2 मैरीन कार्गो पॉलिसियों में अनुचित इनपुट

मैरीन पॉलिसी रेल, सड़क, समुद्र और/अथवा आकाश द्वारा परिवहन के समय माल की हानि अथवा नुकसान के प्रति माल, माल भाड़ा, अन्य हितों को शामिल करती है। इन पॉलिसी को अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान द्वारा वार तथा एसआरसीसी♦ जोखिमों के लिए बढ़ाया जा सकता है। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि उचित इनपुट नियंत्रण के अभाव में, सिस्टम मूल मैरीन कवर, उपलब्ध कराए बिना केवल वार एवं एसआरसीसी को कवर करने वाली मैरीन पॉलिसी को प्रतिबंधित नहीं करता है।

प्रबधंन ने लेखापरीक्षा अवलोकन से सहमति व्यक्त की तथा कहा (अक्तूबर 2013) कि वे इस नियंत्रण को लागू करने के लिए 3आई इंफोटेक के साथ मामले को ले रहे है कि वार

♦ *स्ट्राइक, रीओट अथवा सिविल कोम्मोशन*

तथा एसआरसीसी जोखिमों की कवरेज को केवल मूल कवर के साथ संयोजन के रूप में अनुमति दी जाए।

9.1.2.3 मैरीन हल पॉलिसियों मे अनुचित इनपुट

मैरीन हल पॉलिसियों (डीओ-14 मुम्बई) के बीमांकन की समीक्षा से पता चला कि:

- सिस्टम, किसी भी पुराने पोत को, बिना सामान्य जीवन से अधिक होने संबंधी चेतावनी दिए बिना, बीमा हेतु मंजूरी दे देता है।

 प्रबधंन ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा कहा (अक्तूबर 2013) कि प्रचालन कार्यालयों को यह परामर्श दिया जाएगा कि बीमांकन से संबंधित सभी पैरामीटरों के अनुप्रयोग में प्रस्ताव को मंजूर करने से पूर्व, ध्यानपूर्वक जांच की जानी चाहिए। एक चेतावनी संदेश/सावधानी को उचित रूप से सम्मिलित किया जाएगा।

- मैरीन हल पॉलिसी हेतु जीयूसी* विवरण बनाने में, संबंधित अधिकारी को हाथ से प्रीमियम रजिस्टर से अनुमोदन के मामलें में पोत का नाम तथा बीमाकृत राशि जैसा विवरण भरना पड़ता है क्योंकि सिस्टम के माध्यम से बने प्रीमियम रजिस्टर में ये विवरण नहीं होते।

प्रबधंन ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा कहा (अक्तूबर 2013) कि तकनीकी विभाग से मैरीन हल के प्रीमियम रजिस्टर के फॉर्मेट की जांच करने तथा रिपोर्ट में सम्मिलित होने वाले अतिरिक्त फील्डस, यदि कोई हो, को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जा रहा है तथा तदनुसार इसे संशोधित किया जाएगा।

9.1.2.4 मोटर पॉलिसियों में उचित वैधीकरण का अभाव

दावा सर्विस सेन्टर, दिल्ली पर लाइव जांच के दौरान, यह पाया गया कि सीबीओ एक्स, दिल्ली द्वारा जारी मोटर पॉलिसी (2013/1586) के तहत एक दावा (2014/030599) जिसमें कि सिस्टम ने दावे की सूचना के पश्चात् बीमाकृत वाहन की पंजीकरण संख्या में परिवर्तन को मंजूरी दी। इसके अलावा, पृष्ठांकन में भी, निर्धारित फार्मेट के अनुसार सही

** ग्रुप बीमाकंन सेल*

पंजीकरण संख्या, इंजन तथा चैसी के ब्यौरे को वर्णित नहीं किया गया। इस प्रकार उचित नियंत्रण के बिना सिस्टम छल-कपट की गुंजाइश छोड़ता है।

प्रबधंन ने कहा (अक्तूबर 2013) कि कुछ निष्कपट आवश्यकताओं के कारण दावें होने के पश्चात् पॉलिसी पर पृष्ठांकन पारित करना स्वीकार्य है। प्रबधंन ने यह भी कहा कि परिचालन कार्यालयों को किसी पृष्ठांकन को पारित करते समय देखाभाल तथा सावधानी से कार्य करने की सलाह दी जा रही थी ताकि यह सुनिश्चित हो कि इसे सही प्रकार से पारित किया जाता है। प्रबंधन ने आश्वस्त किया कि सिस्टम को इस हेतु सक्षम किया जाएगा कि ये सभी पृष्ठांकनो की, पृष्ठांकनों के जारी किए जाने से पूर्व की तिथि से, एक अपवाद रिपोर्ट बना सके जिसे लेखापरीक्षको/सतर्कता विभाग द्वारा प्राप्त किया जा सके।

9.1.2.5 सह बीमाकर्त्ताओं से प्रशासनिक प्रभारों की कटौती न होना

सह बीमाकर्त्ताओं के लेन-देनों के निपटान से संबंधित एचओ परिपत्र (अक्तूबर 2002) ने निर्धारित किया कि लीडर को, सहबीमाकर्ताओं को, उनके प्रीमियम शेयर से प्रशासनिक प्रभारों के लिए एक प्रतिशत कटौती के पश्चात् उनके प्रीमियम शेयर को प्रेषित करना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने 2012-13 के दौरान सह बीमाकर्त्ताओं से एक प्रतिशत प्रशासनिक प्रभार की वसूली करने के लिए सीबीआरओ, दिल्ली द्वारा हस्तचालित रूप से पारित सामान्य वाउचर की नमूना जांच की। क्योंकि सिस्टम सह बीमाकर्त्ताओं के प्रीमियम शेयर से स्वचालित रूप से प्रशासनिक प्रभार की कटौती नहीं कर रहा था, इसलिए सम्पूर्ण प्रीमियम को सह बीमाकर्त्ताओं को प्रेषित किया जा रहा था। प्रशासनिक प्रभार को, कंपनी के संबंधित अधिकारियों के स्तर पर चूक की संभावना के अलावा कम वसूली/गैर वसूली के लिए एक गुंजाइश छोड़ते हुए, सह बीमाकत्ताओं से वसूली हेतु हस्तचालित रूप से चलाया जा रहा था।

2012-13 के दौरान, कंपनी ने सहबीमा व्यवस्था के तहत सह बीमाकर्त्ताओं को ₹ 427.76 करोड़ की राशि का भुगतान किया जिसके लिए ₹ 4.28 करोड़ की राशि (₹ 427.76 करोड़ के एक प्रतिशत) को घटाया जाना आवश्यक था। तथापि, प्रीमियम को कम करते समय प्रशासनिक प्रभारों की कटौती हेतु आईएनएलआईएएस में इनपुट नियंत्रण के अभाव

में, कम्पनी केवल ₹ 1.39 करोड़ की वसूली कर सकी जिसके परिणामस्वरूप सह बीमाकत्ताओं से ₹ 2.89 करोड़ की कम वसूली हुई।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2014) कि कुछ अकस्मात मामलों में, सह बीमाकर्त्ताओं को भुगतान करते समय प्रशासनिक प्रभारों की कटौती नहीं की गई। कुछ कार्यालय को हस्तचालित रूप से प्रशासनिक प्रभारों की कटौती के विषय में पता नहीं था तथा उसकी अनदेखी हो गई तथा उन प्रशासनिक प्रभारों की अब बीमांकन निवर्तमान सह बीमा प्रीमियम के समय पर आईएनएलआईएएस के माध्यम से स्वत: कटौती हो रही थी। तथ्य यह है कि इस कार्य के लिए आवश्यक वैद्यता के समावेश में विलम्ब के परिणामस्वरूप कंपनी को ₹ 2.89 करोड़ की हानि हुई।

9.1.2.6 दावों के निपटान हेतु अपर्याप्त वैधीकरण

लेखापरीक्षा ने 27 अगस्त 2013 को क्लेम सर्विस सेन्टर, मुम्बई द्वारा निपटाए गए दावों की जांच की। यह पाया गया कि मोटर पॉलिसी (2013/5918) के तहत दावे (2014/030418) को एक मोटर वाहन के एक्सिडेंट के माध्यम से हुई हानि/नुकसान हेतु सूचित किया गया जिसे एक ही विवरण के साथ दो बार मंजूरी दी गई, सिस्टम ने दूसरी बार के दावे को मंजूर करते समय कोई चेतावनी अथवा संदेश नहीं दिया। इस चूक के परिणामस्वरूप एक ही दावे के प्रति कई भुगतान हो सकते है।

प्रबधंन ने कहा (अक्तूबर 2013) कि सिस्टम दो बार मंजूरी के लिए ऐसे प्रावधानों को स्वीकृति नहीं देता है। तथापि, उपयोगकर्त्ता एक दावे में यदि आवश्यक हो, तो सिस्टम के माध्यम से अन्य प्रावधान बना सकता है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि हानि के एकसमान विवरण के साथ अन्य प्रावधान को स्वीकृत करना अनियमित है तथा इसमें सुधार की आवश्यकता है। यह परामर्श दिया जाता है कि कम से कम मुख्य क्षेत्रों पर यथा राशि तथा हानि तिथि की जांच को सिस्टम में डाला जाना चाहिए।

9.1.2.7 दावे बकाया रजिस्टर तथा ट्रायल बैलेंस में आंकडों का गलत मिलान

सिस्टम ने दो रिपोर्टो अर्थात् दावे बकाया रजिस्टर तथा ट्रायल बैलेंस में 31 मार्च 2013 तक 'फायर आउटस्टैडिंग क्लेम' के लिए दो विभिन्न आंकडे बनाए जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.45 करोड़ का कम प्रावधान तथा लाभ की अत्युक्ति हुई जैसाकि नीचे वर्णित है:

(₹ करोड़ में)

इकाई	आईएनएलआईएएस के बकाया रजिस्टर के अनुसार दावे	ट्रायल बैलेंस के अनुसार दावे	कम प्रावधान अंतर (–)
सीबीआरओ चेन्नई	11.32	10.30	(-) 1.02
सीबीआरओ मुम्बई	50.70	49.27	(-) 1.43
जोड़	**62.02**	**59.57**	**(-) 2.45**

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (अक्तूबर 2013) तथा कहा कि आईएनएलआईएएस द्वारा निर्मित दावें बकाया रजिस्टर तथा ट्रायल बैलेंस के अनुसार आंकडों का गलत मिलान था। इसके अलावा प्रबंधन ने कहा कि ऑकड़ों के गलत मिलान के अन्तर को समाप्त करने के लिए आईएनएलआईएएस को संशोधित करने हेतु प्रयास किए जा रहे थे।

9.1.2.8 पॉलिसीधारक के हित विनियम, 2002 के आईआरडीए संरक्षण के अनुपालन हेतु अपवादात्मक रिपोर्ट न बनाना

आईआरडीए के 'पॉलिसीधारक के हित संरक्षण विनियम 2002' के अनुसार, दावों को इसके सूचित करने की तिथि से 256 दिनों के अन्दर निपटाया जाना है। प्रत्येक बीमाकर्ता को एक पॉलिसीधारक सरंक्षण समिति की स्थापना करना आवश्यक है जो कि सीधा बोर्ड को रिपोर्ट करे।

लेखापरीक्षा ने मार्च 2013 के दौरान कंपनी द्वारा निपटाए दावों के आंकड़े एकत्रित किए जिनमें यह पाया गया कि कंपनी ने 65,535 मोटर दावों तथा इतनी ही संख्या के गैर-मोटर दावों का निपटान किया जिसमें से मोटर हेतु 22,798 दावों तथा गैर-मोटर के 8,960 दावों को उक्त आईआरडीए विनियम के उल्लंघन में 256 दिनों सें अधिक दिनों में

निपटाया गया। प्रबंधन ने मोटर दावों के निपटान हेतु 35 से 8,954 दिन तथा गैर मोटर दावों के निपटान हेतु 61 से 12,397 दिन लिए। 257 दिनों से एक वर्ष, एक से दो वर्ष, दो से तीन वर्ष, तीन से पांच वर्ष तथा पांच वर्षों से अधिक की अवधि हेतु इन दावों की आवधिक संतुष्टि को निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

	आरम्भ की तिथि से दावों के निपटान में विलम्ब						
मामलों की संख्या	**256 दिनों तक**	**257 दिनों से एक वर्ष**	**1 से 2 वर्ष**	**2 से 3 वर्ष**	**3 से 5 वर्ष**	**5 वर्षों से अधिक**	**जोड़**
गैर-मोटर	56575	4584	3197	646	350	183	65535
मोटर	42737	5959	6770	3223	3435	3411	65535
जोड़	**99312**	**10543**	**9967**	**3869**	**3785**	**3594**	**131070**

तालिका से यह सिद्ध होता है कि कई मामलों में दावों के निपटान में, सामान्य दावों के निपटान हेतु अधिकतम अनुदेय सीमा से अधिक विलम्ब हुआ है।

यद्यपि आईआरडीए विनियम के अनुसार सामान्य दावों के निपटान हेतु अधिकतम अनुदेय सीमा 256 दिन है, तथापि, सिस्टम के माध्यम से इस निर्धारित समयावधि के पश्चात् विलम्ब हेतु कोई रिपोर्ट नहीं बनाई जा रही है। चूँकि पॉलिसीधारक संरक्षण समिति की जिम्मेदारियों में विनियामक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन को सुनिश्चित करना सम्मिलित था, इसलिए उक्त विलम्ब हेतु एक रिपोर्ट बनानी चाहिए तथा विनियामक अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पॉलिसीधारक संरक्षक समिति के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए।

प्रबंधन ने आश्वासन दिया (अक्तूबर 2013) कि रिपोर्ट बनाने की व्यवहार्यता का अध्ययन किया जाएगा तथा यदि ये व्यवहार्य पाई जाए तो यह आईएनएलआईएएस में सम्मिलित किया जाएगा।

मंत्रालय को दिसम्बर 2013 में यह मामला बताया गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2014)।

दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

9.2 दावें का गलत निपटान

बीमित द्वारा उचित सूझ बूझ के अभाव के कारण दावे का गलत निपटान - ₹ 10.15 करोड़

दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड (दि कम्पनी) ने 01 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010 की अवधि हेतु अन्य बातों के साथ-साथ विश्व में किसी भी स्थान से भारत में विभिन्न स्थानों पर समुद्र/आकाश/रेल/सड़क/कोरियर द्वारा बीमाकृत आयात को कवर करते हुए ₹ 500 करोड़ की बीमाकृत राशि के लिए मै. वर्टसीला (इंडिया) लिमिटेड (बीमाकृत) को एक वार्षिक टर्नओवर पॉलिसी जारी की। बीमाकृत ने न्वाहा शेवा पोर्ट के माध्यम से यूरो 3851107.00 (आईएनआर 25.47 करोड़) के लिए मै. वर्टसीला इतालिया से दो डीजी सेटों का आयात किया (जनवरी 2010)। कार्गो 6 फरवरी 2010 को न्हावा शेवा पोर्ट पर उतरा। सीमा शुल्क द्वारा 2 मार्च 2010 को प्रेषण की निकासी की गई।

जब कार्गो पोर्ट से खोपोली जा रहा था (2 मार्च 2010), तब ट्रेलर के साथ एक घटना हुई जिसके परिणामस्वरूप ट्रेलर के रोलओवर में नुकसान* हुआ। एक डीजी सेट को सम्पूर्ण निर्माणकारी हानि के रूप में घोषित किया गया, अन्य डीजी सेट अंशत: खराब हो गया तथा मरम्मत हेतु मै. वर्टसीला इतालिया को भेजा गया तथा मरम्मत के बाद भारत वापिस लाया गया।

कम्पनी ने मै. ट्रेनस ओसिएन मैरीन एण्ड जनरल सर्वे एजेंसियों को सर्वेक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त किया (मार्च 2010) जिनका अपनी रिपोर्ट (मार्च 2011) में मत था कि ट्रेलर्स का रोलओवर ऊपर के भाग को असामान्य रूप से अधिक लादने के कारण हुआ तथा ड्राइवर वाहन को नियंत्रित नहीं कर सका जो डिवाइडर पर लुढक गया। सर्वेक्षक ने

* *दावा कुल संरचनात्मक हानि (सीटीएल) के लिए है क्योंकि मरम्मत मूल्य कुल बीमित राशि के 85 प्रतिशत से अधिक था।*

प्रावधानिक रूप से ₹ 9.76 करोड़ की हानि आकलित की। ₹ 1 करोड़ के निस्तारण मूल्य की कटौती के पश्चात्, प्रावधानिक रूप से हानि ₹ 8.76 करोड़ पर पहुँच गई।

कम्पनी की हैड ऑफिस क्लेम कमेटी (एचसीसी) ने इनलैंड ट्रांजिट (रेल अथवा सड़क) क्लॉज (ए) (सभी जोखिम) [आईटीसी (ए)] के तहत कवर किए गए हानि शोधन के ₹ 6.50 करोड़ के दावे की लेखागत अदायगी को स्वीकार किया (जून 2011)। लेखागत अदायगी 9 जून 2011 को की गई। कम्पनी ने ₹ 3.65 करोड़ का अन्य भुगतान 16 सितम्बर 2013 को किया। इस प्रकार, कुल भुगतान ₹ 10.15 करोड़ था।

दुर्घटना का मुख्य कारण ट्रेलर को 9.05 एमटीज तथा 11.93 एमटीज की ओवरलोडिंग था जो दो ट्रेलरों की निवल कार्गो धारण क्षमता के क्रमश: 32 प्रतिशत तथा 48 प्रतिशत आकलित की गई जैसाकि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

क्रम संख्या	**विविरण**	**ट्रेलर संख्या एमएच 06 एक्यू 1667**	**ट्रेलर संख्या एमएच 06 के 6718**
1	कार्गो की निवल ढुलाई क्षमता कि.ग्रा.	28000.00	25000.00
2	कार्गो का भार कि.ग्रा.	32000.00	32000.00
3	कंटेनर का भार	5050.00	4925.00
4	कुल भार (2+3) कि.ग्रा.	37050.00	36925.00
5	ओवरलोडिंग कि.ग्रा. (4 - 1)	9050.00	11925.00
6	कार्गो की निवल ढुलाई क्षमता के प्रति ओवरलोडिंग प्रतिशतता	32	48

उपरोक्त से स्पष्ट रूप से यह संकेत मिला कि परिनियोजित वाहन कार्गो का लोड़ नहीं उठा सके जिसने यह दर्शाया कि बीमाकृत उचित देखरेख करने में यह सुनिश्चित करने के लिए विफल हुआ कि कार्गो को सही प्रकार के वाहन में ले जाया गया।

कम्पनी ने उत्तर दिया (सितम्बर 2013) कि:

- प्राथमिक सर्वेक्षक (मै. ए. एस. देसाई) ने कहा कि दुर्घटना की परिस्थितियां जो स्पष्ट रूप से यह दर्शाती थी कि माल ले जाने वाले ट्रेलरों को दुर्घटना से बचने

के लिए आकस्मिक आपातकालीन ब्रेक लगाना पड़ा जिसके कारण ड्राइवर का ट्रेलरों पर नियंत्रण नहीं रहा।

- सर्वेक्षक (मै. ट्रान्स ओसिएन मैरीन एवं जनरल सर्वे एजेंसियां) ने स्पष्ट रूप से कहा था कि संभार-तंत्र ठेकेदारों मै. ग्लेन ट्रान्स शिपिंग एवं लॉजिस्टिक (आई) प्राइवेट लिमिटेड ओवरलोडिंग हेतु 'प्रथम दृष्टया' जिम्मेदार थे।

- मुकदमेबाजी एक लम्बी प्रक्रिया होगी तथा इस पर अधिक कानूनी खर्च करना पड़ेगा; इसलिए अंतिम दावा राशि से 25 प्रतिशत कटौती की गई।

कम्पनी का उत्तर तर्कसंगत नहीं है। वर्तमान मामलें में, बीमाकृत की ओर से उपयुक्त देखभाल का अभाव था क्योंकि ये यह सुनिश्चित करने में विफल हुआ कि सही प्रकार के वाहन को परिनियोजित किया गया था। कम्पनी इसका सहारा नहीं लें सकती क्योंकि यह एक संभार-तंत्र ठेकेदार था जो ओवरलोडिंग के लिए उत्तरदायी था। बीमाकृत जिसका बीमाहित था, को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि कार्गों को उपयुक्त संभार-तंत्र ठेकेदार द्वारा ले जाया जाए। कम्पनी को दावे को अस्वीकार करना चाहिए था। इसलिए 'समझौते के आधार पर' दावे का निपटान उचित नहीं था।

मंत्रालय को यह मामला अक्तूबर 2013 में सूचित किया गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2014)।

अध्याय X: खान मंत्रालय

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड

10.1 रॉयल्टी का अतिरिक्त भुगतान

खेतड़ी खान जहां पट्टा क्षेत्र के अन्दर खनिज प्रसंस्करण किया गया, के संदर्भ में, कम्पनी ने मेटल-इन-कंसन्ट्रेट के बजाय मेटल-इन-ऑर पर रॉयल्टी का भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.97 करोड़ रॉयल्टी का अतिरक्त भुगतान हुआ।

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (कंपनी) की खेतड़ी कॉपर काम्प्लेक्स, राजस्थान में स्थित इसके खेतड़ी खान पट्टा क्षेत्र में एक कन्संट्रेट प्लांट के साथ एक कॉपर खान है। अयस्क खानों से निकाला जाता है तथा इसे संसाधित खनिज (मेटल-इन-कंसन्ट्रेट) उत्पादित करने के लिए कंसन्ट्रेट प्लांट में परिष्कृत किया जाता है। स्मेल्टर तथा रिफाइनरी में ऐसे कन्संट्रेट के परिष्कृत होने के पश्चात्, कॉपर निकाला जाता है। खनिज रियायत नियम, 1960 के प्रावधान* के अनुसार, यदि खनिज को अनुबंधित क्षेत्र के अन्दर परिष्कृत किया जाता है, तो पट्टा क्षेत्र से हटाए गए परिष्कृत खनिज पर रॉयल्टी प्रभार्य है। तथापि, कम्पनी मेटल-इन-कन्संट्रेट पर नहीं अपितु इसकी खेतड़ी खान से निकाले अयस्क में विद्यमान धातु के आधार पर रॉयल्टी का भुगतान कर रही थी। इसके परिणामस्वरूप रॉयल्टी का अतिरिक्त भुगतान हुआ क्योंकि अयस्क में विद्यमान धातु की मात्रा उस मेटल-इन-कन्संट्रेट से अधिक है।

रायॅल्टी के ऐसे अतिरिक्त भुगतान को लेखापरीक्षा द्वारा फरवरी 2013 में बताया गया। कम्पनी ने मार्च 2013 के बाद से सुधारात्मक उपाय किए तथा परिष्कृत खनिज (मेटल-इन-कन्संट्रेट) पर रॉयल्टी का भुगतान अब किया जा रहा है। इसी बीच में, कम्पनी ने अप्रैल 2005 से फरवरी 2013 की समयावधि के दौरान अपनी खेतड़ी खान से 3887776 एमटी अयस्क उत्पादित किया तथा 33302 एमटी के मेटल-इन-कंसन्ट्रेट के बजाय अयस्क में विद्यमान 37297 एमटी मेटल पर आधारित ₹ 45.56 करोड़ की रॉयल्टी का

** खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 64 (बी) का खण्ड I (26.07.2012 को संशोधित के अनुसार)*

भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप उक्त अवधि के दौरान ₹ 4.97 करोड़ राशि की रॉयल्टी का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

कम्पनी ने कहा (अक्तूबर 2013) कि अप्रैल 2005 से फरवरी 2013 के दौरान, भारत सरकार राजपत्र अधिसूचना संख्याए जीएसआर 713(ई) दिनांक 12 सितम्बर 2000 एवं संख्या जीएसआर 574 (ए) दिनांक 13 अगस्त 2009 के अनुसार, उत्पादित अयस्क में कॉपर पर रॉयल्टी का भुगतान किया गया है तथा रॉयल्टी का अतिरिक्त भुगतान नहीं हुआ।

तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिनांक 12 सितम्बर 2000 तथा 13 अगस्त 2009 की राजपत्र अधिसूचनाएं रॉयल्टी की दरों से संबंधित थी जबकि लेखापरीक्षा अवलोकन खनिज जो प्रसंस्करण को अधीन है, हेतु रॉयल्टी लेने से संबंधित है। खनिज रियायत नियमावली, 1960 का नियम 64बी स्पष्ट रूप से वर्णित करता है कि यदि अयस्क का प्रसंस्करण पट्टा क्षेत्र में किया जाए, तो रॉयल्टी केवल संसाधित खनिज पर प्रभार्य हो। लेखापरीक्षा में रॉयल्टी के अतिरिक्त भुगतान को फरवरी 2013 में बताया गया। कम्पनी ने मार्च 2013 के बाद से सुधारात्मक उपाय किए। इस प्रकार, कम्पनी ने अप्रैल 2005 से फरवरी 2013 की समयावधि के दौरान अपनी खेतड़ी खान के लिए ₹ 4.97 करोड़ की राशि की रॉयल्टी का अतिरिक्त भुगतान किया।

मंत्रालय को यह मामला नवम्बर 2013 में सूचित किया गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2014)।

अध्याय XI: पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय

भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड

11.1 परिहार्य व्यय

अपनी सहायक कम्पनी के साथ कम्पनी ने डब्ल्यूबीवीएटी के भुगतान से संबंधित संदेह होने के कारण बज बज पर एनआरएल से पीडीएस एसकेओ की खरीद पर ₹ 8.23 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) डब्ल्यूबीवीएटी की 4 प्रतिशत दर जिसे ग्राहको का पूर्ण रूप से बेचते समय देय डब्ल्यूबीवीएटी के प्रति सेल-ऑफ किया जा रहा था, पर भुगतान करके इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के राजबंध टर्मिनल से पीडीएस एसकेओ प्राप्त कर रही थी। पीडीएस एसकेओ पर डब्ल्यूबीवीएटी दर 01.09.2010 से प्रभावी के साथ 'शून्य' हो गई। इस समझ पर कि ऑयल मार्केटिंग कम्पनियों (ओएमसीज)[1] के बीच एसकेओ की बिक्री पर 12.5 प्रतिशत की दर डब्ल्यूबीवीएटी प्रभारित होगा पर, कम्पनी के स्थानीय प्रबंधन न विचार किया (अगस्त 2010) कि आईओसीएल से एसकेओ की प्राप्ति पर देय डब्ल्यूबीवीएटी छोड़ने के लिए उपलब्ध नहीं होगा क्योंकि पीडीएस एसकेओ पर डब्ल्यूबीवीएटी 'शून्य' हो गया था जिसके परिणामत: कम्पनी को कम-वसूली/हानि हो सकती थी। इसलिए, स्थानीय प्रबंधन ने उपरोक्त प्रत्याशित हानि से बचनें के लिए बज बज में अपनी सहायक कम्पनी[2] नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) से एसकेओ प्राप्त करने का निर्णय लिया। करार के अनुसार, एनआरएल अपनी लागत पर रेलवे टैंक वैगन द्वारा बज बज में उत्पाद को सुपुर्द करेगा जहां से कम्पनी उत्पाद को टैंक ट्रक द्वारा अपने राजबंध डिपो में स्थानांतरित करेगी। इस अंतर-राज्य बिक्री पर एनआरएल द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर भी वहन किया जाएगा। यह प्रस्तावित किया गया कि उपरोक्त प्रबधंन के परिणामस्वरूप

[1] ***आईओसीएल, बीपीसीएल तथा एचपीसीएल***

[2] ***बीपीसीएल ने एनआरएल में 61.65 प्रतिशत शेयर रखे (31.03.2012)***

₹ 0.71 करोड़ प्रति माह की बचत होगी। कम्पनी ने उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार सितम्बर 2010 से प्रभावी के साथ एनआरएल से एसकेओ प्राप्त करना आरम्भ किया।

उपरोक्त निर्णय उचित नहीं था क्योंकि कम्पनी ने आईओसीएल से एसकेओ की खरीद हेतु डब्ल्यूबीवीएटी का भुगतान नहीं किया तथा उपरोक्त व्यवस्था हेतु ऐसी प्रस्तावित बचत अनुपयुक्त थी। इसके अलावा, एनआरएल से राजबंध में उत्पाद के स्थानांतरण की उपरोक्त व्यवस्था के परिणामस्वरूप भाड़े तथा सीएसटी की वसूली के कारण अतिरिक्त व्यय हुआ। लेखापरीक्षा में बताए जाने के पश्चात् (दिसम्बर 2011), कम्पनी ने उपरोक्त व्यस्था को बन्द किया तथा जनवरी 2012 से राजबंध के आईओसीएल से एसकेओ लेने की अपनी पूर्व पद्धति को पुनः आरम्भ किया। इस बीच में, सितम्बर 2010 से जनवरी 2012 की अवधि के दौरान, एसकेओ के 36047 केएल को बज बज पर आईओसीएल से प्राप्त किया गया जिसके लिए अपनी सहायक कम्पनियों (एनआरएल) के साथ कंपनी ने ₹ 8.23 करोड़ का परिहार्य व्यय वहन किया।

कम्पनी ने कहा (अक्तूबर 2013) कि आईओसीएल से पीडीएस एसकेओ प्राप्त करने के लिए 12.5 प्रतिशत की दर पर डब्ल्यूबीवीएटी के भुगतान के संबंध में इसके विचार कम्पनी द्वारा 2006-07 तथा 2008-09 के दौरान पश्चिम बंगाल में अन्य ओएमसीज को एसकेओ की बिक्री पर 12.5 प्रतिशत की दर पर डब्ल्यूबीवीएटी का भुगतान न करने के लिए बिक्री कर प्राधिकारियों से मांग पर आधारित था। मंत्रालय ने भी कंपनी के मत की पुष्टि की है (फरवरी 2014)। कम्पनी/मंत्रालय का उपरोक्त विचार उचित नहीं था क्योंकि आईओसीएल (राजबंध टर्मिनल) से पीडीएस एसकेओ की प्राप्ति को पुन आरम्भ करने के पश्चात्, कम्पनी को 12.5 प्रतिशत दर पर नहीं अपितु 'शून्य' दर पर डब्ल्यूबीवीएटी का भुगतान किया गया है।

कम्पनी ने आगे तर्क दिया कि एसकेओ की बिक्री के लिए एनआरएल इस पर निर्भर था तथा यदि कम्पनी ने बज बज पर एसकेओ लेने की इस व्यवस्था का सहारा नहीं लिया तो एनआरएल को भाड़े का वहन करना होगा तथा बज बज के समीप अन्य स्थान पर ऐसे एसकेओ की आपूर्ति करने के लिए सीएसटी की वसूली नहीं होगी। मंत्रालय भी उपरोक्त तर्क से सहमत हुआ (फरवरी 2014)। तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह पाया गया कि उपरोक्त अवधि के दौरान, आईओसीएल असम में राज्य के बाहर से एसकेओ

लाया। एनआरएल द्वारा असम में आईओसीएल को एसकेओ की बिक्री के मामलें भी थे। इस प्रकार, एनआरएल बज बज पर बीपीसीएल को इसकी आपूर्ति के बावजूद असम में आईओसीएल को उक्त एसकेओ बेच सकता था।

इस प्रकार, बज बज पर एनआरएल से एसकेओ की अधिप्राप्ति के लिए निर्णय आर्थिक रूप से मितव्ययी नहीं था तथा अपनी सहयोगी कम्पनियों (एनआरएल) के साथ कंपनी को ₹ 8.23 करोड़ के परिहार्य व्यय का वहन करना पड़ा।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा गेल (इंडिया) लिमिटेड

11.2 ऐसी संयुक्त उद्यम कम्पनियों के लिए गैर-सरकारी कम्पनियों का स्टेटस पाने हेतु सयुंक्त उद्यम में सरकारी कम्पनियों द्वारा नोवल वित्तपोषण दृष्टिकोण

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) तथा गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल) ने दो निजी संयुक्त उद्यम कम्पनियों (जेवीसीज) को संवर्धित किया तथा मार्च 2004 से मार्च 2012 तक 'एप्लिकेशन मनी पेंडिंग एलोटमेंट' तथा 'इक्विटी के प्रति अग्रिम' के रूप में ₹ 89.96 करोड़[1] (प्रत्येक को ₹ 44.98 करोड़) की निधि को नि:शुल्क बढ़ाकर उनकी परियोजनाओं को वित्तपोषित किया। निजी जेवीसीज ने अग्रिमों को इक्विटी में परिवर्तित नहीं किया था। इसका समापन एचपीसीएल तथा गेल द्वारा जेवीसीज को किसी ब्याज अथवा लाभांश की प्राप्ति के बिना अनुचित लाभ के विस्तार के रूप में हुआ क्योंकि जेवीसीज ने अग्रिमों को इक्विटी में परिवर्तित नहीं किया था। मार्च 2004 से 28 फरवरी 2014 तक ऐसी निधियों पर एचपीसीएल तथा गेल के लिए ब्याज की परिहार्य हानि ₹ 66.49 करोड़[2] थी।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) तथा गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल) ने (क) आंध्र प्रदेश तथा (ख) मध्य प्रदेश के क्रमश: शहरो तथा कस्बों में परिवहन, घरेलू, वाणिज्यिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों में उपयोग हेतु पर्यावरण हितैषी ईधंनों (ग्रीन ईधन[3]) के वितरण तथा विपणन के लिए दो संयुक्त उद्यम कम्पनियों (जेवीसीज) के गठन हेतु नवम्बर 2002 तथा नवम्बर 2005 में दो संयुक्त उद्यम करार (जेवीएज) किए।

[1] *एचपीसीएल तथा गेल द्वारा प्रत्येक को ₹ 44.98 करोड़।*

[2] *एचपीसीएल को ₹ 33.23 करोड़ तथा गेल को ₹ 33.26 करोड़।*

[3] *पीएनजी, सीएनजी तथा ऑटो एलपीजी*

जेवीएज ने अनुबंधित किया कि दोनों जेवीसीज कम्पनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम) की धारा 617 के तहत परिकल्पित रूप में न तो सरकारी कम्पनी बनेगी और न ही वो कम्पनी बनेगी जिसके लिए अधिनियम की धारा 619बी के प्रावधान लागू होगें। तदनुसार, दोनों निजी जेवीसीज के मेमोरेंडम तथा आर्टिकल्स की एसोसिएशन (एमएवंएओए) का गठन किया गया तथा भाग्यनगर गैस लिमिटेड (बीजीएल) तथा अवन्तिका गैस लिमिटेड (एजीएल) नामत: दो निजी जेवीसीज को क्रमश: 22 अगस्त 2003 तथा 07 जून 2006 को निगमित किया गया। जेवीसीज की पूंजीगत संरचना जेवीएज में परिकल्पित (नवम्बर 2002) के अनुसार थी तथा वास्तविक पूंजीगत संरचना जो प्रकट हुई (जुलाई 2013) वह निम्नानुसार थी:

जेवी का नाम	**निगमन की तिथि**	**भागीदारों के नाम तथा करार के अनुसार उनका भाग**		**भागीदारों के नाम तथा उनका वास्तविक भाग**	
		भागीदारों का नाम	**शेयर**	**भागीदारों का नाम**	**शेयर**
भाग्यनगर गैस लिमिटेड (बीजीए)	22 अगस्त 2003	एचपीसीएल एवं गेल	22.50 *प्रतिशत* प्रत्येक	एचपीसीएल एवं गेल	25 *प्रतिशत* प्रत्येक
		वित्तीय संस्थान/निजी पक्ष/सामान्य जन	50 *प्रतिशत*	मै. ककींदा सीपोर्ट लिमिटेड	50 *प्रतिशत*
		आध्र प्रदेश सरकार (जीओएपी)	5 *प्रतिशत*		
अवन्तिका गैस लिमिटेड (एजीएल)	07 जून 2006	एचपीसीएल एवं गेल	22.50 *प्रतिशत* प्रत्येक	एचपीसीएल एवं गेल	25 *प्रतिशत* प्रत्येक
		सामरिक निवेशक/ सार्वजनिक/वित्तीय सस्थांन	50 *प्रतिशत*	आईएल एवं एफसी इंवेस्टमेंट मैनेजर्स लिमिटेड	16.50 *प्रतिशत*
		मध्य प्रदेश सरकार (जीओएमपी)	5 *प्रतिशत*	मै. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसिज लिमिटेड	16.50 *प्रतिशत*
				मै. आईडीएफसी लिमिटेड	7 *प्रतिशत*
				अन्य	10 *प्रतिशत*

दोनों निजी जेवीसीज (अर्थात् बीजीएल तथा एजीएल) जिनमें से प्रत्येक में एचपीसीएल तथा गेल की संयुक्त रूप से 50 प्रतिशत हिस्सेदारी थी, को प्रत्येक की ₹ 5 लाख प्रदत्त पूँजी सहित सम्मिलित किया गया। एचपीसीएल तथा गेल ने प्रदत्त पूँजी की ओर प्रत्येक जेवीसीज में ₹ 1.25 लाख का योगदान दिया तथा बाद में, मार्च 2004 तथा 2012 की अवधि के दौरान 'धन लंबित आबंटन एप्लिकेंशन' तथा 'इक्विटी के प्रति अग्रिम' (दोनों को इसके आगे अग्रिम के रूप में संदर्भित किया गया) की ओर जेवीसीज में ₹ 89.96 करोड़* (प्रत्येक जेवी में ₹ 44.98 करोड़) तक निधियां नियत की। बीजीएल अथवा एजीएल द्वारा 28 फरवरी 2014 तक इन अग्रिमों की प्राप्ति के प्रति न तो कोई शेयर आंबटित किया गया तथा न ही शेयर प्रमाणपत्र जारी किया गया। फरवरी 2014 तक, इन अग्रिमों में कुछ नौ वर्ष पहले के थे जैसाकि नीचे तालिका से देखा जा सकता है:

बीजीएल			**एजीएल**		
अग्रिम विस्तार की तिथि	**इक्विटी के प्रति अग्रिम (₹ करोड़ में)**		**दिनांक**	**इक्विटी के प्रति अग्रिम (₹ करोड़ में)**	
	एचपीसीएल	गेल		एचपीसीएल	गेल
1 मार्च 2004	4.98		29 नवम्बर 2006	2.00	
13 मार्च 2006	5.00		14 दिसम्बर 2007	11.50	
13 मई 2008	6.00		22 अगस्त 2009	8.99	
28 अक्तूबर 2009	5.00		18 मई 2007		2.00
25 फरवरी 2011	1.51		26 अक्तूबर 2007		11.50
31 जुलाई 2005 से पहले		4.98	18 अगस्त 2009		8.99
10 मार्च 2006		5.00			
03 अप्रैल 2008		7.50			
10 अगस्त 2009		5.01			
31 मार्च 2012		0.0025			
जोड़	**22.49**	**22.49**	**जोड़**	**22.49**	**22.49**

इसके अतिरिक्त, एचपीसीएल ने 2011-12 के दौरान बीजीएल को ₹ 90 करोड़ का अतंरिम ऋण भी प्रदान किया।

** आवेदन धन लंबित आबंटन के रूप में ₹ 9.96 करोड़ सहित बीजीएल को इक्विटी के प्रति अग्रिम ₹ 35.02 करोड़ तथा एजीएल को इक्विटी के प्रति अग्रिम की ओर ₹ 44.98 करोड़।*

लेखापरीक्षा की जांच से पता चला कि:

- एचपीसीएल तथा गेल ने इक्विटी शेयर के आबंटन में विलम्ब के मामलें का अनुसरण नहीं किया तथा जेवीसीज (बीजीएल एवं एजीएल) के साथ प्रभावी रूप से अग्रिमों के प्रति आवश्यक शेयर प्रमाणपत्र जारी नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप, इन निजी जेवीसीज के लिए या तो 'धन लंबित आबंटन एप्लिकेशन' या 'इक्विटी के प्रति अग्रिम' की ओर एचपीसीएल तथा गेल द्वारा ₹ 89.96 करोड़ की कुल राशि को फरवरी 2014 तक 2 से 9 वर्षों के बीत जाने के बावजूद भुगतान की गई इक्विटी पूँजी में परिवर्तित नहीं किया गया था। इसने जेवीसीज को गैर-सरकारी कम्पनी के रूप में जारी रखने तथा सरकारी कम्पनियों अर्थात् एचपीसीएल तथा गेल द्वारा किसी ब्याज अथवा लाभांश का भुगतान किए बिना उनके निपटान पर नियत सार्वजनिक निधियों का उपयोग करने में सक्षम बनाया।

- एचपीसीएल तथा गेल ने यह सुनिश्चित किए बिना इन जेवीसीज के अग्रिमों को बढ़ाया कि अन्य इक्विटी शेयरधारकों ने जेवीसीज के अन्दर इक्विटी पूँजी के बराबर अपने शेयर को भरा ताकि इन जेवीसीज के गठन के संबंध में एचपीसीएल तथा गेल बोर्ड तथा सहयोगी भागीदारों के बीच शेयरधारण करार के विश्लेषण के उनके संबंधित एम एंड एओए के अनुसार, प्रत्येक जेवीसी की भुगतान की गई इक्विटी पूँजी में प्रत्येक भागीदार के शेयर को जारी रखा जाए। क्या एचपीसीएल अथवा गेल द्वारा प्रदत्त किए गए अग्रिमों को प्रदत्त पूँजी में परिवर्तित किया गया था। जेवीसीज को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के संदर्भ में सरकारी कम्पनियों में परिवर्तित किया जाएगा।

- 12 दिसम्बर 2003 से बीजीएल की प्राधिकृत पूँजी में ₹ 20 करोड़ तक वृद्धि हुई जो आगे 21 सितम्बर 2007 से ₹ 100 करोड़ तक बढ़ गई। तथापि, दिसम्बर 2003 तथा सितम्बर 2007 के बीच, एचपीसीएल बोर्ड बीजीएल के अन्दर ₹ 4.50 करोड़ (इसका स्वीकृत शेयर 22.50 प्रतिशत रहे) से अधिक न होने वाली इक्विटी पूँजी का निवेश करने तथा उस सीमा तक इक्विटी की ओर अंशदान हेतु पत्र द्वारा की गई कॉल के अधीन समाधित कर सकता है। यद्यपि, एचपीसीएल बोर्ड ने बीजीएल में ₹ 18.20 करोड़ निवेश को समाधित किया (28 जुलाई 2005), तथापि, उस तिथि तक उस सीमा तक के लिए अपनी इक्विटी के अन्दर निधियों के निवेश के लिए बीजीएल ने 'कॉल' नहीं की थी। सम्बद्धता से, बोर्ड के

इस समाधान को एचपीसीएल द्वारा (बोर्ड को किसी नए संदर्भ के बिना) बीजीएल को इक्विटी के प्रति अग्रिमों के विस्तार में यह सुनिश्चित किए बिना उपयोग किया गया कि अन्य सभी भागीदारों ने भी बीजीएल के एम एवं एओए तथा सभी सहयोगी भागीदारों के बीच शेयरधारण करार के अनुसार बीजीएल की इक्विटी में उनके शेयर की प्रतिशतता बनाए रखने के लिए उनके बराबर शेयर में योगदान दिया।

- 07 जून 2006 को अपने समावेश से एजीएल की प्राधिकृत पूँजी ₹ 100 करोड़ थी। एचपीसीएल बोर्ड ने एजीएल की इक्विटी पूँजी में ₹ 22.50 करोड़ (इसके अधिकतम शेयर का 22.5 प्रतिशत) निवेश करने के लिए एक बार समाधान किया, (28 अक्टूबर 2005) तथापि इक्विटी के रूप में निधि निवेश करने के लिए एचपीसीएल पर मांग उस सीमा तक नहीं थी। इस मामलें में भी, एचपीसीएल ने एजीएल को इक्विटी के प्रति अग्रिमों के विस्तार में बोर्ड के इस समाधान (बोर्ड को किसी नए संदर्भ के बिना) को यह सुनिश्चित किए बिना उपयोग किया कि अन्य सभी भागीदारों ने एजीएल के एम एंड एओए तथा सभी सहयोगी भागीदारों के बीच शेयरधारण करार के अनुसार उनके समान शेयर का सहयोग दिया।

- इस प्रकार, समाधान पारित होने के समय एचपीसीएल बोर्ड ने बीजीएल तथा एजीएल में निधियों के निवेश हेतु कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 292 के तहत अपनी शक्तियों का अविवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया क्योंकि उपरोक्त बिन्दु (iii) तथा (iv) में चर्चित रूप में उस सीमा तक उनकी इक्विटी पूंजी की ओर अंशदान हेतु बीजीएल तथा एजीएल से कोई कॉल नहीं थी। बोर्ड के इन समाधानों के परिणामस्वरूप अग्रिमों जिस पर एचपीसीएल ने फरवरी 2014 तक कम से कम 2 से 9 वर्षों हेतु कोई लाभांश (अग्रिम के इक्विटी के अन्दर परिवर्तित न होने के कारण) अथवा कोई ब्याज प्राप्त नहीं किया, के माध्यम से निजी जेवीसीज के अनुचित लाभ का विस्तार हुआ।

एचपीसीएल ने कहा (अगस्त 2013) कि:

- इक्विटी को 'इक्विटी के प्रति अग्रिम' के परिवर्तित न होने के संबंध में एजीएल को 12 जनवरी 2010, 13 अप्रैल 2011 तथा 19 अप्रैल 2012 को ईमेल तथा पत्र और बीजीएल को 06 जनवरी 2011, 04 फरवरी 2011, 11 फरवरी 2011 को ईमेल/पत्र भेजे गए; और

- बीजीएल तथा एजीएल पर इक्विटी सिन्डिकैशन प्रक्रिया को देश में गैस की कम उपलब्धता के कारण अभी तक पूर्ण नहीं किया गया था। जैसाकि बीजीएल तथा एजीएल हेतु एचपीसीएल तथा गेल के बीच हुए जेवीएज ने अनुबंधित किया कि बीजीएल तथा एजीएल एक जेवीसी की प्रत्येक विशेषता को बनाए रखेगें तथा एक सरकारी कम्पनी नहीं बनेगें परन्तु इक्विटी के प्रति अग्रिम के रूप में राशि में सहयोग देने के लिए अन्य कोई विकल्प नहीं बचा ताकि बीजीएल तथा एजीएल का सामान्य परिचालन जारी रहे।

निम्नलिखित के सदंर्भ में एचपीसीएल के उत्तर की समीक्षा करने की आवश्यकता है:

- 'इक्विटी के प्रति अग्रिमों' के इक्विटी में परिवर्तित न होने के संदर्भ में बीजीएल तथा एजीएल प्रेषणों को एचपीसीएल द्वारा संभावित तिथि जिससे ये अग्रिम इक्विटी में परिवर्तित होगें, के विषय में सूचना मांगने के लिए त्रैमासिक खातों के प्रमाणन के समय पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के कहने पर भेजा गया था। एचपीसीएल इक्विटी को निरंतर अतिरिक्त अग्रिम का भुगतान करती रही, हालांकि महत्वपूर्ण अग्रिम परिवर्तन हेतु शेष रहा।

- एचपीसीएल एवं जीएआईएल द्वारा प्रवर्तित निजी जेवीसी द्वारा अग्रिमों का इक्विटी में गैर-परिवर्तन जेवीसी को सरकारी कम्पनियों को बिना लाभांश अथवा ब्याज चुकाएं सार्वजनिक निधियों के उपयोग के लिए सक्षम करता है और निरंतर बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के दण्ड मुक्त सार्वजनिक निधियों का उपयोग करते हुए निजी कम्पनियों के पद का उपयोग करता है।

- इक्विटी सिंडिकेशन प्रक्रिया का लंबित समापन उनकी परिचालन आवश्यक्ताओं का ध्यान रखने हेतु दो जेवीसी के निधियन का दायित्व सभी शेयरधारकों पर सुपुर्द होता है। अत: एचपीसीएल और जीएआईएल को सुनिश्चित कर लेना चाहिए था कि अन्य भागीदारों ने भी उनके शेयर के अनुपालन में ऐसे अग्रिमों को विस्तारित किया है।

इस प्रकार, दो निजी क्षेत्र जेवीसी (अर्थात बीजीएल और एजीएल) की परियोजनाएं एचपीसीएल और जीएआईएल द्वारा सभी सहायक भागीदारों द्वारा सुमेलन इक्विटी सम्मिश्रण सुनिश्चित किए बिना 'आवेदन राशि लंबित आवंटन' और 'इक्विटी के विरूद्ध अग्रिम' के रूप में सार्वजनिक निधियों के विस्तारण द्वारा वित्तपोषित की गई थी। इसके परिणामस्वरूप, (₹ 89.96 करोड़) के परिणामी अवरोध के साथ इन जेवीसी को ब्याज-

मुक्त निधियों के अनुचित लाभ के विस्तारण और एचपीसीएल और जीएआईएल को 28 फरवरी 2014 तक (₹ 66.49 करोड़*) का परिहार्य ब्याज हानि हुई थी। जब तक इस प्रकार के अग्रिम प्रदत्त शेयर पूंजी में परिवर्तित अथवा जेवीसी द्वारा एचपीसीएल और जीएआईएल को लौटाए नहीं जाते, तब तक निजी जेवीसी को अनुचित लाभ एवं ब्याज की परिणामी हानि निरंतर होती रहेगी।

एचपीसीएल के संदर्भ में मामले की दिसम्बर 2013 में मंत्रालय को सूचना दी गई थी; उत्तर (मार्च 2014) को प्रतीक्षित था। यह मामला (मार्च 2014) में गेल को भी भेजा गया था और उत्तर अभी (मार्च 2014) प्रतीक्षित था।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

11.3 अनुबंध शर्तों में छूट के कारण अतिरिक्त लागत

अनुबंध शर्तों में छूट का उद्देश्य, जो कि कैप्टिव पावर प्लांट के सामयिक समापन को सुनिश्चित करना था, पूरा नहीं हुआ और ₹ 194.10 करोड़ की अतिरिक्त लागत लगी थी।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) पारादीप, उड़ीसा (पीडीआरपी) में एक 15 एमएमटीपीए आधारभूत रिफाइनरी स्थापित करने की प्रक्रिया में है। उर्जा की आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु, एक कैप्टिव पावर प्लांट स्थापित करने का निर्णय (मई 2009) लिया गया था और मै. भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) को सीपीपी के लिए नामांकन आधार पर चयनित किया गया था। बीएचईएल को सीपीपी के विन्यास के लिए सूचित किया गया था (जुलाई 2009) और चालू करने का अंतिम लक्ष्य जनवरी 2012 निर्धारित किया गया था।

बीएचईएल ने कहा है कि नियत कार्यक्रम को पूरा करने के लिए सभी प्रयास एवं प्रयत्न किए जायेंगे। यह भी कहा गया कि तथापि इसे उप-विक्रेताओं को बड़ी वित्तीय वचन बद्धताएं देनी होंगी। बीएचईएल को सीपीपी के कार्यान्वयन के लिए उप-विक्रेताओं को आंतरिक आदेश देने हेतु सक्षम बनाने के लिए ब्याज मुक्त ₹ 120 करोड़ का तदर्थ अग्रिम दिया गया था (अगस्त 2009)। 31 जुलाई 2009 को सीपीपी के लिए सामान्य संविदा

** 2002 से 2013 तक की अवधि के लिए वार्षिक ब्याज दर 12 प्रतिशत लागु की गई है (ब्याज की औसत नकद श्रण दर पर)*

शर्तों (जीसीसी) समाविष्ट निविदा दस्तावेज़ बीएचईएल को जारी किया गया था। बीएचइएल ने सित्मबर 2009 से नवम्बर 2009 के दौरान बोली दस्तावेज चार भागों में प्रस्तुत किए थे और जीसीसी से निम्न मुख्य विचलनों की मांग की थी (जनवरी 2010):

- कम्पनी द्वारा पहले से दिया गया ₹ 120 करोड़ का तदर्थ अग्रिम बीजी के विरूद्ध ब्याज मुक्त संघटित अग्रिम में परिवर्तित किया जाए। जीसीसी के खंड 8.2.1 के अनुसार संघटित अग्रिम सब्याज होना चाहिए।

- जीसीसी के क्लॉज़ 4.4.2.0 (xxi) के विरूद्ध यांत्रिक समापन में देरी की दशा में संविदा मूल्य का अधिकतम पांच *प्रतिशत* घटाया जाए, जिसमें निर्धारित किया गया था कि, यांत्रिक समापन में विलम्ब की दशा में, कम्पनी हासिल कार्यों में छूट द्वारा मूल्य समायोजन हेतु दर हफ्ते संविदा के मूल्य के आधे *प्रतिशत* पर अधिकृत थी और कटौती किसी भी दशा में संविदा के मूल्ये के 10 *प्रतिशत* से अधिक नहीं होनी चाहिए।

बीएचईएल की मांगे मान ली गई और सीपीपी को ठेका (फरवरी 2010) बीएचईएल को इस स्पष्टीकरण के साथ, कि कम्पनी के पास इस चरण पर कोई अन्य विकल्प नहीं था, ₹ 3,348.30 करोड़ (परियोजना प्रबंधन सलाहकार द्वारा तैयार किए गए लागत के अनुमान से 17.41 प्रतिशत अधिक) पर दिया गया। कम्पनी ने कहा कि (अक्तूबर 2013) क्योंकि बीएचइएल द्वारा नामांकन आधार पर सीपीपी लागू करने का निर्णय बोर्ड द्वारा पहले ही ले लिया गया था, यह महसूस किया गया कि विचलनों के लिए आपसी समझौता इस मुद्दे को हल करने का एकमात्र विकल्प था, अन्यथा सम्पूर्ण पीडीआरपी परियोजना कार्यक्रम को संकट में डालने का जोखिम था।

दिए गए ठेके के अनुसार, सीपीपी का चरण-I (एक जीटीजी और एचआरएसजी) का समापन सितम्बर 2011 को और पूर्ण समापन नवम्बर 2012 को निर्धारित था।

सीपीपी परियोजना के लिए हासिल की गई संचयी प्रगति (सितम्बर 2011) (चरण-I का निर्धारित समापन का महीना) तक केवल 11.8 प्रतिशत थी। बीएचईएल ने सितम्बर 2011 में निर्धारित समापन के प्रति 20 महीने की देरी से एक जीटीजी और एचआरएसजी (सीपीपी का चरण-I) क्रमश जुलाई 2012 और मई 2013 में तैयार किया। नवम्बर 2012

के निर्धारित समापन के प्रति बीएचईएल द्वारा कुल यांत्रिक समापन की प्रतिबद्धता नवम्बर 2013 से जून 2014 थी।

लेखापरीक्षा में जांच में यह पाया गया कि, एक ओर तो कंपनी ने कहा है कि सीपीपी परियोजना को अंतिम रूप देने में देरी करने से सम्पूर्ण पीडीआरपी परियोजना कार्यक्रम को संकट में डालने का जोखिम था, और दूसरी ओर कम्पनी ने उस विशिष्ट शर्त में, जो कि काम की सामयिक समाप्तिको सुनिश्चित करने के लिए थी, ढील दी अधिकतम कटौती, जो कि समापन में देरी की दशा में की जा सकती थी, को 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करके। इसके बाद, परियोजना के एक विशेष समय से परे देरी की दशा में कम्पनी लामबंदी अग्रिम पर ब्याज लगाने के लिए समझौते में एक क्लॉज डालने में भी असफल रही। इस प्रकार, इस संविदा को नामांकन आधार पर निर्धारित से उच्चतम मूल्य पर देने का उद्देश्य परास्त हो गया।

कम्पनी ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2013) कि बीएचईएल को बिना विचलन वाणिज्यिक शर्तों को स्वीकारने हेतु मनाने के लिए बहुत से प्रयास किए गए, किंतु समय बीत रहा था और सीपीपी के कार्य आदेश के जारी करने में देरी हो रही थी। इसके अलावा, बीएचईएल को औपचारिक आदेश जारी होने से पूर्व सीपीपी का कार्य आरंभ करने के लिए सक्षम करने के लिए, बीएचईएल के आग्रह पर अधिकतम मूल्य कटौती को 5 प्रतिशत तक घटाने और ब्याज मुक्त ₹ 120 करोड़ के तदर्थ लामबंदी अग्रिम को स्वीकार लिया गया था।

उत्तर को इस तर्क के प्रकाश में देखने की आवश्यकता है कि सीपीपी के सामयिक प्रारंभ को सुनिश्चित करने के लिए विचलनों के बावजूद, कम्पनी उसे हासिल नहीं कर सकी।

इसे ब्याज मुक्त ₹ 120 करोड़ के तदर्थ अग्रिम के विस्तारण के कारण ₹ 26.68 करोड़ की हानि हुई (सितम्बर 2009 से सितम्बर 2010 की अवधि के लिए ₹ 120 करोड़ पर और अक्तूबर 2010 से मार्च 2013 तक 8 प्रतिशत की दर से ह्रास शेष पर परिकलित किया गया था। अग्रिम की असमायोजित राशि ₹ 80.45 करोड़ (मार्च 2013) थी।

यदि कम्पनी ने यांत्रिक समापन में देरी की दशा में, 5 प्रतिशत के ब्याज संविदा मूल्य का 10 प्रतिशत मूल्य की कटौती की, यह बीएचइएल से ₹ 334.83 करोड़ वसूल सकती

थी। तथापि, रियायत शर्त के अनुसार, अधिकतम राशि जो कम्पनी वसूल सकती है केवल ₹ 167.42 करोड़ होगी।

कथित रियायतों पर अतिरिक्त लागत ₹ 194.10 करोड़ (₹ 26.68 करोड़ + ₹ 167.42 करोड़) थी। बीएचइएल को निर्धारित से उच्चतर मूल्य पर नामांकन आधार पर ठेका देने का सीपीपी के सामयिक समापन का मूल उद्देश्य अधूरा रह गया।

यह मामला मंत्रालय को नवम्बर 2013 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्रतिक्षित था (मार्च 2014)।

11.4 बिक्री प्रतिफल की कम वसूली

दिशानिदेर्शित मूल्य के नीचे भूमि की बिक्री के परिणामस्वरूप ₹ 25.24 करोड़ की कम वसूली हुई।

तमिलनाडु सरकार ने एलपीजी बौट्लिंग प्लांट की स्थापना करने हेतु 1996 में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) के लिए इन्नौर (चेन्नै) में 153.20 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया। कम्पनी ने 2001 में 40 एकड़ भूमि पर प्लांट स्थापित किया।

कम्पनी के निदेशक मंडल ने अगस्त 2007 में इंडियन ऑयल पेट्रोनास प्राइवेट लिमिटेड (आईपीपीएल), आईओसीएल और मलेशिया की पेट्रोनास की एक संयुक्त काश्तकार कम्पनी को आयात/निर्यातटर्मिनल परियोजना स्थापित करने के लिए अधिशेष भूमि (लगभग 110 एकड़) सौपंने हेतु ''सैद्धांतिक तौर पर अनुमोदन'' प्रदान किया। आईपीपीएल द्वारा आयात टर्मिनल के निर्माण हेतु कम्पनी के शेयर की ओर 31 मार्च 2013 तक ₹ 134 करोड़ का इक्विटी योगदान किया गया, कम्पनी के इक्विटी के 50% शेयर के प्रति भूमि के बाज़ार मूल्य के समायोजन किया गया। भूमि के मूल्यांकन के लिए कम्पनी ने गुरू कन्सल्टेंट और कैप्टन कालियामूर्ति नाम के सरकार द्वारा अनुमोदित दो मूल्य-निर्धारक नियुक्त किए।

गुरू कन्सल्टेंट ने (अक्तूबर 2007) लगभग 110 एकड़ भूमि का मूल्य मौजूदा परिसर की दीवार सहित ₹ 32.14 करोड़ लगाया और कैप्टन कालियामूर्ति ने (जून 2008) उसी भूमि का मूल्य उसके गुण और अवगुण ध्यान में रखते हुए ₹ 34.31 करोड़ लगाया।

बीओडी के अनुमोदन (जनवरी 2009) के पश्चात् कम्पनी ने इसकी अधिशेष 110 एकड़ भूमि आईपीपीएल को (जून 2009) ₹ 34.31 करोड़ में बेची। कम्पनी ने (अप्रैल 2010) आईपीपीएल में ₹ 268 करोड़ की कुल इक्विटी पूँजी के 50 प्रतिशत होने के नाते ₹ 134 करोड़ अभिदत्त किए, बाकि कीमत आंशिक रूप से 110 एकड़ भूमि के मूल्य जो कि ₹ 34.31 करोड़ था और शेष राशि जो कि ₹ 99.69 करोड़ थी नकद मे अदा करी।

लेखापरीक्षा जांच में यह पाया गया कि:

- भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 44-ए के अनुसार, कोई भी कम्पनी जिसके लिए कोई भूमि इस भाग के तहत अधिकृत की गई हो, उस भूमि या उसके किसी भी भाग को बिक्री, गिरवी, उपहार, पट्टे पर देना बिना उपयुक्त सरकार द्वारा पूर्व मंजूरी के अलावा किसी तरीके से भूमि का हस्तांतरण नहीं कर सकती। कम्पनी ने अधिशेष भूमि की बिक्री हेतु राज्य सरकार से मंजूरी प्राप्त नहीं की थी।
- बीओडी परियोजना की संशोधित लागत पर विचार करने के दौरन, निर्देश (दिसम्बर 2008) दिया कि चूँकि पहला अनुमान अगस्त 2008 में लगाया गया था, बाजार में गतिशीलता में बदलाव को देखते हुए भूमि के मूल्यांकन की गंभीरता से समीक्षा की आवश्यकता है।
- दूसरे मूल्य निर्धारण द्वारा अपनाये गये भूमि का मूल्य (जो कि स्वीकृत था) अगस्त 2007 में प्रचलित निर्देशित मूल्य पर आधारित था और लगभग 20 महीने की अवधि बिक्री कार्य के निष्पादन से पूर्व बीत चुकी थी। जून 2009 में बिक्री के समय भूमि का निर्देशित मूल्य ₹ 59.55 करोड़ था। तथापि, बिक्री प्रतिफल केवल ₹ 34.31 करोड़ था, जो कि द्वितीय मूल्य निर्धारक द्वारा निर्धारित था और जेवी में इक्विटी निवेष के अनुमोदन करते समय बोर्ड द्वारा विधिवत स्वीकार किया गया।

इस प्रकार, वर्तमान निर्देशित मूल्य की समीक्षा न करके, कम्पनी ने ₹ 25.24 करोड़ के अतिरिक्त बिक्री प्रतिफल पर बिक्री करने का अवसर खो दिया। उस प्रक्रिया में प्राइवेट सेक्टर ज्वांइट वेंचर पार्टनर को ₹ 12.62 करोड़ का अनुचित लाभ भी था।

कम्पनी ने कहा कि (अगस्त 2013) (क) भूमि की बिक्री का मुद्दा राज्य सरकार द्वारा इसलिए नहीं उठाया गया क्योंकि भूमि का उपयोग उस उद्देश्य हेतु हो रहा था जिसके लिए यह राज्य सरकार से उपार्जित की गई थी (ख) दूसरे मूल्य निर्धारक ने भूमि का

मूल्यांकन ₹ 30 लाख प्रति एकड़ लगाया था जो कि दोनों मूल्य निर्धारकों में से अधिक था, को स्वीकृत किया गया था।

कम्पनी का उत्तर निम्न के मद्देनजर स्वीकार्य नहीं है:

- भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अनुसार कम्पनी को राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक था, जो कंपनी ने प्राप्त नहीं करी।
- कम्पनी दूसरे मूल्य निर्धारक की रिपोर्ट पर निर्भर थी जो कि अगस्त 2007 में प्रचलित भूमि के निर्देशित मूल्य पर आधारित था। बिक्री के समय पर (जून 2009) निर्देशित मूल्य ₹ 59.55 करोड़ था। कम्पनी ने ₹ 59.55 करोड़ के बिक्री प्रतिफल की मांग क्यों नहीं कि के कारण, आगामी नहीं थे।

इस प्रकार कम्पनी ने उस भूमि को बेचा जिसमें इसके ₹ 25.24 करोड़ के अतिरिक्त राजस्व कमाने का अवसर खो दिया था, जिसका मूल्य बिक्री के समय निर्देशित मूल्य के अनुसार निर्धारित नहीं किया गया था। इस प्रक्रिया में कम्पनी ने प्राइवेट सेक्टर ज्वाइंट वेचंर पार्टनर की ₹ 12.62[1] करोड़ का अनुचित लाभ विस्तारित किया।

यह मामला मंत्रालय को दिसम्बर 2013 में सूचित किया गया। उनका उत्तर प्रतिक्षित था (मार्च 2014)।

11.5 उत्पाद की अमितव्ययी संचलन के कारण हानि

एचएसडी के अमितव्ययी संचलन के कारण कम्पनी की ₹ 5.03 करोड़ की हानि हुई

बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 (बीवीएटी) की धारा 13(2)(क) विभागीय अधिसूचना सं. एस.ओ. 43 दिनांक 4 मई 2006 के साथ पठित के अनुसार मूल्य वर्धित कर तेल कम्पनियों द्वारा खुदरा व्यापारी या सीधे उपभोक्ताओं को इस प्रकार के उत्पादों की बिक्री के समय हाई स्पीड डीज़ल ऑयल (एचएसडी) पर लगाया जाता है। तथापि, इस प्रकार का कोई भी वैट तेल कम्पनियों के बीच इस प्रकार के उत्पादों की बिक्री पर नहीं लगाया जाता। बिहार प्रवेश कर अधिनियम 1993[2] के अनुसार, प्रवेश कर बिहार में

[1] *(₹ 59.55 करोड़ - ₹ 34.31 करोड़) * 50/100*

[2] *स्थानीय क्षेत्रों में खपत, उपयोग या बिक्री आदि हेतु माल के प्रवेश पर बिहार कर अधिनियम, 1953*

बाहर के राज्य से प्रवेश कर रहे विशिष्ट माल पर देय है एवं इस प्रकार का प्रवेश कर बीवीएटी के तहत माल की बिक्री से उत्पन्न वैट देयता के विरूद्ध निर्धारित किया जा सकता है। इस प्रकार एक तेल कम्पनी द्वारा दूसरी/अन्य तेल कम्पनी को बिहार के बाहर से लाकर एचएसडी बेच जाने की दशा में विक्रेता द्वारा देय प्रवेश कर समंजन की कोई गुंजाइश नहीं है।

अगस्त 2011 के दौरान, इंडियन आयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) ने अन्य तेल कम्पनियों[1] को इसके पटना टर्मिनल से 26618 केएल एचएसडी बेचा जिसमें 9360 केएल बिहार के बाहर जोकि हल्दिया पश्चिम बंगाल से लाया गया था जिसके लिए कम्पनी ने ₹ 5.37 करोड़ का बिहार प्रवेश कर भुगतान किया। जैसेकि अन्य तेल कम्पनियों को 26618 केएल के एचएसडी की बिक्री पर कोई वैट आरोप्य नहीं था, ₹ 5.37 करोड़ के उपरोक्त प्रवेश कर का कम्पनी द्वारा समंजन नहीं हो सका। यह भी देखा गया कि कम्पनी के पास इसके बिहार में स्थित बरौनी विपणन टर्मिनल पर एचएसडी का पर्याप्त स्टॉक था जहां से यहां तक कि ₹ 0.34[2] करोड़ की परिवहन लागत वसूल कर भी पटना में स्थित अन्य तेल कम्पनियों को 9360 केएल एचएसडी की आपूर्ती की जा सकती थी। इस प्रक्रिया में कम्पनी अतिरिक्त परिवहन लागत अवशोषित करने के बाद भी ₹ 5.03 करोड़ (₹ 5.37 करोड़ - ₹ 0.34 करोड) बचा सकती थी।

कम्पनी ने कहा कि (नवम्बर 2013) पटना स्थित बरौनी उदगम में एचएसडी के स्टॉक में कमी थी और पटना में उपलब्ध एचएसडी को अन्य ओएमसी में उदगम की परवाह किए बिना आपूर्ती करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह तर्क स्वीकार्य नहीं है जैसाकि अगस्त 2011 के पूरे महीने बरौनी विपणन टर्मिनल पर एचएसडी का पर्याप्त स्टॉक था जहां से 9306 के एल एचएसडी पटना में अन्य तेल कम्पनियों को उपलब्ध कराया जा सकता था। कम्पनी ने आगे यह तर्क दिया कि अनुबंधित टैंक ट्रक के अभाव में बरौनी से पटना एचएसडी की सड़क संचलन नहीं हो सकती थी। उत्पाद आवागमन में

[1] ***20522 के एल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और 6096 (केएल) हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को।***

[2] ***पटना और बरेली के बीच सहक परिवहन खर्च (2 x 107 कि.मी. x 9360 के एल x 1.6950 प्रति के एल प्रति कि.मी. ₹ 33.95 लाख)***

अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, यह भी स्वीकार्य नहीं था कि कम्पनी एचएसडी के सड़क परिवहन की व्यवस्था कर सकती थी और ₹ 5.03 करोड़ की हानि से बच जाती।

इस प्रकार, उत्पाद के अभितव्यथी संचलन के कारण, कम्पनी को ₹ 5.03 करोड़ की हानि हुई।

यह मामला मंत्रालय को नवम्बर 2013 में सूचित किया गया; उनका उत्तर प्रतिक्षित था (मार्च 2014)।

11.6 दोषयुक्त अधिप्राप्ति प्रक्रिया के कारण अतिरिक्त व्यय

कम्पनी ने विक्रेताओं पर दायित्वों को पूरा करने की उनकी वित्तीय साख और क्षमता पर विचार किए बिना दुबारा आदेश दिए, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 30.68 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ और दो वर्ष का अधिक समय लगा।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) ने उड़ीसा में पारादीप रिफाइनरी शुरू करने हेतु, खरीद आदेशों को सुचारू, प्रभावी और कुशलतापूर्वक जारी करने के लिए अधिप्राप्ति प्रक्रिया (जून 2009) का एक विशेष सेट का गठन किया। इस अधिप्राप्ति प्रक्रिया के अनुसार, परियोजना सलाहकार द्वारा प्रस्तुत मास्टर सप्लायर लिस्ट (एमएसएल) को कम्पनी द्वारा पूर्व परियोजना के संदर्भ में विक्रेता के साथ अनुभव के आधार पर अंतिम रूप दिया जाना था। अनुमोदित एमएसएल में शामिल सभी आपूर्तिकर्ता, बिना शॉप सर्वे अथवा मूल्यांकन के, वस्तु के लिए योग्य समझे जाने थे।

लेखापरीक्षा जांच में यह पाया गया कि आदेश देने के लिए वित्तीय साख और विक्रेताओं के हाथ में समवर्ती आदेशों को ध्यान में नहीं रखा गया। इसके बाद, एमएसएल को अंतिम रूप देने के दौरान, प्रत्येक विक्रेता के प्रति आदेशों के बंचिंग से बचने हेतु, आदेश देने के लिए कोई मौद्रिक सीमा निश्चित नहीं की गई थी। कम्पनी ने बिना वित्तीय साख एवं आपूर्ती दायित्वों को पूरा करने की क्षमता का मूल्यांकन किए बिना उन्हीं विक्रेताओं को दोबारा आदेश दिए जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त व्यय के साथ-साथ महत्वपूर्ण अधिक समय लगा:

एयर कूल्ड हीट एक्सचेंजर (एसीएचइ) की अधिप्राप्ति हेतु, जून 2009 में 10 विक्रेताओं वाली एमएसएल को अंतिम रूप दिया गया। अनुमोदित एमएसएल में सभी विक्रेताओं से (जुलाई 2009) सीमित निविदाओं को आमंत्रित किया गया। जॉर्ड इंजीनियर इंडिया

लिमिटेड (जेईआईएल) दस विक्रेताओं में से एक थी जिसकी निवल सम्पत्ति 2006-07 से आगे नकारात्मक थी।

तकनीकी आवश्यक्ताओं की स्वीकृति और जेईआइएल द्वारा न्यूनतम बोली के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए ₹ 23,63 करोड़ के मूल्य का 28 अप्रैल 2010 को आठ एसीएचई की आपूर्ति हेतु स्वीकृति का फैक्स (एफओए) जारी किया गया। 12 मई 2010 तक जेईआईएल को सात एसीएचई के लिए ₹ 5.69 करोड़ मूल्य के तीन और एफओए जारी किए गए।

एफओए की शर्तों के अनुसार, खरीद आदेश के मूल्य के 10 प्रतिशत के समतुल्य निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) एफओए से 45 दिनों के भीतर जेईआईएल द्वारा प्रस्तुत की जानी थी और 9 से 13 महीनों में माल सुपुर्द करना था। इसके बाद 4 से 6 हफ्तों में आरेखण भी प्रस्तुत करने थे। तथापि जेइआइएल पीबीजी को प्रस्तुत करने में विफल रहा और सभी खरीद आदेशों के संदर्भ में आरेखणों को प्रस्तुत करने में देरी की।

पीबीजी और आरेखणों की प्रस्तुति में जेईआइएल की विफलता के बावजूद, आठ एसीएचई के लिए ₹ 24.49 करोड़ मूल्य के तीन और खरीद आदेश सितम्बर 2010 से दिसम्बर 2010 के दौरान जेइआइएल को दिए गए। कोड 2* के तहत जेईआइएल के आरेखण सित्मबर 2011 में अनुमोदित किए गए अर्थात पहले चार आदेशों की सुपुर्दगी अवधि की समाप्ति के बाद। जेईआईएल ने वित्तीय बाधाएं जाहिर की और भुगतान की शर्तों में परिवर्तन के माध्यम से अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग की (अक्तुबर 2011)। इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया और निम्नांकित अतिरिक्त वित्तीय सहायता पर सहमति हुई:

- खरीद आदेश की शर्तों के अनुसार, एफओए से 45 दिनों के भीतर के बजाय 10 प्रतिशत के अंतिम भुगतान के दौरान जेइआइएल द्वारा निष्पादन बैंक गारंटी का प्रस्तुतीकरण।
- दस्तावेजों के प्रेषण के प्रति आदेश मूल्य के 80 प्रतिशत हेतु साख पत्र (एलसी) द्वारा यथानुपात भुगतान करना।

** उत्पादन गतिविधियां प्रारंभ करने के लिए कोड 2 के तहत आरेखणों का अनुमोदन पर्याप्त समझा गया।*

- नई बैंक गारंटी के प्रस्तुतीकरण की जगह कम्पनी की गुजरात रिफाइनरी के खरीद आदेश के लिए वर्तमान बैंक गारंटी के प्रति आरेखणों के अनुमादन पर ₹ 2.69 करोड़ का अग्रिम (नवम्बर 2011) दिया गया।

इस वित्तीय सहायता के बाद भी जेइआईएल एसीएचई को सम्पूर्ण रूप में वितरित करने में विफल रही और केवल 42 पंखों की आपूर्ति की, जो कि केवल खरीदे गई वस्तुएं थी। तदनुसार, कम्पनी ने जेइआईएल परिसर में उपलब्ध सामग्री और इसके कार्यान्वित करने के आदेशों की सक्षमता का मूल्यांकन करने के पश्चात शेष सामग्री के लिए सभी आदेशों को ऑफलोड करने का निर्णय लिया। कम्पनी ने इसके निदेशक मंडल को यह बता दिया कि (सितम्बर 2012) अतिरिक्त व्यय की वसूली की संभावनाएं निराशाजनक है; हालांकि जेइआईएल की कीमत और जोखिम पर नये आदेश दिए जाने थे। शेष कार्य की पुन: निविदा की गई और अन्त में मूल आदेशों से ₹ 21.75 करोड़ तक उच्चतर मूल्य पर (अक्तूबर से दिसम्बर 2012) दिया गया। कम्पनी ने जेइआईएल पर ₹ 33.46 करोड़ का दावा किया (पर्यवेक्षण की लागत और आईओसीएल द्वारा तृतीय पक्ष विक्रेताओं को मुफ्त निर्गम सामग्री की लागत सहित)। ₹ 9.44 लाख मूल्य के दो चालानों के प्रति भुगतान नहीं किया गया था और कम्पनी द्वारा (नवम्बर 2012) ₹ 2.69 करोड़ की बैंक गारंटी भुनाई गई थी।

जेइआईएल के साथ इसके खराब अनुभव के बावजूद, एयर कूल्ड हीट एक्सचेंजर की शेष सामग्री की पुन: निविदा करने पर, जनवरी 2010 से जनवरी 2011 के दौरान सभी तेरह खरीद आदेशों के संदर्भ में उनके खराब निष्पादन पर विचार किए बिना कम्पनी ने 14 एसीएचइएस के लिए (जेईआईएल को आदेश दिए गए 23 एसीएचईज में से) जीइआई इंडस्ट्रियल सिस्टम लिमिटेड (जीइआईआईएसएल) पर ₹ 50.96 करोड़ मूल्य के (अक्तूबर 2012) तीन आदेश दिए। संविदात्मक सुपुर्दगी की तारीख से 10 से 18 महीने बीत जाने के बावजूद ₹ 47.46 करोड़ के मूल्य के सात पीओ अगस्त 2012 में सुपुर्दगी हेतु लंबित थे। क्योंकि वित्तीय कमी के कारण जीइआईआईएसआईएल नये आदेशों के संबंध में सामग्री की आपूर्ति नहीं कर पाया वित्तीय सहायता यथा खरीद आदेश के मूल्य के 10 प्रतिशत का तदर्थ अग्रिम, एफओए से 45 दिन के भीतर के बजाय 10 प्रतिशत अंतिम भुगतान करने के पूर्व निष्पादन बैंक गारंटी के प्रस्तुतीकरण और सह-विक्रेताओं को प्रत्यक्ष भुगतान उन्हें दी गई। तब भी दिसम्बर 2013 तक किसी भी खरीद आदेश के

प्रति जीइआईआईएसआई ने पूर्ण सामग्री की आपूर्ति नहीं की हालांकि निर्धारित सुपुर्दगी अवधि मार्च 2013 से जून 2013 तक थी।

मंत्रालय ने कहा (जनवरी 2014) कि-

- समवर्ती आदेशों और कम्पनी में मौद्रिक अधिकतम सीमा तय करने पर कोई ध्यान नहीं दिया गया जो कि सम्पूर्ण अधिप्राप्ति प्रक्रिया को बहुत व्यक्तिपरक बना देता है और निष्पक्षता और पारदर्शिता के आधार पर एक सार्वजनिक खरीद के माहौल में व्यवहारिक नहीं था।

- क्योंकि इस क्षेत्र में वहां केवल सीमित विक्रेता थे, जिसमें से एक विक्रेता ऑफलोड होने की प्रक्रिया में था, तो सूची में कांट-छांट करना और जीइआईआईएसएल को अनदेखा करना संभव नहीं था। इसके अलावा, कोई भी प्रतिकूल टिप्पणियां, वित्तीय और अन्य, प्रबंध परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता द्वारा कम्पनी के ध्यान में नहीं लाई गई थी।

- यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि अनुगामी अच्छे अधिप्राप्ति प्रक्रिया के बावजूद विक्रेता निष्पादन में विफल रहे, परंतु इतनी बड़ी परियोजनाओं में, इस प्रकार की परिस्थितियों में जाने से बचना पूर्ण रूप से संभव नहीं था।

मंत्रालय का उत्तर इन तर्कों के प्रति देखना आवश्यक है कि:

- कम्पनी की सामग्री प्रबंधन नियम पुस्तिका के अनुसार, पंजीकृत विक्रेताओं की सूची में विक्रेता को शामिल करने के पूर्व तकनीकी ज्ञान, उपकरणों, श्रम-शक्ति की उपलब्धता, वित्तीय स्थिति आदि के संबंध में पार्टियों की सक्षमता निर्धारित करने की आवश्यकता है यदि कम्पनी ने इसका अनुसरण किया होता, यह इस परिस्थिति से बच सकती थी।

- कम्पनी अपने विक्रेताओं की सूची के विस्तारण हेतु विश्व निविदाओं को आमंत्रित कर सकती थी।

- बिना किसी पृथक योग्यता प्रक्रिया के केवल परियोजना परामर्शदाता या कम्पनी के पूर्व अनुभव के आधार पर एमएसएल बनाने से आदेशों की पुनरावृत्ति हुई जिसके परिणामस्वरूप विक्रेता आपूर्ति करने में विफल रहे या आपूर्ति में विलम्ब हुआ।

इस प्रकार वित्तीय साख और विक्रेता द्वारा दायित्व पूरा करने की क्षमता पर विचार किए बिना दोषयुक्त अधिप्राप्ति/खरीद प्रक्रिया के कारण दुबारा खरीद आदेश दिए गए। इसके परिणामस्वरूप ₹ 30.68[1] करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ और दो वर्ष से अधिक समय के बावजूद आदेशित सामग्री प्रतीक्षित थी।

ऑयल एवं नैचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड

11.7 मानित निर्यात का लाभ ना उठाने के कारण परिहार्य व्यय

पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पीइएल)/खनन लाइसेंस (एमएल), प्रि-एनईएलपी और एनईएलपी ब्लॉक के तहत आने वाले योग्य क्षेत्रों में पेट्रोलियम ऑपरेशन में खपत हेतु 'मानित निर्यात' के अंतर्गत उत्पाद शुल्क के भुगतान से विदेशी व्यापार नीति हाई फ्लैश हाई स्पीड डीज़ल (एचएफएचएसडी) की खरीद में छूट देती है, यदि ऐसे एचएफएचएसडी अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (आईसीबी) के द्वारा खरीदे गए हों। ऑयल और नैचुरल गैस कोर्पोरेशन लिमिटेड ने 2006-13 के दौरान इसके योग्य क्षेत्रों में इनके पेट्रोलियम परिचालन हेतु बिना आईसीबी निविदा का सहारा लिए ₹ 326.75 का उत्पाद शुल्क का भुगतान करके एचएफएचएसडी खरीदे थे और उस सीमा तक मानित निर्यात लाभ उठाने में विफल रहे।

मार्च 2012 की सीमाशुल्क अधिसूचना पेट्रोलियम परिचालन के संबंध में उन क्षेत्रों में जहां 1 अप्रैल 1999 के बाद पीइएल/एमएल[2] जारी अथवा नवीनकृत हुए हैं और प्रि.एनइएलपी और एनईएलपी[3] ब्लाक में संचालन हेतु आवश्यक माल के आयात पर सीमाशुल्क कर के भुगतान में छूट देती है। विदेशी व्यापार नीति (2004-2009) 'मानित निर्यात' के तहत अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (आईसीबी) के विरूद्ध ऐसी वस्तुओं की खरीद पर उत्पाद शुल्क के भुगतान में छूट देती है। जबकि केन्द्रीय उत्पाद टैरिफ अधिनियम, 1985 (प्रथम अनुसूची-अधिसूचना संख्या 6/2006-सीई) इस प्रकार की माल पर लगे आधारभूत उत्पाद शुल्क भुगतान में छूट प्रदान करता है, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क भुगतान किया जाना था एवं प्रतिदाय हेतु विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) से एक मानित निर्यात लाभ (डीईबी) के रूप में दावा किया जाना था। या तो खरीददार या

[1] (₹ 33.46 करोड़ – (₹ 2.69 करोड़ + ₹ 0.09 करोड़)

[2] पीइएल/एमएल-पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस/खनन लाइसेंस

[3] एनइएलपी-नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति

आपूर्तिकार डी.जी.एफ.टी से अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की प्रतिदाय का दावा कर सकता था। बाद में, मार्च 2012 से यहाँ तक की अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के भुगतान में भी छूट दी गई थी।

तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (कम्पनी) पूर्वी एवं पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों में इसके पेट्रोलियम कार्यप्रणालियों के लिए हाई फलैश हाई स्पीड डीज़ल (एचएफएचएसडी) खरीदती रही है। जबकि पूर्वी अपतटीय क्षेत्र पूरी तरह से डीईबी हेतु निर्वाच्य पीईएल/एमएल अथवा एनईएलपी क्षेत्र थे, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों में दोनों योग्य एवं अयोग्य क्षेत्र शामिल होते हैं। इस प्रकार पूर्वी अपतटीय क्षेत्रों के लिए एचएफएचएसडी की सम्पूर्ण खरीद डीईबी के योग्य थी, जबकि पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों का एक बड़ा भाग उसके योग्य था।

कम्पनी ने हालांकि 2006-09 के दौरान नामांकन आधार पर सार्वजनिक क्षेत्रीय तेल विपणन कम्पनियों (ओएमसी) से एचएफएचएसडी खरीदे थे एवं इसके पूर्वी अपतटीय क्षेत्रों के लिए ₹ 17.72 करोड़ के उत्पाद शुल्क पर एक परिहार्य व्यय किया था। पूर्वी तटों पर हालांकि एमएल क्षेत्र का 95.33 प्रतिशत एवं कम्पनी का सम्पूर्ण पीईएल क्षेत्र डीईबी के लिए योग्य था, इसने समान अवधि के दौरान एचएफएचएसडी की खरीद पर ₹ 169.91 करोड़ के उत्पाद शुल्क का भुगतान किया था। जैस कि पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों के योग्य एवं अयोग्य क्षेत्रों में एचएफएचएसडी की खपत के विभाजन हेतु पृथक भण्डारण सुविधाएं कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं थी, लेखापरीक्षा पश्चिम अपतटीय में योग्य क्षेत्रों में, पूर्व निश्चित डीईबी परिमाणित नहीं कर सकी।

अगस्त 2009 में, इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने कम्पनी को यह सूचित किया कि एचएफएचएसडी बिना उत्पाद शुल्क का भुगतान किए खरीदे जा सकते थे एवं डीईबी का लाभ उठाया जा सकता था आईसीबी निविदा के द्वारा यदि यह विदेशी व्यापार नीति के प्रावधानों के तहत इन प्रावधानों के अंतर्गत एचएफएचएसडी की आपूर्ति हेतु आईओसीएल को प्रस्ताव दिया गया था। कम्पनी का कर परामर्शदाता भी इन प्रावधानों के अंतर्गत डीईबी की उपलब्धता की पुष्टि की (फरवरी/मार्च 2010)। मुम्बई हाई के लिए खनन पट्टा की पश्चिमी अपतट में स्थित है का अक्तूबर 2010 में सरकार द्वारा पुनः मंजूरी दी गई एवं इस प्रकार पश्चिमी अपतटों का अधिकतम क्षेत्र डीईबी के

लिए योग्य हो गया। मई 2010 में, कम्पनी ने पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्रों के लिए एचएफएचएसडी की खरीद के लिए एक आईसीबी टेंडर प्रारंभ करने एवं साथ-साथ पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों के लिए पृथक भण्डारण टैंक बनाने की सुविधाएं देने का निर्णय लिया था। किंतु कम्पनी ने आईओसीएल द्वारा डीईबी का लाभ उठाने के प्रावधानों की सूचना देने की दिनांक से दो वर्ष से अधिक विलम्ब के पश्चात् अक्तूबर 2011 में केवल पूर्वी एवं पश्चिमी अपतटों के लिए संयुक्त आईसीबी निविदा आमन्त्रित किया।

अगस्त 2009 से अक्तूबर 2011 तक कम्पनी बिना आईसीबी निविदा का सहारा लिए पूर्वी और पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों के लिए निरंतर एचएफएचएसडी खरीदती रही, और उपलब्ध डीईबी को छोड़कर ₹ **141.04** करोड़ का परिहार्य उत्पाद शुल्क का भुगतान किया।

अक्तूबर 2011 में प्रचलित आईसीबी निविदा के प्रति प्रस्ताव के नियंत्रण के उत्तर में, कम्पनी ने कोई भी बोली प्राप्त नहीं हुई। आपूर्तिकारों से जवाब कमी का एक सम्भव कारण यह था कि इसने अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की वापसी को दावाकृत करने का दायित्व आपूर्तीकारों पर डाला था शर्त पीएमटी ब्लॉक सहित अन्य द्वारा परिचालित ब्लॉक में प्रचालित प्रथा के विपरीत थी जहां कम्पनी को संयुक्त परिचालक के तौर पर मुख्य रूप से भाग लेने में रूचि थी, जिससे उत्पाद शुल्क की वापसी खरीदारों द्वारा दावाकृत थी।

इसके बाद, मार्च 2012 में, एचएफएचएसडी पर मूल उत्पाद शुल्क के साथ अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के भुगतान में छूट देकर उत्पाद शुल्क प्रावधानों में संशोधन किया गया था। कम्पनी ने हालांकि परिवर्तित प्रावधानों पर ध्यान नहीं दिया और यह कहते हुए कि उत्पाद शुल्कों की वापसी कम्पनी द्वारा दावाकृत की जायेगी, उत्पाद शुल्क सहित मूल्य पर आपूर्तिकार को एचएफएचएसडी के लिए उद्धरण करने के लिए विकल्प के साथ जुलाई और नवम्बर 2012 में क्रमश: पूर्वी और पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों के लिए एक संशोधित आईसीबी निविदा जारी की।

सभी तीनों सार्वजनिक क्षेत्र ओएमसी ने उत्पाद शुल्क सहित मूल्य उद्धृत किए और कम्पनी ने अक्तूबर 2012 और अप्रैल 2013 क्रमश: में पूर्वी और पश्चिमी दोनों अपतटों के लिए ओएमसी पर आदेश दिए। हालांकि कम्पनी ने एचएफएचएसडी की खरीद के लिए

उत्पाद शुल्क सहित मूल्य का भूगतान किया था, अब तक (जनवरी 2014) तक डीजीएफटी से कोई भी प्रतिदाय की प्राप्ति नहीं हुई।

नवम्बर 2011 से मार्च 2013 तक, कम्पनी ने एचएफएचएसडी की खरीद पर उत्पाद शुल्क की ओर ₹ **167.99** करोड़ का परिहार्य व्यय किया और डीईबी का लाभ नहीं उठा सकी। इसके बाद, कम्पनी पूर्वी अपतटीय क्षेत्र ने दोबारा (जूलाई 2013) में एचएफएचएसडी के लिए आईसीबी निविदा आमंत्रित किया। ओएमसी ने बिना किसी उत्पाद शुल्क के इस निविदा में उद्धृत किया और कम्पनी ने (30 सितम्बर 2013) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) पर आदेश दिए।

इस प्रकार कम्पनी ने (2006-07 से 2012-13 के दौरान) पूर्वी अपतटों के लिए और (नवम्बर 2011 मार्च 2013) के दौरान पश्चिमी अपतटों के लिए इसके पेट्रोलियम परिचालन हेतु डीईबी उपलब्ध होते हुए भी ₹ **326.75** करोड़ का परिहार्य उत्पाद शुल्क का भुगतान करके ओएमसी से एचएफएचएसडी खरीदे।

प्रबंधन ने (अक्तूबर 2013) कहा कि:

- 2010 के पूर्व आईसीबी निविदा आमंत्रित नहीं की गई थी क्योंकि प्रशासित दरों के तहत बिना उत्पाद शुल्क लगाए और निविदा की मानक नियम एवं शर्तों पर एचएफएचएसडी की आपूर्ति पर ओएमसी कभी सहमत नहीं हुए थे।

- अंतरराष्ट्रीय मूल्यों की तुलना में प्रशासित मूल्य कम थे और और इस प्रकार, किसी भी विदेशी बोली लगाने वाले की आईसीबी निविदा में भागीदारी की संभावना नहीं थी।

- डीईबी के तहत ईधन की योग्यता के बारे में डीजीएफटी निर्णय के कारण दावों की मार्च 2011 से मई 2012 के बीच स्थागित कर दी गई है। इस वजह से, डीईबी का लाभ उठाने हेतु 15 मार्च 2011 से 17 मई 2012 तक कम्पनी कोई कार्यवाही नहीं कर सकी।

- 2012 के आईसीबी निविदा के प्रति मार्च 2013 तक प्राप्त एचएफएचएसडी के परिमाणों के लिए डीजीएफटी से अब तक, कम्पनी के पूर्वी अपतट ने दावों की वापसी की प्राप्ति नहीं की थी क्योंकि डीजीएफटी परिपत्र (15 मार्च 2013) के

अनुसार, 17 मार्च 2012 के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना के अनुसार जहां इस प्रकार की आपूर्तियों को आरंभ से ही उत्पाद शुल्क में छूट प्राप्त थी, टर्मिनल उत्पाद शुल्क की वापसी स्वीकार्य नहीं थी।

निम्न को देखते हुए उत्तर युक्तियुक्त नहीं है:

- कम्पनी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया कि अगस्त 2009 में आईओसीएल द्वारा सूचित किए जाने तक इसने 2011 से पूर्व आईसीबी निविदाओं को आमंत्रित नहीं किया क्योंकि इसे डीईबी के बारे में जानकारी नहीं थी। इसलिए कम्पनी ने ओएससी के साथ इस विकल्प का बिल्कुल भी अन्वेषण नहीं किया और इस प्रकार ओएमसी द्वारा बिना उत्पाद शुल्क लगाए एचएफएचएसडी की आपूर्ति पर सहमत न होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान ओएमसी इन पार्टियों को उत्पाद शुल्क की वापसी हेतु वापसी के लिए अनुमत करते हुए दूसरी पार्टियों का एचएफएचएसडी की आपूर्ति करती रही (विशेषकर पीएमटीजेवी), भारत में एक मुख्य अन्वेषण एवं उत्पाद (ई एवं पी) प्रचालन होते हुए, कम्पनी की ओर से जागरूकता में कमी युक्त नहीं है, विशेषत: जब सीएजी की 2007* की रिपोर्ट सं. 11 प्रावधानों के तहत इसके उजागर की गई थी।

- यह तर्क कि किसी भी विदेशी बोलदाता ने प्रशासित कम दर उद्धृत नहीं किया है तर्कसंगत नहीं है, जैसे कि डीइबी का लाभ उठाने की आवश्यकता आईसीबी निविदा का आमंत्रण था और विदेशी बिडर से भागीदारी/अधिप्राप्ति नहीं थी। आईसीबी में बाद में कम्पनी द्वारा बोलियां आमंत्रित की गई थी (2012 में), कोई विदेशी बिडर की भागीदारी नहीं थी एवं फिर भी ओएमसी को डीईबी का लाभ उड़ाने के आदेश दिए गए।

- पूर्ण अवधि के दौरान (2006 से अब तक), योग्य प्रचालकों को उत्पाद शुल्क की वापसी सहज रूप से उपलब्ध थी। कम्पनी का यह तर्क कि डीजीएफटी के इस अवधि के दौरान उत्पाद शुल्कों की वापसी को ध्यान में रखते हुए मार्च 2011 से मई 2012 तक यह कोई कार्यवाही नहीं कर सकी, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए देखा जाना चाहिए कि अन्य ईएवंपी प्रचालकों ने इस अवधि के दौरान छूट लाभ प्राप्त करने हेतु आईसीबी निविदा के तहत आदेश दिए थे। इसके अलावा, उद्धृत पेट्रोफेड कम्यूनिकेशन (नवम्बर 2011) ने स्वयं यह सुनिश्चित किया है

** संघ सरकार – (वाणिज्य) सीएजी की 2007 की रिपोर्ट सं. 11 का पैरा 13.8.7*

कि इस प्रकार की वापसी विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.2 (एफ) के अनुसार उपलब्ध था।

- जवाब में कम्पनी द्वारा उद्धृत 15 मार्च 2013 का डीजी एफटी परिपत्र 17 मार्च 2012 को जारी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना का एकमात्र स्पष्टीकरण था, जिसमें यह नियत था कि आईसीबी द्वारा खरीदे गये एचएफएचएसडी पर कोई उत्पाद शुल्क (मूल के साथ-साथ अतिरिक्त उत्पाद शुल्क) उपभोग्य नहीं था। जैसे कि कम्पनी ने मार्च 2012 के बाद (जुलाई 2012 और नवम्बर 2012 में पूर्वी और पश्चिमी अपतटों के लिए क्रमश:) निविदाएं आमंत्रित की थी; सविंदा प्रावधान कर अधिसूचना से उपयुक्त रूप से संरेखित होने चाहिए थे जो कि पहले ही मार्च 2012 को जारी किए गए थे। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मार्च 2012 से प्रारंभ से ही उत्पाद शुल्क भुगतेय नहीं था, कम्पनी द्वारा प्रस्तुत वापसी का तक डीजीएफटी द्वारा सम्मानित नहीं था।

यह मामला मंत्रालय को जनवरी 2014 में सूचित किया गया था; उत्तर प्रतिक्षित था (मार्च 2014)।

11.8 वसई ईस्ट फील्ड में प्लेटफॉर्म के स्थान में परिवर्तन के कारण परिहार्य व्यय

वसई ईस्ट फील्ड में प्लेटफॉर्म प्रक्रिया में स्थान में परिवर्तन और परिणामस्वरूप परियोजना अवधि के बढ़ने के कारण, ऑयल एवं नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन (कम्पनी) ने ₹ 79.48 करोड़ का परिहार्य व्यय किया जिसमें शामिल है (i) अतिरिक्त सेवा कर के तत्य सहित ठेकेदार द्वारा संस्थापन के आस्थगन और त्वरण प्रयासों के कारण ₹ 55.85 करोड़ का भुगतान और (ii) संभालने के लिए सुविधाओं के अभाव के कारण गैस के फैल जाने से ₹ 17.98 करोड़ के राजस्व की हानि को बनाए रखने के अलावा, परियोजना शुरू करने के लिए लंबित गैस उत्पादन को प्रारंभ करने हेतु ₹ 23.63 करोड़ की लागत पर अस्थायी पाइप लाइन बिछाना।

वसई ईस्ट फील्ड पश्चिमी तट में स्थित है। संणावित हाईड्रोकार्बन को काम में लाने के उद्देश्य से, कम्पनी ने सुविधाओं के संस्थापन द्वारा क्षेत्र को विकसित करने का योजना बनाई है। तदनुसार, वसई ईस्ट डेवेलपमेंट (वीईडी) परियोजना के तहत बूस्टर कम्प्रेशर सह प्रोसेस प्लेटफार्म (बीसीपीए-2) के संस्थापन के लिए संवीदा 'एम/एस सैमसंग हैवी इंडस्ट्री लिमिटेड (एसएचआई) और एम/एस लार्सेन एंड टूब्रो (एल एंड टी)' – संयुक्त रूप से ठेकेदार से संबोधित के सहायता संघ को जनवरी 2006 में अप्रैल 2008 तक निर्धारित

समापन के साथ दी गई है संविदा की शर्तों के अनुसार, एसएचआई और एलएंडटी को उनके द्वारा किए गए कार्य लिए पृथक भुगतान क्रमश: प्राप्य होंगे। कम्पनी द्वारा बिड पैकेज में उल्लेखित स्थान पर प्लेटफार्म का संस्थापन होना था। ठेकेदार ने फरवरी 2006 में विस्तृत पूर्व – अभियांत्रिकी कार्य प्रारंभ किया। तथापि, प्लेटफॉर्म का स्थान परिवर्तित करना पड़ा और जुलाई 2006 में कम्पनी द्वारा नया स्थान अनुमोदित किया गया। परियोजना वास्तव में जुलाई 2009 में पूर्ण हुआ। परियोजना के निष्पादन के दौरान, एसएचआई ने कम्पनी के अरोप्य कारणों से समय और अधिक लागत के दावे प्रस्तुतकिए। कम्पनी ने दावों को विवादग्रस्तकरते हुए ठेकेदार को (दिसम्बर 2009) इसके दावे बाहरी विशेषज्ञ समिति (आईसी)-वाणिज्यिक विवादों के शीघ्र निपटान हेतु कम्पनी द्वारा निर्मितएक तंत्र, को प्रस्तुत करने की मांग की। ओईसी की सिफारिशों को मान लेने पर (दिसम्बर 2011), कम्पनी ने (सितम्बर 2012) में एसएचआई के ₹ **51.43** करोड़ के दावे का भुगतान किया। उन्हीं कारणों से एल एंड टी द्वारा अतिरिक्त सेवा कर का प्रस्तुत किए गए दावे के लिए (अक्तूबर 2012) में कम्पनी द्वारा ₹ **4.42** करोड़ का भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- प्लेटफॉर्म का स्थान कम्पनी द्वारा निश्चित किया गया और बोली दस्तावेज में शामिल किया गया। जनवरी 2006 में परियाजना देने के पूर्व, बीसीपीए-2 प्लेटफॉर्म के प्रस्तावित स्थान के पास एक पृथक संविदा के तहत एक सबसी/समुद्री पाइपलाइन बिछाने की समवर्ती कार्यवाही थी। प्लेटफॉर्म का स्थान निश्चित करना एवं बोली दस्तावेज में शामिल करने हेतु कम्पनी द्वारा संचालित प्रारंभिक सर्वेक्षण के दौरान, कम्पनी ने इंटरफेस पाइपलाइन पर ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार, परियोजना ठेकेदार का ऐसे स्थान पर कार्य के निष्पादन के लिए दी गई जिसके नियामक एक वर्तमान पाइपलाइन से अवरोधित थे। एक समीक्षा बैठक (22 मार्च 2006) के दौरान, एसएचआई ने कम्पनी को प्रस्तावित प्लेटफॉर्म के स्थान पर पाइपलाइन के कारण अवरोध की सूचना दी। कम्पनी के अनुमोदन पर, ठेकेदार ने एक वैकल्पिक स्थान प्रस्तावित किया जो कि कम्पनी को स्वीकार्य था। इसने परियोजना को 3 से 4 महीने देरी हुई और काम को दो ऋतुओं तक स्थगित किया।

इस प्रकार एक वर्ष की देरी के बाद जुलाई 2009 में प्लेटफॉर्म चालू हुआ। स्थान परिवर्तन और परिणामस्वरूप परियोजना अवधि में बढ़ोतरी के कारण, कम्पनी ने एसएचआई को संस्थापन के स्थगितकरण और इसके द्वाराकिए गए त्वरण प्रयासों के लिए ₹ 51.43 करोड़ की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया।

- परियोजना के पूरा होने में देरी के कारण, दूसरे कॉम्प्लेक्स पर विद्यमान सुविधा पर तेल संसाधित द्वारा वसई ईस्ट फील्ड से उत्पाद शुल्क करने के लिए अन्य व्यवस्थाएं करने का निर्णय लिया (मार्च 2008)। अन्य व्यवस्थाओं में खड़े पाइप का संस्थापन और 8 पाइपलाइन बिछाना शामिल थे। शीघ्र उत्पादन के लिए अस्थायी पाइपलाइन बिछाने पर ₹ 23.63 करोड़ का व्यय हुआ।
- केवल तरल पदार्थों की संभाल और प्रक्रमण हेतु अस्थायी सुविधाएं बनाई गई थी। जैसे कि वहां फील्ड में उत्पादित गैस की संभाल के लिए कोई सुविधाएं नहीं थी, सम्पूर्ण गैस (56.193 एमएमएससीएम) को फैलाना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप मार्च 2008 से मार्च 2009 तक ₹ 17.98 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

इस प्रकार परिवर्तित स्थान और अन्य सुविधाएं देने के कारण ₹ 79.48 करोड़ की और गैस फैल जाने के कारण ₹ 17.98 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

कम्पनी ने जवाब दिया (जनवरी 2013) कि:

- ठेकेदार के दावे ओईसी को भेजे गए और ठेकेदार को किया गया भुगतान कम्पनी द्वारा मुद्दों के समाधान के रूप में स्वीकार किया गया।
- सुविधाओं पर वैकल्पिक व्यवस्था कर वसई ईस्ट वैल्स में मई 2008 में तेल उत्पदन शुरू किया गया था। यह कम्पनी द्वारा एक अग्रसक्रिय कदम था, इसलिए, तथापि वीईडी परियोजना समापन में देरी थी, अस्थायी पाइपलाइन बिछाने में कम्पनी तेल के शीघ्र उत्पादन प्रारंभ करने में सहायता मिली।

यह उत्तर तर्क संगत नहीं है, जैसे कि

- प्लेटफॉर्म का स्थान निश्चित करने का दायित्व कम्पनी पर था। इंटरफेस पाइपलाइन की मौजूदगी पर विचार किया जाना चाहिए था जैसे कि पाइपलाइन स्वयं कम्पनी द्वारा संस्थापित की गई थी।
- कम्पनी पर आरोप्य देरी के कारण अस्थायी पाइपलाइन बिछाने और फील्ड में उत्पादित गैस के फैलने से अधिक व्यय हुआ है जो परिहार्य था।

मामला मंत्रालय को फरवरी 2014 में सूचित किया गया; उनका उत्तर प्रतिक्षित था (मार्च 2014)।

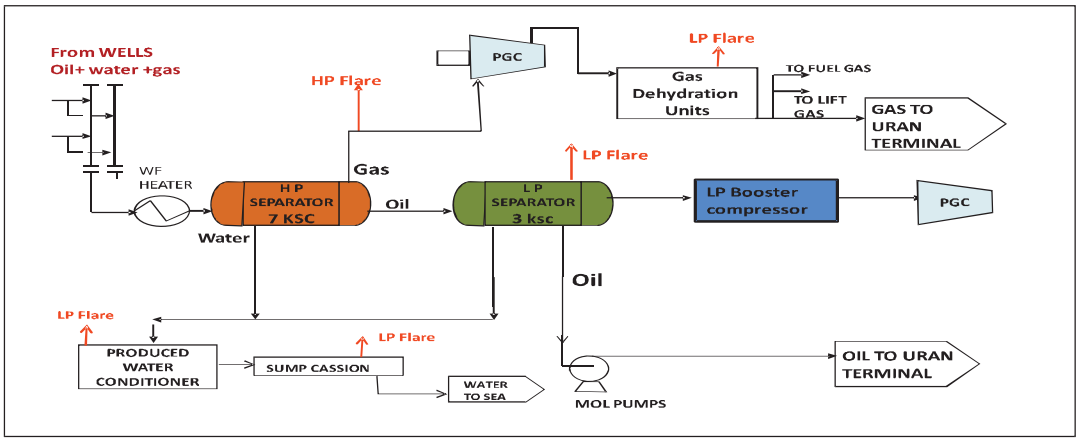
11.9 गैस का परिहार्य फैलाव

ऑयल एवं नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) द्वारा नीलम प्लेटफॉर्म पर प्रोसेस गैस कम्प्रेशर (पीजीसी) के अपग्रेड के कारण पीजीसी के अक्सर ट्रिपिंग के परिणामस्वरूप, 2010-13 की अवधि के दौरान ₹ 16.54 मूल्य की 21.536 मिलियन स्टैडर्ड क्यूबिक मीटर (एमएमएससीएम) उच्च दबाव गैस का फैलाव हुआ। गैस की प्रतिप्राप्ति परियोजना को अंतिम रूप देने में भी कम्पनी द्वारा एक वर्ष की देरी हुई जिसके कारण 2011-12 के दौरान ₹ 18.37 करोड़ मूल्य के 23.725 एमएमएससीएम निम्न दबाव गैस का फैलाव हुआ। अतः वहां कुल ₹ 34.91 करोड़ मूल्य की परिहार्य गैस फैलाव हुआ।

नीलम एसेट ऑफ ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) तेल और गैस दोनों का उत्पादन करती है। कुओं से आ रहा तेल, पानी और गैस के मिश्रण को एक उच्च दबाव (एचपी) विभाजक को तेल, गैस और पानी के विभाजन के लिए भेजा जाता है। जबकि एचपी विभाजक से आ रही गैस को कम्प्रेशन हेतु प्रोसेस गैस कम्प्रेशर (पीजीसी) को भेजा जाता है, एचपी विभाजक से निकले तरल को निम्न दबाव (एलपी) विभाजक को भेजा जाता है। एलपी विभाजक से निकली गैस निम्न दबाव पर होने के करण एलपी बूस्टर कम्प्रेशर द्वारा 6 से 8 केजी/सीएम के दबाव पर प्रोसेस गैस कम्प्रेशन को आगे उपयोग हेतु फीडिंग करने के लिए वर्धित किया जाना है।

एचपी फ्लेयर सिस्टम को प्लेटफॉर्म की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया जाता है। पीजीसी शटडाउन/ट्रिपिंग/प्रोसेस अपसेट आदि के कारण संपीड़न पीजीसी में कोई भी विघ्न, एचपी गैस के फैलाव का कारण होता है। एलपी फ्लेयर प्रणाली प्लेटफॉर्म के सामान्य परिचालन के लिए आवश्यक उत्पादित जल कन्डीशनर, गैस निर्जलन इकाईयों आदि से निम्न दबाव प्रोसेस गैस के फैलाव के लिए डिजाइन किया जाता है। एलपी बूस्टर कम्प्रेशर के अविद्यमान/गैर-कामकाज में एलपी गैस फैलनी होती है। चित्रात्मक प्रस्तुतीकरण नीचे दिया गया है।

प्रक्रिया विवरण



स्रोत: कम्पनी द्वारा मुहैया किए गए

क. एचपी गैस का फैलाव: नीलम प्रोसेस कॉम्प्लेक्स में 1990 से 2000 के दौरान तीन पीजीसी संस्थापित थे। कम्प्रेसर पुराने होने के कारण निम्न कार्य क्षमता पर कार्य कर रहे थे जिसके परिणामस्वरूप बार-बार ट्रिपिंग हो रही थी। कम्पनी के शून्य ट्रिप के दृष्टिकोण के कारण/अवलोकन के वर्ष 2010 में और वर्ष 2012 के दौरान पीजीसी के ट्रिपिंग की 30 और 37 घटनाएं थी। 2011 में जैसे कि तीन में से एक पीजीसी को बंद करना पड़ा, ट्रिपिंग के मामले 80 तक बढ़ गए।

इन मशीनों के अपने कार्यकाल से 20 वर्ष या इससे अधिक पूरा करने के पश्चात् इनके प्रतिस्थापन हेतु कम्पनी की एक नीति थी। पीजीसी 1999-2000 के दौरान संस्थापित किये गए थे। तथापि, 20 वर्ष कार्यपूर्ण करने से पूर्व ही पीजीसी खराब कार्य कर रहे थे। कम्पनी का एक बहु अनुशासनिक दल (एमडीटी) जुलाई 2008 में अन्य विषयों के साथ-साथ पीजीसी के तन्दरूस्ती संबंधी मामले पर विचार-विमर्श करने हेतु बैठक की। मशीनों के निष्पादन और उपलब्धता पर विचार करते हुए, एमडीटी ने (जुलाई 2008) मशीनों की गैर-उपलब्धता को घटाने और उनके निष्पादन को बढ़ाने के लिए प्रणालियों की तन्दरूस्ती की जांच की सिफारिश की। मूल उपकरण विनिर्माता (ओईएम) द्वारा नवम्बर 2010 में अर्थात एमडीटी की सिफारिश के दो वर्ष से अधिक के बाद, नीलम कॉम्प्लेक्स में तीन पीजीसी की तन्दरूस्ती जांच हुई। आइएम की सलाह के अनुसार, कम्पनी को पीजीसी की नियंत्रण प्रणाली और प्रांरभिक प्रणाली का अपग्रेडेशन शीघ्रता से कराना था। तथापि ओइएम की सिफारिश के तीन वर्ष बाद भी (फरवरी 2014) कम्पनी को अभी तक

कार्य प्रदान करना था। 2010-13[♥] के दौरान, पीजीसी के बार-बार ट्रिपिंग होने के कारण ₹ 16.54 करोड़ मूल्य की 21.536 एमएमएससीएम एचपी गैस फैल गई जो कि परिहार्य था।

कम्पनी ने कहा सितम्बर 2013 कि (i) ओइएम को नियंत्रण प्रणाली और प्रारंभिक प्रणाली के अपग्रेडेशन का कार्य प्रदान करने का कार्य चल रहा था, (ii) पीजीसी 'सी' को इंजन/एक्सेसरी के प्रतिस्थापन और कम्प्रशेर की मुख्य जांच फरवरी 2013 में पूर्ण हुई थी; (iii) पीजीसी 'बी' और 'ए' की वही जांच अक्तूबर 2013 और जुलाई 2014 में नियोजित हुई थी। इसमें यह भी कहा गया कि तीनों पीजीसी में कूलर की मरम्मत का प्रथम चरण 2013-14 में नियोजित हुआ था।

जवाब प्रत्यायक नहीं है क्योंकि एमडीटी की जुलाई 2008 की सिफारिश पीजीसी की स्वास्थ्य जांच करने के लिए प्रत्युत्तर में कम्पनी ने स्वास्थ्य जांच करने के लिए दो वर्ष से अधिक का समय लिए। स्वास्थ्य जांच के तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी नियंत्रक प्रणाली और प्रारंभिक प्रणाली के अपग्रेड करते हेतु (फरवरी 2014) ओईएम को कार्य अभी भी सौंपना था। इसी बीच परिहार्य गैस का फैलाव जारी रहा।

ख. एलपी गैस फैलाव: नीलम प्रोसेस कॉम्प्लेक्स में उपलब्ध एलपी बूस्टर कम्प्रेशर, 1994 में चालू किए गए, तब फील्ड के परिकल्पित उत्पादन के मानदंड के आधार पर डिजाइन किया गया था। तथापि, फील्ड के वास्तविक उत्पादन में अपेक्षित से गिरावट आई और इस प्रकार एलपी गैस की मात्रा घटी। एलपी बूस्टर कम्प्रेशर/संपीड़क कम इनपुट मात्रा और निम्न आणविक वजन गैस से परिचालित नहीं हो सका अत: एलपी विभाजक से छोड़ी गई गैस फैल रही थी। नीलम प्रोसेस कॉम्प्लेक्स से एलपी गैस के फैलाव को घटाने हेतु कम्पनी ने 2005-06 में फ्लेर गैस वसूली परियोजना (एफजीआरपी) की अवधारणा की थी जहां इसने मजबूत सपीड़क की संस्थापना का निर्णय लिया था। कम्पनी ने अन्य प्रक्रिया संपीडक अर्थात् एसेट में हीरा प्रोसेस कॉम्प्लेक्स से मौजूदा कम्प्रेसर को मजबूत कम्प्रेसर के प्रतिस्थापन का निर्णय लिया है। सेपम ट्राईयून (एसटी) द्वारा (नवम्बर 2006) में तैयार बोली पैकेज और आरेखों के आधार पर कम्पनी ने (अप्रैल 2007)

[♥] एमडीटी सलाह पर उपचारात्मक कार्यवाही हेतु दो वर्ष का समय मानते हुए

एफजीआरपी के लिए निविदाओं को आमंत्रित किया था। जैसे कि केवल एक बिड की प्राप्ति हुई कम्पनी की कार्यकारी खरीद समिति (ईपीसी) ने पुन: निविदा के (फरवरी 2008) निर्देश दिए। कम्पनी को इंजीनियर इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) द्वारा (मार्च 2008) कार्यक्षेत्र समीक्षा की प्राप्ति हुई और पुन: निविदा के बाद मार्च 2010 द्वारा निर्धारित समापन के साथ किर्लोस्कर न्यूमैटिक कम्पनी का ठेके देने की अधिसूचना दी। एफजीआरपी तथापि मार्च 2012 में नीलम में और मई 2012 में हीरा कॉम्प्लेक्स में प्रारंभ हुआ।

एफजीआरपी मूल रूप से अप्रैल 2011 में समापन हेतु मई 2008 में अनुमोदित नीलम हीरा कॉम्प्लेक्स के टर्नअराउन्ड योजना का भाग था। यह विचार करते हुए कि 2006 में नीलम-हीरा टर्नअराउन्ड योजना शुरूआती स्तर पर है कम्पनी ने परियोजना को फास्टट्रेक करना और जून 2008 तक समापन करना आवश्यक समझा। जबकि बिड पैकेज और लागत अनुमान एसटी द्वारा नवम्बर 2006 में तैयार किए गए थे, एनआईटी छह महीने के अंतराल के बाद अप्रैल 2007 में जारी किया गया। सितम्बर 2007 में नए निविदा आमत्रित की गई और टीसी ने समझौता वार्ता अक्तूबर 2007 में की। संशोधित मूल्य की प्राप्ति (नवम्बर 2007) के बाद, टीसी ने ईपीसी को दो महीने के बाद (जनवरी 2008) पुन: निविदा हेतु अपने परामर्श प्रस्तुत किए। ईपीसी के (फरवरी 2008) पुन: निविदा हेतु मान जाने के बाद फरवरी 2010 की तय योजना के प्रति सितम्बर 2009 में नई निविदाएं आमंत्रित की गई। नई निविदाके आमंत्रण में देरी ने एनओए को जुलाई 2009 से मार्च 2010 तक और निर्धारित समापन को अक्तूबर 2010 से सितम्बर 2011 तक विलंबित किया। यह समय-सारणी भी पूर्ण नहीं हुई और जून 2008 में पूर्ण होने के लिए परिकल्पित एफजीआरपी अंतत: मार्च-मई 2012 में पूर्ण हुआ। निविदा को अंतिम रूप देने में एक वर्ष की देरी के परिणामस्वरूप ₹ 18.37 करोड़[♠] मूल्य की गैस का फैलाव हुआ।

कम्पनी ने (सितम्बर 2013) कारणों जैसे मूल्य-संबंधी बातचीत, पुन: निविदा से बचने हेतु विचार विमर्श, आईआरआर की गणना और स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम) लाभ की विवरण में देरी की व्याख्या करने के दौरान कहा कि यह अपने आप में एक अलग

[♠] 2011-12 के दौरान न 23.74 एमएमएससीएमडी गैस फैलाव को ध्यान में रखते हुए।

प्रक्रिया थी और अंत में इसमें अतिरिक्त समय लगा। इसने यह भी कहा कि एनआईटी के जारी करने से पूर्व, यह आशंकाएं थी कि तेल भरे स्क्रू कम्प्रेसर की तुलना में हाईब्रीड स्क्रू कम्प्रेसर एक बेहतर विकल्प होगा। मामला एम/एस हाइबन यूएसए (जुलाई 2009) को भेजा गया, जिसने चयनित कम्प्रेसर की उपयुक्तता को सुनिश्चित (अगस्त 2009) किया।

प्रशासित अनुमोदन, वित्तीय मंजूरी और परियोजना समापन में देरी के तहत, यह उत्तर निविदा के प्रक्रियां में देरी का कोई वैध और स्वीकार्य व्याख्या नहीं देता। परियोजना जोकि जून 2008 में निर्धारित समाप्त के लिए 2005-06 में नियोजित हुई थी, कम्पनी के अनावश्यक रूप से विलंबित करने के पश्चात् मार्च-मई 2012 में पूर्णहुई। इसके बाद, कम्पनी के पास हाईब्रीड स्क्रू कम्प्रेसर का विकल्प जुलाई 2009 में आया, जबकि प्रशासनिक अनुमोदन जून 2009 में प्रदान किया गया और इसने स्क्रू टाइप कम्प्रेसर का उपयोग करने का निर्णय लिया जोकि आरंभ से ही हो रहे विलम्ब को उचित सिद्ध नहीं करता इसी दौरान एफजीआरपी को अंतिम रूप देने में विलम्ब और प्रोसेस गैस कम्प्रेसर में ट्रिपिंग के कारण को ₹ 34.91 करोड़ की 45.261 एमएमएससीएम गैस की हानि हुई, जो कि परिहार्य था।

मामला मंत्रालय को (अक्तूबर 2013) में सूचित किया गया; उनका उत्तर अपेक्षित था (मार्च 2014)।

11.10 आवश्यक क्षमता के अलावा रिग किराये पर लेने के कारण अतिरिक्त व्यय

ऑयल एवं नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 7,000 मीटर तक गहरे अन्वेषणात्मक कुएं की खुदाई हेतु उच्च क्षमता रिग किराये पर लिये और 4,525 मीटर से 4,817 मीटर तक की गहराई वाले कुएं की खुदाई में लगाए जो कि निम्न क्षमता वाले रिग से कम लागत में खुदवाएं जा सकते थे। इसके परिणामस्वरूप अधिक किराया लागत के कारण ₹ 19.10 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

विनिर्देशन के आधार पर टाइप-II से टाइप-IV के तहत वर्गीकृत तटवर्ती खुदाई हेतु आठ खुदाई रिग भाड़े पर लेने के लिए (मई 2007) आयल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड निविदा आमंत्रित की थी। एक टाइप-III रिग 6,000 मीटर की गहराई तक उच्च

कोण, बहुपक्षीय और साइट-ट्रैकिंग कुएं तक की खुदाई की क्षमता और टाइप-IV रिग 7,000 मीटर की गहराई तक खुदाई की क्षमता का था।

कम्पनी की निष्पादन समिति (ईसी) ने (अगस्त 2006) टाइप-IV अर्थात 'शिव-50', उस उद्देश्य हेतु भाड़े पर लेने के लिए अनुमोदन दिया। जैसे कि वह रिग और गहरे अन्वेषणात्मक कुएं खोदने (7,000 मीटर तक) के लिए सक्षम थे, इनका भाड़ा शुल्क (₹ 15.30 लाख/दिन) टाइप-III रिग (₹ 10.62 लाख/दिन) की तुलना में अधिक था। तथापि, भाड़े पर लेने के बाद कम्पनी ने इनको 4,525 मीटर से 4,817 मीटर तक के कुएं खोदने के कार्य में लगाया। इतनी गहराई के कुएं टाइप-III रिग द्वारा कम लागत पर खोदे जा सकते थे। इस प्रकार टाइप-III रिग की बजाय टाइप-IV रिग का उपयोग खुदाई हेतु करने के परिणामस्वरूप अंतरीय लागत होने के कारण ₹ 19.10 करोड़ का परिहार्य आतंरिक व्यय हुआ।

कम्पनी ने उत्तर दिया कि (जनवरी 2014) एक टाइप-IV रिग 'शिव-50' को गहरी सीमाओं में कुएं खोजने के उद्देश्य से भाड़े पर लिय गया था और कुएं गहराई की सीमा 4,500 मीटर से 5,200 मीटर तक थी। बहुत से कुएं 4,500 मीटर से 5,200 मीटर तक की गहराई में उच्च टॉर्क/उच्च ड्रैग की आवश्यकता के साथ खोदे जाने प्रस्तावित थे। यह दावा किया गया कि केवल टाइप-IV रिग न्यूनतम जटिलता के साथ इस प्रकार कुओं को सुचारू रूप से खोदने में सक्षम होंगे और यह स्वीकार किया कि भाड़े पर लिए गए टाइप-IV रिग को इन स्थानों पर ड्रिल साइट कार्यों के लिए भूमि अनुपलब्धता के कारण कार्यरत नहीं किया जा सका और अत: निष्क्रियता से बचने के लिए, रिग को जटिल बनावट के विकृत कुओं की खुदाई में लगाया गया।

उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखने की आवश्यकता है कि टाइप-IV रिग को किराये पर लेने का ईसी का अनुमोदन कम्पनी के खुदाई तकनीकी विभाग द्वारा मई 2007 में दिये गए मांग-पत्र की विशेष आवश्यकताओं के विरूद्ध था। मांग-पत्र में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि टाइप-III रिग 6,000 मीटर तक की गहराई के उच्च कोण और पट/बहुपक्षीय/साइट ट्रैक कुएं खुदाई हेतु आवश्यक थे और टाइप-IV रिग 7,000 मीटर तक की गहराई हेतु अन्वेषणात्मक कुओं की खुदाई हेतु आवश्यक थे। कम्पनी ने रिग के

कार्यरत होने के लिए उपयुक्त स्थान न होने के बावजूद टाइप-IV रिग किराये पर लिए और बाद में निष्क्रियता से बचने हेतु कही और उपयोग में लाए गए।

इस प्रकार आवश्यकता से उच्चतर क्षमता के रिग को किराये पर लेने के कारण उन्हें उस स्थान पर उपयोग में लाया गया जहां निम्न क्षमता के रिग से खुदाई की जा सकती थी, इसके परिणामस्वरूप, दो प्रकार के रिग किराये पर लेने की अंतरीय लागत होने के कारण ₹ 19.10 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

मामला मंत्रालय को नवम्बर 2013 में सूचित किया गया; उत्तर अपेक्षित था (मार्च 2014)।

अध्याय XII: ऊर्जा मंत्रालय

एनटीपीसी लिमिटेड

12.1 अनुबन्धों में संशोधनों के कारण अतिरिक्त व्यय

कम्पनी ने अनुबन्धों में संशोधन द्वारा ठेकेदारों को अनुचित लाभ दिया जिसके परिणास्वरूप वास्तविक अनुबंध अवधि में पहले से हुई विदेशी माल की आपूर्ति के लिए पूर्वव्यापी कीमत वृद्धिपर यूएस $ 3.51 मिलियन की देयता के साथ ₹ 142.33 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

एनटीपीसी लिमिटेड (कम्पनी) ने मै. एफजीयूपी 'वीओ' टेक्नोप्रोमेक्सपोर्ट, रूस (टीपीई को भार सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (बीएसटीपीसी) स्टेज I (3 यूनिट x660 मेवा) पर स्टीम जेनरेटर और मुख्य संयंत्र पैकेज के सहायको (भाग-क) की आपूर्ति निर्माण और संस्थापन के लिए ₹ 2066 करोड़ [1] के बराबर के कुल मूल्य पर तीन पृथक ठेके दिए (मार्च 2005)। इसी प्रकार, मैं. पावर मशीन[2] (पीएम) को स्टीम टरबाईन जेनरेटर और मुख्य संयंत्र पैकेज (भाग ख) के सहायकों की आपूर्ति, निर्माण और संस्थापन के लिए ₹ 1192.87 करोड़[3] की कुल संविदा मूल्य के बराबार तीन अलग ठेके दिए। बीएसटीपीपी की उपरोक्त यूनिटों को चालू करने के लिए करारों में दी गई पूर्णता तिथियां जनवरी 2009 (यूनिट I) जुलाई 2009 (यूनिट 2) और जनवरी 2010 (यूनिट 3) थी। करारों में विदेशी और स्वदेशी माल दोनों के लिए उसके संविदात्मक मूल्य के 20 प्रतिशत की सीमाके अध्यधीन कीमत वृद्धि अनुबंद्ध थी।

इसी बीच टीपीई ने कम्पनी को अपनी कानूनी स्थिति में बदलाव के बारे में सूचित किया (मार्च 2006) और तदनुसार, टीपीई के साथ करार में संशोधन किया गया था (अप्रैल 2007)। टीपीई ने कम्पनी द्वारा टीपीई की कानूनी स्थिति में परिवर्तन स्वीकार करने में विलम्ब के कारण कम्पनी को संविदात्मक सुपुर्दगी कार्यक्रम के विस्तारण और 20

[1] *यूएस $ ₹45.55 के अनुसार*

[2] *पावर मशीन जेडटीएल, एलएमजेड, इलैक्ट्रोसिला एनरगोमेक्स्पोर्ट, रूस और उसके हस्तांतरिती मै. एनएमजेड एर्जीजी (इंडिया) लि. नई दिल्ली*

[3] *@ यूएस $ 45.45 के अनुसार*

प्रतिशत के मूल्य परिवर्तन को हटाने के लिए सम्पर्क किया (जनवरी 2007 से)। मै. पीएम ने भी कम्पनी को माल की लागत में मुद्रस्फीति की प्रवृत्तियों और प्रतिकूल विनिमय दरों के आधार पर इसी प्रकार का अनुरोध किया (अक्टूबर 2007 से आगे)।

चूंकि टीपीई ने समय विस्तारण मूल्य परिवर्तन पर 20 प्रतिशत की सीमा हटाने और कार्य निष्पादन से संबंधित मुद्दे उठाएथे, कम्पनी ने ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी) से अनुमति मांगी (सितम्बर 2009) संविदात्मक प्रावधानों के उल्लंघन और निदेशक बोर्ड (नवम्बर 2009) द्वारा अनुवर्ती अनुसमर्थन के पास टीपीई की लागत और खर्च पर संविदा को पूरा करने के आधार पर करार रद्द करने की अनुमति मांगी।

एमओपी ने कम्पनी को टीपीई के साथ करार समाप्त न करने और वर्ष 2005 से 20 प्रतिशत की मूल्य भिन्नता सीमा को हटाने के द्वारा पूर्णता कार्यक्रम को संशोधित करने के निर्देश दिए (मई 2010)। तदनुसार, कम्पनी ने टीपीईके साथ 20 प्रतिशत कीमत भिन्नता सीमा को हटाकर पूर्वव्यापी रूप से विदेशी माल की आपूर्ति और पूर्णता कार्यक्रम को भी 55 महीने, अगस्त 2013 (यूनिट I), फरवरी 2014 (यूनिट 2) और अगस्त 2014 (यूनिट 3) तक विस्तरित कर करार को संशोधित किया (अक्तूबर 2010)। इसी प्रकार, टीपीई के साथ संशोधित कार्यक्रम को पूरा करने के लिए मै. पीएम के साथ भी करार को पूर्वव्यापी रूप से उपरोक्त कीमत भिन्नता हटा कर (मार्च 2011) और पूर्णता कार्यक्रम को 57 महीने से अक्तूबर 2013 (यूनिट I), अप्रैल 2014 (यूनिट 2) और अक्तूबर 2014 (यूनिट 3) तक विस्तरित किया गया। इन संशोधनों के परिणामस्वरूप यूएस $ 35.04 मिलियन[1] अतिरिक्त देयता हुई, जिसमें से यूएस $ 31.53 मिलियन[2] (₹ 142.33[3] करोड़) वास्तविक संविदात्मक अवधि में पहले से आपूर्ति किए गए विदेशी माल के संबंध में भुगतान किया गया था (जनवरी 2009)।

कम्पनी ने कहा (जनवरी 2013) कि 20 प्रतिशत की कीमत भिन्न्ता सीमा को हटाने की निर्णय कम्पनी टीपीई और एमओपी के बीच हुई चर्चा (मार्च 2010) में एमओपी के निर्णय के अनुरूप लिया गया था। कम्पनी के विचारों की पुष्टि करते हुए (अप्रैल 2013)

[1] ***टीपीई-28.38 मिलियन यूएस $ और पीएम-6.66 मिलियम यूएस$***

[2] ***टीपीई-25.54 मिलियन यूएस $ और पीएम-5.99 मिलियम यूएस$***

[3] ***टीपीई-₹ 115.53 करोड़ और पीएम-₹ 26.80 करोड़***

एमओपी ने आगे कहा कि कम्पनी ने बाद मे सभी भविष्य के पैकेजों के लिए बोली दस्तावेजों मे कीमत भिन्नता हटाने का निर्णय लिया (नवम्बर 2010)।

उत्तर इस तथ्य के प्रति देखने की आवश्यकता है कि ठेकेदारों को वास्तविक संविदात्मक पूर्णता अवधि के बीच पहले से आपूर्ति किए गए माल के लिए अनियमित रूप से भुगतान किया जा रहा था जबकि कीमत भिन्नता सीमा को पूर्वव्यापी रूप से हटा दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को अनुचित लाभ मिला। यह समान स्तर पर कार्य की अस्वीकृति थी क्योंकि कीमत भिन्नता के प्रतिबंध एक महत्वपूर्ण मानदण्ड को हटाने से टीपीई और पीएम को पश्च संविदात्मक लाभ दिया गया।

इस प्रकार वास्तविक संविदात्मक अवधि (जनवरी 2009) में पहले से आपूर्ति किए गए विदेशी माल के संबंध में संशोधित करारों में मूल्य भिन्नता खण्ड को हटाना (अक्तूबर 2010 और मार्च 2011 अनियमित था, जिसके लिए कम्पनी को यूएस $ 35.04 मिलियन की अतिरिक्त देयता वहन करनी पड़ी (31.53 मिलियन यूएस $ ₹ 142.33 करोड़ के बराबर का भुगतान किया और 3.51 मिलियन यूएस $ को निष्पादन गारंटी के लिए रखा गया)।

अध्याय XIII: लोक उद्यम विभाग

नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड, गेल (इंडिया) लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी, लिमिटेड, पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड, पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एसजेवीएन लिमिटेड, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड

13.1 अर्ध वेतन अवकाश/अस्वस्थता अवकाश/अर्जित अवकाश के साथ साथ अवकाश नकदीकरण पर ईपीएफ अंशदान के नियोक्ता के हिस्से के नकदीकरण का अनियमित भुगतान

डीपीई दिशानिर्देशों के उल्लंघन में अर्ध वेतन अवकाश/अस्वस्थता अवकाश के नकदीकरण के परिणामस्वरूप जनवरी 2006 से अक्तूबर 2013 में ₹ 138.58 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ। इसके अतिरिक्त सीपीएसईज़ ने 2008 से 2012 के दौरान कार्मिकों को अवकाश नकदीकरण के संबंध में भविष्य निधि पर ₹ 23.42 करोड़ का अनियमित अंशदान किया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ओर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के निर्देशों के उल्लंघन में मार्च 2008 से पूर्व किए गए ₹ 38.70 करोड़ की राशि के अत्यधिक योगदान का समायोजन नहीं किया।

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के अप्रैल 1987[•] के निर्देशों के अनुसार, एक एकल केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसई) अपने कर्मचारियों के लिए भारत सरकार (जीओआई) द्वारा इस संबंध में निर्धारित नीतिगत दिशानिर्देशों के व्यापक मापदडों को ध्यान में रखते हुए अवकाश नियम बना सकते हैं।

भारत सरकार ने 1-1-2006 से सेवानिवृत्ति पर इकट्ठे अर्धवेतन अवकाश (एचपीएल) और अर्जित अवकाश (ईएल) की 300 दिनों की समग्रसीमा के नकदीकरण की अनुमति दी थी, जोकि पूर्व में 240 दिनों की अर्जित अवकाश की सीमा के नकदीकरण से बढ़ोतरी थी। इस प्रकार, पूर्वोक्त अप्रैल 1987 के डीपीई दिशानिर्देशें के संदर्भ में, सीपीएसईज़ को

• ओएम सं. 2(27) 85-बीपीई (डब्ल्यूसी) दिनांक 24 अप्रैल 1987

अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर ईएल और एचपीएल के नकदीकरण के लिए 300 दिनों की समग्रसीमा का पालन करना अपेक्षित था।

शिपिंग मंत्रालय द्वारा किए गए संदर्भ पर डीपीई ने 26 अक्तूबर 2010[1] को सभी सीपीएसईज को स्पष्ट किया कि उन्हें 300 दिन की समग्र सीमा से परे अवकाश नकदीकरण की अनुमति नहीं थी। 17 जुलाई, 2012[2] के एक और स्पष्टीकरण में, अप्रैल 1987 के निर्देशों को संदर्भित करते हुए डीपीई ने दोहराया कि अस्वस्थता अवकाश का नकदीकरण नहीं किया जा सकता जबकि ईएल और एचपीएल को सेवानिवृत्ति पर 300 दिन की समग्र सीमा के अधीन अवकाश नकदीकरण के लिए विचार किया जा सकता हैं।

क. लेखापरीक्षा ने पाया कि निम्नलिखित सीपीएसईज ने डीपीई दिशानिर्देशों से हट कर अपने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर 300 दिनों की सीमा से ऊपर एचपीएल/ एसएल/ईल के नकदीकरण पर ₹ 138.58 करोड़ का अनियमित भुगतान किया।

क्रम सं.	**प्रशासनिक मंत्रालय**	**सीपीएसई का नाम**	**अवधि**	**राशि (₹ करोड़ में)**
1	खान मंत्रालय	नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड (नालको)	जनवरी2006 से मार्च 2013	25.67
2	भारी उद्योग मंत्रालय	भारत हेवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड (भेल)	अप्रैल 2013 से अक्तूबर 2013	36.86
3	आवास और शहरी गरीबी अपशयन मंत्रालय	हाऊसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (हुडको)	जनवरी 2006 से अक्तूबर 2012	2.16
4	पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	गेल (इंडिया) लिमिटेड	अप्रैल2008 से मार्च 2013	2.51
5	पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड लिमिटेड (आईओसीएल)	अप्रैल 2008 से मार्च 2013	71.38
कुल				**138.58**

नालको ने बताया (अगस्त 2013) कि एचपीएल के नकदीकरण के लिए डीपीई दिशानिर्देश केवल केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और पीएसयू अधिकारियों पर लागू थे जो

[1] ***ओएम सं. 2(32)10-डीपीई (डब्ल्यूसी) जीएल –XXIII दिनांक 26 अक्तूबर 2010***

[2] ***ओएम सं. 2(14) 2012- डीपीई (डब्ल्यूसी) दिनांक 17 जुलाई 2012***

सीडीए[1] के तर्ज पर वेतन ले रहे थे। कम्पनी के अधिकारी आईडीए[2] तर्ज के स्केल पर वेतन ले रहे थे और आईडीए पैटर्न के स्केलों पर वेतन लेने वाले ऐसे अधिकारियों के संबंध में कोई दिशानिर्देश/निदेश प्राप्त नहीं हुए थे।

भेल ने बताया (जनवरी2014) कि सेवा अवधि के दौरान एचपीएल के नकदीकरण पर रोक लगाने के डीपीई से कोई विशिष्ट निर्देश नहीं थे।

हुडकों ने बताया (फरवरी/नवम्बर 2013) कि दक्षता बनाए रखने और कार्मिकों की संख्या बढ़ाए बिना अधिक कार्य प्राप्त करने के दृष्टिगत एचपीएल का नकदीकरण कम्पनी का साभिप्राय निर्णय था।

गेल ने बताया (अक्तूबर 2013) कि रूपान्तरित अवकाश चिकित्सिय आधार पर लिया जा सकता था जबकि अर्ध वेतन अवकाश अन्य आधारों पर भी अनुमत था। तेल उद्योग में, जहां कार्य चौबीस घंटे चलता था, इस प्रकार की अनुपस्थिति कार्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित और उसके वित्त पर अतिरिक्त भार डाल सकता है।

आईओसीएल ने बताया (अक्तूबर 2013) कि अस्वस्थता अवकाश/अर्धवेतन अवकाश के नकदीकरण अनुमति संचालन आवश्यकता के रूप में इस उद्देश्य के साथ दी गई थी कि यह छुट्टी पर जाने वालो के लिए हतोत्साहित करने का कार्य करे और अनुपस्थिति पर रोक लगाए जो सेवानिवृत्त होने से कुछ वर्ष पूर्व उन व्यक्तियों द्वारा एक या दूसरे आधार पर अक्सर ली जाती है। इस प्रकार, अवकाश नियम डीपीई दिशानिर्देश के तहत सीपीएसईज़ के लिए लचीलेपन के साथ बनाए गए थे। इसलिए अवकाश नकदीकरण का भुगतान डीपीई दिशानिर्देशे के व्यापक ढांचे के अनुपालन में और कम्पनी के नियमों के भीतर था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अवकाश नकदीकरण भारत सरकार की समग्र नीति से परे अप्रैल 1987 के डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमत नहीं थे। इसके अतिरिक्त 26 अक्तूबर 2010 का डीपीई परिपत्र स्पष्ट करता है कि सीपीएसईज़ को 300 दिनों की समग्र सीमा से परे अवकाश नकदीकरण की अनुमति नहीं थी। जुलाई 2012 में जारी एक

[1] ***सेन्ट्रल डीए***

[2] ***इन्डास्ट्रियल डीए***

और स्पष्टीकरण में अप्रैल 1987 के निर्देशों के संदर्भ में, डीपीई ने दोहराया कि सेवानिवृत्ति पर ईएल और एचपीएल पर विचार किया जा सकता है बशर्ते 300 दिनों की समग्र सीमा हो। इस प्रकार सेवानिवृत्ति पर 300 दिनों की समग्र सीमा से परे एचपीएल का नकदीकरण डीपीई के दिशानिर्देशों का उल्लंघन था और इस प्रकार अनियमित था।

ख. कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अनुसार, ईपीएफ के अशंदान में कर्मचारी को दत्र मूल वेतन, महंगाई भत्ता और प्रतिधारण भत्ता (यदि कोई हो तो) का 12 प्रतिशत की दर से नियोक्ता का अंशदान होता था और इसके बराबर ही कर्मचारी का योगदान जो कि कर्मचारी के वेतन से वसूला जाता था। यह प्रश्न कि क्या कर्मचारियों को दत्र अवकाश नकदीकरण की राशि की मूल वेतन के भाग के रूप में गणना की जाए, विभिन्न पणधारियों द्वारा विभिन्न न्यायालयों में विभिन्न समय पर किया गया था। मुम्बई उच्च न्यायालय[1] (सितम्बर 1994) और कर्नाटक उच्च न्यायालय (अक्तूबर 2003)[2] निर्णय दिया कि छूट्टी नकदीकरण पीपीएफ में अंशदान के उद्देश्य के लिए मूल मजदूरी के भाग के रूप में समाधान किया जाना है। बाद में विवाद के अधिनिर्णय पर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय[3] (12 मार्च 2008) कि छुट्टी नकदीकरण के लिए प्राप्त रकम कमी भी मूल मजदूरी में अभिप्रेत नहीं था और निदेश दिया कि यदि कोई भुगतान पहले हुआ है, तो भविष्य की देयताओं के लिए समंजित किया जा सकता है और कोई वापसी दावा नहीं होगा क्योंकि निधि परिचालन में है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर, ईपीएफओ ने छुट्टी नकदीकरण पर भविष्य निधि अंशदान को तत्काल प्रभाव से बंद कर देने के लिए इनके सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचित किया (मई 2008) जहां कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान का शेयर प्राप्त किया गया था, जिसे भविष्य के देयताओं के प्रति समायोजित किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा जॉच में पाया गया (दिसम्बर 2012 से सितम्बर 2013) कि सात सीपीएसईज़ अर्थात भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (भेल) एनएचपीसी लिमिटेड (एनएचपीसी),

[1] ***हिन्दुस्तान लीवर कर्मचारियों के मामलें में संघ बनाम क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (आपीएफसी)***

[2] ***मणिपाल अकादमी उच्च शिक्षा बनाम भविष्य निधि आयुक्त***

[3] ***मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन बनाम सामान्य भविष्य निधि कमिश्नर-अपील (सिविल) 2004 की सं. 1832***

एनटीपीसी लिमिटेड, (एनटीपीसी) पावर ग्रिड कारपोरेशन लिमिटेड (पीजीसीआईएल), टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, (टीएचडीसी) एसजेवीएन लिमिटेड (एसजेवीएन) और पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) ने या तो छुट्टी नकदीकरण के राशि पर कर्मचारियों के भविष्य निधि में कर्मचारियों के अंशदान जारी रखा अथवा भविष्य के देयताओं के प्रति पहले अदा किए गए छुट्टी नकदीकरण पर कर्मचारी के शेयर समायोजित नहीं किया। उपरोक्त सीपीएसईज़ द्वारा अदा किए गए छुट्टी नकदीकरण की राशि पर कर्मचारी का अंशदान के ब्यौरें निम्न प्रकार से हैं:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	**कम्पनी का नाम**	**छूट्टी नकदीकरण पर इपीएफ अंशदान का कर्मचारी का शेयर का भुगतान शुरू करने के महीना**	**छुट्टी नकदीकरण इपीएफ पर अंशदान का कर्मचारी के शेयर बंद करने के महीना**	**सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पहले सेवानिवृत कर्मचारियों से छोड़कर छुट्टी नकदीकरणप इपीएफ अंशदान का कर्मचारियों के शेयर का कुल भुगतान**	**(कालम 5 में शामिल) निर्णय की तारिख पश्चात कर्मचारी द्वारा अंशदान किया गया रकम**	**नियोक्ता द्वारा समायोजित किए जाने वाले समायोजित/ सहमत रकम**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	भेल	अप्रैल 2005	मई 2008	15.16	0.72	शून्य
2	एनएचपीसी	फरबरी 2005	फरबरी 2012	18.58	15.15	शून्य
3	एनटीपीसी	जनू 2001	अक्तूबर 2008	20.91	3.37	शून्य
4	पीजीसीआईएनल	जनू 2003	अक्तूबर 2008	4.39	1.13	शून्य
5	टीएचडीसी	मई 2005	अप्रैल 2012	3.08	2.37	शून्य
6	एसजेवीएन	अगस्त 2006	फरबरी 2011	0.76	0.68	0.76
7	पीएफसी	अप्रैल 2005	मई 2008	0.23	0	0.23
	कुल			**63.11**	**23.42**	**0.99**

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि (i) उपरोक्त सात सीपीएसईज़ में से छः अर्थात भेल, एनएचपीसी, एनटीपीसी, पीजीसीआईएल, टीएचडीसी और एसजेवीएन ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय (मार्च 2008) के पश्चात् भी छुट्टी नकदीकरण पर ₹ 23.42 करोड़ की सीमा तक ईपीएफ का अंशदान करना जारी रखा। भेल एवं पीएफसी के अलावा, छुट्टी नकदीकरण पर ईपीएफ अंशदान इपीएफओ के विशेष अनुदेशों (मई 2008) के बाद भी जारी रहा। (ii) सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से पूर्व की अवधि से संबंधित ₹ 39.69

करोड़ (₹ 63.11 करोड़ घटा ₹ 23.42 करोड) की राशि के अधिक अंशदानों में से ₹ 38.70 करोड़ की राशि (₹ 39.69 करोड़ घटा ₹ 0.99 करोड़, एसजेवीएन और पीएफसी द्वारा समायोजित/सुनिश्चित करके) असमायोजित रही।

भेल ने बताया (सितम्बर 2013) कि सेवारत कर्मचारियों के संबंध में समायोजन सम्भव नहीं था क्योंकि समान नीति मामलों पर अलग स्टैंड सेवा की समान अवधि के लिए सेवारत और सेवानिवृत कर्मचारियों के संबंध में नहीं लिया जा सकता था।

एनएचपीसी/मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2013/मार्च 2014) कि छुट्टी नकदीकरण पर ईपीएफ अंशदान के भुगतान को बंद कर दिया गया था जबकि लेखापरीक्षकों ने 2010-11 के वार्षिक लेखाओं को अन्तिम रूप देते समय अनियमित्ता के बारे में बताया।

एनटीपीसी ने बताया (अक्तूबर 2013) कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भविष्य निधि कटौतियों को बन्द करने में लिया गया समय शामिल प्रक्रियाओं के कारण था।

पीजीसीआईएल/मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2013/मार्च 2014) कि उन्होंने अक्तूबर 2008 से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लागू कर दिया था।

टीएचडीसी/मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2013/मार्च 2014) कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप मामले को इसके कार्यान्वयन से संबंधित विधिक जटिलताओं के मद्देनजर विधिक सलाहकार को भेज दिया गया था और इस कार्यप्रणाली को अतत: 2012-13 से बंद कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों में अशांति को दूर करने के लिए भविष्य में अधिक अंशदान को समायोजित न करने का निर्णय लिया गया था।

एसजेवीएन/मंत्रालय ने बताया (जून 2013/मार्च 2014) कि मई 2008 के ईपीएफओ के अनुदेश उनके द्वारा जनवरी 2011 में प्राप्त किए गए थे और कार्यप्रणाली को फरवरी 2011 से बंद कर दिया गया था।

पीएफसी ने बताया (सितम्बर 2013) कि भविष्य अंशदानों के प्रति अधिक अंशदान की राशि को समायोजित करने और पृथक्कृत/सेवानिवृत कर्मचारियों से राशि की वसूली के लिए कार्रवाई की जा रही थी।

जवाबों को इस तथ्य के प्रति देखा जाए कि छुट्टी नकदीकरण पर भविष्य निधि अंशदान को बंद करने के लिए ईपीएफओ के मई 2008 के अनुदेशों के साथ-साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय तत्काल प्रभाव से प्रयोज्य और भविष्य देयताओं के प्रति पहले से ही किए गए अधिक अंशदानों के समायोजन को आदेश भी था। यह ईपीएफओ के निदेशों की प्रयोज्य को स्थगित या पहले ही किए गए अधिक अंशदानों के समायोजन से बचने के लिए सीपीएसईज हेतु स्पष्ट नहीं था।

मामलों की भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय को भेजा गया था (नवम्बर 2013) ; भेल, पीएफसी और एनटीपीसी के संबंध में उनकी प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (मार्च 2014)।

ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड, मेकोन लिमिटेड,रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड और भारत डायनामिक्स लिमिटेड

13.2 निष्पादन संबंधी वेतन के प्रति अनियमित भुगतान

'निष्पादन संबंधी वेतन' भुगतान के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों का पालन न करने के कारण सीपीएसईज ने वर्ष 2008-09 से 2012-13 के लिए ₹ 202.95 करोड़ का अनियमित भुगतान किया था।

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने सीपीएसईज के कार्यकारियों और असंगठित पर्यवेक्षकों के वेतन और अनुलाभ भते तथा निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी) को विनियमित करने के लिए अनुदेश जारी किए थे (नवम्बर 2008)। उपरोक्त अनुदेश पीआरपी को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के लाभों और कार्यकारियों के निष्पादन से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ते है। नवम्बर 2010 और जुलाई 2011 में उस पर जारी अनुदेशों और अगले स्पष्टीकरणों के साथ-साथ पीआरपी के भुगतान के लिए निम्नलिखित शर्तें रखी गई थीं।

(i) प्रत्येक सीपीएसई को अधिकारियों की ग्रेडिंग करने में 'बैल कर्व एप्रोच' को अपनाना अपेक्षित था जिससे कि 10 से 15 प्रतिशत कार्यकारियों से अधिक नहीं, को उत्कृष्ट/ श्रेष्ठ के रूप में ग्रेड किया गया था और 10 प्रतिशत कार्यकारियों को 'कम अच्छा' के रूप में ग्रेड दिया जाना चाहिए। डीपीई ने आगे स्पष्टीकरण दिया (जुलाई 2011) कि प्रत्येक सीपीएसई को 'बैल कर्व एप्रोच' का कड़ाई से

पालन करना है और सुनिश्चित करना है कि 10 प्रतिशत कार्यकारियों के 'कम अच्छा' के रूप में ग्रेड दिया गया है और किसी पीआरपी का भुगतान नहीं किया गया है।

(ii) सीपीएसईज द्वारा उनके कार्यकारियों को पीआरपी दोहरी सीमाओं के अध्यधीन था उर्थात बोर्ड स्तर के निचले कार्यकारियों के लिए मूल वेतन के 40 प्रतिशत से 70 प्रतिशत और बोर्ड स्तर के कार्यकारियों के लिए मूल वेतन का 100 प्रतिशत से 200 प्रतिशत के बीच की ग्रेडवार अधिकतम सीमा और (ख) एक उद्यम के कर से पहले लाभ के 5 प्रतिशत की समग्र अधिकतम सीमा।

(iii) पीआरपी की संगणना के लिए कर से पूर्व लाभ (पीबीटी) सीपीएसईज के विशेष उद्देश्यों एवं महत्वपूर्ण कार्यकलापों से आना सम्भावित था और यह कि स्टॉक का मूल्यांकन, सरकार द्वारा अनुदान/माफ करना, भूमि की बिक्री आदि जैसी असाधारण मदों को (मदों की सूची पूर्ण नहीं है) जहां तक पीआरपी का संबंध है, पीबीटी की संगणना में शामिल नहीं किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निम्नलिखित सीपीएसईज डीपीई दिशानिर्देशों से विचलित हुए और निष्पादन संबंधी भुगतानों के प्रति अपने कर्मचारियों को ₹ 202.95 करोड़ का अनियमित भुगतान किया था

क्रम सं.	प्रशासनिक मंत्रालय	सीपीएसई का नाम	अवधि	अनियमितता	राशि (₹ करोड़ में)
1	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी	2010-11 से 2012-13	जबकि कम्पनी ने 10 प्रतिशत कार्यकारियों को कम अच्छा के रूप में ग्रेड दिया था, फिर भी इसने कम अच्छा ग्रेडिंग वाले कार्यकारियों में से 2010-11 के दौरान 2 प्रतिशत और 2011-12 के दौरान 0.132 प्रतिशत को छोड़कर सभी कार्यकारियों को पीआरपी का भुगतान किया था	117.10
2	इस्पात मंत्रालय	मेकोन लिमिटेड	2009-10 से 2011-12	कम्पनी ने 'बेल कर्व' पद्धति का पालन नहीं किया था और अपने कुल कार्यकारियों के केवल दो प्रतिशत को 'कम अच्छा ' के रूप में माना। दो प्रतिशत, जिनको 2009-10 और 2010-11 के दौरान 'कम अच्छा' माना गया था, सहित अपने सभी कार्यकारियों को पीआरपी का भुगतान किया। तथापि, 2011-12 के	9.12

				लिए पीआरपी का भुगतान इसके कुल 98 प्रतिशत कार्यकारियों को किया गया था। कम्पनी की पारिश्रमिक समिति ने डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार सभी कार्यकारियों को अलग किया था जिसमें कुल कार्यकारियों के 15 प्रतिशत के निष्पादन को 'उत्कृष्ट' के रूप में, 45 प्रतिशत कार्यकारियों को 'बहुत अच्छा ' के रूप में और 30 प्रतिशत को 'अच्छा' के रूप में ग्रेड दिया गया था। तथापि, कम्पनी ने 2009-10 से 2011-12 के दौरान इस प्रथक्करण का पालन नहीं किया और 'उत्कृष्ट ' के रूप में 17 से 24 प्रतिशत कार्यकारियों और 'बहुत अच्छा ' के रूप में 57 से 64 प्रतिशत कार्यकारियों एवं 'अच्छा' के रूप से 14 से 17 प्रतिशत की निष्पादन रेटिंग आशोधित की।	
3	विद्युत मंत्रालय	रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी)	2009-10 से 2012-13	कम्पनी की परिश्रमिक समिति ने पाया (दिसम्बर 2011) कि नवम्बर 2008 के डीपीई अनुदेशों के अनुसार ग्रेडवार अधिकतम सीमा को शुरू करने के परिणामस्वरूप आरईसी में प्रचालन में अनुग्रहपूर्वक भुगतान सहित तत्कालीन विद्यमान पीआरपी योजना की तुलना में कार्यकारियों को प्रोत्साहन भुगतान में 68 प्रतिशत की औसत कमी आई। इसलिए कम्पनी ने बेस लाइन 'मुआवजा' के रूप में अपने कार्यकारियों को अतिरिक्त घटक का भुगतान किया था जो उनके मूल वेतन के अधिकतम 66 प्रतिशत के अध्यधीन था और पीआरपी में कमी के प्रति उन्हे आशिंक रूप से मुआवजा देने के लिए आरईसी के लाभ के 5 प्रतिशत की समग्र अधिकतम सीमा के अंदर था।	51.68
4	भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	2008-09	कम्पनी की पारिश्रमिक समिति ने टिप्पणी की (जनवरी 2010) कि 2008-09 के लिए पीआरपी के अग्रिम भुगतान देय पीआरपी से अधिक कम्पनी द्वारा पहले ही किए जा चुके थे और पहले से ही भुगतान की जा	15

				चुकी अधिक राशि की वसूली कर्मचारियों को हतोत्साहित करेगी। कम्पनी ने कार्यकारियों को पहले से ही किए गए अधिक/ भुगतान को माफ कर दिया था।	
5	रक्षा मंत्रालय	भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल)	2007-08 से 2010-11	2007-08 से 2010-11 के लिए कम्पनी के ₹ 276.52 करोड़ की पीबीटी में कम्पनी को सौंपी गई विभिन्न परियोजनाओं के लिए मंत्रालय से मुख्यत: अग्रिम के रूप में प्राप्त हुई निधियों के अल्प कालिक जमाओं पर अर्जित ₹ 474.29 करोड़ की ब्याज आय शामिल है। यदि पीबीटी केवल ₹ 474.29 करोड़ की ब्याज आय को छोड़ते हुए कम्पनी के प्रमुख कार्यकलापों से संबंधित आय से प्राप्त होती है, तो पीआरपी का भुगतान उदभुत नहीं होगा क्योंकि पीआरपी के भुगतान के उद्देश्य के लिए 2007-08 से 2010-11 की अवधि के दौरान कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ था।	10.05*
जोड़					**202.95**

* इसके अलावा, 2011-12 और 2012-13 के वर्षों के लिए पीआरपी के प्रति क्रमश: ₹ 10.07 करोड़ और ₹ 10.64 करोड़ के प्रावधान भी नहीं किए गए हैं।

इस प्रकार, सीपीएसईज ने डीपीई दिशा निर्देशों के विचलन में अपने कार्यकारियों को पीआरपी के प्रति अनियमित भुगतान किया था।

ओएनजीसी ने बताया (अक्तूबर 2013) कि (क) डीपीई दिशानिर्देर्शों में कार्यकारियों को सिफर (शून्य) पीआरपी भुगतानों के बारे में उल्लेख नहीं किया गया था। इसमें केवल उल्लेख किया गया कि 10 प्रतिशत कार्यकारियों को 'कम अच्छा ' ग्रेड दिया जाना था।

मेकोन लिमिटेड ने बताया (दिसम्बर 2013) कि (क) यह प्रत्येक वर्ष गैर-निष्पादक के रूप में 10 प्रतिशत कार्यकारियों की सख्ती से पहचान करना और उन्हें कम अच्छा के रूप में ग्रेड देना मेकोन जैसी सलाहकारी संस्था, डिजाईन एवं इंजीनियरिंग संगठन के लिए व्यावहारिक रूप से सम्भव नहीं था; (ख) डीपीई ने यह नहीं बताया कि पीआरपी का भुगतान कम अच्छे कार्यकारियों को नहीं किया जाना चाहिए; और (ग) कम्पनी द्वारा बताए गए उत्कृष्ट निष्पादक सीमान्त रूप से 15 प्रतिशत से केवल अधिक थे।

आरईसी/मंत्रालय ने बताया (जून 2013/जनवरी 2014) कि 'बेसलाइन मुआवजा' से संबंधित निष्पादन का भुगतान बनाए नए नियमों, जिनमें कर्मचारियों के मनोबल और अभिप्रेरण को गम्भीर रूप से कमजोर करने की संभावना थी, के अन्तर्गत प्रोत्साहन भुगतानों में कमी सहित मामले के सभी पहलुओं की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद किया था।

भेल ने बताया (जून 2012) कि चूँकि पीआरपी योजना को पूर्व प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया गया था और वर्ष 2008-09 के लिए पीआरपी अग्रिम के कारण भुगतान पहले ही कर दिया गया था, इसलिए वसूली करना उपयुक्त नहीं होगा क्योंकि इससे कर्मचारियों में हतोत्साहन के साथ रोष भी पैदा होगा।

बीडीएल के संबंध में मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2013) कि ब्याज आय असाधारण आय नहीं थी क्योंकि यह ठेका के अन्तर्गत जिसने माइलस्टोन का उल्लेख किया था से प्राप्त हुए स्तर भुगतानों से उदभूत हुई थी। रक्षा उपस्कर की कीमतों को अग्रिमों के भुगतान को ध्यान में रखते हुए अंतिम रूप दिया गया था और इसलिए ब्याज आय को व्यापार आय के रूप में माना गया था।

सीपीएसई/मंत्रालय के जवाबों का निम्नलिखित तथ्यों के प्रति अवलोकन किया जाना है:

(i) डीपीई कार्यालय ज्ञापन(ओएम) दिनांक 06 जुलाई 2011 ने स्पष्ट रूप से अनुबद्ध किया कि 10 प्रतिशत कार्यकारियों को 'कम अच्छा' के रूप से ग्रेड दिया जाना था और किसी पीआरपी का भुगतान नहीं किया जाना था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि डीपीई दिशानिर्देश सीपीएसईज के 10 प्रतिशत कार्यकारियों को न केवल 'कम अच्छा ' के रूप में ग्रेड देने का आदेश देती है बल्कि इस प्रकार चिन्हित किए गए कार्यकारियों को किसी पीआरपी के भुगतान से भी रोकती है।

(ii) नवम्बर 2008 के डीपीई अनुदेशों में इन अनुदेशों से पूर्व कार्यकारियों को भुगतान किए जा रहे पीआरपी को सुरक्षा प्रदान नहीं की गई और इसलिए कर्मचारियों को वित्तीय हानि का तर्काधार त्रुटिपूर्ण था। इसके अलावा, ग्रेडवार अधिकतम सीमा को संवितरण योग्य लाभों के 5 प्रतिशत की समग्र अधिकतम सीमा के अतिरिक्त डीपीई द्वारा निर्धारित किया गया था और बीओडी को इन ग्रेडवार अधिकतम सीमा से अधिक पीआरपी का अनुमोदन करने के लिए डीपीई अनुदेशों के अन्तर्गत सशक्त नहीं किया गया था।

(iii) ब्याज आय से प्रोदभूत लाभ के घटक पर पीआरपी की अस्वीकार्यता नवम्बर 2010 में डीपीई द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से स्पष्ट है कि सीपीएसईज के लाभ उनके विशिष्ट उद्देश्यों और प्रमुख कार्यकलापों से सृजित होने सम्भावित है। रक्षा ग्राहकों से प्राप्त हुए अग्रिमों पर बेशी निधियों के निवेश आकस्मिक कार्यकलाप है, मुख्य कार्यकलाप नहीं है। इस प्रकार अर्जित आय कारबार प्रचालनों से प्राप्त आय नहीं हैं।

इस प्रकार, 'निष्पादन संबंधी वेतन' के भुगतान के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों का पालन न करने के कारण सीपीएसईज ने वर्ष 2008-09 से 2012-13 लिए ₹ 202.95 करोड़ का अनियमित भुगतान किया था।

जनरल इन्श्योरेस कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नोर्दन कोलफील्डस लिमिटेड, स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनएमडीसी लिमिटेड, ऑयल एण्ड नेचरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया और एयरपोर्टस अथोरिटी ऑफ इंडिया

13.3 लेखापरीक्षा के बतानें पर वसूलियां

नमूना जाँच के दौरान वसूली न करने, अधिक भुगतान, अनियमित भुगतान आदि से संबंधित कुछ मामलें बताए गए थे। आठ सीपीएसईज से संबंधित 20 मामलों में लेखापरीक्षा ने दर्शाया कि ₹ 140.76 करोड़ की राशि वसूली हेतु देय थी। सीपीएसईज के प्रबंधन ने 2012-13 की अवधि के दौरान (फरवरी 2014 तक) ₹ 115.53 करोड़ (82 प्रतिशत) की राशि वसूल की थी, जैसा कि ब्यौरा **परिशिष्ट - I** में वर्णित है।

नेशनल हाइवेज अथोरिटी ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारन्टी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

13.4 लेखापरीक्षा के बताने पर सुधार/संशोधन

नमूना जांच के दौरान नियमों/विनियमों के उल्लंघन और व्यापार प्रचालन में अप्रभावी वियोजना से संबंधित मामले देखे गए थे और प्रबंधन के ध्यान में लाए गए थे। मामलों के विवरण जहां लेखापरीक्षा के बताने पर अपनी नीतियों/प्रक्रियों आदि में अनुवर्ती वर्षों में प्रबंधन द्वारा परिवर्तन किए गए थे, परिशिष्ट - **II** में दर्शाया गया है।

अध्याय XIV: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

नेशनल हाईवेज अॅथोरिटी ऑफ इंडिया

14.1 टोल संचालन के प्रारम्भ करने में असामान्य विलम्ब के कारण राजस्व की हानि

कार्य समापन की तारिख से टोल के संग्रहण को प्रारम्भ करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों और संग्रहण का अवधारण) नियमावली, 2008 में अनुबद्ध किए गए 45 दिनों के प्रति एनएच-2 पर इलाहाबाद बायपास परियोजना पर टोल संग्रहण लगभग तीन वर्षों के विलम्ब के बाद प्रारम्भ हो सका जिसके परिणामस्वरूप ₹ 150.09 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

नेशनल हाइवे अॅथोरिटी ऑफ इंडिया (प्राधिकरण) ने ₹ 1502.167 करोड़ की कुल लागत पर एनएच 2 पर 158.00 कि.मी. से 242.708 कि.मी. तक इलाहाबाद बायपास सड़क के निर्माण का कार्य निष्पादित किया था। परियोजना को 15 अक्तूबर, 2009 तक पूरा कर लिया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों एवं संग्रहण का अवधारण) नियमावली, 2008, (टोल नियमावली) के अनुसार सार्वजनिक निधिबद्ध परियोजनाओं के मामले में टोल का संग्रहण परियोजना के समापन की तारीख से 45 दिनों के अन्दर प्रारम्भ होगा। प्राधिकरण ने अनुमोदन के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) को ड्राफ्ट टोल अधिसूचना प्रस्तुत की (मई 2009)। कथित ड्राफ्ट अधिसूचना का एमओआरटीएच द्वारा इस आधार पर अनुमोदन नहीं किया गया था (21 अगस्त, 2009) कि टोल नियमावली में संशोधन की आवश्यकता है। परिणामत: राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों एवं संग्रहण का अवधारण) नियमावली, 2008 में संशोधन 3 दिसम्बर, 2010 और 12 जनवरी, 2011 को अधिसूचित किए गए थे। प्राधिकरण ने 24 जनवरी 2011 को अनुमोदन के लिए एमओआरटीएच को संशोधित ड्राफ्ट टोल अधिसूचना भेज दी थी जिसे अतत: 18 अगस्त, 2011 को प्रकाशित कर दिया गया था और टोल संग्रहणकर्ता एजेंसी के साथ करार 31 जुलाई, 2012 को किया जा सका था।

लेखापरीक्षा में जांच से पता चला कि टोल संचालन को केवल विभिन्न स्तरों पर समय से कार्रवाई करने में असामान्य विलम्ब के कारण समापन की तारीख से लगभग तीन वर्षों की अवधि के बाद प्रारम्भ किया जा सका था। अर्थात:

- एमओआरटीएच की तरफ से लगभग 20 माह का विलम्ब अर्थात टोल नियमावली में संशोधनों को अधिसूचित करने में 14 माह का विलम्ब और टोल अधिसूचना के जारी करने में छः माह का अतिरिक्त विलम्ब हुआ था। टोल अधिसूचना का मामला संशोधित फीस नियमावली के प्रकाशन तक रोक कर रखा गया था। एमओआरटीएच द्वारा राजस्व की हानि से बचने के लिए किसी वैकल्पिक तंत्र का अनुमोदन नहीं किया गया था।

- एनएचएआई की तरफ से लगभग 12 माह का विलम्ब अर्थात टोल संग्रहण एजेंसी के चयन के लिए आमंत्रित निविदाओं पर खराब प्रतिक्रिया के कारण लगभग छः माह का विलम्ब हुआ क्योंकि वार्षिक सम्भाव्य संग्रहण (एपीसी) को उच्चतर साइड पर नियत किया गया था, इसलिए एकमात्र बोलीदाता से प्रस्ताव प्राप्त करने की तारीख से टोल संग्रहण एजेंसी के साथ करार को अंतिम रूप देने में लगभग चार माह का विलम्ब और टोल संग्रहण को प्रारम्भ करने में अतिरिक्त विलम्ब हुआ था।

उपरोक्त के परिणामस्वरूप ₹ 150.09 करोड़ की राजस्व हानि हुई जिसमें ₹ 92.67 करोड़ एमओआरटीएच द्वारा टोल अधिसूचना को जारी करने मे विलम्ब के कारण हुई थी और ₹ 57.42 करोड़ की राजस्व हानि प्राधिकरण द्वारा टोल संग्रहण में विलम्ब के कारण हुई थी।

प्राधिकरण ने अपने उत्तर में बताया (जून 2013) कि इसने टोल अधिसूचना के लिए प्रस्ताव एमओआरटीएच को समय पर प्रस्तुत कर दिया था और टोल संग्रहण प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से टोल संग्रहण एजेंसी के चयन के लिए टोल संग्रहण एजेंसी के लगाने एवं इसके प्रयत्नों की ख्राब प्रतिक्रिया के सबंध में इसकी नीति में परिवर्तन के कारण टोल अधिसूचना के केवल लगभग एक वर्ष के बाद शुरू किया जा सकता था। इसने आगे बताया कि पैरा में इंगित की गई हानि वास्तविक हानि नहीं थी बल्कि केवल फीस वूसली का आस्थगन था क्योंकि उपयोक्ता फीस के माध्यम से पूंजीगत लागत की वसूली के बाद उदग्रहणीय फीस 40 प्रतिशत तक कम हो जाएगी।

मंत्रालय ने उत्तर का समर्थन करते हुए (अक्तूबर 2013) में विभिन्न स्तरों/चरणों पर विलम्ब को न्याय संगत ठहराते हुए कार्यक्रमों का कालानुक्रम प्रस्तुत किया। इसने आगे उत्तर दिया (दिसम्बर 2013) कि चूंकि टोल नियमावली में संशोधन प्रक्रियाधीन थे, इसलिए कोई वैकल्पिक तंत्र उपयोक्ता फीस के संग्रहण के लिए बनाया नहीं जा सका था इसलिए उपयोक्ता फीस के संग्रहण को केवल तभी शुरू किया जा सका था जब वर्तमान स्ट्रेच के लिए फीस अधिसूचना अधिसूचित की गई। यह भी बताया गया कि एपीसी को यातायात सर्वेक्षण के आधार पर उपयोक्ता फीस संग्रहण का निर्धारण किया जाता है और इसे मनमाने ढंग से बदला नहीं जा सकता।

मंत्रालय/प्राधिकरण का उत्तर निम्नलिखित के मद्देनजर स्वीकार्य नहीं है:

(i) एमओआरटीएच ने अवधि के दौरान, जब इस नियमावली में संशोधन प्रक्रियाधीन थे, राजस्व हानि से बचने के लिए स्पष्ट रूप से एनएच फीस नियमावली 2008 के अन्तर्गत उपयुक्त कार्रवाई नहीं की। मौजूदा एचएच फीस नियमावली 2008 की प्रयोज्यता पर विचार करने के लिए एक प्रस्ताव (नियमावली में लम्बित प्रस्तावित संशोधन) दिसम्बर 2009 में मंत्रालय में आरम्भ किए गए थे। तथापि, मंत्रालय ने 11 माह तक प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई नहीं की थी जब तक की फीस नियमावली में संशोधन नहीं जाते।

(ii) मंत्रालय का यह तर्क कि एपीसी को यातायात सर्वेक्षण के आधार पर निर्धारित किया जाता है और इसे मनमाने ढंग से बदला नहीं जा सकता था जोकि इस तथ्य का उल्लंघन करता है कि वार्षिक यातायात वृद्धि दर पर एनएचएआई द्वारा 2011 में सात प्रतिशत के रूप में विचार किया गया था जो स्वयं में विवेकाधीन थीं क्योंकि एनएचएआई ने एपीसी निर्धारित करते समय 2012 में पांच प्रतिशत प्रति वर्ष तक उक्त को संशोधित किया था।

(iii) पांच प्रतिशत वार्षिक बढ़ोतरी के साथ ठेकेदार के साथ एनएचएआई द्वारा अन्तिम रूप दिए गए ₹ 61.11 करोड़ की वार्षिक एपीसी के आधार पर परियोजना की ₹ 1502.17 करोड़ की पूंजीगत लागत की वसूली के संबंध में उक्त को अगले 17 वर्षों में वसूल किया जाना था। तथापि, स्वर्णित चतुर्भूज(जीक्यू) का भाग होने के कारण उक्त स्ट्रेच को बीओटी आधार पर 2006 में अवसंरचना समिति (सीओआई), भारत सरकार (जीओआई) द्वारा 'छः लेन' में उन्नयन के लिए पहले ही अनुमोदन किया जा चुका है और एनएचएआई ने बीओटी आधार पर छः लेनों

के देने के लिए वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए अपनी कार्य योजनाओं में उक्त को शामिल किया है। जीक्यू के आगरा-इटावा-चकेरी, इटावा बायपास, वाराणसी- औरंगाबाद, औरंगाबाद-बारवा अड्डा, बारवा अड्डा–पानागढ, दानकुनी-खड़गपुर जैसे दूसरे स्ट्रेच पहले ही मार्च 2013 की समाप्ति तक छः लेनिंग के लिए दिए गए थे अर्थात छः लेनिंग के लिए सीओआई के सात वर्षों के स्पान के। इस प्रकार, बीओटी पर छः लेनिंग के लिए स्ट्रेच के कार्य देने पर उपयोक्ता फीस के माध्यम से किसी लागत वसूली का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

(iv) टोल संग्रहण एजेंसी के लगाने के लिए बोलियों पर खराब प्रतिक्रिया प्राधिकरण द्वारा एपीसी के अवास्तविक निर्धारण की सूचक थी। इसके अलावा, बोली की प्राप्ति की तारीख से चार माह से अधिक के विलम्ब और करार की तारीख से टोल संग्रहण में 14 दिनों की अतिरिक्त विलम्ब के बाद कर संग्रहण एजेंसी के साथ करार करने के लिए कोई औचित्य नहीं था।

इस प्रकार एमओआरटीएच एवं प्राधिकरण द्वारा समय से कार्रवाई करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप ₹ 150.09 करोड़ की हानि हुई।

14.2 खराब ठेका प्रबंधन के परिणामस्वरूप निर्णीत हर्जानों की कम वसूली हुई

पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ समापन प्रमाणपत्र जारी करते हुए ठेकेदार को अनुचित लाभ देने और ठेके की शर्तों के उल्लंधन में निर्णीत हर्जाने की कम वसूली के परिणामस्वरूप ₹ 35.63 करोड़ की संभावित हानि हुई।

नेशनल हाईवेज ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया (एनएचएआई) ने ₹ 396.48 करोड़ की कुल लागत पर उ.प्र.और बिहार के राज्य में मौजूदा दो लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)2, वाराणसी – मोहानिया स्ट्रैच के 76.17 कि.मी. को चार लेन का बनाने और सुदृढीकरण के लिए मै. पीसीएल-सनकोन (जेवी) के साथ ठेका किया (मार्च 2002) था। परियोजना को 30 मार्च 2005 को समाप्त 36 माह की समग्र समापन अवधि के साथ तीन खण्डों बांटा गया था। परियोजना 31 मार्च 2002 से शुरू हो गई थी लेकिन तीन खण्डों में से किसी पर भी कार्य समय पर पूरा नहीं हुआ था। सभी तीसरे खण्ड के लिए पिछली ईओटी के साथ सभी तीन खण्डों के लिए दिया गया समय विस्तारण (ईओटी) 20 जुलाई 2006 तक था। वास्तव रूप से परियोजना को 20 दिसम्बर 2010 तक पूरा किया गया

था। ठेके के खण्ड 47.1[1] और 47.2[2] के अनुसार ठेकेदार कार्य के समापन में विलम्ब के लिए निर्णीत हर्जाने के भुगतान के लिए दायी था। बोली के लिए परिशिष्ट ने अंतिम ठेका मूल्य के 10 प्रतिशत के रूप में एलडी की अधिकतम राशि का प्रावधान किया था। मैं एलईए एसोसिएट्स साऊथ एशिया प्रा. लि. उपरोक्त कार्य के लिए निर्माण पर्यवेक्षक सलाहकार था।

एनएचएआई मुख्यालयों के मामलें की अनुवर्ती कार्रवाई के साथ-साथ परियोजना कार्यान्वयन यूनिट वाराणसी के अभिलेखों की जून 2011 में लेखापरीक्षा की जांच से पता चला कि:

- पर्यवेक्षण सलाहकार ने कुल 67.55 कि.मी. की लम्बाई (सभी तीन खण्डों के स्टेचिज शामिल है) के फरवरी और मई 2006 के रूप में पूर्व प्रभावी रूप से समापन के माह को दर्शाते हुए 4 अक्तूबर 2007 को प्राप्ति प्रमाणपत्र (टीओसी) जारी किया था। इसे शेष कार्य को अनुचित रूप से पूरा करने के लिए 16 माह (जून 2006 से अक्तूबर 2007) का अतिरिक्त समय दिया जिससे ठेकेदार को अनुचित लाभ हुआ।

 एमओआरटीएण्डएच ने 67.55 कि.मी. के उपरोक्त पूरा किए गए सड़क स्ट्रैच के प्रति एमओआरटीएण्डएच को एनएचएआई के इस स्पष्टीकरण दिनांक 7-9-2007, कि स्ट्रैच के कुछ भाग को निकट भविष्य में पूरा नहीं किया जाएगा, पर विचार

[1] ***खण्ड 47.1 यदि ठेकेदार सुसंगत निर्धारित समय के अंदर समस्त कार्य या,यदि लागू है, किसी खण्ड के समापन के लिए समय से अनुपालन करने में विफल रहता है तो ठेकेदार प्रत्येक दिन या दिन के भाग के लिए ऐसी चूक के लिए निर्णीत हर्जानों के रूप में, और शास्ति के रूप में नहीं निविदा के लिए परिशिष्ट में दर्शाई गई सुसंगत राशि का भुगतान नियोक्ता को करेगा जो समापन के लिए सुसंगत समय और समस्त कार्य या सुसंगत खण्ड का प्राप्ति प्रमाणपत्र में बताई गई तारीख के बीच बीत जाएगा, जो निविदा के लिए परिशिष्ट में बताई गई लागू सीमा के अध्यधीन होगा।***

[2] ***ख्ण्ड 47.2 यदि समस्त कार्य, या, यदि लागू है, किसी खण्ड के समापन के समय पहले प्राप्ति प्रमाणपत्र कार्य के किसी भाग या खण्ड के लिए जारी किया जाता है तो उस कार्य या उस खण्ड के शेष कार्य के समापन में विलम्ब के लिए निर्णीत हर्जाने को, ऐसे प्राप्ति प्रमाणपत्र में बताई गई तारीख के बाद की किसी विलम्ब अवधि और ठेके में वैकल्पिक प्रावधानों के अभाव में उस अनुपात में कम कर दिया जाएगा जो समस्त कार्य या खण्ड के मूल्य हेतु प्रमाणित भाग का मूल्य होगी जैसा लागू है। इस उपखण्ड का प्रावधान भाग एलडी की दर के लिए लागू नहीं होगा और उसकी सीमा को प्रभावित नहीं करेगा।***

करते हुए केवल 57 कि.मी. के सड़क स्ट्रेच को कम करने के लिए 7 सितम्बर 2007 को टोल फीस अधिसूचना जारी की। इससे टीओसी में यथा उल्लिखित वास्तविक रूप से पूर्ण की गई लम्बाई के औचित्य के संबंध में संदेह उत्पन्न हुआ।

- 20 जुलाई 2006 की ईओटी तारीख तक अपूर्ण रही सड़क की लम्बाई 8.62 कि.मी. (76.17-67.55) थी जिस पर निर्णीत हर्जाने (एलडी) की ठेकागत प्रावधानों के अनुसार समस्त कार्य के समापन तक विलम्ब के प्रत्येक दिन या उसके भाग के लिए गणना की जानी थी और उदग्रहण किया जाना था, जिसकी राशि गणना ₹ 38.13 करोड़ की गई। तथापि, पर्यवेक्षण सलाहकार ने केवल ₹ 3.96 कि.मी. के अपूर्ण स्ट्रेच पर विचार करते हुए शेष कार्य का निर्धारित मूल्य होने की वजह से ₹ 25 करोड़ के 10 प्रतिशत तक एलडी को सीमित करते हुए ₹ 2.5 करोड़ के एलडी राशि का निर्धारण किया (2008)। यह ठेकागत प्रावधानों का उल्लंघन था और इसके कारण ₹ 35.63 करोड़ तक के एलडी की कम वसूली हुई।

इस प्रकार, पूर्वव्यापी तारीख पर टीओसी के प्रचालन और ₹ 35.63 करोड़ तक एलडी की कम वसूली की वजह से पर्यवेक्षण सलाहकार के इरादे निष्कपट होने पर सन्देह उत्पन्न होता है।

लेखापरीक्षा आपत्ति के जारी होने के बाद एनएचएआई ने ठेकेदार पर ₹ 34.29 करोड़ (जून 2013) का अतिरिक्त एलडी लगाया। इसकी प्रतिक्रिया में ठेकेदार ने असहमति प्रस्तुत की (जुलाई 2013) और दिल्ली उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया।

एनएचएआई ने बताया (जुलाई 2011) कि पर्यवेक्षण सलाहकार की सिफारिश पर और कार्य के हित में एलडी की कटौती की गई थी। जनवरी 2013 में प्रबंधन से मामले की जांच और दिसम्बर 2013 में मंत्रालय/प्रबंधन में फिर से जांच के बावजूद समापन की कथित तारीख के 16 माह के बाद टीओसी जारी करने के औचित्य और एलडी की कम वसूली के संबंध मे जवाब प्रतीक्षित था।

निकट भविष्य में ठेकेदार से शेष एलडी की वसूली सन्देहास्पद प्रतीत होती है क्योंकि ठेकेदार न्यायालय में चला गया है। इस प्रकार, एनएचएआई द्वारा विलम्बित कार्रवाई के साथ खराब ठेका प्रबंधन के परिणामस्वरूप ठेकेदार को अनुचित लाभ और एनएचएआई को ₹ 35.63 करोड़ की संभावित वित्तीय हानि हुई।

मामला दिसम्बर 2013 में मंत्रालय को सूचित किया गया था उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2014)।

14.3 ठेकेदार को अनुचित पक्षपात

वर्ष 2006 से 2009 के दौरान ₹ 10.56 करोड़ के वृद्धि प्रभारों के भुगतान और ₹ 7.06 करोड़ के निर्णीत हर्जानों की वूसली न करने के साथ–साथ करार को समाप्त न करने के कारण ठेकेदार को अनुचित पक्षपात दिया गया जोकि ठेकेदार को आरोप्य कारणों के लिए पर्याप्त समय और सभी अधिक लागत के बावजूद करार की शर्तों उललंघन का हुआ।

नेशनल हाईवेज अथोरिटी ऑफ इण्डिया (प्राधिकरण) ने ₹ 70.61 करोड़ (जनवरी 2005 में ₹ 76.19 करोड़ पर संशोधित) की लागत पर एनएच-7 [ठेका पैकेज सं. एनएस-26/टीएन] पर बैंगलोर-सेलम- मदुरई खंड के कि.मी. 180 से कि.मी. 199.20 पर चार लेनिंग के लिए जून 2001 में भगीरथ इंजीनियरिंग लिमिटेड कोची,(ठेकेदार) के साथ इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) के लिए करार किया था। परियोजना के समापन की देय तारीख 29 अगस्त 2003 को समय-समय पर प्राधिकरण मुख्यालय, नई दिल्ली द्वारा 31 दिसम्बर 2009 तक बढा दिया गया था। कार्य ₹ 95.33 करोड़ की अन्तिम लागत पर 31 दिसम्बर 2009 को ठेकेदार द्वारा पूरा किया गया था।

अन्य बातों के साथ-साथ करार की निबंधन एवं शर्तों में अनुबद्ध किया गया कि :

- कार्य के समापन में विलम्ब के लिए ठेकेदार आरम्भिक ठेका कीमत प्रति दिन के 1/2000 पर निर्णीत हर्जानों (एलडी) का भुगतान करेगा जो आरम्भिक ठेका कीमत के अधिकतम 10 प्रतिशत के अध्यधीन होगा।
- वसूली के किसी दूसरे तरीके के पूर्वाग्रह के बिना प्राधिकरण ठेकेदार को देय किसी राशि या देय होने वाली किसी राशि से एलडी की कटौती कर सकता था।

- भुगतानों को ठेका एवं स्रोत पर कर के संबंध में अग्रिम भुगतानों, अवरोधन, दूसरी वसूलियों के लिए कटौतियों हेतु समायोजित किया जाएगा जैसा कि कानून के अंतर्गत लागू है।

- यदि ठेकेदार ने इंजीनियर द्वारा प्राधिकरण के बिना 28 दिनों के लिए कार्य को रोक दिया हो तब प्राधिकरण ठेका के मूलभूत उल्लंघन के लिए ठेका को समाप्त कर सकता है।

- कीमत/समायोजन शुरू करने की तारीख से आरम्भिक अभिप्रेत समापन तारीख या दिए गए विस्तारण के अंत तक किए गए कार्य के लिए लागू होगा और यह ठेकेदार को अरोप्य कारणों के लिए अनुबद्ध समय से परे किए गए कार्यों पर लागू नहीं होगा।

राजमार्ग परियोजना के कार्यान्वयन में 76 माह का अधिक समय (छः वर्षों से अधिक) और ₹ 19.14 करोड़ की अधिक लागत आई थी। प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार, अप्रैल 2006 से दिसम्बर 2009 तक 1370 दिनों का विलम्ब ठेकेदार को आरोप्य था जिसके लिए ठेकेदार से वसूली योग्य अधिकतम एलडी की गणना ₹ 7.06 करोड़ अर्थात आरम्भिक ठेका कीमत का 10 प्रतिशत की गई।

प्राधिकरण (एचक्यू) ने अंतिम इओटी पर विचार करते समय एलडी के उदग्रहण के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए जुलाई 2005 तक अंतरिम समय विस्तारण (ईओटी) दिया था (जून 2005)। दिसम्बर 2009 तक अंतिम ईओटी अप्रैल 2006 के आगे से कीमत समायोजन के लिए सूचकांक की स्थिरता सहित अप्रैल 2006 से दिसम्बर 2009 तक ठेकेदार को अरोप्य परियोजना के समापन में विलम्ब के लिए एलडी के उद्ग्रहण के साथ अगस्त 2012 में दिया गया था। जबकि प्राधिकरण ने ₹ 7.06 करोड़ की एलडी राशि का दावा किया, तब ठेकेदार ने एलडी राशि का निपटान नहीं किया और सूचना दी कि वें ठेका की शर्तों के अनुसार मामलें को मध्यस्थता को भेजेंगे। ठेकेदार को अभी तक एक मध्यस्थ का नामांकन करना था (मार्च 2014)।

लेखापरीक्षा जांच से निम्नलिखित का पता चला :

इओटी अनुमोदन मे विलम्ब

प्राधिकरण की परियोजना कार्यान्वयन यूनिट (पीआईयू), सलेम ने ईओटी और एलडी के उद्ग्रहण की समीक्षा तथा अन्तिम ईओटी के समय पर कीमत वृद्धि समायोजन के लिए

जनवरी 2007 और अक्तूबर 2009 के बीच आवधिक अन्तरालों पर प्राधिकरण के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। प्राधिकरण ने केवल अगस्त 2012 में अर्थात जुलाई 2005 तक के अन्तरिम समय विस्तारण की तारीख से सात वर्षों के विलम्ब के बाद प्रस्तावों के प्रति आदेश जारी किए थे। वास्तव में, प्राधिकरण ने ईओटी के लिए पीआईयूज़ के अन्तिम प्रस्ताव पर निर्णय लेने में लगभग तीन वर्षों (अक्तूबर 2009 से अगस्त 2012) का समय लिया था। कार्य के अधिकतर बिलों को अगस्त 2012 तक निपटाया गया था, प्राधिकरण के विलम्ब से निर्णय के कारण पीआईयू आज तक (मार्च 2014) एलडी की वसूली नहीं कर सका था।

वृद्धि प्रभारों का अनियमित भुगतान

पीआईयू ने दिसम्बर 2009 तक ठेकदार के कार्य बिलों (₹ 76.27 करोड़) और कीमत वृद्धि बिलों (₹ 16.12 करोड़) के प्रति ₹ 92.39 करोड़ का निपटान किया, लेकिन बिलों का भुगतान करते समय ₹ 7.06 करोड़ के एलडी की वसूली नहीं की । प्राधिकरण ने कीमत वृद्धि के लिए अप्रैल 2006 से सूचकांक स्थिरता हेतु अगस्त 2012 में आदेश जारी किए थे। उस समय तक पीआईयू ने कीमत वृद्धि सहित ईओटी के अनुमोदन की प्रत्याशा में और पर्यवेक्षण सलाहकार की सिफारिश के आधार पर अप्रैल 2006 से दिसम्बर 2009 की अवधि के लिए कीमत वृद्धि के प्रति ₹ 10.56* करोड़ का भुगतान किया जो करार की शर्तों के विचलन में था। प्राधिकरण ने अब तक ठेकेदार से वसूल किए जाने वाले विभेदक कीमत वृद्धि की गणना नहीं की है (मार्च 2014)।

एलडी की वसूली न होना

यद्यपि ठेकेदार ने अपनी वित्तीय समस्याओं के कारण 1,370 दिनों के लिए कार्य को लम्बित कर दिया और एलडी वसूल नहीं की जा सकी थी, फिर भी प्राधिकरण ने चालू बिलों से एलडी वसूल नहीं की थी। चूँकि, ठेकेदार को आरोप्य कारणों के कारण परियोजना में पर्याप्त समय और अधिक लागत आई थी, इसलिए एलडी की वसूली किए बिना बिलों के भुगतान करने का निर्णय विवेक पूर्ण नहीं था।

** प्रचलित सूचकांक के अनुसार सूचकांक अप्रैल 2006 से मार्च 2007 तक, मार्च 2007 के आधार पर अप्रैल 2007 से सितम्बर 2008 तक और प्रचलित सूचकांक के 75 प्रतिशत पर अक्तूबर 2008 से दिसम्बर 2009 तक*

ठेका को समाप्त न करना

परियोजना के सलाहकार मुकेश एण्ड एसोसिएट्स ने मई 2007 में प्राधिकरण को सूचना दी कि ठेकेदार ने 28 दिनों से अधिक के लिए कार्य रोक दिया था और उसने करार की शर्तों के अनुसार ठेके को समाप्त करने तथा किसी दूसरी एजेंसी के माध्यम से शेष कार्य के कार्यान्वयन की सिफारिश की थी। तथापि, प्राधिकरण ने ठेकेदार की इस आधार पर कार्य को जारी रखने की अनुमति दी कि ठेके को समाप्त करने और नई अनुमानित बोलियां आमंत्रित करने से विद्यमान ठेका दरों से अधिक लागत आएगी।

पीआईयू ने बताया (सितम्बर 2013) कि नकद प्रवाह समस्याओं के कारण ठेकेदार ने निर्माण स्थल पर कार्यकलापों को रोक दिया था; यह कि प्राधिकरण ने किसी पर्याप्त लागत और/अधिक समय के लगने से बचने के लिए कार्य के हित में मौजूदा ठेकेदार को वित्तीय समर्थन का अनुमोदन किया; कि ठेकेदार के अन्तिम बिल से एलडी की वसूली की सिफारिश सलाहकार द्वारा नहीं की गई थी।

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2014) कि उन्होंने सलाहकार के प्रति उसके दुर्व्यवहार के लिए कार्रवाई आरम्भ करने का प्रस्ताव रखा; कि अगली की गई कार्रवाई की सूचना ठेकेदार द्वारा आह्वान की गई मध्यस्थता प्रक्रिया के परिणाम के बाद दी जाएगी।

प्रबंधन/मंत्रालय का उपरोक्त उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि प्राधिकरण ने सलाहकार की सिफारिश के बावजूद मई 2007 में ठेका को समाप्त नहीं किया था, जोकि करार की शर्तों के अनुसार था। तथापि, सलाहकार की अनुवर्ती सिफारिश के आधार पर पीआईयू ने अधिक कीमत वृद्धि के प्रति भुगतान किया था और एलडी की वसूली नहीं की थी, जो कि करार की शर्तों के विचलन में था और ठेकेदा को अनुचित पक्षपात हुआ। पीआईयू के प्रस्तावों पर प्राधिकरण द्वारा निर्णय लेने में पर्याप्त विलम्ब हुआ था जो ठेकेदार को अनुचित पक्षपात दिया गया।

लेखापरीक्षा का मत है कि जवाबदेही नियत करने और प्रणालीगत त्रुटियों, यदि कोई भी हो, ताकि ऐसी घटनाएं भविष्य में न हो को दूर करने के लिए मद्देनजर मामलों की जॉच पड़ताल करना आवश्यक है।

अध्याय XV: वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग

सेन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड

15.1 सीवीसी दिशानिर्देशों का उल्लंघन और सिलिकोन वेफरों की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय

सीईएल ने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर सीवीसी द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के उल्लंघन में, प्रतिस्पर्घात्मक बोली की बजाय नामांकन आधार पर सिलिकोन वेफरों के लिए खरीद आदेश प्रस्तुत किया और अंतिम रूप से किए गए बिक्री ठेका में परिवर्तन किए जोकि बोर्ड के अनुमोदन से भिन्न थे ।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने नामांकन आधार पर दिए गए कार्यों, ठेकों और परामर्शदात्री ठेकों में पारदर्शिता पर माननीय सर्वोच्च न्यायाल के निर्णय* में दी गई आपत्तियों के बारे में अपने संबंधित बोर्डों/प्रबंधनों को सूचित करने के लिए सभी प्रमुख सतर्कता अधिकारियों को परामर्श देते हुए आदेश जारी किए (जुलाई 2007)। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि राज्य, इसके निगमों, सहायकों और ऐजेंसियों द्वारा दिए गए ठेकों को सामान्यत: पात्र व्यक्तियों से निविदाएं आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक निलामी/सार्वजनिक निविदा के माध्यम से दिया जाना चाहिए। दुर्लभ एवं अपवादात्मक मामलों में उदाहरणार्थ सरकार द्वारा घोषित प्राकृतिक आपदाओं और आपातकाल के दौरान; जहां खरीद केवल एक स्रोत से संभव है; जहां आपूर्तिकर्ता और ठेकेदार के पास माल या सेवाओं आदि के संबंध में विशेष अधिकार है, वहाँ इस सामान्य नियम में विचलन हो सकता है और ऐसे ठेके निजी बातचीत के माध्यम से दिए जा सकते है तदनुसार, अपने आदेश में सीवीसी ने पुन: जोर दिया कि निविदा प्रक्रिया और सार्वजनिक नीलामी किसी सरकारी एजेंसी द्वारा ठेका देने के लिए मूलभूत आवश्यकता थी क्योंकि कोई दूसरा तरीका विशेषतौर पर नामांकन आधार पर ठेका देना, के कारण समानता के अधिकार की गारंटी देने वाले संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा, जो सभी हितकर पार्टियों को समानता का अधिकार देता है।

** 2006 एसएलपी (सिविल) सं. 10174 से उदभूत हुए*

सेंट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (कम्पनी) ने 20 लाख मोनो क्रिस्टेलाईन सिलिकोन वेफरो[1] की खरीद के लिए वैश्विक निविदा जारी की (अप्रैल 2010) जिसकी प्रतिक्रिया में छः बोलियां प्राप्त हुई। तकनीकी मूल्यांकन के बाद पांच फर्में पात्र पाई गई। एल1 बोलीदाता[2] को ठेका दे दिया गया किन्तु यूएसडी 1.98 की दर एक लाख सिलिकोन वेफरों की आपूर्ति करने के बाद इसने ओर अधिक आपूर्ति करने में असमर्थता व्यक्त की। इसके पश्चात, कम्पनी ने जनवरी 2011 से दिसम्बर 2011 तक एक वर्ष के लिए यूएसडी 27,15,000 (₹ 13.21 करोड़) के लिए प्रति माह एक लाख सिलिकोन वेफरों की आपूर्ति के लिए मैं जियांग्सी एलडीके सोलर हाई-टैक कम्पनी (आपूर्तिकर्ता) को नामांकन के आधार पर एक ठेका दे दिया (दिसम्बर 2010)।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित को पाया :

- कम्पनी ने प्रतिस्पर्धात्मक बोलियों को आमंत्रित किए बिना नामांकन आधार पर ठेका दिया यद्यपि कुछ फर्में क्षेत्र में उपलब्ध थी। यह भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित जुलाई 2007 के सीवीसी निर्देशों का उल्लंघन था।

- कम्पनी ने सिलिकोन वेफरों की खरीद करने के लिए निदेशक बोर्ड और सीएमडी से सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन लिया था। बाद में, नामांकन के आधार पर ठेका देते समय कम्पनी ने बीओडी/सीएमडी से अंतिम अनुमोदन प्राप्त किए बिना ठेके की शर्तों एवं निबंधन में परिवर्तन किया।

- इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि बिक्री ठेका में यथा अनुबद्ध मूल्य भिन्नता खंड को कम्पनी द्वारा हटा दिया था यद्यपि इसका मॉडल बिक्री ठेका में विशेष रूप से प्रावधान किया गया था। यह भी पाया गया कि सिलिकोन वेफरों के मूल्य 2009-10 से 2010-11 (अर्थात ठेका के कार्यान्वयन से पहले) तक यूएसडी 2.20 से यूएसडी 1.95 के बीच थे और इसके मूल्य में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में यूएसडी 0.55 तक तीव्रता से गिरावट आरम्भ हो गई किन्तु मूल्य अन्तर खंड को हटाने के कारण कम्पनी को आपूर्तिकर्ता से अतिशय निर्धारित दर पर सिलिकोन वेफर खरीदने पड़े। इसके पश्चात, जून 2011 के दौरान आपूर्तिकर्ता ने यूएसडी 1 के

[1] ***125 एमएम x125 एमएम***

[2] ***मैं; कैमप्लास्ट सेन्मर लिमिटेड***

मूल्य पर 30,000 सिलिकोन वेफरों की अतिरिक्त मात्रा का प्रस्ताव रखा जिसे कम्पनी ने स्वीकार कर लिया था। उसी माह के दौरान आपूर्तिकर्ता ने दोबारा यूएसडी 0.55 के मूल्य पर 30,000 सिलिकोन वेफरों की अतिरिक्त मात्रा का प्रस्ताव रखा लेकिन कम्पनी में वित्तीय बाधाओं के कारण इस डील को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था।

- आपूर्तिकार को अनुचित लाभ दिया गया था क्योंकि निष्पादन बैंक प्रतिभूति की आवश्यकता, जिसका प्रावधान मॉडल निविदा फॉर्म में किया गया था, में छूट दी गई और इसके बजाय असामान्य विचलन में क्रेता अर्थात स्वयं सीईएल ने आपूर्तिकार को यूएसडी 4,52,000 (₹ 2.03 करोड़[α]) के लिए बैंक प्रतिभूति मुहैया कराई थी।

- यह खरीद पिछली खपत पद्धतियों पर आधारित आवश्यकता के उचित निर्धारण के बिना की गई थी। यह देखा गया कि 2009-10 से 2012-13 के बीच औसत वेफर उपयोगिता प्रतिमाह 29,400 वेफरों से 49,620 वेफरों के बीच थी। तथापि, कम्पनी ने 2011 मे 12.30 लाख वेफरों की खरीद की जिसके कारण स्टॉक का संग्रहण हुआ।

- सितम्बर 2011 में महाप्रबंधक (पीवी) ने सलाह दी कि वेफरों के वैश्विक मूल्यों में प्रबल कमी के कारण वेफरों की खरीद और संसाधन ₹ 2.03 करोड़ की पूर्ववर्ती बैंक प्रतिभूति के बाद भी बहुत अलाभकारी था क्योंकि शेष मात्रा के लिए उत्पादन लागत बाजार कीमत से अधिक निकाली गई थी और इसलिए ठेके को बंद करने का प्रस्ताव रखा गया था। इसके बावजूद, कम्पनी ने वित्तीय बाधाओं के बावजूद ठेके के अनुपालन से उत्पन्न परिणामों से बचने के लिए उपरोक्त ठेके को जारी रखा।

इस प्रकार, अतिशय निर्धारित मूल्य पर (यूएसडी 2.35 से 2.20 के बीच) प्रति माह एक लाख वेफरों की खरीद के अविवेपूर्ण निर्णय के कारण कच्चे माल का संग्रहण हो गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.65 करोड़ (मार्च 2013) तक की राशि की निधियों का अवरोधन हुआ। मालसूची के उपरोक्त संग्रहण के कारण कम्पनी ने अक्तूबर 2013 तक सिलिकोन वेफरों की खरीद के लिए कोई खरीद आदेश नहीं दिया। इसके अलावा,

[α] ***यूएसडी 1 = ₹ 45***

मालसूची के अनुचित निर्धारण और मूल्य अंतर खण्ड को हटाने के बाद नामांकन आधार पर ठेका देने के कारण भी ₹ 5.14 करोड़ का अतिरिक्त खर्चा हुआ।

प्रबंधन ने निम्नलिखित को बताया (जनवरी 2014):

- उस समय अधिकतर सभी वेफर विनिर्माताओं ने वैश्विक रूप से 200 माइक्रोन वेफरों से कम के उत्पादन को समाप्त कर दिया था। ऐसी परिस्थिति में 220+-20 माइक्रोन वेफरों के कोटेशन/उपलब्धता प्राप्त करना बहुत कठिन था।

- कम्पनी ने 1 लाख वेफरों की खरीदी की थी जिसके लिए संसाधन की पर्याप्त क्षमता थी और यह बुक किए गए आदेशों और प्रत्याशित आदेशों पर आधारित था। तथापि, कम्पनी मामलों के स्वचालन, मजदूरों को प्रशिक्षण का अभाव और वेफरों के खराब निर्वहण के कारण खरीदे गए वेफरों का संसाधन नहीं कर सकी थी जिसके परिणामस्वरूप टूट-फूट में बढ़ोतरी हुई। इन कारणों की वजह से संसाधन के लिए वेफरों के उपयोग को रोक दिया गया और कम्पनी की आवश्यकता को मोड्यूल और सेलों की आऊटसोर्सिंग से पूरा किया गया था।

- निष्पादन बैंक प्रतिभूति (पीबीजी) यह सुनिश्चित करने के लिए दी गई थी कि सीईएल सामग्री को खरीदने की अपनी प्रति बद्धता को पूरा करेगी। आपूर्तिकार से पीबीजी प्राप्त करना आवश्यक नहीं माना गया था इसलिए इस पर जोर नहीं दिया गया था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में (जनवरी 2014) प्रबंधन के विचार का समर्थन किया।

मंत्रालय/प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि:

- आपूर्तिकार को ठेका नामांकन के आधार पर दिया गया था जो जुलाई 2007 के सीवीसी अनुदेशों का उल्लंघन था जोकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित है।

- मंत्रालय/प्रबंधन का उत्तर यह स्पष्ट करने मे विफल रहा कि मूल्य अंतर खंड को ठेका करते समय क्यों हटा दिया गया था यद्यपि इसका मॉडल बिक्री ठेका में विशेष रूप से प्रावधान किया गया था। मूल्य अंतर खंड के इस विलोपन को संक्षम अधिकारी की अनुमति भी प्राप्त नहीं थी।

- यद्यपि निदेशक बोर्ड ने अपने कार्यवृत में ठेके के मूल्य के 10 प्रतिशत के डाउन भुगतान सहित करार करने को प्राधिकृत किया में, छूट दे दी। जबकि क्रेता अर्थात सीईएल ने आपूर्तिकार को दी गई बैंक प्रतिभूति को छोड़ दिया था।

- 2011 के दौरान पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान वास्तविक उपयोगिता से अधिक वेफरों की खरीद के कारण अधिक स्टॉक संग्रहण हुआ और किए गए भुगतानों का भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

अध्याय XVI: पोत परिवहन मंत्रालय

सेतुसमुद्रम कारपोरेशन लिमिटेड

16.1 सेतुसमुद्रम शिप चैनल परियोजना

16.1.1 प्रस्तावना

सेतुसमुद्रम चैनल परियोजना पाक वे और मन्नार की खाड़ी को जोड़ने के लिए भारत की समुद्री सीमा में शिपिंग चैनल के निर्माण का प्रस्ताव रखता है। यह परियोजना भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट और दूसरे देशों के बीच जहाज की यात्रा के लिए यात्रा समय में कमी तथा परिचालन की लागत में कमी को परिकल्पित करता है। वर्तमान में, जहाज को पाक स्ट्रेट क्षेत्र और एडम्स ब्रिज के रूप में जानी जाने वाली समुद्री चट्टान में उथले जल की उपस्थिति के कारण श्रीलंका की समुद्री सीमा का परिभ्रमण करना होता है।

शिपिंग चैनल की लम्बाई 167 किलोमीटर (कि.मी.) होनी थी। इसे अविरल परिभ्रमण चैनल बनाने के लिए ड्रेजिंग 54 कि.मी. के लिए पाक स्ट्रेट क्षेत्र और 35 कि.मी. के लिए एडम्स ब्रिज क्षेत्र में अपेक्षित थी।

सेतुसमुद्रम शिप चैनल को मानचित्र के अनुसार बिंदु जी (मन्नार की खाड़ी) से बिंदु ई4 (पाक स्ट्रेट) तक बनाया जाना था। ड्रेजिंग एडम्स ब्रिज क्षेत्र अर्थात जी,ए,बी एवं सी और पाक स्ट्रेट क्षेत्र में अर्थात ई और ई4 के बीच अपेक्षित थी। सी,डी एवं ई के बीच पाक वे क्षेत्र में ड्रेजिंग की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इसमे पर्याप्त प्राकृतिक गहराई है।



एससीएल संरेखण चैनल की चौड़ाई 300 मी.

जी-ए	एडम्स ब्रिज 4.37 कि. मी.	भारत – श्रीलंका भू-मध्य रेखा
ए-बी	एडम्स ब्रिज 17.30 कि. मी	
बी-सी	एडम्स ब्रिज 13.38 कि. मी	
सी-$ई_0$	पाक बे 77.92 कि. मी (ड्रेजिंग अपेक्षित नहीं है)	
$ई_0$–$ई_4$	पाक स्ट्रेट 54.25 कि. मी	

16.1.1.2 शामिल एजेंसियां

भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय के अलावा निम्नलिखित एजेंसियां परियोजना के कार्यान्वयन में शामिल थीं :

- तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट (टीपीटी), परियोजना-पूर्व कार्यकलापों के लिए नोड्ल एजेंसी के रूप में नामांकित
- सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड (एससीएल), परियोजना के लिए एक विशेष उद्देश्य माध्यम
- ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (डीसीआई), ड्रेजिंग का कार्य करने वाली और
- ट्रासचार्ट, शिपिंग व्यवस्थाओं के लिए पोत परिवहन मंत्रालय की चार्टरिंग विंग

16.1.1.3 परियोजना की वर्तमान स्थिति

भारत के सर्वोच्च नयायालय ने यह निर्देश करते हुए सितम्बर 2007 में एक अन्तरिम आदेश पारित किया कि "ड्रेजिंग कार्यकलाप किए जा सकते है, लेकिन कथित एडम्स ब्रिज/राम सेतु किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त नहीं किया जाएगा।" एडम्स ब्रिज क्षेत्र में समस्त ड्रेजिंग कार्य सितम्बर 2007 से स्थगित कर दिया गया। तथापि ड्रेजिंग कार्य पाक स्ट्रेट पर तब तक जारी रहा जब तक की ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया ने जुलाई 2009 में अपने ड्रेजर वापस नहीं ले लिए।

डीसीआई ने अपने तुलन पक्ष में अब तक (मार्च 2012) इस परियोजना पर ₹ 928.23 करोड़ के व्यय को दर्शाया था। उन्होंने सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड से ₹ 701.94 करोड़ (सेवा कर सहित) प्राप्त किए थे। दूसरी तरफ एससीएल ने मार्च 2012 तक ₹ 828.92 करोड़ के प्रावधानों सहित व्यय की सूचना दी थी।

मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2012) कि ड्रेज्ड मात्रा के लिए भुगतान की जाने वाली दर पर डीसीआई और एससीएल के मध्य राय का मतभेद था जोकि उनके संबंधित बही खाते में दर्शाया गया था। दावों पर इन विवादों का समाधान किए जाने की आवश्यकता हैं।

व्यय को मुख्यतः भारत सरकार और दूसरी सरकारी एजेंसियों द्वारा सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड की इक्विटी फाइनेंसिग से पूरा किया गया है। आर्थिक मामलों पर केबिनेट समिति (सीसीईए) को टिप्पणी में यथा उल्लिखित निजी स्थापन और बाजार से उठाए ऋणों के भी माध्यम से प्राप्त इक्विटी, जिसके आधार पर परियोजना का अनुमोदन किया गया, को मूर्त रूप नहीं दिया जा सका।

जुलाई 2009 से कोई ड्रेजिंग कार्यकलाप नहीं किया गया था। ड्रेजिंग की आशिंक मात्रा पर डीसीआई द्वारा ₹ 928.23 करोड़ का व्यय किया गया था और इस परियोजना का भविष्य अनिश्चित था।

मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2012) कि परियोजना में सभी ड्रेजिंग कार्यों को जुलाई 2009 में बन्द कर दिया गया था क्योंकि डीसीआई के साथ ठेका समाप्त हो चुका था और मुकद्दमा बिना किसी अंतिम आदेशों के जारी रहा। उत्तर में आगे बताया गया कि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय मे विचाराधीन हैं।

16.1.1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा यह जांच करने के लिए गई थी कि क्या परियोजना को शुरू करने से पहले पर्याप्त तैयारियां की गई थी और परियोजना प्रबंधन के सुदृढ़ सिद्धांतो को पालन किया गया था। इसने यह मूल्यांकन करने का प्रयत्न किया कि क्या व्यय किए गए सार्वजनिक निधि के लिए पर्याप्त मूल्य वसूल कर लिया गया है। इसलिए, लेखापरीक्षा उद्देश्यों को यह निर्धारित करना था कि क्या :

- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) ने तकनीकी और आर्थिक व्यवहारिता के मामलों को समाविष्ट किया
- परियोजना के निरूपण के लिए विचारित अनुमान और प्रक्षेषण वास्तविक और पर्याप्त थे
- निविदा करने और ठेके देने मे पारदर्शिता और निष्पक्षता थी और
- विशेष रूप से पर्यावरणीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नियंत्रण उपलब्ध थे

16.1.1.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा कम्पनी के आरम्भ से मार्च 2012 तक इसके परियोजना नियोजन, ड्रेजिंग और सहगामी कार्यकलापों को कवर करती है और इसके जांच से उन मामलों को छोड़ देती है जो विचाराधीन हैं।

लेखापरीक्षा कम्पनी के कार्पोरेट कार्यालय में बोर्ड के कार्यवृत, विशेषज्ञ समिति रिपोर्टों, सांविधिक मंजूरियो एवं एमआईएस जैसे अभिलेखों की जांच करते हुए की गई थी। हमने मंत्रालय और डीसीआई, विशाखापत्तनम के सुसंगत अभिलेखों की भी जांच की थी। हमने विभिन्न मामलों को समझने और उन पर चर्चा करने के लिए 14 सितम्बर 2011 को

एससीएल के प्रबंधन के साथ एन्ट्री कान्फ्रेस आयोजित की थी। हमने 3 फरवरी 2012 से 28 मार्च 2013 को एक्जिट कान्फ्रेस आयोजित की तथा एससीएल के प्रबंधन को लेखापरीक्षा निष्कर्ष प्रस्तुत किए। मंत्रालय का उत्तर अक्तूबर 2012 में प्राप्त हुआ था।

16.1.2 परियोजना नियोजन एवं कार्यान्वयन

16.1.2.1 परियोजना का प्रारंभ

परियोजना स्थल का निकटतम प्रमुख पोर्ट होने के कारण तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट (टीपीटी) को परियोजना पूर्व कार्यकलापों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामांकित किया गया था। टीपीटी ने परियोजना की प्रोद्यौगिकी आर्थिक व्यावहारिकता से संबंधित अध्ययनों और विस्तृत पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण (ईआईए) का कार्य जुलाई 2002 में राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (नीरी), नागपुर को दिया था। नीरी ने जुलाई 2004 मे अपनी अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

केबिनेट में 2 सितम्बर 2004 को विशेष उद्देश्य माध्यम (एसपीवी) के रूप में सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड (एससीएल) के गठन का अनुमोदन किया था। कम्पनी को 16 दिसम्बर 2004 में निगमित किया गया था।

16.1.2.2 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट

नीरी द्वारा किए गए अध्ययनों के अलावा, टीपीटी ने ₹ 24.30 लाख की फीस पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को तैयार करने के लिए जुलाई 2004 में एल एण्ड टी रेम्बोल कन्सल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड को नियुक्त किया था। सलाहकार ने फरवरी 2005 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। डीपीआर ड्रेज्ड सामग्री के निपटान से उत्पन्न पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव विश्लेषण के अलावा तकनीकी और वित्तीय व्यावहारिकता मामलों, वित्त के स्रोतों, और यातायात प्रक्षेषणों को कवर करता है।

2004 में नीरी द्वारा तैयार की गई परियोजना के लिए तकनीकी आर्थिक व्यावहारिकता रिपोर्ट ने 10 मी., 12 मी और 14 मी की ड्रेज्ड गहराई की आवश्यकता वाली विभिन्न ड्राफ्ट♥ आवश्यकताओं अर्थात क्रमश: 9.15 मीटर, 10.7 मीटर और 12.8 मीटर के लिए नौपरिवहन चैनल के सृजन पर विचार किया। लागत घटक और पर्यावरणीय

♥ ड्राफ्ट का अर्थ है शिप को तैरने के लिए आवश्यक जल की गहराई

संवेदनशीलता के मद्देनजर नीरी ने 12 मी चार्ट डेटम (सीडी[1]) की गहराई की सिफारिश की।

डीपीआर ने उपरोक्त प्राचलों पर विचार किया और परियोजना के लिए निम्नलिखित चैनल और पोत डिजाइन परिमाप की सिफारिश की।

चैनल और पोत के परिमाप	
चैनल प्रकार	द्वि मार्गी
चैनल की चौड़ाई	300 मी.
चैनल की गहराई	-12 मी. सीडी
पोतक का अनुमत ड्राफ्ट	10 मी.
बीम	33 मी.
समग्रलम्बाई (एलओए)	215 मी.

सिफारिश किए गए पोत आकार के डीपीआर ने दर्शाए गए विशिष्ट परिमाप निम्नानुसार थे :

पोत का माप (डीडब्ल्यूटी[2])	समग्र लम्बाई (मीटर)	बीम (मीटर)	ड्राफ्ट (मीटर)
30,000	**190**	**30**	**10.5**
40,000	**215**	**33**	**11.0**
50,000	**267**	**33**	**12.5**

डीपीआर ने चलायमान शिप के लिए 1.95 मीटर की न्यूनतम नौतल निकासी और अधिकतम 2 मीटर की नौतल निकासी की भी सिफारिश की थी। दूसरे शब्दो में (-)12 मीटर सीडी के काल्पनिक ड्रेज्ड स्तर के लिए शिप नौयात्रा का अधिकतम ड्राफ्ट 10 मीटर होगा। इस प्रकार स्वयं डीपीआर में दिए गए तथ्यों और निरूपणों से यह विदित था कि यहां तक कि 30,000 डीडब्ल्यूटी के पोतों ने भी 12 मीटर की गहराई के ड्रेज्ड चैनल से सुरक्षित रूप से नौयात्रा करने को कठिन पाया होगा।

परिवहन और राजस्व प्रक्षेपणों को करते समय डीपीआर ने विभिन्न आर्थिक और तकनीकी पहलुओं का विश्लेषण किया और निम्नलिखित को पाया:

[1] ***चार्ट डेटम का अर्थ पाक बे, पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी क्षेत्र को कवर करते हुए उपयुक्त स्थानों में ज्वारीय आपत्तियों को देखने के बाद नेशनल हाइड्रोग्राफिक कार्यालय द्वारा स्थापित साउन्डिंग डेटम है।***

[2] ***डीडब्ल्यूटी: डेडवेट टनभार:यह एक माप है कि एक शिप सुरक्षित रूप से कितना भार ले जा सकता है।***

परिवहन प्रक्षेपण

डीपीआर ने बताया कि परिवहन प्रक्षेपण वैश्विक बाजार में आदेश दिए गए पातों के साथ-साथ मौजूद पोत, भारतीय पत्तनो मे आने वाले/जाने वाले पोत और नीरी द्वारा किए गए पोत प्रकृति समीक्षा में प्रस्तावित पोत आकारों के आधार पर किए गए थे। डीपीआर ने 20,000 डीडब्ल्यूटी के सभी पोतों, 30,000 डीडब्ल्यूटी पोतो के 75 प्रतिशत, 40,000 डीडब्ल्यूटी के पोतों के 10 प्रतिशत, 50,000 डीडब्ल्यूटी पोतों के 5 प्रतिशत पर विचार किया और परिवहन में 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि प्रक्षेपित की थी। डीपीआर ने आगे बताया कि 10 मीटर ड्राफ्ट की आवश्यकता वाले पोतों के आकार सामान्यत: 30,000 डीडब्ल्यूटी होंगे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 10.5 मीटर के लिए 30,000 डीडब्ल्यूटी के पोत के विशिष्ट ड्राफ्ट के संदर्भ में इस प्रक्षेपण पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। 1.95 मीटर की न्यूनतम नौतल मंजूरी की आवश्यकता के साथ 30,000 डीडब्ल्यूटी के पोत इस चैनल में सुरक्षित रूप से नौयात्रा नहीं करते पाए गए।

नए पोतों विनिर्माण के लिए किए गए भविष्य के आदेशों सहित समुद्र में कार्यरत या बाजार मे वर्तमान पोतों के विभिन्न प्रकारों के अध्ययन से डीपीआर ने दर्शाया कि " मौजूद और भविष्य में मांग किए गए समग्र पोत वितरण से यह देखा गया कि भविष्य का रूझान बड़े पोतों के लिए है। "

वास्तव में, सचिव (व्यय) ने सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) की बैठक के दौरान 12 मीटर की गहराई को रखने के औचित्य पर प्रश्न उठाया जबकि अधिक गहरे ड्राफ्ट की अपेक्षा वाले बड़े शिप अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में तैनात किए रहे थे। वित्त मंत्रालय के योजना वित्तीय डिवीजन के प्रतिनिधि ने भी बैठक में उल्लेख किया कि परिवहन प्रक्षेपण ने विदेशी पोतों के बहुत अधिक प्रक्षेपण का प्रतिनिधित्व किया था और इसलिए यह अवास्तविक था क्योंकि अर्न्राष्ट्रीय नौभार संचलन बड़े पोतों में बढ़ रहा था।

लेखापरीक्षा को उत्तर में एससीएल ने बताया (फरवरी 2012) के चूँकि 73 प्रतिशत पोत 40,000 डीडब्ल्यूटी में थे, फिर भी 30,000 डीडब्ल्यूटी तक पोतों के विनिर्माण और परिचालन के लिए गुंजाइश थी।

इस संदर्भ में, यह नोट किया जाना चाहिए कि ट्रेफिक फोरकास्ट एवं वित्तीय पुनवैधीकरण के लिए पूर्व-पीआईबी पेपर में सितम्बर 2009 में पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए वाणिज्यिक जोखिम विश्लेषण में यह देखा गया कि पोत के आकार में वैश्विक एवं

राष्ट्रीय क्षेत्र दानों में बढ़ोतरी हो रही है। प्रस्तावित 10 मीटर नेवीगेबल ड्राफ्ट से बड़े पोत आकर्षित नहीं होगे। कोयला एवं लौह अयस्क जैसे अधिकांश पोत 12 मी. ड्राफ्ट से अधिक की मांग करेंगे क्योंकि कई पूर्वी समुद्री सीमा पत्तन कम से कम 12.5 मीटर ड्राफ्ट तक अपने चैनल को ड्रेज करने की योजना बना रहे हैं।

इस प्रकार यह देखा गया कि परिवहन प्रक्षेपण, जिसके आधार पर परियोजना मंजूर की गई थी, पूर्ण रूप से वास्तविक नहीं था और यह तथ्य परियोजना की मंजूरी के समय पर्याप्त रूप से स्पष्ट थे।

मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2012) कि 30,000 डीडब्ल्यूटी के पोत पायलट टग्स और वीटीएमएस की सहायता से चैनल में परिभ्रमण कर सकते थे। उच्च ज्वार के दौरान चैनल में लगभग एक मीटर की अधिक गुंजाइश पायलटों की सहायता के बिना भी पोतों के स्वतंत्र परिभ्रमण को सुगम बनाएगी।*

मंत्रालय का जवाब एक अनुबोध है और इस तथ्य की अवहेलना करता है कि चैनल के सारे स्ट्रेच के लिए पायलट टग्स के नियोजन की लागत और ज्वार की सीमा पर डीपीआर मे विचार नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने यह भी बताया (अक्तूबर 2012) कि पोत आकार समीक्षा के डीपीआर सार के अनुसार यह स्पष्ट था कि प्रमुख पत्तनों मे मंगवाए गए 73 प्रतिशत पोत 40,000 डीडब्ल्यूटी में थे। इसके अतिरिक्त, अब भी विश्व में 5-9 वर्ष पुराने 44 प्रतिशत पोत 30,000 डीडब्ल्यूटी तक के आकार वाले थे जिसने दर्शाया कि यहां 30,000 डीडब्ल्यूटी तक के पोतों के विनिर्माण और परिचालन की गुंजाइश थी।

जून 2012 में लेखापरीक्षा में भारतीय पत्तन संघ, नई दिल्ली मे उपलब्ध डाटा के विश्लेषण से पता चला कि 30,000 डीडब्ल्यूटी पोत से कम के प्रति रूझान में कमी आ रही थी। डीपीआर ने दर्शाया कि बड़े पोत आकारों को समायोजित करने के लिए ड्रेज्ड गहराई को बढ़ाने हेतु किसी प्रयास को पाक बे मे भी ड्रेजिंग की बड़ी मात्रा में आवश्यकता थी और यह परियोजना को अलाभकारी बना देगा।

** पोत परिवहन प्रबंधन प्रणाली*

आर्थिक व्यवहार्यता

डीपीआर ने गणना की कि चुकौती अवधि 16 वर्षों की होगी और विवरणी की आर्थिक दर (ईआरआर) 16.9 प्रतिशत होगी। परियोजना के लिए विवरणी की पूर्व और पश्च कर आंतरिक दर (आईआरआर) क्रमश:10.2 प्रतिशत और 9.1 प्रतिशत निकाली गई थी। यद्यपि विवरणी की दर 12 प्रतिशत के बैंच मार्क से कम थी तथापि केबिनेट की टिप्पणी के बाह्नयता जिन्हे यह परियोजना सृजित कर सकती है, के आधार पर इसे उचित ठहराया था।

अप्रैल 2005 में आयोजित पीआईबी बैठक में निष्कर्ष दिया कि यह परियोजना "वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं" थी फिर भी केबिनेट के विचारार्थ परियोजना की सिफारिश की गई थी। पीआईबी ने देखा कि "परियोजना मे महत्वपूर्ण बाधाता की सम्भावना थी जिन्हें इस स्तर पर पूर्णत: प्रत्याशित या परिकलित नहीं किया जा सकता।

मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2012) कि परियोजना को आईआरआर से अलग विवरणी की आर्थिक दर (ईआरआर) के साथ जांच की जानी चाहिए जो अप्रत्यक्ष सम्पति सहित परियोजना से प्राप्त हाने वाले सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वित्तीय एवं सामाजिक लाभों पर विचार करेगा।

प्रक्षेपित लागत

डीपीआर ने ₹ 194 करोड़, जो केबिनेट द्वारा अनुमोदित लागत थी (मई 2005) की वित्तीय लागत को छोड़कर परियोजना के लिए ₹ 2233.40 करोड़ की लागत प्रक्षेपित की थी। ₹ 2427.40 करोड़ में से ₹ 1719.60 करोड़ की लागत ड्रेजिंग पर आनी थी। लागत को इस धारणा पर निकाला गया था कि परियोजना तीन वर्षों में पूरी हो जाएगी।

परियोजना को विलम्ब से शुरू करने के परिणामस्वरूप ड्रेजिंग लागत ₹ 2171.40 करोड़ तक पहुँच गई थी और इसका अक्तूबर 2006 में केबिनेट द्वारा अनुमोदन कर दिया गया था। अनुमानित लागत में ईधन लागत, ड्रेजिंग पर सेवा कर के लगने (जून 2005), 1 जनवरी, 2008 से ड्रेज्ड मात्रा की गणना करने की प्रणाली में परिवर्तन और दूसरी तटवर्ती और अपतट अवसंरचना व्यय में वृद्धि के कारण दिसम्बर 2008 तक ₹ 4504.09 करोड़ तक पहुँच गई।

डीपीआर ने पहले दो वर्षों के लिए 2 मिलियन घन मीटर प्रति वर्ष और अगले दो वर्षों के लिए 1.7 मिलियन घन मीटर प्रति वर्ष के लिए रख-रखाव ड्रेजिंग आवश्यकता प्रक्षेपित

की जोकि पांचवें वर्ष के आगे से 1.4 मिलियन घनमीटर पर स्थिर हो जाएगी। रख-रखाव की अनुमानित वार्षिक लागत पहले दो वर्षों में ₹ 20 करोड़, अगले दो वर्षों के लिए ₹ 17 करोड़ और पांचवे वर्ष के आगे ₹ 14 करोड़ की रेंज में प्रक्षेपित की गई थी। डीपीआर ने दर्शाया कि इस उद्देश्य के लिए एक ड्रेजर की आवश्यकता होगी। जुलाई 2009 में पाक स्ट्रेट क्षेत्र में कार्य के स्थगन के समय पर डीसीआई द्वारा लगाए गए एक विशेषज्ञ ने सिल्टेशन स्तर को उपरोक्त डीपीआर प्रक्षेपण से अधिक बताया था।

अब तक ₹ 4504.09 करोड़ की संशोधित लागत का अनुमोदन नहीं किया गया था और इसमें ओर अधिक वृद्धि हो सकती है।

16.1.2.3 परियोजना वित्तीयपोषण

परियोजना को ₹ 2427.40 करोड़ की लागत पर अनुमोदित किया गया था जिसे 1.5:1 के ऋण इक्विटी अनुपात पर निर्मित किया गया था। इक्विटी भाग ₹ 971 करोड़ होना था और घरेलू एवं विदेशी ऋण ₹ 1456.40 करोड़ के लिए उठाया जाना था। ऋण को भारत सरकार की प्रतिभूति द्वारा लौटाया जाना था।

इक्विटी वित्तीय पोषण

₹ 971 करोड़ की प्रस्तावित इक्विटी में से ₹ 495 करोड़ का अंशदान भारत सरकार द्वारा, पोर्ट ट्रस्ट , डीसीआई और शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा ₹ 250 करोड़ और शेष ₹ 226 करोड़ आरम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ)/निजी नियोजन/उपयोक्ताओं के माध्यम से प्राप्त किया जाना था। एससीएल ने मार्च 2006 से मार्च 2009 की बीच भारत सरकार से ₹ 495 करोड़ का और दूसरी पत्तनों/पीएसयूज़ से ₹ 250 करोड़ का इक्विटी अंशदान प्राप्त किया था। तथापि, कम्पनी निजी स्थापन या सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से इस मामले पर ₹ 226 करोड़ इक्विटी उदभूत नहीं कर सकी। इस प्रकार, इस मामले पर केबिनेट को दिए गए आश्वासन पूरा नहीं किया जा सका और इक्विटी अंशदान भारत सरकार द्वारा और पोत परिवहन मंत्रालय के नियंत्रण के अन्तर्गत कार्यरत पीएसयूज़ एवं पत्तन न्यासों द्वारा दिया गया था।

ऋण वित्तीय प्रयत्नों की विफलता

एससीएल ने अगस्त 2005 में परियोजना के लिए एकमात्र निधि प्रदाता के रूप में यूटीआई बैंक लिमिटेड, मुम्बई को नियुक्त किया था। ₹ 1456.40 करोड़ के कुल ऋण घटक में रूपए मियादी कर्ज के (आरटीएल) के रूप में 25 प्रतिशत, विदेशी मुद्रा ऋण के

रूप में 35 प्रतिशत और 40 प्रतिशत जीरो कूपन बॉण्ड शामिल हैं। छः बैंको ने 7.5 प्रतिशत की ब्याज दर पर ₹ 425.00 करोड़ के आरटीएल के लिए मंजूरी प्रदान की। बैंकों की मंजूरी अगस्त 2006 में समाप्त हो गई और तब तक निविदा प्रक्रिया और ठेकों को प्रदान करने को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। दो विदेशी बैंको ने यूएसडी 110 मिलियन के ऋण को मंजूर कर दिया था। परियोजना के कार्यान्वयन और भारत सरकार से प्रतिभूति प्राप्त करने में विलम्ब के कारण ऋण करार भी लाभदायक नहीं हो सका था। इस प्रकार, घरेलू और विदेशी ऋण के माध्यम से परियोजना वित्तीय को पूरा करने के लिए किए गए सारे प्रयासों को मूर्तरूप नहीं दिया गया था।

एससीएल ने बताया (फरवरी 2012) कि परियोजना के लिए वित्तीय समापन प्राप्त करने में विफलता कानूनी बाधाओं के कारण परियाजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण थी।

कम्पनी के उत्तर को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जाना चाहिए कि वित्तीय पोषण व्यवस्था और कार्य निष्पादन कभी भी उचित रूप से समन्वित नहीं थे। जब निविदा प्रक्रिया जुलाई 2005 में शुरू होकर अक्तूबर 2006 तक चली, तब एससीएल ने भारत सरकार पत्तनों, एससीआई, ईपीएल और डीसीआई से इक्विटी के रूप में केवल ₹ 146.28 करोड़ प्राप्त किए थे। इसके पश्चात, डीसीआई ने वित्तीय बाधाओं के कारण जुलाई 2009 में पाक स्ट्रेट क्षेत्र में अपने कार्य को रोक दिया जैसाकि मंत्रालय की टिप्पणी दिनांक 21 अगस्त 2009 में दर्ज था।

मंत्रालय ने बताया कि सभी एसपीवी भागीदारों ने अपना पूर्ण सहयोग दिया था। डीसीआई ने जुलाई 2009 में पाक स्ट्रेट में कार्य को वित्तीय बाधाओं के कारण नहीं रोका था, ड्रेजर्स को ठेका अवधि की समाप्ति पर वापस लिया जाना अनुमत था और लंबित न्यायालय मामलों का परिणाम नहीं आया था और संदेहास्पद अंतरिम स्थगन हटाया नहीं गया था। एससीएल या डीसीआई की तरफ से कोई वित्तीय बाधाएं नहीं थी। *उधारियाँ नहीं ली गई थी क्योंकि उस चरण में निधियों की कोई आवश्यकता नहीं थी एवं जब एवं जैसे आवश्यकता होती, तब उधार ले लिया जाता।*

उपरोक्त उत्तर के बावजूद, तथ्य यह रह जाता है कि परियोजना लागत दिसम्बर 2008 में बढ़ गई थी तथा इसमें महत्त्वपूर्ण संशोधन किया जाएगा जो गणना की गई आईआरआर तथा ईआरआर को प्रभावित करेगा।

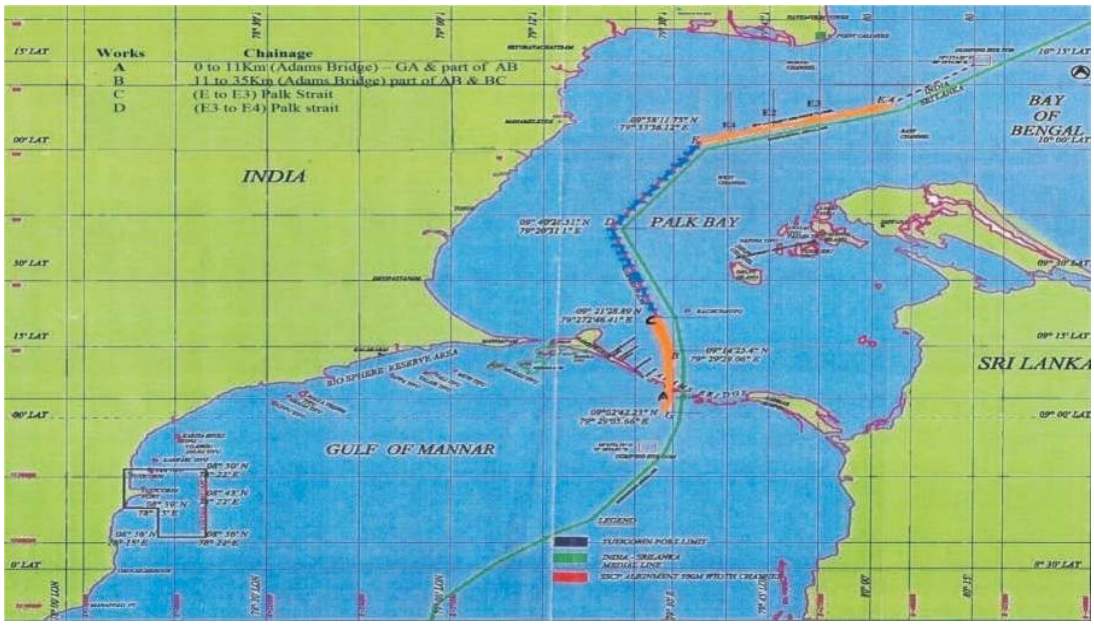
निविदा प्रक्रिया की विफलता तथा परिणामस्वरूप डीसीआई का नामॉकन

16.1.3.1 निविदा प्रक्रिया

ड्रेजिंग परियोजना का मुख्य कार्यकलाप था। परियोजना की मुख्य ड्रेजिंग में ड्रेजरों का परियोजन करते हुए चार कार्य सेगमेन्ट में कठोर तथा कोमल सामग्री की खुदाई शामिल है। जैसा नीचे वर्णित है:*

(₹ करोड़ में)

	चैनेज	डीपीआर के अनुसार अनुमानित लागत
कार्य ए	0 से 11 किमी (एडम्स त्रिज) जीए एवं एबी का कुछ हिस्सा	612
कार्य बी	11 से 35 किमी (एडम्स ब्रिज) एबी का कुछ हिस्सा एवं बीसी	444
कार्य सी	(ई से ई 3) पाल्क स्ट्रेट	559
कार्य डी	(ई 3 से ई 4) पाल्क स्ट्रेट	



** मुख्य ड्रेजिंग का अर्थ अनुरक्षण ड्रेजिंग के विपरीत नई ड्रेजिंग से है।*

सेगमेन्ट डी के संबंध में डीसीआई को नामांकन आधार पर कार्य प्रदान करने के लिए पोत परिवहन मंत्रालय ने आर्थिक मामलों पर केबिनेट समिति का अनुमोदन (मई 2005) प्राप्त किया, 'नोट के पैरा 12 में यथा प्रस्तावित शर्तों के अधीन परियोजना को जल्द से जल्द प्रारंभ करने के हित से, बंगाल की खाड़ी के साथ लगे हुए पाल्क स्ट्रेट क्षेत्र में 12 से 13 मिलियन घन मीटर के ड्रेजिंग कार्य वाले चैनल के विस्तार को पोत परिवहन मंत्रालय के तहत ड्रेजिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया, एक मिनी रत्ना पीएसयू, को दिए जाने की अनुमति दी जाए।'

नोट का पैरा 12 बताता है 'परियोजना को जल्द से जल्द प्रारंभ करने के हित से, बंगाल की खाड़ी के साथ लगने वाले पाल्क स्ट्रेट क्षेत्र में 12 से 13 मिलियन घन मीटर के ड्रेजिंग कार्य वाले चैनल के विस्तार को, यथा समय वैश्विक बोली के आधार पर संविदा प्रदान की गई फर्मों द्वारा उद्धत दरों की तुलनीय दरों पर एवं डीसीआई द्वारा सहमत कार्यक्रम के अनुसार कार्य पूरा करने की गारंटी देने के अध्यधीन नामांकन आधार पर मंत्रालय के अधीन ड्रेजिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया, एक मिनी रत्ना पीएसयू को दिए जाने का प्रस्ताव है।

दिनांक 1 जून 2005 का मंत्रालय का आदेश बताता है कि ''इस कार्य के लिए डीसीआई को भुगतान की जाने वाली दरें प्रचलित बाजार दरें होगी।'' न केवल सविंदा नामांकन आधार पर प्रदान की गई थी अपितु भुगतान की दरों को भी अन्तिम रूप नहीं दिया गया था। जैसा कि आने वाले परिणाम ने प्रमाणित करा, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक निविदा के आधार पर किसी भी चैनेज के लिए कोई संविदा प्रदान नहीं की जा सकी थी एवं डीसीआई को नामांकन आधार पर सभी विस्तार प्रदान किये गए थे। किये गए ड्रेजिंग कार्य के लिए दरें जांच-एवं-बातचीत के आधार पर सरकार द्वारा गठित दो सदस्य समिति द्वारा अवधारित की गई थीं।

हालांकि मंत्रालय ने 13 मई 2005 को केविनेट को नोट प्रस्तुत कर दिया था, फिर भी यह स्पष्ट हो गया था कि अनुबंध की शर्तें तब तक भी निश्चितता से परे थीं। संयुक्त सचिव (बंदरगाह), पोत परिवहन विभाग को संबोधित दिनांक 30 मई 2005 के पत्र में, अध्यक्ष तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट -परियोजना की समन्वयक एजेंसी ने विचार व्यक्त किया कि नामांकन आधार पर डीसीआई को कार्य डीसीआई द्वारा यथा वांछित आगामी अवभूमि जॉच पड़ताल के पूरा होने के पश्चात ही दिया जाना चाहिए। 'अपरिहार्य निष्कर्ष जो

आपके कक्ष में चर्चा के दौरान उभर कर आया, वह यह है कि डीसीआई अपने फायदे के अनुसार शर्तों में हेरफेर करते हुए कार्य जल्दी प्रारंभ करने की आवश्यकता का फायदा लेने का प्रयास कर रहा है, जिसका वैश्विक निविदा में बोलीदाताओं पर व्यापक प्रभाव हो सकता है। उनका एक सुझाव यह था कि' स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करते हुए कि वास्तविक ड्रेजिंग कार्य वैश्विक बोलियाँ आमंत्रित करने के पश्चात् अक्तूबर 2005 में ही प्रारंभ होगा, उद्घाटन समारोह की औपचारिक रस्म कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जा सकती है।

तथापि प्रारंभिक रूप से डीसीआई को चार्ट डेटम से (-) 12 मीटर नीचे की गहराई प्राप्त करने के लिए 13.55 मीलियन घनमीटर की अनुमानित मात्रा के साथ लगभग 13.57 किमी की लम्बाई में स्ट्रेच ई 3 से ई 4 (पाल्क स्ट्रेट) में ड्रेजिंग प्रारंभ करने में 'समर्थ करने के लिए 25 जून 2005 को अध्यक्ष टीपीटी तथा अध्यक्ष डीसीआई के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये थे। टीपीटी को डीसीआई को 4500/7400 घन मीटर के प्रति अन्तरिक भुगतान के रूप में ₹ 4.5 करोड़/₹ 7.5 करोड़ का मासिक भुगतान करना था। डैजर को अन्तर्राट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली (आईसीबी) पर आधारित संविदा को अन्तिम रूप दिये जाने के पश्चात डीसीआई एवं टीपीटी के बीच किये गए अन्तिम करार के अनुसार समायोजित किया जाना था। परियोजना का उद्घाटन 2 जुलाई 2005 को किया गया था।

फलस्वरूप, आईसीबी संविदा को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका तथा दरों का निर्धारण अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, पोत परिवहन मंत्रालय तथा मुख्य सलाहकार (लागत), व्यय विभाग,वित्त मंत्रालय की बनी हुई एक समिति द्वारा किया जाना था।

मंत्रालय ने उत्तर दिया कि यह कहना सही नहीं है कि डीसीआई को नामॉकन आधार पर ड्रेजिंग संविदा प्रदान करना असामान्य था। पोत परिवहन मंत्रालय की वर्तमान ड्रेजिंग नीति ने जन हित में नामाकन आधार पर डीसीआई को संविदा प्रदान करने की अनुमति प्रदान की।

मंत्रालय का उत्तर सभी मुख्य बन्दरगाहों के लिए ड्रेजिंग नीति में उल्लेख करते हुए मंत्रालय के अपने पत्र सं. पीओ – 28014, 8/2000-डीआरजी दिनांक 17 फरवरी 2004 के उल्लंघन में है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के लिए अनुरक्षण ड्रेजिंग को छोड़कर सभी बन्दरगाहों को ड्रेजिंग के लिए बोलियां आमँत्रित करना आवश्यक था तथा डीसीआई को अस्वीकृति का पहला अधिकार होगा यदि इसकी दर न्यूनतम तकनीकी रूप से योग्य

प्रस्ताव के 10% के अन्दर हो। सभी ड्रेजिंग कार्यों के लिए डीसीआई का नामांकन 2005 तथा 2006 में किया गया था जब मंत्रालय की यह नीति प्रचलित थी।

16.1.3.2 अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धात्मक बोली

निविदा के पहले चरण का विघटन

कार्य ए, बी तथा सी के लिए, टीपीटी ने जुलाई 2005 में ड्रेजिंग के लिए वैश्विक निविदा आमंत्रित की। निविदा की प्राप्ति के लिए निर्धारित अन्तिम तिथि 31 अगस्त 2005 थी, जो अक्टूबर 2005 तक बढ़ा दी गई थी। निविदा में दिये गए अनुमानों में, कार्य-ए के लिए ₹ 150/घनमीटर तथा कार्य – बी के लिए ₹ 237/ घनमीटर की औसत दर पर गणना करके एडम्स ब्रिज क्षेत्र के लिए कुल ड्रेजिंग लागत 48.04 मिलियन घनमीटर की अनुमानित मात्रा के लिए ₹ 940.84 करोड़ (संघटन तथा विघटन लागत को छोड़कर) निकाली गई थी। पाल्क स्ट्रेट क्षेत्र के कार्य–सी के संबंध में, 20.95 मीलियन घनमीटर की अनुमानित मात्रा के लिए अनुमानित लागत ₹ 168/ घनमीटर की दर से ₹ 351.97 करोड़ थी।

11 निविदाकारों ने सभी कार्यों के लिए दस्तावेज खरीदे थे। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक में से एक निविदाकार ने केवल कार्य 'ए' तथा कार्य 'सी' के लिए निविदा दस्तावेज खरीदे थे। टीपीटी ने एक पूर्व–बोली बैठक अगस्त 2005 में आयोजित की थी जिसमें प्रतिभागियों को सूचित किया गया कि एक विस्तृत, पर्याप्त तथा विश्वसनीय मृदा सूचना के अभाव में एक वास्तविक बोली उपलब्ध कराना कठिन था। इस प्रकार, निविदा के निमंत्रण के समय पर मृदा की परिस्थितियों के संबंध में मूलभूत सूचना उपलब्ध नहीं थी।

मृदा परिस्थितियों पर डाटा के संबंध में, डीपीआर ने सुझाव दिया था कि एडम्स ब्रिज क्षेत्र में प्रत्येक (-) 16 मी की गहराई तक कम से कम 20 मरीन बोरहोल खोदे जाने की आवश्यकता थी। इसके प्रति, एनआईओटी* ने डीपीआर को अन्तिम रूप देते समय 4 बोरहोल खुदवाए थे। एनआईओटी ने निविदा जारी करने से पहले छः और बोरहोल खुदवाए थे। निविदा में उपलब्ध कराए गए भू-तकनीकी डाटा की अपर्याप्तता के मद्देनजर, निविदाकारों ने बोली प्रस्तुत करने के लिए पूरी मृदा सूचना की प्राप्ति के पश्चात चार से छः सप्ताह के समय के लिए अनुरोध किया।

* ***नेशनल इन्स्टिटयूट ऑफ ओसन टेकनोलाजी। टीपीटी ने एनआईओटी को मरीन बोरहोल कार्य दिया।***

जुलाई 2005 में, टीपीटी ने मृदा जांच पड़ताल करने के लिए ₹ 87.54 लाख की लागत पर मै. डीबीएम जियो टेक्निकल कार्पोरेशन प्राईवेट लिमिटेड को नियुक्त किया। सलाहकार ने नवम्बर 2005 में रिपोर्ट प्रस्तुत की। एडम्स ब्रिज क्षेत्र में कवर किये गए 21 सहित 41 बोरहोल का परिणाम पोर्ट की वेबसाईट पर पोस्ट किया गया था।

निविदा की प्रतिक्रिया में, निम्नलिखित पॉच फर्मों ने 3 अक्तूबर 2005 को सभी तीन कार्यों के लिए अपने निविदा दस्तावेज प्रस्तुत किये।

क्र.सं.	निविदाकार का नाम	टिप्पणी
1.	मै. जन डी नुल एवं मै. वोस्कालिस बी वी.	संयुक्त उद्यम कम्पनी ईएमडी- प्रस्तुत किया
2.	मै. ड्रेजिंग इन्टरनेशनल एन वी	ईएमडी- प्रस्तुत किया
3.	मै. ह्यून्डई इंजिनियरिंग एण्ड कन्सट्रक्टशन कम्पनी लि.	ईएमडी- प्रस्तुत किया
4.	मै. वान ओर्ड ड्रेजिंग एण्ड मरीन कान्ट्रेक्टर्स बी.वी.	ईएमडी- प्रस्तुत किया
5.	मै. जायसू शिंपिग कम्पनी (पी) लि.	ईएमडी- प्रस्तुत नहीं किया गया

टीपीटी की निविदा समिति ने 3 अक्तूबर 2005 को तकनीकी बोलियॉ खोली तथा ईएमडी की कमी के कारण क्र.सं. 5 वाले निविदाकार द्वारा प्रस्तुत की गई बोली पर विचार नहीं किया। टीपीटी ने निम्नलिखित बोली शर्तें में परिवर्तनों के कारण शेष चार वैद्य बोलीदाताओं को 26 अक्टूबर 2005 से पहले संशोधित उद्धरण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया:

- 15 दिनों तक कार्य रूकने की लागत ठेकेदार के खाते पर होगी।
- अतिरिक्त मृदा जॉच पड़ताल की लागत केवल सफल बोलीदाता को अनुमत होगी।

निविदा समिति ने इस आधार पर मूल्यांकन हेतु क्र.सं. 2 एवं 4 के प्रस्तावों पर विचार नहीं किया कि उनकी बैंक प्रतिभूति का फार्मेट बन्दरगाह के हितों की सुरक्षा नहीं करता। अत: मूल्यांकन तथा आगामी चर्चा हेतु मैस जेन डी नुल एवं मै. बोस्कालिस बी.वी. तथा मै. ह्यून्डई इन्जिनियरिंग एण्ड कन्सट्रन्शन कम्पनी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत बोलियों पर विचार किया गया था।

मूल्य बोली के खुलने के लिए एक पूर्वीपेक्षा के रूप में, यह आवश्यक था कि निविदाकार टीपीटी द्वारा सहमत उन शर्तों से अलग तकनीकी बोली में उनके द्वारा रखी गई सभी शर्तों

को वापस लेते हैं। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, 5 तथा 6 नवम्बर 2005 को दो बोलीदाताओं के साथ एक-एक करके चर्चा आयोजित की गई थी तथा निविदाकारों को वे सभी शर्तें वापस लेने को कहा गया था जिन्हें पोर्ट द्वारा विशिष्ट रूप से स्वीकृत नहीं किया गया था। नवम्बर 2005 में अपनी प्रतिक्रिया में, अपनी शर्तों को तथापि, वापस लने के बजाए निविदाकारों ने नई शर्तें निर्धारित की। मै. जैन डीनुल तथा मैसर्ज वोस्कालिस बी.वी. ने बहुत सारी शर्तें लगाई थी, वहीं अन्य निविदाकार, मैसर्ज ह्यून्डई ने निम्नलिखित मुख्य शर्तें निर्धारित की:

- 10 मेगा पास्कल (एमपीए) (104 किग्रा. प्रति वर्ग सेमी तक कठोरता तक) पर मृदा परिस्थितियों के लिए दर की अनुसूची संविदा के हस्ताक्षर करने से पहले निर्धारित की जानी चाहिए।
- उन्होंने पर्यावरणीय वाधा को कम करने के लिए कार्य पद्धति की समीक्षा की एवं संकेत दिया कि इसमें अतिरिक्त लागत प्रभाव शामिल होगा।
- उन्होंने संकेत किया कि यदि कार्य 'बी' तथा 'सी' उन्हें एक साथ दिया जाता है, तो अतिरिक्त ड्रेजिंग उपस्कर का जुटाना अनिवार्य था, परिणाम स्वरूप अतिरिक्त लागत होगी।

टीपीटी ने दोनों निविदाकारों द्वारा रखी गई शर्तों को स्वीकार नहीं किया तथा मंत्रालय के साथ परामर्श करके दोनों पूर्व-अर्हक निविदाकारों को इस शर्त के साथ मूल्य बोली खोलने का निश्चिय किया कि यदि उनकी मूल्य बोली किसी कार्य के संबंध में न्यूनतम होगी, तो तब तक पोर्ट द्वारा विशिष्ट रूप से सहमत शर्तों से अन्य, सभी शर्तें को वापस लेना होगा। टीपीटी ने उपरोक्त दर्शायी गई शर्त की स्वीकृति के संबंध में निविदाकारों से एक लिखित पुष्टि प्राप्त किये बिना ही 19 दिसम्बर 2005 को मूल्य बोलियाँ खोलीं। मै. ह्यून्डई इंजिनियरिंग कन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड ₹ 1925.39 करोड़ पर न्यूतनम बोलीदाता पाई गयी थी। इसमें निम्नलिखित अतिरिक्त दावे शामिल थे जो अक्टूबर 2005 में प्रस्तुत की गई मूल्य बोली में शामिल नहीं थे:

- एडम्स ब्रिज में कार्य के संबंध में ₹ 178.68 करोड़ का अतिरिक्त दावा।
- अगर उन्हें 104.4 किग्रा./सेमी^{2} की कठोर मृदा क्षमता का सामना करना पड़ा तो, 20.93 करोड़ की अतिरिक्त लागत के साथ समय का अतिरिक्त विस्तार।
- 'बी' एवं 'सी' के कार्यों को एक साथ करने के लिए ₹ 44.03 करोड़ की अतिरिक्त लागत।
- उपस्कर/कलपुर्जों के आयात पर सीमाशुल्क

10 जनवरी 2006 को निविदा समिति ने टीपीटी को अनुमानित से उच्चतर दरें होने के कारण निविदा को विघटित करने की सिफारिश की।

पोत परिवहन मंत्रालय ने एससीएल तथा टीपीटी को सूचित किया (6 फरवरी 2006) कि मंत्रालय, निविदा के विघटन के संबंध में निविदा समिति की सिफारिशों के साथ सहमत था। उन्होंने यह भी बताया कि कार्य के तकनीकी विनिर्देशन में अनिश्चिताओं को दूर करने के लिए, निविदा पुन: आंमत्रित करते समय निविदा दस्तावेज में शामिल किये जाने के लिए बोरहोल अध्ययन के माध्यम से पर्याप्त अवभूमि डाटा सर्जित किया जाना था।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि:

- **डीपीआर ने सुझाव दिया कि प्रमुख ड्रेजिंग के उपयुक्त यथार्थ अनुमान प्राप्त करने के लिए,जो परियोजना के लिए मुख्य ड्रेजिंग लागत की गणना करने के लिए आवश्यक है, यह आवश्यक था कि अतिरिक्त सर्वेक्षण करके नीरी तथा एनएचओ* द्वारा अध्ययन में प्रयुक्त डाटा की तुलना में अधिक बेहतर वियोजन पर बैथीमैट्री डाटा प्राप्त किया जाए।**
- **दिसम्बर 2005 में मंत्रालय द्वारा आयोजित बैठक में, एससीएल ने स्वयम् एडम्स ब्रिज क्षेत्र में 115 बोरहोल सहित 210 की आवश्यकता का सुझाव दिया गया ताकि उच्चतर कठोरता वाली मृदा का अनुमान लगाया जा सके।**

टीपीटी ने विशेष कर एडम्स ब्रिज क्षेत्र में भू-तकनीकी जॉच पड़ताल पर सामजस्य प्राप्त करने के लिए चार फर्मों के साथ जनवरी 2006 में एक पूर्व निविदा बैठक आयोजित की। यह सहमति हुई कि कार्य की मात्रा का सही अनुमान प्राप्त करने के लिए 50 अतिरिक्त बोरहोल की आवश्यकता होगी।

तदनुसार, फरवरी 2006 में एडम्स ब्रिज क्षेत्र में 50 बोरहोल में जॉच करके भू-तकनीकी जॉच पड़ताल के लिए ₹ 3.13 करोड की लागत पर एक ठेका एससीएल द्वारा मैसर्स फुगरो जीओटेक, मुम्बई को प्रदान किया गया। यद्यपि रिपोर्ट पूरी करने की निश्चित तिथि 15 मई, 2008 थी, उन्होंने जनवरी 2007 में रिपोर्ट प्रस्तुत की।

** नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस, देहरादून*

निविदा का दूसरा चरण विघटित किया गया

अपनी संपूर्णता में उपरोक्त रिपोर्ट की प्राप्ति से पहले ही, दो भागों अर्थात एडम्स ब्रिज (कार्य 'ए' तथा 'बी' मिलाकर) तथा पाल्क खाड़ी/पाल्क स्ट्रेट (कार्य 'सी') के दक्षिणी हिस्से में बॉटे गए ड्रेजिंग कार्य के लिए पूर्व – अर्हता में भाग लेने के लिए वैश्विक सूचना जारी करते हुए 24 फरवरी 2006 को पुन: निविदा की गई। निविदा की प्रतिक्रिया में, सात पार्टियों ने दस्तावेज प्रस्तुत किये। डीसीआई ने इस निविदा में मैसर्स ड्रैजिंग इन्टरनेशनल क एक सहायता संघ के रूप में भाग लिया। निविदा समिति ने डीसीआई संघ सहित चार फर्मों को पूर्व-अर्हता प्राप्त करने की सिफारिश (मई 2006) की। उपरोक्त फर्मों को निविदा दस्तावेज अन्तिम तिथि के रूप में 30 जून, 2006 के साथ 18 मई 2006 को जारी किये गए थे तथा 1 जून, 2006 को पूर्व-बोली बैठक आयोजित की गई थी। तकनीकी एवं मूल्य बोली क्रमश: 30 जून, 2006 तथा 17 जुलाई, 2006 को खोली गई थी। एडम्स ब्रिज कार्य के संबंध में जेन डी नुल एनवी तथा बोस्कालाइस बीवी जेवी ₹ 2817.54 करोड़ की लागत पर न्यूनतम वोलीदाता था तथा पाल्क स्ट्रेट खंड के लिए डीआई एण्ड डीसीआई जेवी ने ₹ 922.22 करोड़ की न्यूनतम दर उद्ध्त की। इन दरों में प्रमुख ड्रजिंग लागत के अतिरिक्त संघटन तथा विघटन प्रभार भी शामिल थे। डीपीआर, अनुमानों के संदर्भ में दरें एडम्स ब्रिज कार्य के 189.2 प्रतिशत तक और पाल्क स्ट्रेट के लिए 153.25 प्रतिशत तक अधिक थीं।

लेखापरीक्षा ने देखा कि टीपीटी ने फरवरी 2006 में बोली के दूसरे चरण में भी पुराने अनुमानों का अद्यतन नहीं किया था, जो नवम्बर 2004 में तैयार किये गए थे। इसके परिणामस्वरूप बोली के दूसरे चरण में प्राप्त की गई दरों की तार्किकता का अवास्तविक मूल्यांकन हुआ।

टीपीटी ने मामला मंत्रालय को भेजते हुए निविदाकारों द्वारा उद्ध्त उच्च दरों के कारण निविदा (20 जुलाई, 2006) को विघटित करने का निर्णय किया। निविदा समिति की सिफारिशों के आधार पर, मंत्रालय ने निविदा विघटित कर दी गई (अगस्त 2006) तथा समस्त कार्य नामांकन आधार पर अक्तूबर 2006 में डीसीआई को सौंप दिया।

टीपीटी ने जनवरी, 2007 में पूरी बोरहोल जॉच रिपोर्ट की प्राप्ति से पहले ही एडम्स ब्रिज तथा पाल्क स्ट्रेट में ड्रेजिंग के लिए फरवरी 2006 में बोली का दूसरा चरण प्रारंभ किया। अनिश्चिताओं को दूर करने पर मंत्रालय के अनुदेशों का पालन नहीं किया गया था तथा टीपीटी को भू- तकनीकी पहलुओं को पहले की तरह अनिश्चित छोड़ते हुए निविदा के

लिए आगे बढ़ने की अनुमति दी गई थी। मंत्रालय ने भी यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसके अनुदेशों का पालन किया गया था, कोई कार्यवाही नहीं की थी।

एससीएल ने बताया (फरवरी, 2012) कि टीपीटी ने एडम्स ब्रिज क्षेत्र में विद्यमान रॉक ड्रेजिंग स्ट्राटा के समान ही करीब करीब सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। इसके अतिरिक्त, कार्यान्वयन एजेन्सी, टीपीटी की एक सुदृढ़ तकनीकी पृष्ठभूमि थी तथा अपतट परिस्थिति में ड्रेजिंग सहित बड़े कार्य करनेकी तकनीकी जानकारी थी। ड्रेजिंग कार्यों के लिए यथा अपेक्षित ज्यादा से ज्यादा तकनीकी जानकारियॉं शामिल करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती गई थी।

एससीएल ने आगे बताया कि निविदा के पहले तथा दूसरे चरण के बीच अन्तराल केवल सात महीने का था, अतः अनुमानों के अद्यतन की कोई आवश्यकता नहीं थी।

प्रबंधन का उपरोक्त तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वास्तविक मात्रा तथा लागत अनुमान अपर्याप्त डाटा पर बनाए गए थे जैसा कि वर्णित था। इसके अतिरिक्त, डीपीआर (नवम्बर 2004) तथा निविदा के दूसरे चरण (फरवरी 2006) के बीच अन्तराल 12 महीने से अधिक था।

स्वीकार्य रूप से, यह सीमित सुविधाओं के साथ एक कठिन निविदा थी। तथापि, ऐसी जटिल निविदा को सुव्यवस्थित करने हेतु आवश्यक प्रारंभिक भू-तकनीकी कार्य नहीं किये गए थे। बोलीदाता मृदा परिस्थितियों के संबंध में अधिक जानकारी की मॉंग करते रहे तथा टीपीटी को मृदा जॉंच पड़ताल के कार्यक्षेत्र को बढ़ाना पड़ा था। डीपीआर के अनुसार, एडम्स ब्रिज क्षेत्र में कम से कम 20 मरीन बोरहोल खोदे जाने थे, जिनके विपरीत केवल 10 बोरहोल निविदा के पहले चरण के जारी होने से पहले खोदे गए थे। इस प्रकार, बोरहोल की संख्या के संबंध में डीपीआर की सिफारिश पर ध्यान नहीं दिया गया था। पुनः अपूर्ण डाटा पर आधारित निविदा के दूसरे चरण को भी उद्धरित उच्च दरों के कारण विघटित करना पड़ा था। इन परिस्थितियों के अन्तर्गत बोलीदाताओं से स्वीकार्य तकनीकी तथा मूल्य बोलियों के साथ आने की आशा करना अत्यधिक आशावादी था। इन मुद्दों को सुलझाने की बजाए, मंत्रालय ने ड्रेजिंग का समस्त कार्य नामॉकन आधार पर डीसीआई को प्रदान करने का निर्णय लिया।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया कि टीपीटी, एसएससीपी के कार्यान्वयन हेतू नोडल एजेन्सी, ने आईसीबी निविदा बुलाते समय उस समय प्रचलित विभिन्न घटकों पर विचार करते हुए उचित रूप से अनुमानों का अद्यतन किया था। ड्रेजिंग हेतू दर दरों की

अनुमोदित सूची में उपलब्ध एक मद नहीं थी एवं यह माँग एवं आपूर्ति के प्रचलित बाजार प्रभावों, ड्रेजरों की उपलब्धता तथा अन्य घटकों द्वारा प्रभावित थी। टीपीटी ने दूसरी आईसीबी निविदा को आमंत्रित करते समय उस समय प्रचलित सभी उपरोक्त घटकों पर विचार किया था तथा अनुमानों को अद्यतित न करने का निर्णय किया क्योंकि पहली आईसीबी तथा दूसरी आईसीबी निविदा के बीच अन्तर केवल सात महीने का था तथा अनुमानों के किसी अद्यतन की आवश्यकता नहीं थी।

मंत्रालय के उत्तर को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि एडम्स ब्रिज तथा पाल्क स्ट्रेट के लिए क्रमश: ₹ 974 करोड़ तथा ₹ 364 करोड़ (संघटन तथा विघटन लागत सहित) की कुल अनुमानित लागत को आईसीबी I तथा आईसीबी II के बीच परिवर्तित नहीं किया गया था। दूसरे आईसीबी 11 के दौरान उस क्षेत्र के लिए एडम्स ब्रिज के लिए ₹ 2817 करोड़ तथा पाल्क स्ट्रेट के लिए ₹ 923 करोड़ की एल 1 दर के प्रति देखा जाए तो, यह स्पष्ट हो जाएगा कि अनुमानित लागत एल 1 लागत से कम थी। मंत्रालय अथवा टीपीटी ने कभी ऐसे अन्तर के लिए कारणों का विश्लेषण नहीं किया। उसके अतिरिक्त, डीसीआई संघ एडम्स ब्रिज क्षेत्र के लिए आईसीबी II के दौरान एल 4 था।

मंत्रालय ने आगे बताया कि टीपीटी ने कार्यों के क्रियान्वयन में अस्पष्टता से बचने के लिए बोलीदाता के विचार को समझने तथा इसे निविदा दस्तावेज में शामिल करने के लिए आईसीबी 1 के लिए निविदा दस्तावेजों को तैयार करने से पहले सभी संभावित बोलीदाताओं को बुलाने की पहल की थी। बैठक के दौरान, कार्य ए, बी तथा सी का विवरण देते हुए एक प्रस्तुतीकरण तथा एनआईओटी के माध्यम से पोर्ट द्वारा की गई मृदा जाँच का विवरण पोर्ट द्वारा दिया गया था।

चूंकि, बोलीदाता अतिरिक्त विस्तृत मृदा जाँच चाहते थे, इसलिए टीपीटी ने संभावित बोलीदाताओं द्वारा लागत सहभाजन के साथ एक सयुक्त मृदा जाँच पड़ताल के लिए सुझाव दिया, इस शर्त के अध्यधीन कि जांच पड़ताल की लागत की प्रतिपूर्ति सफल बोलीदाता द्वारा की जाएगी जैसा कि पनामा नहर की ड्रेजिंग के मामले में किया गया था।

चुंकि बोलीदाताओं के बीच कोई समझौता नहीं हुआ था, बन्दरगाह ने एडम्स ब्रिज क्षेत्र तथा पाल्क स्ट्रेट में फैले ड्रेजिंग क्षेत्र की समस्त लम्बाई को कवर करते हुए अतिरिक्त 41 बोलहोल जाँच पड़ताल कराई थी।

संभावित बोलीदाताओं की आसान पहुँच के लिए ये मृदा जाँच परिणाम बन्दरगाह की बेवसाईट पर डाले गए थे। बेहतर ढंग से समझने के लिए बोलीदाताओं को स्थल पर मृदा जाँच पडताल को देखने की अनुमति भी थी।

बोली के दूसरे चरण के दौरान, 50 बोरहोल जाँच पड़ताल में से 37 के परिणाम बोलीदाताओं को पहुँचाए गए थे। इस विशिष्ट मामले में, कार्यान्वयन एजेन्सी, टीपीटी ने हार्ड कॉपी के रूप में तथा वेबसाईट के माध्यम से बोलीदाताओं को सभी उपलब्ध दस्तावेज उपलब्ध कराये थे। अतः यह कहना सही नहीं है कि अपर्याप्त मृदा डाटा निविदा प्रक्रिया की पराकाष्ठा में बाधा थी।

तथापि, तथ्य यह रह जाता है कि निविदा के पहले चरण का परिणाम डाटा की कमी के कारण सशर्त बोली के रूप में था। निविदा के दूसरे चरण से पहले सही अनुमान के लिए अधिक बोरहोलों की आवश्यकता को पहचाना गया था, परन्तु आईसीबी- II के लिए ऐसी प्रक्रिया के व्यापक परिणामों का प्रयोग नहीं किया गया था, जो कार्यवाही योग्य बोलियाँ प्राप्त करने के लिए आवश्यक जरूरी सूचना के प्रति मतभेदों को दर्शाता है।

अधिक महत्त्वपूर्ण रूप से, यह विचार किया जाना आवश्यक है कि सभी खंडों के लिए ड्रेजिंग कार्य केबिनेट अनुमोदन के पश्चात नामॉकन आधार पर डीसीआई को दिया गया था। अवभूमि परिस्थितियों पर पर्याप्त डाटा की कमी के मुद्दे को कभी सुलझाया नहीं गया था तथा केबिनेट को यह नहीं स्पष्ट किया गया था कि कैसे डीसीआई पर्याप्त अवभूमि डाटा की कमी के मद्देनजर अन्तर्राष्ट्रीय बोलीदाताओं की तुलना में काफी कम लागत पर ड्रेजिंग में अधिक सफल होगा।

16.1.3.3 डीसीआई का नामांकन

मंत्रालय ने जून 2005 में कार्य डी के लिए तथा अक्टूबर 2006 में सभी शेष खंड अर्थात कार्य ए, बी तथा सी के लिए डीसीआई को नामांकित किया तथा भुगतान की जाने वाली दरों के निर्धारण का ढंग 'प्रचलित बाजार दरें' थी।

डीसीआई ने ड्रेजरों की कमी की कारण टीपीटी द्वारा बोली के पहले चरण में भाग नहीं लिया था। दूसरे चरण में उन्होंने एडम्स ब्रिज क्षेत्र में ए-बी खंड तथा कार्य सी के लिए ड्रेजिंग इन्टरनेशनल के साथ संघ के रूप में भाग लिया। 16 सितम्बर, 2006 को, एससीएल द्वारा एक पूछताछ के उत्तर में, डीसीआई ने सुस्पष्ट शब्दों में वापस लिखा कि उनके पास 'एडम्स ब्रिज क्षेत्र में ड्रेजिंग कार्य करने के लिए श्रमबल, तकनीक तथा उपस्कर के रूप में बाधॉए हैं।'

योजना आयोग ने भी संदेह व्यक्त करते हुए (15 सितम्बर 2002) बताया कि डीसीआई की अपर्याप्त क्षमता के कारण, नामांकन आधार पर ठेका देने के परिणामस्वरूप समय तथा लागत का बढ़ना हो सकता है। इसके अतिरिक्त, डीसीआई को ठेका प्रदान करने के परिणामस्वरूप परियोजना की लागत निरंतर खुली हो सकती है।

एससीएल ने स्वयं डीसीआई की क्षमता पर टिप्पणी करते हुए 16 दिसम्बर 2006 को नोट किया कि "डीसीआई को काफी हद तक बाहरी स्त्रोत से उपकरण तथा विशेषज्ञता पर भरोसा करना होगा जो संयुक्त उद्यम/उप ठेके की संभावना के अलावा उपकरणों को किराये पर लेने तथा विशेषज्ञों की नियुक्ति के माध्यम से आ सकता है जो दोनों ही विश्वव्यापी तंत्र हैं.....स्वीकार्य रूप से डीसीआई के पास अपने उपकरण तथा विशेषज्ञता की कमी है परंतु इनको वाहरी स्त्रोत के माध्यम से सुधारा जा सकता है।"

तथापि, सचिव (पोत परिवहन), भारत सरकार को संबोधित डीसीआई का अपना पत्र दिनांक 16 सितम्बर, 2006 और अधिक दिलचस्प था। डीसीआई ने स्पष्ट रूप से बताया था कि कार्य ए तथा बी – एडम्स ब्रिज क्षेत्र के लिए "डीसीआई के पास एक कटर सक्शन ड्रेजर अर्थात एक्वेरियस के अलावा कोई उपस्कर अथवा श्रमबल नहीं है, जिसे वर्तमान में विदेश में किराये पर दिया गया है।" डीसीआई ने अन्य बातों के साथ आगे बताया कि, समय बाध्यताओं के कारण, डीसीआई को उपरोक्त पोत नामांकन पर लेने पड़ सकते हैं, जिसमें निर्धारित प्रक्रियाओं से विचलन शामिल हो सकता है।"

इन अनिश्चितताओं के बावजूद, मंत्रालय ने 2171.40 करोड़ की संशोधित बढ़ी हुई लागत के अन्दर ए, बी एवं सी पैकेजों के लिए डीसीआई को नामांकित करने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्राप्त करने के लिए 19 सितम्बर, 2006 को आर्थिक मामलों पर केबिनेट समिति को नोट प्रस्तुत किया।

आखिरकार मंत्रालय ने भी 13 अक्टूबर 2006 को ए, बी एवं सी पैकेजों के लिए ड्रेजिंग ठेके के लिए डीसीआई को नामांकित करते हुए आदेश जारी किया।

मंत्रालय ने उत्तर दिया कि डीसीआई की परिसीमाओं की जानकारी के बावजूद, सरकार ने एसएससीपी कार्य डीसीआई को देने का निर्णय किया क्योंकि यह परिस्थितियों के तहत एक मात्र व्यवहार्य उपलब्ध विकल्प था। शामिल ड्रेजिंग की महत्ता को देखते हुए डीसीआई की क्षमता को ड्रेजरों को किराये पर लेकर बढ़ाने की अनुमति दी गई थी तथा डीसीआई ने ड्रेजरों को किराये पर लेने के लिए ट्रांसचार्ट की सेवाओं का प्रयोग किया था।

16.1.3.4 ट्रांसचार्ट के माध्यम से ड्रेजर किराये पर लेना

जहाज प्रबंधन के लिए पोत परिवहन मंत्रालय की चार्टरिंग विंग, ट्रांसचार्ट सरकारी नौभार के आयात तथा निर्यात से संबंधित है। परियोजना के लिए समय एवं लागत बढ़ने की जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए मंत्रालय की स्थाई समिति की फरवरी 2009 की एक बैठक में, पोत परिवहन विभाग के चार्टरिग विंग के प्रतिनिधि ने डीसीआई की तरफ से ड्रेजरों को किराये पर लेने के लिए उनके द्वारा अपनाई गई कार्य पद्धति को स्पष्ट किया। उन्होने बताया कि डीसीआई के अनुरोध पर, उन्होने डीसीआई द्वारा दिये गए विनिर्देश विभिन्न एजेन्टों, दलालों तथा शपिंग कम्पनियों को जारी किए तथा उद्धरण प्राप्त किये। ड्रेजर की उपयुक्ता की जांच मूल रूप से डीसीआई द्वारा की गई थी जिसने अन्ततः एक उपयुक्त ड्रेजर का चयन किया। ड्रेजर किराये पर लेते समय किसी निविदा प्रक्रिया की सहायता नहीं ली गई थी क्योंकि मंत्रालय की चार्टरिंग विंग ड्रेजर इत्यादि के लिए निविदा आमंत्रित करने की स्थिति में नहीं है। परन्तु उपयुक्त ड्रेजरों के मद्देनजर केवल बातचीत/वार्ता के लिए इच्छुक पार्टियों को आमंत्रित करने में डीसीआई की सहायता कर रही थी"।

व्यवहारिक रूप से, डीसीआई ने ड्रेजरों की अपनी आवश्यकताओं को ट्रांसचार्ट को सूचित किया जिसने सूचना शिपिंग कम्पनियों तथा दलालों तक प्रवाहित की। प्रतिक्रियाएं डीसीआई को बताई गई थी, जिसने ड्रेजरों का निरीक्षण किया तथा कीमत पर बातचीत की। डीसीआई ने एससीएल का अनुमोदन लिया जिसने बाद में इसके लिए अपने बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया। तब उन्होंने ट्रांसचार्ट को सूचित करा जिसने ड्रेजरों के लिए संविदाएं करी।

ट्रासंचार्ट ने 2006-2008 के दौरान 100 शिपिंग कम्पनियों/दलालों को नौ वैश्विक पूछताछ प्रचारित की एवं 34 प्रस्ताव प्राप्त किऐ जिसमें से 7 प्रस्ताव डीसीआई द्वारा स्वीकार किये गये। किराये पर लेने से पहले डीसीआई द्वारा ड्रेजरों की उपयुक्तता की जाँच की गई थी। निबंधन एवं शर्तें डीसीआई द्वारा तैयार की गई थी एवं ट्रॉसचार्ट को प्रेषित की गई, जिसमें डीसीआई की तरफ से चार्टर पार्टी को अनुबन्धित किया।

सरकार में खरीद के सिद्धातों का पालन नहीं किया गया था। कीमत पर बातचीत के आधार पर निर्णय लिया गया था जिसमें पारदर्शिता की कमी थी। इसके अतिरिक्त ड्रजर भी तकनीकी विनिर्देशनों के लिए आधारभूत सूचना को अन्तिम रूप दिये बिना ही लगाए गए थे जैसा उपर चर्चा की गई है तथा कारणों का विश्लेषण किये बिना कि क्यों

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली के दो प्रयास जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय फर्मों ने भाग लिया था, विफल हो गए थे।

ड्रेजिंग कार्य के लिए डीसीआई को भुगतान की शर्तें खुली रखी गई

फरवरी 2006 में निविदा के पुन: विफल हो जाने पर, भुगतान की शर्तें खुली रखने के साथ समस्त कार्य अक्तूबर 2006 में नामांकन आधार पर डीसीआई को सौंप दिया गया। आर्थिक मामलों पर केबिनेट समिति को दिनांक 19 सितम्बर 2006 के नोट में, यह प्रस्तावित किया गया था कि 'डीसीआई को भुगतान की जाने वाली दरें डीपीआर तैयार करते समय अनुमान उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त दर उद्धरणों के बेंचमार्क पर आधारित तथा किराये पर लिए गए उपकरणों तथा/अथवा डीसीआई के अपने उपकरणों के प्रयोग पर आधारित अनुमानित लागत को भी ध्यान में रखते हुए ₹ 2171.40 करोड़ की संशोधित गणना की गई लागत के अन्दर एससीएल तथा डीसीआई के बीच पारस्परिक चर्चा के द्वारा तय की जानी चाहिए।'

लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि 'डीपीआर तैयार करते समय अनुमान उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त दर उद्धरणों का बेंचमार्क उद्धरित दरें नहीं थी। अक्टूबर 2004 में वर्तमान कीमतों पर, डीपीआर सलाहकार ने चार तरीकों को अपना कर ₹ 2233 करोड़ के प्रमुख लागत अनुमान निर्धारित किये थे: नामत: (i) बजटीय उद्धरण तथा आपूर्तिकर्ताओं के साथ चर्चा (ii) समान प्रवृति के चालू कार्यों से ली गई दरें (iii) अभी हाल में पूरे किये गए समान प्रवृति के कार्यों की अद्यतन दरें (iv) सलाहकार के अनुमान।

डीसीआई को नामांकन आधार पर कार्य ए, बी तथा सी प्रदान करने के लिए मंत्रालय की मंजूरी व्यक्त करने वाले इस पत्र दिनांक 13 अक्टूबर, 2006 में, मंत्रालय ने आगे आदेश दिया कि डीसीआई को भुगतान की जाने वाली राशि के निर्धारण की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए, डीसीआई को भुगतान की जाने वाली राशि निर्धारित करने हेतु अतिरिक्त सचिव, वित्तीय सलाहकार, पोत परिवहन विभाग तथा मुख्य सलाहकार (लागत) व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय वाली दो सदस्यों की संसदीय समिति गठित की जाए।

नामांकन आधार पर डीसीआई को ₹ 2000 करोड़ से अधिक वाले मुख्य कार्य प्रदान करने में इस दरों के प्रश्न को जीवंत रखा कि किस दर पर डीसीआई को भुगतान किया जाएगा।

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2012) कि पोत परिवहन मंत्रालय में चार्टरिंग विंग प्राथमिक रूप से नौभार के परिचालन के लिए सरकार, विभाग/पीएसयूज की तरफ से तथा के लिए शिपिंग प्रबंधन करती है तथा विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए इच्छुक विभागों द्वारा जब एवं जैसे अनुरोध किया जाए,सहायता उपलब्ध कराती है।

चार्टरिंग विंग भारतीय/विदेशी शिपिंग लाइनों के लिए शिपिंग प्रस्तावों को आमंत्रित करने के लिए निविदा आमंत्रित नहीं करती। अपनाई गई कार्यपद्धति किराये पर लेने के लिए खुली पूछताछ –सह- बातचीत के ढंग की है जो उद्योग व्यवहार के अनुसार पिछले पाँच दशकों से प्रचलित है। विंग माँगकर्ताओं/परियोजनाओं की आवश्यकताओं पर आधारित पूछताछ करता है तथा इन सभी केा व्यापक रूप से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में परिचालित किया जाता है, जो शिपिंग सकिलों में एक सुविख्यात तथ्य है।

नौभार आवश्यकताओं के लिए, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से विदेशी जहाज स्वामियों से प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए ट्रांसचार्ट प्रत्यक्षतः भारतीय जहाज स्वामियों तक को तथा जहाज दलालों के दल के बीच पूछताछ आमंत्रित करता है। बातचीत के आधार पर अन्तिम रूप दिए गए प्रस्तावों को माँगकर्ता विभागों को उनके अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। एक बार अनुमोदन हो जाने के बाद ट्रांसचार्ट शिपिंग फिक्सचर करता है तथा संबंधित माँगकर्ता विभाग के लिए एवं की ओर से भाड़ा दरों सहित सभी निबंधनों एवं शर्तों के लिए एक अनुबंध (चार्टर पार्टी) पर हस्ताक्षर किए गए जाते हैं।

ड्रेजरों के लिए डीसीआई की विशिष्ट आवश्यकताओं के मामले में भी, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय जहाज स्वामियों तथा विदेशी जहाज स्वामियों तक पूछताछ के आमंत्रण के लिए उपरोक्त प्रक्रिया का पालन किया गया था। चूंकि ट्रांसचार्ट ड्रेजरों को किराये पर लेने में पूरी तरह से निपुण नहीं है, इसलिए ट्रांसचार्ट द्वारा प्राप्त हुए प्रस्ताव तकनीकी उपयुक्तता/कार्ययोग्यता अभिनिश्चित करने तथा चार्टर भाड़ा की दरों की स्वीकार्यता के लिए डीसीआई को अग्रेषित किये गए थे। डीसीआई ने संबंधित यूनिट के निरीक्षण के बाद अन्तिम चार्ट भाड़ा किराया दरें तथा करार की शर्तें/निबंधन निर्धारित करने के लिए ट्रांसचार्ट अधिकारियों सहित संबंधित ड्रेजर स्वामियों के साथ बैठक की। एक बार एक अनुबंध हो जाने के बाद, डीसीआई ने जहाज स्वामी को अन्तिम पुष्टि के लिए इसे ट्रांसचार्ट को भेजने से पहले एसएससीपी तथा इसके निदेशक बोर्ड का अनुमोदन लिया। ट्रांसचार्ट द्वारा डीसीआई के लिए एवं की ओर से ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर करने से पहले चार्टर पार्टी ने स्वामियों से प्राप्त इस ड्राफ्ट को उनकी पुनरीक्षण हेतु डीसीआई को प्रेषित किया।

एसएससीपी ने परियोजना के लिए निर्धारित विनिर्देशों के आधार पर विश्व भर से जहाज स्वामियों से बोलियाँ आमंत्रित करते हुए खुले बाजार में निविदा प्रचारित की। चूँकि पुन:र्निविदा के बावजूद एसएससीपी द्वारा उपयुक्त प्रस्तावों की पर्याप्त संख्या प्राप्त नहीं की गई थी, इसलिए मंत्रालय से टीएसएचडी (ट्रेलर सक्शन होप्यर ड्रेजर) के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए ट्रांसचार्ट के कार्यालय को प्रयोग करने का अनुरोध किया गया था।

चूंकि उपकरण की उपलब्ध यूनिटें, जिनके लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, एसएससीपी हेतु डीसीआई की समस्त आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रही थीं, डीसीआई के अनुरोध पर विदेश में भारतीय मिशनों से भी ड्रेजर स्वामियों/रूचि रखने वाली पार्टियों से उनके उपकरण पेश करने के लिए संपर्क करने का अनुरोध किया गया था। विदेश में भारतीय मिशनों के कुछ अच्छे कार्यालयों के माध्यम से विदेशी समाचार पत्रों में विज्ञापन भी डलवाए गए थे।

कारगो चार्टर की तरह जहाँ प्रकाशित सूचियाँ, जैसे ड्राई कारगो के लिए वाल्टिक इन्डेक्स तथा पोतों के विभिन्न प्रकारों /आकारों के लिए ट्रेकर्स उपलब्ध है; ड्रजरों के लिए चार्टर किराया दरों को सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रकाशित बैंचमार्क/ट्रेन्ड उपलब्ध नहीं था तथा चार्टर किराये के लिए इस संबंध में ट्रांसचार्ट को केवल डीसीआई द्वारा मार्ग दर्शित किया जा रहा था तथा शर्तें/निबंधन ड्रेजर के प्रकार/उपयुक्तता पर निर्भर थीं।

सेतू समुद्रम शिप चैनल परियोजना नामक राष्ट्रीय महत्त्व की प्रतिष्ठित परियोजना के लिए डीसीआई के लिए ड्रेजरों को किराये पर लेने के मामले में चार्टरिंग विंग ने सहायक की भूमिका निभाई थी। डीसीआई के ड्रेजिंग के क्षेत्र में विशेषज्ञ होने के कारण, चार्टरिंग विंग ने डीसीआई की विशेषज्ञता का उपयोग किया एवं प्रत्येक मामले में अन्तिम रूप दी गई दरें डीसीआई की आवश्यकता की तुलना में मुख्य रूप से उपलब्धता, उपकरण की विशिष्ट प्रकृति तथा सम्मिलित अत्यावश्यकता पर आधारित थीं।

चूंकि संकाय के एक भाग के रूप में डीसीआई द्वारा उद्धृत दर सहित वैश्विक निविदाओं के माध्यम से खोजी गई दरें बहुत उच्च मानी गई थी, दूसरे आमंत्रण के दौरान, डीसीआई को भुगतान किये जाने योग्य दरें एक अलग तंत्र के माध्यम से निकाली जानी थीं। अत: सरकार ने डीसीआई को भुगतान किये जाने योग्य दर निर्धारित करने के लिए एएस एवं एफए, पोत परिवहन मंत्रालय तथा सलाहकार (लागत), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय की बनी हुई दो सदस्यीय समिति गठित की। व्यवस्था अक्टूबर 2006 में मंत्रालय द्वारा सूचित निर्णय के अनुसार थी।

मंत्रालय का उपरोक्त उत्तर स्वीकार करता है कि प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। जैसा कि ट्रांसचार्ट प्रतिनिधियों द्वारा स्वीकार किया गया था, कोई निविदा प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी। चार्टरिंग, समस्त रूप से पूछताछ तथा बातचीत के आधार पर किया गया था। यह नोट करना भी महत्त्वपूर्ण है कि ट्रांसचार्ट को ड्रेजर किराये पर लेने का कोई अनुभव नहीं है क्योंकि इसके दायित्त्वों में ड्रेजरों को चारटरिंग पर लेना शामिल नहीं है। डीसीआई को भुगतान की जाने वाली दरों के मुद्दे को केवीनेट को दिये गए नोट में तथा तत्पश्चात् खुला रखा गया था। जैसा कि बाद वाली घटनाएँ प्रमाणित करेगी, ड्रेजरों के नियोजन के कारण डीसीआई को किये गए भुगतान के संबंध में एससीएल तथा डीसीआई के बीच कोई समाधान नहीं किया गया था।

16.1.4.1 ड्रेजिंग कार्य की शुरूआत

डीपीआर ने संकेत दिया था कि एडम्स ब्रिज में ड्रेजिंग क्षेत्र में 18 मीलियन घन मीटर की मात्रा तक कठोर स्ट्राटा मृदा है तथा कटर सक्शन ड्रेजर (सीएसडी) के नियोजन की आवश्यकता है। बोरहोल जॉच के माध्यम से जैव-तकनीकी जॉच पड़ताल ने कार्य ए में विशिष्ट रूप से इस क्षेत्र में 0 से 12.5 किमी के विस्तार तक, मध्यम से सघन रेत के अतिरिक्त कठोर सामग्री जैसे बलुआ पत्थर तथा कैलकेरेनाईट की उपस्थिति की पुष्टि की। अतः, यह सुस्पष्ट था कि एडम्स ब्रिज में ड्रेजिंग पाल्क स्ट्रेट क्षेत्र की तुलना में कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण होगी।

डीपीआर में यह विशिष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि परियोजना का आरंभ बिन्दु एडम्स ब्रिज का दक्षिण था जिसमें जीए (4.322 किमी) तथा एबी (17.267 किमी) शामिल थे। पीआईबी बैठक (अप्रैल 2005) की चर्चा ने भी संकेत किया कि प्रस्तावित चैनल मन्नार की खाड़ी से शुरू होकर बंगाल की खाड़ी में समाप्त होगा।

इस प्रमाण के बावजूद, डीसीआई को नामांकन आधार पर पाक स्ट्रेट क्षेत्र में कार्य डी प्रदान करना तथा अन्य भागों में कार्यबंधन के बिना जल्द से जल्द जुलाई 2005 में कार्य ग्रहण करना अविवेकपूर्ण था। यदि कार्य पहले एडम्स ब्रिज क्षेत्र में शुरू किया गया होता, तो डीसीआई की अपर्याप्तता पहले नजर में आ जाती तथा सुधार कार्य का प्रयास किया जाता।

कम्पनी ने बताया (फरवरी 2012) कि पाल्क स्ट्रेट में समस्त ड्रेजिंग कार्यों को पूरा करने का कार्यक्रम समस्त चैनल अर्थात एडम्स ब्रिज के अन्य सेगमेंट की पूर्णता से जुड़ा था।

मंत्रालय ने अक्टूबर 2012 के अपने उत्तर में इस निष्कर्ष को कि यदि एडम्स ब्रिज क्षेत्र में कार्य को पहले ही शुरू किया जाता, तो डीसीआई की अपर्याप्तता पहले नजर में आ जाती है, तथ्यात्मक रूप से गलत बताया। मंत्रालय ने बताया कि चूंकि डीसीआई रेत की ड्रेजिंग दक्षता से कर सकती थी तथा इसके पास अपना उच्च दक्षता कटर सक्शन ड्रेजर नहीं था और डीसीआई की सीमाओं को अच्छी तरह से जानते हुए, पाल्क खाड़ी/पाल्क स्ट्रैट में कार्य का एक भाग जिसमें केवल रेत था, डीसीआई को ड्रेजिंग का कार्य दिया गया था। साथ-साथ, टीपीटी ने मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी में ड्रेजिंग के अन्य भाग देने के लिए वैश्विक निविदाएँ आमंत्रित करने हेतू कार्यवाही की था।

16.1.4.2 एडम्स ब्रिज क्षेत्र में कार्य

एडम्स ब्रिज क्षेत्र में ड्रेजिग हेतु, सीएसडी तथा टीएसएचडी का नियोजन महत्त्वपूर्ण था क्योंकि क्षेत्र में कठोर पदार्थ थे। इसलिए, एडम्स ब्रिज क्षेत्र में ड्रेजिंग कार्य शुरू करने के लिए, डीसीआई ने अक्टूबर 2006 में ड्रेजिंग इन्टरनेशनल के साथ अपनी वर्तमान चार्टर पार्टी बन्द करके स्पेन से अपने निजी सीएसडी एक्वेरियस (1977 में निर्मित) को तैयार किया। **डीसीआई ने प्रारंभ में स्पेन से भारत तक सीएसडी एक्वेरियस के संग्रहण तथा करार के अवधिपूर्व समापन के कारण चार्टर पार्टी स्वामियों को देय क्षतिपूर्ति के प्रति ₹ 31 करोड़ की राशि का एससीएल से दावा किया। इसे मंत्रालय के आदेश पर ₹ 15.15 करोड़ तक कम किया गया था। इसके अतिरिक्त, डीसीआई ने एससीएल परियोजना पर इस सीएसडी के प्रचालन में ₹ 30.69 करोड़ का व्यय वहन किया था।**

इस ड्रेजर ने 17 दिसम्बर 2006 को एडम्स ब्रिज की दक्षिणी दिशा में प्रचालन प्रारंभ किया जिसे 26 दिसम्बर 2006 में रोकना पड़ा था क्योंकि सीएसडी का सहायक खुरपा टूट गया था तथा समुद्र में ड्रेजिंग क्षेत्र में गिर गया था। खुरपे के टूटे हुए भाग को पुन: प्राप्त करने के डीसीआई के प्रयास विफल हो गए तथा टूटा हुआ हिस्सा अभी भी चैनल के ड्रेजिंग क्षेत्र में पड़ा हुआ है।

डीसीआई ने मरम्मत के पश्चात 27 मार्च 2007 को ड्रेजर को पुनर्नियोजित किया परंतु 13 अप्रैल 2007 को भारी महातंरग की परिस्थितियों के कारण स्वयं ही प्रचालन आस्थगित कर दिया गया था। तत्पश्चात, डीसीआई ने कोई सीएसडी एडम्स ब्रिज क्षेत्र नियोजित नहीं किया था। इस संक्षिप्त अवधि के दौरान डीसीआई ने 83917 घनमीटर की अल्प मात्रा तककर्षित की, **जिसे निर्धारित स्थल के बजाए चैनल के बराबर में डाल दिया गया था।**

तथापि, डीसीआई ने फरवरी 2007 से चार टीएसएचडी नियंत्रित करके एडम्स ब्रिज की उत्तरी दिशा में ड्रेजिंग प्रचालन जारी रखे। इन चार में से, तीन की स्वामी डीसीआई थी जबकि एक (प्रोफ गोर्जूनोव) को किराये पर लिया गया था। उच्चतम न्यालय के आदेशों के पश्चात इसने मध्य सितम्बर, 2007 तक समस्त प्रचालन आस्थगित कर दिये। इस संक्षिप्त अवधि के दौरान, डीसीआई ने केवल 9.52 मीलियन घन मीटर की एक यथावत मात्रा तलकर्षित की। इस तलकर्षित सामग्री का डम्पिंग के विषय में आगामी पैराग्राफ में चर्चा की गई है। चैनल के नौवहन के मद्देनजर, उत्तरी दिशा में ड्रेजिंग निष्फल हो जाएगी यदि एडम्स ब्रिज की दक्षिणी दिशा को तलकर्षित नहीं किया गया।

इस प्रकार यह देखा जाएगा कि अत्यधिक कठिन क्षेत्रों में ड्रेजिंग अपेक्षित संख्या एवं प्रकार के ड्रेजरो के बिना किया गया था। पूरी की गई ड्रेजिंग एडम्स ब्रिज क्षेत्र में ड्रेजड किये जाने वाले 48 मीलियम घनमीटर की मूल स्थान की मात्रा के लक्ष्य का केवल 20 प्रतिशत थी इसे इस तथ्य के मद्देनजर भी देखा जाएगा कि डीसीआई ने एडम्स ब्रिज क्षेत्र में कार्य के लिए दिनांक 16 सितम्बर 2006 के अपने पत्र में भी पुष्टि की थी, कि एक सीएसडी एक्वेरियस के अलावा इसके पास कोई अन्य उपकरण अथवा श्रमबल नहीं था। ड्रेजर एक्वेरियस भी विफल हो गया था।

यह नोट किया जाना है कि इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर मंत्रालय के उत्तर के कुछ भागों में, यह दावा किया गया है कि परियोजना का न्यायिक हस्तक्षेप से काफी पहले कार्यान्वयन किया जा रहा था। तथापि, उपरोक्त तथ्यों ने दर्शाया कि एडम्स ब्रिज क्षेत्र में ड्रेजिंग कार्य वास्तव में कभी पूरी तरह से प्रारंभ नहीं किया गया था तथा बहुत कम मात्रा में ड्रेजिंग की गई थी। प्रगति की ऐसी कमी के लिए कारण कोई कानूनी बाधा नहीं थी बल्कि डीसीआई की तरफ से कार्य करने में क्षमताओं और तैयारियों की कमी थी। यह डीसीआई की अभीस्वीकृत स्थिति का समर्थन करता है कि इसमें क्षमता का अभाव था।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि एडम्स ब्रिज क्षेत्र में कार्य के लिए एससीएल तथा डीसीआई के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किये बिना ही कार्य प्रारंभ किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप सितम्बर 2007 में कार्य के बन्द करने के काफी समय बाद एमओयू 29 नवम्बर 2007 में हस्ताक्षरित किया गया था। एमओयू में नियोजित किये जाने वाले ड्रेजरों की संख्या का भी उल्लेख नहीं किया गया

था। एमओयू को कभी भी एक अनुबन्ध में रूपान्तरित नहीं किया गया जैसाकि पाल्क स्ट्रेट क्षेत्र के मामले में किया गया था।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2012) कि डीसीआई और एससीएल इस प्रभाव तक सहमत थे कि एमओयू को करार के एक भाग के रूप में समझा जाएगा जो पाल्क खाड़ी/पाल्क स्ट्रेट में ड्रेजिंग कार्य के लिए एससीएल तथा डीसीआई के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के कारण, एडम्स ब्रिज क्षेत्र के कार्यों के लिए कोई अलग से करार नहीं किया जा सकता था क्योंकि कार्य आस्थगित करना पड़ा था। मंत्रालय के उत्तर में यह भी बताया गया कि सामान्य रूप से एससीएल को डीसीआई द्वारा नियोजित किये जाने वाले ड्रेजरों की संख्या को नहीं दर्शाना था तथा डीसीआई को सभी करारों/एमओयू में एक खण्ड के तहत अपेक्षित संख्या नियोजित करनी थी।

चैनल की एक साइड एवं न कि निर्धारित डम्पिंग स्थल पर ड्रेजड सामग्री को डालने के संबंध में लेखापरीक्षा आपत्ति के संदर्भ में, मंत्रालय ने बताया कि सीएसडी एक्वेरियश के कार्य करने के दौरान, टीएसएचडी VI एडम्स ब्रिज के दक्षिण से ड्रेजड सामग्री को निर्दिष्ट डम्पिंग स्थल तक ले जाने के लिए नियोजित किया गया था।

मंत्रालय का दावा 28 नवम्बर 2007 को डीसीआई बोर्ड बैठक की कार्यसूची मद 224/8 के नोट के विपरीत है जिस में यह बताया गया था कि यह भी देखा गया है कि ड्रेज एक्वेरियश द्वारा ड्रेजड सामग्री तथा तैरती हुई पाईपलाईन के लिए छोडे गए स्थान को टीएसएचडीज द्वारा पुन: हेन्डल नहीं किया जा सकता था क्योंकि सामग्री में बलुआ पत्थर तथा कैलकेलनाईट शामिल हैं।

16.1.4.3 ड्रेजड सामग्री की डम्पिंग

ड्रेजड सामग्रियों की डम्पिंग के लिए परियोजना हेतु पर्यावरणीय मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के अध्ययधीन प्रदान की गई थी।

- ड्रेजड सामग्री का समुद्र में चिन्हित स्थानों पर निपटान किया जाएगा। किसी ड्रेजड सामग्री का निपटान भूमि पर नहीं होगा।

- ड्रेजिंग एवं निपटान कार्यकलापों के दौरान, आवधिक रूप से समुद्रीय पर्यावरण गुणवत्ता की निगरानी की जानी चाहिए तथा गंदलेपन में निर्धारित सीमाओं से अधिक वृद्धि होने के मामले में आवश्यक नौचालन संबंधी कार्रवाई की जाएगी। परियोजना से जुड़े सभी पर्यावरणीय प्राचलों की निगरानी करने के लिए पर्यावरणीय निगरानी का गठन किया जाना था। नीरी द्वारा सिफारिश की गई पर्यावरण प्रबन्धन योजना को लागू किया जाना चाहिए।

डीपीआर ने दो डम्पिंग स्थल यथा **डम्पिंग स्थल 1**, जो मन्नार की खाड़ी में एडम्स ब्रिज क्षेत्र से 25-30 किलोमीटर दूर था तथा **डम्पिंग स्थल 2,** बंगाल की खाड़ी में अपतटीय क्षेत्र जैसा कि नीचे दिए गए मानचित्र में दर्शाया गया है, को चिन्हित किया गया था। ड्रेजड सामग्री समुद्र में 25 से 30 मीटर की गहराई में निपटान की जानी थी।

डीसीआई ने दिसम्बर 2006 में एडम्स ब्रिज के दक्षिणी दिशा में ड्रेजिंग कार्य प्रारंभ किया परन्तु एडम्स ब्रिज में ड्रेजरों की चाल के लिए अपर्याप्त गहराई के कारण कार्य बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। डीसीआई ने पोत परिवहन मंत्रालय को सूचित किया(जुलाई 2007) कि एडम्स ब्रिज क्षेत्र के खण्ड ए में उथलेपन के कारण चिन्हित डम्पिंग स्थल यथा डम्पिंग स्थल 1 में सामग्री डम्प करना संभव नहीं था। टीपीटी ने भी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से एडम्स ब्रिज की उत्तरी दिशा ने एक अतिरिक्त डम्पिंग स्थल के लिए मंजूरी/अनुमोदन मांगा था (जुलाई 2007)। तदनुसार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने विशिष्ट भूवैज्ञानिक समन्वितों पर पाल्क खाड़ी में एक तीसरे डम्पिंग स्थल यथा **डम्पिंग स्थल 3** के लिए अगस्त 2007 में आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की थी।

तीनों डम्पिंग स्थलों का एक चित्रात्मक वर्णन नीचे दर्शाया गया है:



1. एडम्स ब्रिज की दक्षिणी दिशा

2. बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में पाल्क स्ट्रेट

3. पाल्क खाड़ी

एक अतिरिक्त डम्पिंग स्थल के लिए एमओईएफ मंजूरी प्राप्त करने से पहले एससीएल तथा टीपीटी ने ड्रेजरों को एडम्स ब्रिज के उत्तर में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया तथा फरवरी 2007 से वहां ड्रेजिंग आरंभ की गई। उन्होंने निर्णय लिया कि ड्रेजड सामग्री को 9-12 मीटर की विद्यमान गहराई में स्वयं चैनल के संरेखण में डम्प किया जा सकता है। फरवरी तथा सितम्बर 2007 के मध्य, 9.52 मीलियन घनमीटर की एक स्वस्थाने मात्रा ड्रेजड की गई थी तथा चैनेज 30-35 किमी के बीच चैनल संरेखण में डम्प की गई थी।

चैनल संरेखण में ड्रेजड सामग्री को डालने का निर्णय स्वयं में ही पर्यावरणीय मंजूरी में लगाई गई शर्तों का उल्लंघन था। ऐसे स्थान पर डम्पिंग जिसका पर्यावरणीय प्रभाव के लिए निर्धारण नहीं किया गया है, से समुद्रीय पर्यावरणीय प्रणाली में गंभीर विघ्न डालने को नकारा नहीं जा सकता। यह अनुमान लगाया गया है कि ड्रेजड तथा डाली गई सामग्री के 9.52 मीनियम घनमीटर में से लगभग 5 मीलियन घनमीटर को वहां से पुनः हटाने की आवश्यकता है। अतः पर्यावरणीय प्रणाली में गड़बड़ी की संभावना बढ़ रही है।

एससीएल ने स्वीकार किया (फरवरी 2012) कि ड्रेजड सामग्री स्वयं चैनल के संरेखण में तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार डाली गई थी। यह बताया गया कि एडम्स ब्रिज क्षेत्र की दक्षिण दिशा में ड्रेजिंग स्थल बालू के टीलों के कारण सुगम्य नहीं था तथा उत्तरी दिशा में चिन्हित किया गया अन्य डम्पिंग स्थल लगभग 160 किमी दूर था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एससीएल एवं टीपीटी ने अप्राधिकृत रूप से चैनल संरेखण में ड्रेजिंग तथा डम्पड सामग्री को डालने की शुरूआत करने के बाद, अतिरिक्त डम्पिंग स्थल के लिए अनुमोदन मांगा था। इसके अतिरिक्त, उन्होंने स्वयं चैनल संरेखण में डम्पिंग के अपने अप्राधिकृत कार्य को छुपाये रखा था तथा एक अतिरिक्त स्थल के लिए अनुमोदन की प्रार्थना करते समय इसे मंत्रालय को प्रकट नहीं किया था।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्तियों के लिए विशिष्ट उत्तर नहीं दिया था। तथापि यह बताया (अक्तूबर 2012) कि मंत्रालय ने प्रोफेसर एस रामाचन्द्रन, तत्कालीन उपकुलपति, मद्रास विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार समिति गठित की जिसने पर्यावरण प्रबन्धन योजना तथा पर्यावरणीय प्राचलों की निगरानी की थी। मंत्रालय ने आगे बताया कि, "जबकि कथित एडम्स ब्रिज क्षेत्र की दक्षिण दिशा में ड्रेजिंग स्थल बालू के टीलों की उपस्थिति के कारण सुगम्य नहीं था, तब उत्तरी दिशा में चिन्हित अन्य डम्पिंग स्थल ड्रेजिंग स्थान से लगभग 160 किमी दूर था। चूंकि एससीएल ने लागत एवं नियत लाभ आधार पर ड्रेजिंग करने के लिए डीसीआई को नियुक्त किया था, इसलिए ड्रेजर को ड्रेजड सामग्री के एक भार के निपटान के लिए लगभग 320 किमी आना एवं जाना तय करना पड़ता था। अन्य शब्दों में, ड्रेजिंग की लागत सामान्य ड्रेजिंग से 6 से 8 गुणा तक बढ़ जाती। अत: तत्कालीन अध्यक्ष टीपीटी द्वारा टीएसएचडी द्वारा पुन: संभलाई के लिए ड्रेजड सामग्री को चैनल के संरेखण में डालने का निर्णय लिया गया था जहॉ पानी की गहराई 9-12 मीटर के बीच थी। यदि कार्य जारी रहता,.... चेनल संरेखण में डाली गई सामग्री को बाद में हटाया गया होता तथा चिन्हित डम्पिंग स्थल तक परिवहित किया होता।

उत्तर में बताया कि पुन:सम्भलाई के लिए एक विशेष स्थान पर सामग्रियों के संग्रहण को न तो सामग्रियों के निपटान के रूप में कहा जा सकता है एवं न ही पर्यावरणीय

अनुबन्धों के उल्लंघन के समान। सभी ड्रेजिंग कार्यकलापों के बन्द होने तक एक निरंतर स्वतंत्र निगरानी की सहायता ली गई थी तथा यह सुनिश्चित किया गया था कि अनुज्ञेय सीमाओं का उल्लंघन न हो।

मंत्रालय की स्थिति यह थी कि जब ड्रेजिंग एवं डम्पिंग कार्यकलाप प्रगति पर थे तो पर्यावरणीय निगरानी समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया गया था कि वहां पर कोई प्रभाव नहीं था। चूंकि वहाँ जुलाई 2009 के बाद कोई ड्रेजिंग एवं डम्पिंग कार्यकलाप नहीं हुआ था, इसलिए पहले से ही पूरी हो चुकी ड्रेजिंग तथा डम्पिंग के कारण अतिरिक्त प्रभाव की कोई संभावना नहीं हो सकती है।

मंत्रालय योजना तथा तैयारी की कमी की पुष्टि करता है। यदि इस निर्णय के पीछे अतिरिक्त लागत को परिहार्य करना मुख्य कारक था तो पुनः सम्भलाई लागत का निर्धारण नहीं किया गया था।

16.1.4.4 पाल्क स्ट्रेट में कार्य

पुनः चैनल के नौवहन के मद्देनजर, दोनों स्ट्रेच यथा एडम्स ब्रिज क्षेत्र तथा पाल्क स्ट्रेट क्षेत्र उपलब्ध होने चाहिए। जबकि, एडम्स ब्रिज क्षेत्र में सितम्बर 2007 में ड्रेजिंग बन्द कर दी गई थी, फिर भी यह जुलाई 2005 में पाल्क स्ट्रेट में प्रारंभ की गई थी तथा एडम्स ब्रिज क्षेत्र में कार्य बन्द होने के काफी समय बाद भी यह जुलाई 2009 तक जारी थी।

विभिन्न समय बिन्दुओं पर कुल 13 ड्रेजर (6 डीसीआई के अपने तथा 7 चारटरड) नियोजित किये गये थे। डीसीआई ने लक्ष्य की गई 34.50 मीलियन घनमीटर की स्वस्थाने के प्रति जुलाई 2005 से जुलाई 2009 तक 30.18 मीलियन घनमीटर की स्वस्थाने मात्रा को ड्रेजड किया था। जुलाई 2009 में, डीसीआई ने अपने सभी ड्रेजर वापस ले लिए थे क्योंकि एससीएल ने डीसीआई के साथ करार को आगे नहीं बढ़ाया था तथा दावा की गई एवं भुगतान की गई राशि में विवाद थे।

चार्टरर्र के साथ करार

ट्रांसचार्ट ने डीसीआई की ओर से चार्टरों के साथ करार किये थे। गारंटी उत्पादन के साथ नियोजित किये गये पांच ड्रेजर गारंटीत उत्पादन प्राप्त करने में विफल रहे थे।

तीन अन्यों के पास गारंटीत उत्पादन का कोई प्रावधान नहीं था। स्थिति नीचे दी गई तालिका के अनुसार थी:-

क्र. सं.	ड्रेजर का नाम	गारंटी के अनुसार अपेक्षित उत्पाद (एमसीएम)	वास्तविक उत्पादन (एमसीएम)	कमी (एमसीएम)	कमी की प्रतिशतता
1	प्रोफ.गोरजूनोव	कोई गारंटी नहीं			
2	पैसीफिक –चरण I	कोई गारंटी नहीं			
	पैसीफिक- चरण II	1.769	1.526	0.243	13.73
3	सागर हंस	कोई गारंटी नहीं			
4	त्रिलोकी प्रेम	3.915	2.486	1.429	36.51
5	बनवारी प्रेम	4.816	2.759	2.057	42.72
6	दरियामंथन	3.719	3.675	0.044	1.18
7	भगवती प्रेम	2.670	1.706•	0.964	36.10

*** *ये सकल हुपर मात्राएं हैं एवं इस प्रकार, नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई स्वस्थाने मात्राओं से मेल नहीं खाती हैं।***

असाधारण रूप से, ड्रेजरों को प्रतिदिन की भाड़ा दर के आधार पर चार्टरर किया गया था जबकि डीसीआई को एससीएल द्वारा ड्रेजड मात्रा के आधार पर भुगतान किया जाना था। लेखापरीक्षा में यह गणना की गई थी कि डीसीआई ने चारटर ड्रेजरों के कारण भारी हानि उठाई थी जैसाकि नीचे दी गई तालिका से विदित हो जाएगा।

क्र. सं.	ड्रेजर का नाम	वास्तविक उत्पादन (एमसीएम स्वस्थाने)	किया गया भुगतान (₹करोड़ में)	एससीएल से प्राप्ति योग्य राशि (₹करोड़ में)	लाभ (+)/ हानि (-) (₹करोड़ में)
1	प्रोफ.गोरजूनोव	7.105	129.06	191.88	+ 62.82
2	पैसीफिक –चरण I	1.349	37.08	33.77	-3.31
	पैसीफिक- चरण II	1.131	39.63	32.37	-7.26
3	सागर हंस	1.511	43.83	37.85	-5.98

• *इसमें अप्रैल 2009 तक ड्रेजड मात्रा शामिल है। ड्रेजर को अप्रैल 2009 के बाद भी जुलाई 2009 तक नियोजित किया गया था जिसके लिए कोई निष्पादन गारंटी प्राप्त नहीं की गई थी।*

4	त्रिलोकी प्रेम	1.912	64.93	53.69	-11.24
5	बनवारी प्रेम	2.036	71.03	57.96	-13.07
6	दरियामंथन	2.637	133.30	75.37	-57.93
7	भगवती प्रेम	2.016	71.88	57.71	-14.17
जोड़					**-50.14**

यह देखा गया कि सात ड्रेजरों के कारण, डीसीआई ने ₹112.96 करोड़की हानि उठा, जिसे प्रोफ. गोरजूनोव के कारण ₹62.82 करोड़ के लाभ के द्वारा आंशिक रूप से समायोजित किया गया था, परिणामस्वरूप ₹ 50.14 करोड़ की निवल हानि हुई।

चार्टर किए गए सात ड्रेजरों में से पांच ड्रेजरों पर भारतीय झण्डा फहराया गया था। तथापि, डीसीआई ने उपरोक्त पांच ड्रेजरों में से चार के लिए विदेशी मुद्रा में भुगतान चुकाए। परिणामस्वरूप, एससीएल को डीसीआई द्वारा दावा किए गए ₹29.41 करोड़ की परिहार्य विनिमय दर भिन्नता वहन करनी पड़ी।

मंत्रालय ने चार्टड ड्रेजरों को नियुक्त करने के कारण डीसीआई द्वारा वहन की गई हानि के संबंध में कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की थी।

ड्रेजरों का परिनियोजन

डीसीआई ने जुलाई 2005 से जुलाई 2009 (3506 दिनों तक प्रयोग) तक विभिन्न हुपर क्षमताओं के 7 चार्टडड्रेजरों सहित 13 टीएसएचडी नियोजित किये थे। डीसीआई ने अतिरिक्त कर देयताओं के कारण अधिक ड्रेजरों को चार्टर न करने का निर्णय लिया, जो इसके अपने ड्रेजरों के 50 प्रतिशत से अधिक होने के मामले में होती। यद्यपि नियोजित किए गए ड्रेजरों की संख्या (विभिन्न क्षमताओं के 13 ड्रेजर) एससीएल की आवश्यकता के अनुसार थी (सितम्बर 2006), फिर भी इन सभी ड्रेजरों का समस्त चार वर्ष की अवधि अर्थात जुलाई 2005 से जुलाई 2009 के दौरान उपयोग नहीं किया गया था।

12550* दिनों की उपलब्ध ड्रेजिंग के प्रति, डीसीआई ने वास्तविक रूप से केवल 3506 दिनों के लिए इसके अपने तथा चारटरड ड्रेजरों को नियोजित किया था जो 26.5 प्रतिशत

** (जुलाई2005-सितम्बर 2006) 1500 दिन + (अक्तूबर 2006 –जुलाई 2009) 11050 दिन = 12550*

तक बनता है। पाल्क स्ट्रेट में कार्य डी जो जुलाई 2007 में पूरा हो जाना चाहिए था, वह जनवरी 2009 में पूरा हुआ था। कार्य सी के लिए,जब कार्य रोका गया, तो जुलाई 2009 तक ड्रेजिंग कार्य का केवल 38 प्रतिशत ही पूरा हुआ था।

एससीएल ने बताया (फरवरी 2012)कि पाल्क स्ट्रेट में समस्त ड्रेजिंग कार्य को पूरा करने का कार्यक्रम चैनल अर्थात एडम्स ब्रिज क्षेत्र के अन्य खण्डों के पूरा होने से जुड़ा है। जब वहाँ एक स्थगन था तथा एक वैकल्पिक संरेखण विचाराधीन था, तो और ड्रेजरों को नियोजित करने के लिए डीसीआई पर जोर न डालने का उनका निर्णय उनके वित्तीय हित में था।

जब उच्चतम न्यायालय के आदेशों के आधार पर एडम्स ब्रिज में कार्यभार स्थगित कर दिया गया था, तो कम्पनी ने पाल्क स्ट्रेट में ड्रेजिंग जारी रखी थी एवं चार ड्रेजरों के संबंध में सितम्बर 2007 तथा जुलाई 2009 के बीच ₹325.27 करोड़ खर्च किये थे जिसके लिए संविदा सितम्बर 2007 के बाद हस्ताक्षरित की गई थी। इस तथ्य के मद्देनजर कि चैनल को खण्डों में प्रचालित नहीं किया जा सकता एवं वहाँ निरंतर सिलटेशन होगा, यह विकल्पों यथा ड्रेजिंग को निरंतरता अथवा स्थगन की आर्थिक गंभीरता की जांच के पश्चात एक विचारणीय निर्णय नहीं था। वास्तव में, सितम्बर 2009 में एनएचओ के माध्यम से कराये गये अन्तरिम सर्वेक्षण ने तब भी सिल्टैशन दर्शाते हुए स्वयं नकारात्मक ड्रेजिंग आउटपुट दर्शाया।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2012) कि यह मानते हुए कि न्यायिक मामले जल्द ही पूर्ण हो जाएंगे , जितना संभव हो उतना अधिक ड्रेजिंग पूरा करने के लिए ड्रेजरों को एडम्स ब्रिज की उत्तरी दिशा में नियुक्त किया गया था। उत्तर में आगे बताया गया कि सिल्टेशन एक सामान्य सिद्धांत था तथा अनुरक्षण ड्रेजिंग प्रमुख ड्रेजिंग के पूरा होने पर शुरू की जानी होगी।

यदि एडम्स ब्रिज क्षेत्र में कार्य के साथ-साथ पाल्क स्ट्रेट क्षेत्र में ड्रेजिंग कार्य रोक दिया गया होता तो ₹ 325.27 करोड़ तक व्यय में कमी होती जो सितम्बर 2007 एवं जुलाई 2009 के बीच वहन की गई थी।

16.1.4.5 सर्वेक्षण

एडम्स ब्रिज: डीसीआई के साथ कम्पनी के एमओयू में अनुबद्ध किया गया है कि अन्तरिक सर्वेक्षण डीसीआई द्वारा एससीएल के प्रतिनिधि के साथ डीसीआई के अपने सर्वेक्षण संसाधन का प्रयोग करते हुए किया जाएगा।

यद्यपि एडम्स ब्रिज क्षेत्र में नवम्बर 2006-जनवरी 2007 में एनएचओ द्वारा पूर्व ड्रेजिंग सर्वेक्षण किया गया था, फिर भी डीसीआई द्वारा फरवरी एवं सितम्बर 2007 के बीच की अवधि के लिए कोई प्रगति सर्वेक्षण नहीं किया गया था तथा **ड्रेजड सामग्री स्वयं संरेखण में ही डाल दी गई थी।**

मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2012) कि फरवरी से सितम्बर 2007 तक, चूंकि एडम्स ब्रिज में अधिक कार्य नहीं किया गया था, इसलिए अन्तरिम सर्वेक्षण नहीं किया गया था तथा तत्पश्चात उच्चतम न्यायालय के आदेशों के आधार पर एडम्स ब्रिज में कार्य को अस्थाई रूप से आस्थगित कर दिया गया था।

पाल्क स्ट्रेट

एससीएल तथा डीसीआई के बीच अनुबन्ध (मार्च 2007) के अनुसार, पाल्क स्ट्रेट में 54.24 किमी स्ट्रेच का समस्त चैनल, समस्त ड्रेजिंग तथा पश्च सर्वेक्षण के पूरा होने के बाद डीसीआई द्वारा एससीएल को सौंपा जाना था। जुलाई 2009 में ड्रेजिंग कार्य के आस्थगित होने के पश्चात, एनएचओ ने अगस्त/सितम्बर 2009 में सर्वेक्षण किया एवं जनवरी 2009 में अपने सर्वेक्षण में डीसीआई द्वारा आंकलित 21.43 मीलियन घनमीटर की ड्रेजड मात्रा के प्रति,18.9 मीलियन घनमीटर की ड्रेजड मात्रा को प्रमाणित किया। यह सिल्टेशन प्रक्रिया के कारण था।

16.1.4.6 लागत अनुमान में सिल्टेशन घटक की गलत गणना

डीसीआई द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के आधार पर, एएस एण्ड एफए समिति ने दर संरचना में सिल्टेशन[Ψ] तथा अतिरिक्त–ड्रेजिंग की आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु चार प्रतिशत की अतिरिक्त मात्रा पर विचार किया था। तथापि, डीसीआई द्वारा नियुक्त किये

[Ψ] अंत:जलीय प्रवाह तथा धारा प्रवाह के कारण ड्रेजड क्षेत्र में रेत एवं सिल्ट का निर्गमन

गये एक विशेषज्ञ द्वारा बाद में (नवम्बर 2009) में सिल्टेशन 10 प्रतिशत प्रति वर्ष होना आंकलित किया। सामान्य ड्रेजिंग कार्यकलापों में डीसीआई के तीन दशको से अधिक तथा सेतुसमुद्रम परियोजना में दो वर्षों से अधिक के अनुभव पर विचार करते हुए, डीसीआई सिल्टेशन के स्वरूप का पूर्व ज्ञात कर सकता है।

डीसीआई सिल्टेशन कारक को एएस एण्ड एफए समिति के ध्यान में नहीं लाया था। डीसीआई ने 30 प्रतिशत से अधिक का सिल्टेशन वहन किया (चार वर्षों में) जिसके लिए एससीएल के साथ करार की शर्तों के तहत किसी क्षतिपूर्ति का दावा नहीं किया जा सकता था।

मंत्रालय ने बताया कि (नवम्बर 2012) प्रारंभिक रूप से एएस एण्ड एफए समिति ने डीपीआर के आधार पर 4 प्रतिशत के सिल्टेशन घटक पर विचार किया था। चूंकि वास्तविक सिल्टेशन कहीं अधिक था, इसलिए 21.10.2008 को यह सहमति हुई कि 1.1.2008 से प्रारंभ होने वाली अवधि के लिए ड्रेजिंग हेतु हुपर रूपान्तरण घटक के मूल स्वस्थाने पर 0.7 होगी तथा 31.12.2007 तक यह 0.8 होगी।

अत: डीपीआर की तैयारी सटीक नहीं थी।

ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

16.2 परिहार्य हानि

कार्य निष्पादन के लिए उपयुक्त ड्रेजिंग उपस्कर की उपलब्धता तथा स्थल परिस्थितियों के पर्याप्त आंकलन के बिना ड्रेजिंग कार्य स्वीकार करने के परिणामस्वरूप ₹ 4.99 करोड़ की परिहार्य हानि हुई तथा ₹ 36.07 करोड़ के राजस्व का अवरोधन हुआ।

ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (डीसीआईएल) को मोरमूगाव पोर्ट ट्रस्ट (एमपीटी) द्वारा न्यूनतम निविदा आधार पर तीन वर्षों यथा 2009, 2010 तथा 2011 के लिए अनुरक्षण ड्रेजिंग तथा 2009 में प्रमुख ड्रेजिंग हेतु ₹ 141.30 करोड़ (₹ 91.35 करोड़ अनुरक्षण ड्रेजिंग के लिए तथा प्रमुख ड्रेजिंग के लिए ₹ 49.95 करोड़) के मूल्य पर कार्य

प्रदान (जुलाई 2009) किया था। तदनुसार, डीसीआईएल ने करार की शर्तों के अनुसार एमटीपी में प्रमुख एवं अनुरक्षण कार्य प्रारंभ किया।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने देखा कि :

- डीसीआईएल निर्धारित समय अर्थात जनवरी 2010 तक प्रमुख ड्रेजिंग के दिए गए कार्य को पूरा करने में असमर्थ था, जो दिसम्बर 2011 तक अधूरा पड़ा रहा। तदनुसार एमपीटी ने ₹36.07 करोड़ के प्रमुख ड्रेजिंग प्रभार रोक लिये थे।
- डीसीआईएल के पास संविदा दर प्रस्तुत करते समय ड्रेजरों की उपलब्धता के संबंध में स्पष्टता नहीं थी। डीआर XVIII–कटर सेक्शन ड्रेजर जिसका प्रमुख ड्रेजिंग कार्य के लिए उपयोग किया जाना प्रस्तावित था, संविदा दर प्रस्तुत करने के समय पर डीसीआईएल के पास उपलब्ध नहीं था। इसके अतिरिक्त एमपीटी में नियोजित किये जाने के लिए प्रस्तावित डीआर V-ट्रेलर सेक्शन हुपर ड्रेजर (टीएसएचडी) संविदा के अनुसार कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के पास सुपुर्द ड्रेजर था। इसके अतिरिक्त, मरम्मत तथा तकनीकी सीमाओं के कारण प्रोफेसर गोरजूनोव टीएसएचडी का उपलब्धता पर भी प्रश्नचिन्ह था।
- एमपीटी ने डीसीआईएल का तर्क स्वीकार नहीं किया था कि विलम्ब बाहरी घटकों जैसे मृदा परिस्थितियो, जलीय कचरे की उपस्थिति इत्यादि के कारण था। एमपीटी का विचार था कि डीसीआईएल को निरीक्षण करना चाहिए था तथा ड्रेजिंग स्थल परिस्थितियों से स्वयं को अवगत कराना चाहिए था जैसाकि निविदा निर्देशों में अनुबद्ध किया गया था। परिणामस्वरूप डीसीआईएल की 4.99 करोड़ की बैंक गांरटी एमपीटी द्वारा भुना ली गई थी (नवम्बर 2011) तथा डीसीआईएल के जोखिम तथा लागत पर प्रमुख ड्रेजिंग के लिए संविदा समाप्ति कर दी गई थी (दिसम्बर 2011)।

डीसीआईएल ने अपने उत्तर में बताया (दिसम्बर 2013) कि :

- ड्रेजिंग में मुख्यतः कठोर समुद्रीय खराब परिस्थितियों जैसे शिलाखण्डों, मलबे तथा अन्य बाहरी पदार्थो की उपस्थिति के कारण विलम्ब हुआ था जो सामान्य प्रमुख ड्रेजिंग के कार्य के कार्य क्षेत्र से परे थी।
- सितम्बर 2009 में ड्रेजर-XVIII की उपलब्धता की अपेक्षा करते हुए नियोजन के लिए इसकी योजना बनाई गई थी। ड्रेजर का प्रारंभिक परीक्षण बोली के समय पर पहले से ही कर लिया गया था, परन्तु वास्तविक रूप से ड्रेजर कम्पनी को मात्र

अप्रैल 2010 में ही सुपुर्द किया गया था। अन्य नियोजित ड्रेजर-V हल्दिया पोर्ट भेजा गया था क्योंकि ड्रेजर - XVIII उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार कार्य के लिए अन्य ड्रेजर नियोजित किए गए थे।

- दिसम्बर 2011 तक, प्रमुख ड्रेजिंग का 76 प्रतिशत पूरा हो गया था जब एमपीटी ने संविदा समाप्त करने तथा इसे डीसीआईएल की जोखिम एवं लागत पर कार्यान्वित करने का निर्णय लिया।

मंत्रालय ने दिसम्बर 2013 में उपलब्ध कराए गए प्रबन्धन के विचारों की पुनरावृत्ति की (जनवरी 2014)।

डीसीआईएल के उत्तर को निम्नलिखित के मद्देनजर देखे जाने की आवश्यकता है:

- निर्धारित समय में प्रमुख ड्रेजिंग कार्य पूरा करने में इसकी विफलता के लिए स्पष्ट रूप से बोलीदाताओं को पत्तन द्वारा जारी किये गए अनुदेशों की महत्ता समझने में परिहार्य कमियों तथा ड्रेजरों की उपलब्धता के बिना ही संविदा दर प्रस्तुत करने को जिम्मेदार ठहराया जा सकता था। बोलीदाताओं को अनुदेश के खण्ड 5, 8 तथा 14 में स्पष्ट रूप से अनुबद्ध किया गया है कि संविदा दर ड्रेजिंग स्थल के निरीक्षण, मृदा तथा अन्य परिस्थितियों से पूरी तरह से अवगत होने, शिपिंग परिचालन की आवृत्ति के विषय में प्रतिबन्धों, अन्तजलीय बाधाओं तथा किन्हीं अप्रत्याशित कारणों के कारण विलम्ब/क्षतियों के पश्चात ही प्रस्तुत की जानी चाहिए। कठोर समुद्रतल, मलवे तथा अन्य वाहरी पदार्थों की उपस्थिति ऐसी नहीं थी जिनका प्रबन्धन द्वारा बोली उद्धृत करने से पहले पूर्वानुमान न लगाया जा सके।
- डीसीआईएल संविदा दर प्रस्तुत करने के समय पर स्वयं परिचित थी कि ड्रेजर XVIII उपलब्ध नहीं था तथा सितम्बर 2009 तक ड्रेजर की उपलब्धता के बारे में अपेक्षा करना किसी वैध आधार के बिना था।
- संविदा प्रदान करने से पहले आयोजित बैठक (जुलाई 2009) के कार्यवृत्त में, एमपीटी ने स्पष्ट रूप से बताया था कि समय विस्तारण के लिए अनुरोध की केवल महत्व आधार पर ही जांच की जाएगी। एमपीटी ने विलम्ब के लिए संविदात्मक प्रावधानों तथा निविदा शर्तों का उल्लेख करते हुए कम्पनी के कारणों को अस्वीकार कर दिया, जो बोली उद्धृत करते समय डीसीआईएल द्वारा सोचे नहीं गए थे।

अत: कार्य निष्पादन के लिए उपयुक्त ड्रेजिंग उपस्कर की उपलब्धता तथा स्थल परिस्थितियों के पर्याप्त निर्धारण के बिना ड्रेजिंग कार्य स्वीकार करने के परिणामस्वरूप ₹4.99 करोड़ की परिहार्य हानि हुई तथा ₹ 36.07 करोड़ के राजस्व का अवरोधन हुआ।

शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

16.3 एसएपी ईआरपी प्रणाली को लागू करना

शिपिंग कॉरपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई में एसएपी ईआरपी प्रणाली को लागू करने में कमियाँ

16.3.1 दी शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कम्पनी) 1967 तक ही कम्प्यूट्रीकृत हो गई थी। वर्ष 2000 में सभी एप्लीकेशनों को एचपी यूनिक्स एमएफ कोबोल आश्यकताओं के अनुसार रूपान्तरित कर दिया गया था। प्रणाली में बाधाएं थी जैसे बाहरी डाटा की उपलब्धता में विलम्ब, गैर डिजिटल डाटा तथा विषम आंकड़े, स्त्रोतों से एकीकृत सूचना का विद्यमान न होना, लिगेसी प्रौद्योगिकी, अस्त-व्यस्त एप्लीकेशन, अप्रचलित मानव मशीन इन्टरफेस तथा कार्य प्रवाह की कमी। बाधाओं के मद्देनजर, बोर्ड ने 100 करोड़ की बजटिय लागत पर एसएपी ईआरपी प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया (अगस्त 2007)। परियोजना का नाम एससीआई की इन्टरप्राईज ट्रासफोर्मेशन थ्रू इन्फोरमेंशन टेक्नालॉजी (एसईटी-आईटी) रखा गया। कम्पनी ने तीन माडयूलों अर्थात एसएपी एफआईसीओ के माध्यम से वित्तीय लेखांकन, एसएपी एचसीएम (फ्लीट एचसीएम को छोड़कर) के माध्यम से व्यक्तिगत सूचना तथा भुगतान चिट्ठा तथा एसएपी एमएम माड्यूल के माध्यम से सामग्री/माल सूची प्रबन्धन के माध्यम से अपने समस्त परिचालनों को कवर किया। कम्पनी ने दो और माड्यूल यथा एसएपी परियोजना प्रणाली (पीएस) तथा संयंत्र प्रबन्धन (पीएम) भी कार्यान्वित किये तथा शिपिंग विशिष्ट सीओटीएस एप्लीकेशन यथा डीएएनएओएस[1] तथा एएफ एसवाईएस[2] अपनाई। प्रणाली को चरणबद्ध ढंग से परिचालन में लाया जा रहा था। एसएपी,

[1] *डानोस प्रबन्धन सलाहकार एस ए – का प्रयोग बल्क एण्ड टैंकर तथा टैक्नीकल एण्ड आफशोर के परिचालन डिवीजनों द्वारा किया जाता है।*

[2] *इन्फारमेशन डायनामिक्स एल.एल.सी. लैनर डिवीजन में प्रयुक्त एजेंट नियंत्रण प्रणाली*

डीएएनएओएस तथा एएफएसवाईएस में सभी वित्त संबंधी तथा अन्य व्यवसायिक प्रक्रियाएं फरवरी 2011 तक पूरी तरह से लागू कर दी गई थी।

16.3.1.2 31 मार्च 2013 तक परियोजना पर व्यय की गई कुल लागत ₹ 71.27 करोड़ थी। कम्पनी ने अक्तुबर 2009 से 31 दिसम्बर 2013 तक एसएपी लाइसेंस, डाटा सेन्टर प्रबन्धन सेवाओं, सहायक सेवाओं, वाईड एरिया नेटवर्क प्रभारों, इन्टरनेट प्रभारों इत्यादि की वार्षिक अनुरक्षण लागत के प्रति ₹ 30.51 करोड़ का आवृत्ति व्यय भी वहन किया। लेखापरीक्षा ने एसएपी ईआरपी प्रणाली के कार्यान्वयन की समीक्षा की तथा निम्नलिखित कमियाँ देखी।

16.3.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

16.3.2.1 संगठनात्मक तथा प्रबन्धन नियंत्रण

- इलैक्ट्रानिक अभिलेखों के अवधारण के संबंध में कोई उपयुक्त नीतियां एवं प्रक्रियाएं नही थीं।
- मुख्य क्षेत्रों में स्टाफ का चक्रानुक्रम नहीं था जहाँ निर्विघ्न कार्य आवश्यक था। कार्यवर्तन सामान्य रूप से अन्य व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले कार्य को दूसरे स्टाफ द्वारा करने को सक्षम करता है तथा संभावित अनियमितताओं की पहचान तथा पता लगाया जा सकता है तथा एक निवारक नियंत्रण के रूप में भी कार्य करता है।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2013) कि चूंकि आईटी में संचालन का प्रत्येक क्षेत्र उच्च रूप से विशेषीकृत प्रवृत्ति का था इसलिए एससीआई के लिए प्रशिक्षित अधिकारियों का दूसरे क्षेत्रों में आर्वतन अत्यन्त कठिन था। वर्तमान रूप से, एससीआई से कुछ अधिकारी (प्रत्येक क्षेत्र में एक या दो अधिकारी) सहायता तथा विकास कार्यकलापों के लिए समर्पित थे, और अत: मुख्य क्षेत्रों में स्टाफ का चक्रानुक्रम कठिन हो गया था।

मंत्रालय ने बताया (मार्च 2014) कि बेक-अप नीति का अनुमोदन किया गया था और लागू किया गया था एवं यह भी बताया गया कि स्टाफ का आर्वतन लागू करना कठिन था।

16.3.2.2 आईटी सुरक्षा नीति का अभाव

कम्पनी के पास कोई अनुमोदित सुरक्षा नीति नहीं है जो तार्किक एवं प्रत्यक्ष पहुंच को परिभाषित कर सके। इसके कारण सुरक्षा उल्लंघन, डाटा हानि, छल एवं गलतियां हो सकती हैं।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2013) कि डॉटा केन्द्र के लिए सुरक्षा लेखापरीक्षा की गई थी (जून 2012 से फरवरी 2013) तथा कुछ सिफारिशों को पहले से ही लागू किया जा चुका है तथा शेष को प्रबन्धन के अनुमोदन के आधार पर लागू किया जाएगा।

आगे यह बताया गया कि आईटी सुरक्षा पर एक व्यापक नीति तैयार की जाएगी और निर्धारित अवधि में प्रबन्धन को प्रस्तुत किया जाएगा।

मंत्रालय ने एसीआई द्वारा अपनाए गए सुरक्षा उपायों को स्पष्ट किया (मार्च 2014) और बताया कि एससीआई के पास प्रणाली के कार्यान्वयन के पश्चात सुरक्षा उल्लंघन का कोई अनुभव नहीं था। मंत्रालय ने 30 अप्रैल 2014 को अनुपालन के पूरा करने के लिए समयसीमा भी नियत की।

लेखापरीक्षा में उत्तर के सत्यापन से पता चला कि ईमेल, इन्टरनेट एवं मोबाइल कम्प्यूटिंग से संबंधित आईटी सुरक्षा नीतियों का अनुमोदन प्रबन्धन द्वारा किया गया (फरवरी 2014) था और लागू किया गया।

16.3.2.3 पासवर्ड परिवर्तन नीति

कम्पनी के पास अलग से कोई पासवर्ड नीति नहीं है। तथापि, प्रत्येक छः माह में एक मेल पासवर्ड के परिवर्तन के लिए सक्रिय डायरेक्टरी उपयोगकर्त्ताओं के पास भेजी जा रही है। यह देखा गया कि 16 सितम्बर 2013 को 1129 सक्रिय उपयोगकर्त्ताओं में से 1070 उपयोगकर्त्ताओं ने 180 दिनों से अधिक से अपने पासवर्ड में कोई परिवर्तन नहीं किया था। दीर्घकालिक समय से पासवर्ड में कोई परिवर्तन न होने से अप्राधिकृत पहुंच और प्रणाली के हेरफेर के जोखिम में वृद्धि हो सकती है।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2013) कि पासवर्ड नीति दस्तावेज तैयार किया जाएगा और इसे अनुमोदन के लिए प्रबन्धन को प्रस्तुत किया जाएगा।

मंत्रालय ने बताया कि एसीआई पासवर्ड परिवर्तन नीति के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में था और 31 मार्च 2014 तक अनुपालन पूरा करने के लिए समय सीमा नियत की।

लेखापरीक्षा में उत्तर के सत्यापन से पता चला कि पासवर्ड सुरक्षा नीति का अनुमोदन प्रबन्धन द्वारा कर दिया गया था (फरवरी 2014) और लागू कर दिया गया था।

16.3.2.4 लेखा प्राप्य

कम्पनी ने फरवरी 2011 से नई, आईटी प्रणाली प्रारम्भ की। तथापि नई प्रणाली में लिगेसी डॉटा का अपलोडिंग करते हुए डॉटा क्लीन नहीं था। पुरानी लिगेसी प्रणाली में फ्राइट समाधान नई प्रणाली के डॉटा माइग्रेशन के समय पर पूर्व वर्षों के लिए पूरा नहीं था। इस प्रकार, सभी ओप्न मदों को तारीख जिससे राशि देय थी को दर्शाए बिना नई प्रणाली में भी माइग्रेट करना था। लिगेसी प्रणाली से नई प्रणाली में अन्तरित राशि 31 मार्च 2011 को ₹ 672.62 करोड़ थी और 31 मार्च 2013 को बकाया राशि ₹ 296.75 करोड़ थी। इस प्रकार प्रणाली से लिगेसी अवधि के विविध देनदारों का अवधि-वार विश्लेषण प्राप्त करना संभव नहीं था। कम्पनी हस्त्य प्रक्रिया के माध्यम से इसका प्रणाली के बाहर से विश्लेषण करा रही थी।

31 मार्च 2013 को व्यापार प्राप्य किसी समाधान के बिना वैश्विक आधार पर 340.21 करोड़ की राशि निवल अग्रिम के रूप में ग्राहकों से प्राप्त होने के पश्चात ₹ 886.41 करोड़ हो गए थे। कम्पनी को एक नई प्रणाली प्रारंभ करनी चाहिए जिसमें लम्बित अग्रिम के प्रति व्यापार प्राप्यों को समायोजित किया जाए।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2013) कि लिगेसी डॉटा अपलोड करने के संव्यवहारों के लिए तारीख 31 जनवरी 2011 दर्ज की गई थी। वैश्विक आधार पर ग्राहकों से अग्रिमों के निवल के संबंध में प्रबंधन ने बताया कि लाइनर फ्राइट समाधान 99 प्रतिशत तक पूरा किया गया था और तकनीकी एवं अपतट सेवा डिवीजन के लिए यह समाधान के अंतर्गत था और 31 मार्च 2014 तक पूरा किया जाना प्रत्याशित था।

प्रबन्धन के उत्तर को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने बताया (मार्च 2014) कि आज तक लिगेसि अवधि से संबंधित विविध देनदारों की बकाया **₹** 157.95 करोड़ थी और लाइनर डिवीजन और तकनीकी और अपतट सेवा डिवीजन के लिए अनुपालन की पूर्णता के लिए

टाइमलाइन 31 मार्च 2014 और बल्क कैरियर एवं टैंकर डिवीजन के लिए सितम्बर 2014 नियत की गई थी।

लेखापरीक्षा में उत्तर के सत्यापन से पता चला कि लाइनर डिवीजन और तकनीकी और अपतट सेवा डिवीजन के संबंध में लिगेसी प्रणाली विविध देनदारों को अभी पूरा किया जाना है और बल्क कैरियर और टैंकर डिवीजन के संबंध में मंजूरी प्रगति में थी (अप्रैल 2014)।

16.3.2.5 देय लेखाओं के मिलान में विलम्ब

एजेंटों द्वारा प्रस्तुत किए गए लेखाओं और देय लेखाओं के अनुमोदन संवितरण और निपटान में निम्नलिखित कमियाँ पाई गई:-

- लिगेसी अवधि से नई प्रणाली में स्थानांतरित देय लेखे 31 मार्च 2011 तक ₹ 163.24 करोड़ (क्रेडिट) थे जो 3 जनवरी 2014 तक ₹ 77.64 करोड़ (क्रेडिट) हो गए थे। प्रबन्धन को अधिकतम संभव मिलान के बाद ही लिगेसी शेषों को अपलोड करना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, बिना तिथियों के लिगेसी आंकड़ों की अपलोडिंग लिगेसी अवधि के देय लेखाओं के पुराने होते विश्लेषण प्रणाली से संभव नहीं थे।
- एजेंटों द्वारा प्रणाली में अन्तिम संवितरण लेखे की मंजूरी के लिए मेनुअल हस्तक्षेप् पर निर्भरता के कारण एजेंटों को दिए गए अग्रिमों के अनुमोदन और समायोजन में विलम्ब हुआ था। लेखापरीक्षा ने पाया कि 2 अप्रैल 2013 तक 2011-12 से संबंधितकुल 146735 लाइन मदों (कम्पनी द्वारा मौद्रिक मूल्य प्रदान नहीं किया गया) से केवल 72.12 प्रतिशत द्वारा और 2012-13 से संबंधित कुल 103767 लाइन मदों से केवल 20.34 प्रतिशत की अनुमोदन और मंजूरी दी गई थी । इसके परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2013 तक ₹ 803.58 करोड़ के व्यापार देय को किसी मिलान के बिना वैश्विक आधार पर ₹ 1499.39 करोड़ की राशि विक्रताओं को दिए गए अग्रिमों के जोड़ के बाद निकाला गया था। इस स्थिति से उबरने के लिए कम्पनी को जहाँ उपलब्ध हो टैरिफ या ठेका दरों को प्रणाली में अपलोड करना चाहिए था, और इसे माल प्राप्ति /इनवायस प्राप्ति मंजूरी की तरह से प्रणाली के माध्यम से क्लीयर किया जाना चाहिए था।
- जब एक नया अग्रिम जारी किया गया तब पहले के बकाया शेषों का समायोजन नहीं किया गया था।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2013) कि

- लिगेसी अवधि अग्रिम में सभी स्थानों/विभागों के विक्रेता शामिल थे, सूची प्रत्येक विभाग को पुनरीक्षा हेतु दी जाएगी;
- एजेंसी ठेके अधिकतर एजेंटो के लिए पहले ही अपलोड कर दिए थे। ठेकों के वैधीकरण और दरों की जांच की जा रही थी और जल्दी ही एजेंसी पारिश्रमिक भुगतानों के संबंध में प्रणाली सृजित वैधीकरण होने की प्रत्याशा थी। ऐसी ही समान व्यवस्था सांविधिक प्राप्यों और बंदरगाह प्राप्यों के संबंध में की जा रही थी। उपरोक्त सभी विशेषताएं सेट-आईटी परियोजना के चरण-।। का भाग है और उचित जांच के पश्चात उत्तरोत्तर रूप से लागू की जाएगी।

मंत्रालय ने बताया (मार्च 2014) कि नई प्रणाली के कार्यान्वयन के समय पर लगभग दो वर्षों का बेकलोग था और नई प्रणाली के कार्यान्वयन के बाद 2011-12 के लिए लेखाओं की संवीक्षा 99 प्रतिशत पूरी कर ली गई थी और वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए यथेष्ट प्रगति हो गई थी। मंत्रालय ने भारतीय बंदरगाह और बिल्स विभाग के लिए 31 मार्च 2014 तक और विदेशी बंदरगाहों के लिए 31 जुलाई 2014 तक के अनुपालन पूरा करने की समय सीमा भी निर्धारित कर दी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा उत्तर के सत्यापन से पता लगा कि इंडियन पोर्टस एण्ड बिल्र्स विभाग के संबंध में देय लेखाओं का मिलान अभी पूरा किया जाना है और विदेशी बंदरगाहों के संबंध में मिलान कार्य प्रगति में था (अप्रैल 2014)।

16.3.2.6 व्यापार की निरन्तरता और आपदा बहाली

व्यापार निरन्तरता योजना (बीसीपी) व्यापार को भूकंप, तूफान, बिजली, बाढ, आतंकवादी हमला, आन्तरिक तोड़फोड़, बर्बरता, मानव त्रुटि इत्यादि के कारण गंभीर विघटन के प्रति प्रभावी संरक्षण है। बीसीपी किसी व्यावधान से व्यापार संचालन जारी रखने के लिए योजना और प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करता है। बीसीपी का लक्ष्य अनुप्रयोगों, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे की अधिकतम उपलब्धता और कम बंद समय सुनिश्चित करने और व्यापार की निरंतरता सुनिश्चित करना है। बीसीपी केवल प्रौद्योगिकी तक ही प्रतिबंधित नहीं है किन्तु इसे संगठन के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे लोग, प्रक्रियाएं और बुनियादी ढांचे को कवर करने की आवश्यकता है।

एससीआई ने आईटी अनुप्रयोग प्रणाली के लिए प्राथमिक आवश्यकताओं को उच्च मध्यम और कम के रूप में वर्गीकृत किया है। उच्च प्राथमिकता आवश्यकताओं में अवसंरचना अनुप्रयोगों, वित्त, यात्रा प्रबंधन, बेड़ा प्रबन्धन, किराए पर देने , मरम्मत और अनुरक्षण के क्षेत्र आते हैं और मध्यम प्राथमिकता आवश्यकताएं नौभर संचालन, बंदरगाह संचालन, बिक्री और विपणन उपस्कर नियंत्रण, सामग्री प्रबंधन, जहाज संचालन बेड़ा मानव संसाधन के क्षेत्रों में है और बीमा दावे और यात्री बुकिंग के क्षेत्रों में कम प्राथमिकता आवश्यकताओं में हैं।

यद्यपि, कम्पनी ने एक व्यापार निरंतरता और आपदा बहाली योजना तैयार की थी (मार्च 2007) फिर भी इसकी कभी समीक्षा या अद्यतन नहीं किया गया था। प्रणाली के दस्तावेज और आपदा बहाली योजना की उपयुक्त तरीके से बैकअप नहीं किया गया था और बैकअप और बहाली प्रक्रिया की उपयुक्त रूप से जांच नहीं की गई थी और व्यापार निरन्तरता और आपदा बहाली योजना को अद्यतन करने की कोई प्रक्रिया नहीं थी। सूचना प्रणाली के लिए व्यापार निरंतरता योजना की जांच और या आवधिक रूप से प्रयोग (कम से कम वर्ष में एक बार) किया जाना चाहिए जिसमें जांच और/या योजना की प्रभावकारिता या अमल करने के लिए तत्परता के निर्धारण के परिदृश्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2013) कि कोलकाता कार्यालय में आपदा बहाली स्थल का निर्माण किया जा रहा था और यह कि सर्वरों को स्थापित किया गया था और परिचालन प्रणाली का कार्यान्वयन किया जा रहा था।

मंत्रालय ने बताया (मार्च, 2014) कि आपदा बहाली स्थल तैयार किया गया था सभी सर्वर परिचालन प्रणाली प्रतिष्ठापित किए गए थे, अनुप्रयोग प्रतिष्ठापित किए जा रहे थे, डॉटा का स्थानांतरण किया जा रहा था और आपदा बहाली स्थल जल्दी ही तैयार हो जाएगा। मंत्रालय ने अनुपालन की पूर्णता के लिए 30 अप्रैल 2014 की समय सीमा भी निर्धारित की थी।

लेखापरीक्षा में उत्तर के सत्यापन से पता चला कि आपदा बहाली स्थल से संबंधित मुख्य कार्य पूरा हो चुका था किन्तु 30 अप्रैल 2014 को निर्धारित आपदा बहाली ड्रिल को लेखा समाप्ति कार्य के कारण 31 मई 2014 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

निष्कर्ष

कम्पनी को उपरोक्त उल्लिखित कमियों का समाधान करने की और सैप ईआरपी प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है ताकि अभिप्रेत लाभ उचित रूप से और पूर्णरूप से प्राप्त किया जा सके।

मंत्रालय ने बताया (मार्च 2014) कि कार्यान्वित प्रक्रियाओं को स्थिर किया गया था और कुल मिलाकर प्रक्रियाओं के संबंध में कोई महत्वपूर्ण प्रणाली मुद्दा नहीं था जो घटित हुआ हो।

अध्याय XVII: इस्पात मंत्रालय

केआईओसीएल लिमिटेड

17.1 ब्लास्ट फरनेस यूनिट में पिग कास्टिंग मशीन पर अविवेकपूर्ण व्यय

केआईओसीएल, मेकोन और एमएसटीसी द्वारा प्रोत्साहित कुद्रेमुख आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड (केआईएससीओ), बैंगलोर एक संयुक्त उद्यम कम्पनी की स्थापना कम सल्फर कम फासफोरस पिग आयरन के उत्पादन और उसके एक भाग को डक्टाइल आयरन स्पन पाइप्स (डीआईएसपी) में परिवर्तित करने के उद्देश्य से की गई थी।

केआईएससीओ अपने प्रचालन के प्रथम वर्ष (2001-02) से ही लगातार हानियाँ उठा रही थी। यह केआईओसीएल की पूर्णत: स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी बन गई (जून 2006) और अन्ततः 1 अप्रैल 2007 से केआईओसीएल के साथ विलय के बाद केआईओसीएल की एक इकाई बन गई अर्थात ब्लास्ट फरनेस यूनिट (बीएफयू)। विलय के बाद भी, बीएफयू का हानि उठाना जारी रहा और 5 अगस्त 2009 से इसे बंद कर दिया गया था।

इसी बीच केआईओसीएल ने बीएफयू के लिए एक डाउनस्ट्रीम उपस्कर एक तीसरी पिग कास्टिंग मशीन (पीसीएम) लगाने का निर्णय लिया (अगस्त 2008)। यह मौजूदा दो पीसीएम के अतिरिक्त थी। तीसरे पीसीएम पर निर्णय मेकोन की सलाह पर (अक्तूबर 2007) मौजूदा मशीनों की खराबी को कामगारों को खतरे में डाले बिना ठीक करने और बीएफयू को लगातार चलाकर उत्पादन बढ़ाने के लिए लिया गया था। केआईओसीएल ने डिजाइन, विनिर्माण, आपूर्ति, निर्माण, उत्थापन, जांच और संस्थापना और पीसीएम की निष्पादन गारंटी जांच के लिए ₹ 3.89 करोड़ की लागत पर एक कार्य आदेश दिया (सितम्बर 2009)। केआईओसीएल ने पीसीएम की अधिप्राप्ति और प्रतिष्ठापन के प्रति ₹ 4.20 करोड़ का व्यय किया।

लेखापरीक्षा में जांच से पता चला कि:-

(i) यद्यपि बोर्ड ने अगस्त 2009 से बीएफयू में उत्पादन को बंद करने का निर्णय लिया (जुलाई 2009) फिर भी केआईओसीएल ने तीसरी पीसीएम के लिए कार्य आदेश जारी किया (सितम्बर 2009)। जिसे चालू नहीं किया गया था (मार्च 2013)।

(ii) मौजूदा दो पीसीएम 6 वर्षों में अपनी क्षमता से 65 प्रतिशत और बाकी के वर्षों में लगभग 75 प्रतिशत कम पर परिचालित थे।

(iii) बोर्ड ने बीएफयू के प्रचालन को तब तक निलम्बित रखने का निर्णय लिया (मार्च 2010) जब तक कि दोनों बैकवर्ड (कोक ओवन संयंत्र) और फारवर्ड आपरेशन्स (डीआईएसपी संयंत्र) का एकीकरण न हो जाए। डीआईएसी संयंत्र को पीसीएम से अपना इनपुट लेना था और इसे विशेष उद्देश्य वाहन (एसपीवी) के माध्यम से भागीदारी स्थापित किया जाना प्रस्तावित था (अक्तूबर 2011)। डीआईएसपी परियोजना को लगाने की निर्णयपूर्ण अवधि आशय पत्र के जारी होने से 24 माह तक थी। मार्च 2013 तक केआईओसीएल को अभी डीआईएसपी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए भागीदार ढूढंना है। इस परिदृश्य में, तीसरा पीसीएम जो जनवरी 2011 से 26 माह के लिए पहले ही निष्क्रिय हो गया था और आगे 24 माह की न्यूनतम अवधि के लिए निष्क्रिय पड़ा रहेगा जब तक डीआईएसपी परियोजना पूर्ण होगी।

कम्पनी ने कहा (जुलाई 2013) कि उसके तीसरे पीसीएम को प्रतिष्ठापित करने का निर्णय लेते समय सभी पहलुओं अर्थात उत्पादकता में वृद्धि, श्रमबल की सुरक्षा आसान अनुरक्षण आदि की जांच की थी। तथापि, पिग आयरन के लिए बाजार में मंदी जोकि उनके नियंत्रण से बाहर थी, के कारण बीएफयू के संचालन को निलम्बित कर दिया गया और यह बीएफयू के संचालन को पुन:आरंभ करने के लिए सभी प्रयास कर रही थी। दो पीसीएम के संचालन के साथ सुरक्षा पहलुओं की असावधानी के अलावा बीएफयू के उत्पादन में निरन्तरता प्रभावित हो रही थी। इसके अतिरिक्त, तीसरे पीसीएम और मेटल हैंडलिंग प्रणाली के डिजाइन में प्रौद्योंगिकी सुधार हुए थे। नए पीसीएम में काफी उन्नत प्रौद्योगिकी पहलू थे।

निम्नलिखित के दृष्टिगत उत्तर स्वीकार्य नहीं है:-

- केआईएससीओ पर मूल्यांकन टिप्पणी में (जून 2000) वित्तीय सलाहकार की राय थी कि पिग आयरन का संचालन एकल आधार पर व्यवहार्य नहीं है। केआईओसीएल के सीएमडी ने भी टिप्पणी (अगस्त 2008) की कि पहले से विनिर्मित पिग आयरन के लिए तैयार बाजार नहीं था और वह भण्डार में पड़ा हुआ था। पहली बार में बीएफयू के बंद होने के लिए भण्डार के निपटान को भी कारण बताया गया था। वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के लिए पिग आयरन का अन्तशेष स्टाक क्रमश: 20348 एमटी, 5845 एमटी और 43462 एमटी था। इस परिप्रेक्ष्य में जबकि भण्डार बिना बिके पड़ा था, उत्पादकता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त मशीनरी की अधिप्राप्ति में औचित्य की कमी थी। कम्पनी डीआईएसपी के लिए एसपीवी की स्थापना में सफल नहीं हो पाई जिससे पीसीएम की उपयोगिता संदेहपूर्ण हो गई।
- बीएफयू उत्पादन में निरन्तरता तीसरे पीसीएम के प्रतिष्ठापन के लिए एक व्यवहार्य कारण नहीं था क्योंकि यह पाया गया कि 2008-09 के दौरान बीएफयू को भी पिग आयरन भण्डार की निकासी के कारण बंद किया गया था। 2009 में तीसरे पीसीएम को प्रतिष्ठापित करने के निर्णय और जो समय उसे वास्तव में प्रयोग करने में लगेगा, के बीच बीतने वाले समय की पृष्ठभूमि में प्रौद्योगिकी सुधारों को देखने की आवश्यकता है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (सितम्बर 2013) में कम्पनी के विचारों की पुनरावृत्ति की और कहा कि बीएफयू अभी भी बंद थी और कम्पनी डीआईएसपी संयंत्र और कोक ओवन संयंत्र की स्थापना का अनुकरण कर रही थी जिसे अभी पूर्त रूप दिया जाना था।

इस प्रकार, यह जानते हुए कि बीएफयू अकेले आधार पर व्यवहार्य नहीं थी और उसके परिचालन को बंद कर दिया गया था, केआईओसीएल ने तीसरे पीसीएम की स्थापना का आदेश दिया जोकि पिछले 26 महीनों से निष्क्रिय थी और आशय जारी होने से जोकि अभी तक (सितम्बर 2013) भी जारी नहीं किया गया था से कम से कम अगले 24 महीने तक निष्क्रिय पड़ा रहेगा। इसके परिणामस्वरूप निधियां निष्क्रिय हो गई और ₹ 4.20 करोड़ का अविवेकपूर्ण व्यय हुआ।

एमएसटीसी लिमिटेड

17.2 प्राप्यों की वसूली न होने के कारण हानि

जब बाजार मूल्य गिर रहा था तब स्क्रैप के आयत के वित्तपोषण के साथ आरक्षितता सीमा में अवास्तविक वृद्धि और दस्तावेजों की वापसी की अविवेकपूर्ण कार्रवाई के परिणामस्वरूप ₹ 60.56 करोड़ की हानि हुई।

एमएसटीसी लिमिटेड (कम्पनी) ने अपने ग्राहक सेसा इन्टरनेशनल लिमिटेड (सेसा) के मददगार के रूप में कार्य किया और उसके आयातों का वित्तपोषण किया। करार (नवम्बर 2006) की शर्तों के अनुसार कम्पनी सेसा के माँग पत्र के अनुसार आयातों के लिए सहायक के रूप में क्रय आदेश का समर्थन करेगी। कम्पनी बैंक के साथ लेटर आफ क्रेडिट (एल/सी) भी खोलेगी। इस प्रकार आयात की गई सामग्री कम्पनी के पास गिरवी रहेगी और सेसा द्वारा 'नकद खरीद' के आधार पर उठाई जाएगी।

मार्च 2008 में सेसा ने कम्पनी को ₹ 10.25 करोड़ मूल्य के यूके के 5000 एमटी श्रेडिड स्क्रेप के आयात को सुकर बनाने के लिए संपर्क किया। प्रस्ताव स्वीकार किया गया था और कम्पनी ने मार्च 2008 में इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) के माध्यम से एल/सी खोला। अप्रैल 2008 की मूल शिपमेंट तिथि को सेसा द्वारा बाद में विस्तारित कर सितम्बर 2008 कर दिया गया था। 4718 एमटी के कुल परेषण में से सेसा ने केवल 2632 एमटी के पहले दो परेषणों को स्वीकार किया (सितम्बर 2008) और बकाया 2086 एमटी (अक्तूबर 2008) के स्क्रेप को एल/सी की संशोधित शर्तों से संबंधित दस्तावेजों के अननुपालन के तर्क पर स्वीकार करने से इंकार कर दिया।

इसके पश्चात सेसा ने दोबारा आठ ठेकों के प्रति ₹ 56.45 करोड़ मूल्य के 22000 एमटी स्टील स्कैप के आयात के वित्तपोषण हेतु कम्पनी से पहुंच की (अगस्त 2008) दिया। यद्यपि, पिछले प्रस्ताव से स्क्रेप उठाया नहीं गया था और अगस्त 2008 से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में फैरस श्रेडिड स्कैप की कीमत गिरनी शुरू हो गई थी, फिर भी कम्पनी ने वर्तमान प्रस्ताव को समायोजित करने के लिए वर्तमान अरक्षितता सीमा को ₹ 60 करोड़ से बढ़ाकर (अगस्त 2008) ₹ 100 करोड़ कर दिया। तथापि, अक्तूबर 2008 और दिसम्बर 2008 के बीच सेसा

ने दोबारा 16398 एमटी स्क्रेप को एल/सी के साथ संबंधित दस्तावेज के अननुपालन के समान आधारों पर स्वीकार करने से इंकार कर दिया।

लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि जबकि कम्पनी ने विसंगति के मामूली स्वरूप के बारे में चर्चा की थी, फिर भी इसने सेसा के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और आईओबी के दस्तावेजों को वापिस कर दिया जिसके साथ एल/सी खोली गई थीं। अंततोगत्वा आईओबी को अपने सौदा कराने वाले बैंकों[1] के माध्यम से लंदन में उच्च न्यायालय के आदेशानुसार दो आपूर्तिकारों को ₹ 52.71 करोड़ का भुगतान करना पड़ा था (अप्रैल 2009) और इसे (₹ 52.71 करोड़) ब्याज और कानूनी प्रभारों क्रमश ₹ 0.61 करोड़ और ₹ 8.57 करोड़ सहित कम्पनी से वसूली की (अप्रैल 2009 और फरवरी 2010 के बीच)। कम्पनी ने बदले में मार्च 2010 से उक्त राशि पर 12.5 प्रतिशत की दर से ब्याज को छोड़ते हुए सेसा पर ₹ 57.08 करोड़ का दावा (मार्च 2010) अधिमान्य किया। तथापि, सेसा ने ऐसे दावे पर यह कहकर विचार करने से इंकार कर दिया कि उन्होंने कम्पनी को आवश्यक कार्रवाई हेतु दस्तावेज वापिस कर दिए थे और माल प्राप्त नहीं किया था।

कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने सेसा द्वारा अस्वीकृत स्टील स्क्रेप की नीलामी कर दी थी जो हल्दिया डॉक काम्पलैक्स पर पडा हुआ था और कम्पनी को ₹ 2.23 करोड़ की राशि भेज दी (सितम्बर 2010) इसके अतिरिक्त, बकाया सामग्री के लिए ₹1.02 करोड़ की राशि का बिक्री मुनाफा प्राप्तकर्ता के पास न्यायालय के आदेशानुसार सावधि जमा के रूप में रखा गया था। अरक्षितता सीमा में अवास्तविक वृद्धि के साथ-साथ स्वीकृत रूप से मामूली विसंगति के आधार पर दस्तावेजों की वापसी की अविवेकपूर्ण कार्रवाई के कारण, कम्पनी को प्राप्यों की वसूली न करने के कारण ₹60.56[2] करोड़ (दिसम्बर 2013) तक की हानि उठानी पड़ी।

कम्पनी ने बताया (दिसम्बर 2012) कि सेसा की अरक्षितता सीमा लम्बे व्यापारिक संबंधों के आधार पर बढ़ाई गई थी। यह भी कहा गया कि एल/सी तब खोली गई थी जब स्क्रेप की कीमत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ रही थी। उत्तर से यह स्पष्ट होता है कि अरक्षितता सीमा वाणिज्यिक औचित्य के आधार पर नहीं बढ़ाई गई थी। इसके अतिरिक्त

[1] ***दुबई का स्टैंडर्ड चार्टड बैंक और लंदन का फोर्टिस बैंक***

[2] ***₹62.79 करोड – ₹2.23 करोड़***

अरक्षितता सीमा अगस्त 2008 में बढाई गई थी (₹60 करोड़ से ₹100 करोड़)। यद्यपि, स्क्रेप की कीमत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में गिरनी शुरू हो गई थी। कम्पनी ने आगे तर्क दिया कि सेसा द्वारा दस्तावेजों में बताई गई विसंगतियों के बारे में ऐसे दस्तावेजों के अस्वीकरण के समय पर बैंकर द्वारा बताया जाना चाहिए था। तथापि, कम्पनी एल/सी की निबंधन और शर्तों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों में विसंगतियों को डील करते समय अपने वित्तीय हितों की रक्षा करने में विफल रही।

मामला सितम्बर 2013 में मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2014)।

17.3 वित्तीय हितों के रक्षोपाय में विफलता के कारण हानि

तिरूपती फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से अधिप्राप्ति का वित्तपोषण करते समय अपने वित्तीय हितों का रक्षोपाय करने में विफलता के कारण कम्पनी को ₹ 55.48 करोड़ की हानि उठानी पड़ी।

एमएसटीसी लिमिटेड (कम्पनी) अपने ग्राहकों के लिए सामग्री के आयात/अधिप्राप्ति के लिए सहायक के रूप में कार्य करती है। कम्पनी ने किसी औपचारिक बिना या कोई अरक्षितता सीमा निर्धारित किए बिना 2007-08 से तिरूपती फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड (टीएफपीएल) द्वारा कोकिंग कोल की अधिप्राप्ति का वित्तपोषण किया। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने न तो टीएफपीएल के निष्पादन का निर्धारण किया और न ही बाहरी एजेंसियों से टीएफपीएल की कोई क्रेडिट रेटिंग प्राप्त की। 2007-08 से 2008-09 की अवधि के दौरान, कम्पनी ने 91116.28 एमटी के कोयले की अधिप्राप्ति का वित्तपोषण किया किन्तु टीएफपीएल ने केवल 43634.78 एमटी ही उठाया। कम्पनी को पुन: टीएफपीएल को कोयले की अधिप्राप्ति के लिए ₹ 33.61 करोड़ के अतिरिक्त वित्तपोषण का अनुमोदन (फरवरी 2010) दिया गया। यद्यपि पहले से अधिप्राप्त ₹ 136.56 करोड़ मूल्य के कोयला ऐसे ही पड़ा हुआ था जिससे वित्तपोषण बढ़कर कुल ₹ 170.17 करोड़ हो गया। टीएफपीएल ने 2009-10 तक अधिप्राप्त सामग्री का केवल 49 प्रतिशत उठाया और ₹ 91.26 करोड़ मूल्य का स्टाक बिना उठाए छोड़ दिए। तथापि, कम्पनी ने 2010-11 के लिए टीएफपीएल के लिए ₹ 200 करोड़ की अरक्षितता सीमा निर्धारित की थी (10 जून 2010)। कम्पनी ने देशज और अंतर्राष्ट्रीय स्त्रोतों

से एलएएम कोक और कोकिंग कोल के आयात/अधिप्राप्ति पर टीएफपीएल के साथ औपचारिक करार किया (18 जून 2010)। करार एक वर्ष के लिए वैद्य था। 2011-12 के लिए अरक्षितता सीमा 13 मई 2011 को ₹ 175 करोड़ निर्धारित की गई थी।

कम्पनी ने कई बार (नवम्बर 2011 तक) टीएफपीएल को कोकिंग कोल की अधिप्राप्ति के लिए वित्तपोषण करना जारी रखा जबकि माल बिना उठाए पड़ा रहा। टीएफपीएल ने नवम्बर 2012 में बीआईएफआर[1] के साथ अपने आप को अपनी रूग्णता का निर्धारण करने हेतु पंजीकृत कराया, जहाँ उसे कम्पनी के देयों को स्वीकारना नहीं होता। तथापि, बीआईएफआर, ने दिसम्बर 2013 में टीएफपीएल के संदर्भ को खारिज कर दिया। कम्पनी ने दो बार (मार्च 2013) बिना उठाए माल की ई-नीलामी करने की भी कोशिश की किन्तु ऐसी बिकी में किसी भागीदार को आकर्षित करने में विफल रही। इसी बीच, कम्पनी ने यह कहते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त किया (मार्च 2013) कि बीआईएफआर की सहमति के बिना कम्पनी द्वारा टीएफपीएल के प्रति कोई अवपीडक कार्रवाई नहीं की जाएगी। फरवरी 2014 तक, टीएफपीएल से ₹ 65.64 करोड़ बिना वसूली के पड़ा रहा जिसके प्रति केवल ₹ 10.16 करोड़ की प्रतिभूति जमा उपलब्ध थी।

कम्पनी ने कहा (दिसम्बर 2012 और फरवरी 2014) कि प्राप्यों की वसूली के लिए प्रयास किए जा रहे थे और आगे स्वीकार किया (फरवरी 2014) कि उसने उच्च न्यायालय के समक्ष उसके बाद के आदेश को वापिस लेने के लिए एक आवेदन किया और माल की बिक्री के लिए बीआईएफआर से सम्पर्क किया। तथापि, कम्पनी टीएफपीएल के पुराने होते हुए स्टाक को बिना उठाए बिक्री और अपने बकाया प्राप्यों की वसूली करने में असमर्थ थी, जिसकी वसूली की राशि ₹55.48 करोड़[2] थी और जो दूरस्थ प्रतीत होती है। इस प्रकार, कम्पनी अपने वित्तीय हितों के रक्षोपाय में विफल रही और टीएफपीएल को उसके निष्पादन का मूल्यांकन किए बिना अतिरिक्त वित्तपोषण के कारण ₹55.48 करोड़ की हानि उठानी पड़ी।

मंत्रालय को मामला सितम्बर 2013 में भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2014)।

[1] ***औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड***

[2] ***₹ 65.64 करोड़ घटा ₹ 10.16 करोड़***

17.4 आयातों के अवास्तविक वित्तपोषण के कारण वसूली न होना

असंतोषजनक वित्तीय निष्पादन सहित एक ग्राहक के लिए आयातों के वित्तपोषण के कारण ₹ 28.73 करोड़ की वसूली नहीं हुई।

एमएसटीसी लिमिटेड (कम्पनी) ने सामग्री का आयात करने के लिए अपने ग्राहकों के लिए सहायक के रूप में कार्य किया। मेहरकिरन एन्टरप्राइजेज लिमिटेड (एमकेईएल) द्वारा सम्पर्क करने पर (जून 2008), कम्पनी को इस तथ्य की जानकारी होने के बावजूद कि एमकेईएल के पास 31 मार्च 2008 को ₹11.72 करोड़ की अपनी निधि के प्रति ₹ 28.62 करोड़ की देयताएं थी फिर उसने किसी करार पर हस्ताक्षर किए बिना जो उसकी विपणन नियम पुस्तिका के प्रावधानों का उल्लंघन था ₹ 55 करोड़ के मूल्य वाले आयातित कोल की अधिप्राप्ति का वित्तीय पोषण करने का निर्णय लिया (अगस्त 2008)। कम्पनी ने एमकेईएल द्वारा आयातित ₹60 करोड़ मूल्य के कोयले (27500 एमटी) के लिए वित्तपोषण किया (अगस्त 2008)। तथापि, एमकेइएल ने केवल ₹ 4.15 करोड़ मूल्य के 1825 एमटी कोयले को उठाया और बकाया मात्रा को इस तर्क पर नहीं उठाया गया कि बाजार में कोयले की कीमत में काफी गिरावट आई थी।

कम्पनी ने कोयले के आयात के आगे वित्तपोषण के साथ-साथ पहले (अगस्त 2008) आयातित कोयले के वित्तपोषण को नियमित करने के लिए बाद में एमकेइएल के साथ समझौता ज्ञापन (एमओए) किया (जुलाई 2009)। एमओए का मूल उद्देश्य अगस्त 2008 में अधिप्राप्त उच्च मूल्य वाले आयातित कोयले की औसत कीमत को कम करना और कम्पनी द्वारा एमकेइएल को देय ₹ 2000 प्रति एमटी के सहमत रूपांतरण प्रभारों पर ऐसे कोयले को कोक में परिवर्तित करना था। बकाया देयों को चुकाने के लिए ऐसे रूपांतरित कोक की पूरी बिक्री आय कम्पनी द्वारा प्राप्त की जानी थी।

कम्पनी ने नवम्बर 2009 और नवम्बर 2010 के बीच ₹ 57.22 करोड़ मूल्य के 50448 एमटी कोयले की अधिप्राप्ति हेतु वित्तपोषण किया। यद्यपि अगस्त 2008 में अधिप्राप्त कोयले की पूरी मात्रा और उसके बाद अधिप्राप्त 47052.56 एमटी* को उठा लिया गया था और उसे कोक में रूपांतरित कर दिया गया, इसकी बिक्री आय एमकेइएल से पूरे देयों की वसूली के लिए

* *50448 एमटी – 3395.74 एमटी बिना उठाए पड़ी थी।*

पर्याप्त नहीं थी। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने एमकेईएल को रूपांतरण प्रभारों के प्रति ₹4.54 करोड़ का भुगतान किया था (सितम्बर 2012)।

आगे अगस्त 2012 से फरवरी 2013 की अवधि के दौरान कम्पनी ने एमकेईएल द्वारा ₹ 26.18 करोड़ मूल्य के 23666 एमटी कोयले की अधिप्राप्ति वित्तपोषित की थी जिसमें से 15842 एमटी जनवरी 2014 तक बिना उठाए पड़ा था। एमकेईएल का बकाया देय ₹ 56.59 करोड़ रहा (जनवरी 2014)। कम्पनी ने एमकेईएल द्वारा प्रस्तुत ₹ 11.95 करोड़ की प्रतिभूति जमा के अलावा ₹ 13.91 करोड़ के कोयले[1] को प्रतिभूत किया था और समर्थक प्रतिभूति के रूप में ₹ 2 करोड़ (लगभग) मूल्य की भूमि को गिरवी रखा था। इस प्रकार कम्पनी ₹ 28.73[2] करोड़ (जनवरी 2004) की वित्तीय हानि को देख रही है क्योंकि एमकेईएल से प्राप्यों की उगाही की संभावना दूरस्थ है।

कम्पनी का तर्क (दिसम्बर 2012) कि कोई वित्तीय हानि नहीं हुई थी क्योंकि कोयला कम्पनी के पास रखा हुआ था स्वीकार्य नहीं है चूँकि ग्राहक के परिसर में पड़े हुऐ कोयले का मूल्य एमकेईएल से कुल बकाया प्राप्यों की वसूली के लिए पर्याप्त नही था। इस प्रकार इसके असंतोषजनक वित्तीय निष्पादन के बारे में जानकारी होने के बावजूद एमकेईएल को आयातों के अवास्तविक वित्त पोषण के कारण ₹ 28.73 करोड़ की वसूली नही हुई।

मामला मंत्रालय को सितम्बर 2013 में भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2014)।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

17.5 परिहार्य भाड़ा व्यय

केप्टिव खानों से आईएसपी बर्नपुर को लौह अयस्क के परिवहन के लिए रिआयती श्रेणी 180 दर का लाभ उठाने में अपेक्षित दस्तावेजीकरण पूर्ण करने में विलम्ब के कारण कम्पनी को ₹10.74 करोड़ का परिहार्य उच्चतर भाड़ा वहन करना पड़ा था ।

[1] *कोयले के लिए ₹ 12.91 करोड़ और कोक के लिए ₹ 1 करोड़*

[2] *₹ 56.59 करोड़-(₹ 12.91 + ₹1.00 + ₹ 11.95 + ₹ 2.00) करोड़*

रेलवे बोर्ड ने 2009 की दर परिपत्र में (आर सी) संख्या 36 में लौह और इस्पात के विनिर्माण में घरेलू खपत के लिए लौह अयस्क के रेलगाड़ी लदान परिवहन के लिए श्रेणी 180 दर अधिसूचित की थी । इसमें भी अनुबद्ध किया गया था कि यदि निम्नलिखित शर्ते पूरी की जाएं तो यातायात पर दूरी आधारित प्रभार नहीं लगाया जाएगा:

(i) दस्तावेजो* की एक बार प्रस्तुती

(ii) त्रैमासिक आधार पर सुसंगत मासिक उत्पाद शुल्क रिटर्न की प्रमाणित प्रतियों की प्रस्तुती।

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल या कम्पनी) का आईआईएससीओ स्टील संयंत्र बर्नपुर (आईएसपी) स्टील संयत्रों में उपभोग के लिए केप्टिव खानों से लौह अयस्क के परिवहन के लिए भारतीय रेल की सेवाओं का उपयोग करता है। आईएसपी को 6 जून 2009 से प्रभावी श्रेणी 180 दर का लाभ लेने के लिए उपरोक्त शर्ते को पूरा करना चाहिए था ।

लेखापरीक्षा जॉच में पता चला कि भारतीय रेलवे द्वारा मार्च 2011, जून 2011 ओर जुलाई 2011 में बार बार अनुस्मारकों के बावजूद आईएसपी ने इन शर्तो को पूरा नही किया था। अन्ततः भारतीय रेल ने 18 सितम्बर 2011 से आईएसपी को श्रेणी-180 से विमुक्त कर दिया और निर्यातों पर लागू उच्च भाडा दर प्रभारित की जिसके परिणामस्वरूप आईएसपी को 18 सितम्बर 2011 और 22 अक्टूबर 2011 के बीच रूपये 10.74 करोड़ का परिहार्य व्यय करना पड़ा । भारतीय रेल ने आईएसपी प्रबन्धन द्वारा आरसी-36 के तहत वांछित औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद दिनांक 21 अक्टूबर 2011 द्वारा आईएसपी केा श्रेणी 180 अनुमत की।

* ***इस्पात मंत्रालय के तहत संयुक्त संयंत्र समिति से औद्योगिक उद्यमि ज्ञापन (आईईएम) या प्रमाणपत्र सहित जिसमें संयंत्र की लाइसेंसड क्षमता या साक्षेठ और संबद्ध मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन की प्रति हो, वर्तमान वर्ष के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परिचालन की सहमति, चालू वित्तीय वर्ष के लिए फैक्ट्री लाइसेंस, संविदा श्रम अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पंजीकरण प्रमाण पत्र, चालू माह से पूर्व माह के लिए मासिक उत्पाद शुल्क रिटर्न, निर्धारित प्रारूप में गैर न्यायिक स्टाम्प मेपर पर शपथ पत्र जो यह प्रमाणित करता हो कि उनकी साइडिंग में केवल घरेलू खपत के लिए लौह अयस्क प्राप्त किया जाएगा, और धरेलू लौह अयस्क के रूप में निर्यात लौह अयस्क के गलत ब्यौरे या समय समय पर रेलवे द्वारा निर्धारित नियमों के किसी प्रकार के दुरूपयोग के प्रति रेलवे को स्टाम्प क्षतिपूर्ति नोट या क्षतिपूर्ति करना।***

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2013) कि उसने जून 2009 से मार्च 2011 के दौरान वांछित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए कोई कार्रवाई नही की क्योंकि आरसी - 36/2009, आरसी-24/2008 का एक आशोधित परिपत्र था, आर सी -36/2009 के अनुसार प्रस्तुत करने वाले आवश्यक दस्तावेज/रिटर्न आरसी-24/2008 के अनुसार वांछित दस्तावेजों के समान थे, इसलिए संशोधित आरसी में दस्तावेजों की पुन: प्रस्तुती की आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया गया था, मार्च-जुलाई 2011 के दौरान भारतीय रेल से प्राप्त हुए प्रत्येक पत्राचार पर उचित कार्रवाई की गई थी; और उसने की गई अधिक कटौती के प्रतिदाय के लिए दावा किया था । मंत्रालय ने प्रबन्धन के विचारो की पुनरावृत्ति की (फरवरी 2014)।

उत्तर से यह स्पष्ट है कि आईएसपी/कम्पनी ने दिनांक 1 जून 2009 के परिपत्र में यथा अनुबद्ध शर्तो का अनुपालन करने में शीघ्र कार्रवाई नही की । आईएसपी की विलम्बित कार्रवाई भी पूरी नहीं थी । 26 जुलाई 2011 को रेलवे को प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र और क्षतिपूर्ति बंध पत्र रेलवे द्वारा 4 अगस्त 2011 को वापिस कर दिए गए क्योंकि दस्तावेज निर्धारित प्रपत्र मे नही थे। काटे गए अधिक भाड़े के प्रतिदाय के लिए आईएसपी का अनुरोध भी अभी तक रेलवे द्वारा स्वीकार नही किया गया (दिसम्बर 2013)।

इस प्रकार, केप्टिव खानों से आईएसपी बर्नपुर को लौह अयस्क के परिवहन के रिआयत श्रेणी 180 का लाभ उठाने के लिए वांछित दस्तावेजीकरण पूरा करने में विलम्ब के कारण कम्पनी को ₹10.74 करोड़ का परिहार्य उच्चतर भाड़ा व्यय करना पड़ा था ।

17.6 वी आई एस पी/सेल में रीहीटिंग फरनेस के चालू करने में विलम्ब

कार्य के क्षेत्र का निर्णय लेने में योजना और तकनीकी यथोचित परिश्रमिता की कमियो के कारण नए आरएचएफ के चालू करने में 58 महीनों से अधिक का विलम्ब हुआ। ₹ 9.85 करोड़ का व्यय करने के बाद भी स्केल हानि और फरनेस तेल की खपत कम न होने के कारण नए आरएचएफ से ₹ 28.36 करोड़ की कल्पित बचतों की प्राप्ति नही हुई।

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील प्लांट (वी आई एस पी) भद्रावती, कर्नाटक के दो रीहीटिंग फरनेस (आरएचएफ) हैं प्रत्येक की निर्धारित क्षमता 15 टन प्रति घंटा (टीपीएच) है जो प्राथमिक मिल की रीहीटिंग और रोलिंग आवश्यकताओं को पूरा कर सकती हैं। 1965-66 में प्रतिस्थापित यह आर एच एफ अपना उपयोगी जीवन समाप्त कर चुका था एवं बुनियादी डिजाइन सीमाओं के कारण स्केल (2.5 प्रतिशत से अधिक) का असामान्य सृजन हुआ और आधुनिक भट्टियों द्वारा खपत किए जाने वाले लगभग 50 लीटर /टन की तुलना में यह आउटपुट के 75 लीटर/टन से अधिक फरनेस तेल की खपत कर रहे थे।

सेल के एक आन्तरिक परामर्श विंग इंजीनियरिगं और प्रौद्योगिकी केन्द्र (सीईटी) ने एक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की ओर दो आरएचएफ को 30 टीपीएम क्षमता वाले एक नए आरएचएफ से बदलने की सिफारिश (जनवरी 2006) की जो कि अधिक ऊर्जा कुशल होगा और स्केल हानि में कमी के कारण 1 प्रतिशत तक प्राथमिक मिल की समस्त उत्पादन में वृद्धि के अलावा प्रति टन 53 लीटर भट्ठी तेल की खपत होगी। सीईटी ने रूपये 8.79 करोड़ की पूंजी के निवेश और कुल बचत अनुमानित की जो प्रति वर्ष परियोजना से रूपये 9 करोड़ वीआईएसपी को प्राप्त होगी।

वीआईएसपी ने रूपये 10 करोड़ की निश्चित ठेका कीमत (सेनवेट का निवल) पर आरएचएफ के डिजाइन आपूर्ति उथापन, जॉच करने और संस्थापित करने के लिए मैसर्स वेजमैन इन्जीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड कोलकाता (ठेकेदार) को एक आदेश प्रस्तुत किया (मार्च 2008)। ठेकेदार को 12 महीने अर्थात 28 फरवरी 2009 तक सुविधाओं का संस्थापन करना था । तथापि, नया आरएचएफ, 31 जनवरी 2014 तक 58 महीनों के बीत जाने के बाद भी चालू नहीं हो सका था।

लेखापरीक्षा जॉच मे ड्राइंग को अन्तिम रूप देने में 22 महीने, पहले जॉच में पाई गई त्रुटियों के सुधार में 16 महीने और दूसरी जांच में पाई गई त्रुटियों के सुधार में 8 महीने के विलम्ब का पता चला। इसके अतिरिक्त, अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि संविदा की सीईटी व्यवहार्यता रिपोर्ट और प्रावधान में विस्तृत डिजाइन, इंजीनियरिंग और ड्राइंग दस्तावेजो के प्रस्तुतीकरण और अनुमोदन में चार महीने प्रदान किए गए थे। तथापि वीआईएसपी ने ड्राइंग की प्रस्तुती और अनुमोदन के लिए शिष्टाचार को अन्तिम रूप देने

की बैठक आयोजित करने मे केवल साढे तीन महीने का समय ले लिया। इसके परीणामस्वरूप, वीआईएसपी निरन्तर उच्चतर स्केल हानियां और भट्ठी तेल खपत पर व्यय करता रहा।

प्रबन्धन ने ठेकेदार के अपर्याप्त परियोजना प्रबंयधन के लिए परियोजना के सस्थापन और ड्राईगं के प्रस्तुतिकरण/अनुमोदन में विलम्ब तथा प्रारम्भिक स्वीकरण एवं जॉच के, बाद डिजाइन में आशोधन और परिर्वतनों मे विलम्ब को माना (जनवरी 2014)।

उत्तर इस तथ्य का खण्डन नही करता कि परियोजना के पूरा होने से अपर्याप्त विलम्ब हुआ था जिसने ऊर्जा दस आरएचएफ के अविलाभ से वीआईएसपी को वंचित किया। कार्य के स्कोप का निर्णय लेने में सीईटी की ओर से दोषपूर्ण योजना एवं तकनीकी उचित परिश्रमिता के अभाव से प्रारम्भिक स्वीकरण के पश्चात डिजाइन में आशोधन और परिर्वतनो की आावश्यकता हुई।

इस प्रकार उचित योजना के अभाव, ठेकेदार एवं वीआईएसपी के मध्य तकनीकी उचित परिश्रमिता तथा समन्वय के परिणामस्वरूप अनुबद्ध समय के अन्दर आरएचएफ का संस्थापन नहीं हुआ। इसके परिणामस्वरूप ₹ 9.85 करोड़ का व्यय करने के बावजूद भी अपेक्षित स्केल हानि और फरनेस तेल की खपत कम न होने के कारण नए आरएचएफ से ₹28.36 करोड़ की कल्पित बचता की प्राप्ति नही हुई थी।

मामला फरवरी 2014 में मंत्रालय को भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2014)।

अध्याय XVIII: कपड़ा मंत्रालय

नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड

18.1 बातचीत के विकल्प का उपयोग न करने के परिणामस्वरूप कम दरों पर भूमि की बिक्री

नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन ने एक सप्ताह पहले बिक्री की गई सन्निकट भूमि की अपेक्षा कम दर पर भारत टेक्सटाइल मिल्स की भूमि की बिक्री की जिसके परिणामस्वरूप भूमि की बिक्री में ₹ 156.97 करोड़ से अधिक अर्जित करने के अवसर की हानि हुई।

औद्योगिकीय और वित्तिय पुनर्निमाण बोर्ड (बीआईएआर) की अनुमोदित पुनरूत्थान योजना, 2002 के अनुसार, अपर वरली मुम्बई में स्थित नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) के सन्निकट वाली दो मिलों भारत टेक्सटाइल मिल्स ओर पोदार मिल्स (प्रोसेस हाऊस) की अयोग्य मिलों के रूप मे पहचान की गई थी और अन्य अयोग्य मिलों के पुरूत्थान के लिए निधि जुटाने के लिए उन्हें बन्द और बेचे जाने के आदेश दिए गए थे। वाणिज्यिक उपयोग के आधार पर सरकारी अनुमोदित मूल्यांककों द्वारा उच्चतम दर पर विचार करते हुए भारत टेक्सटाईल मिल्स के लिए आरक्षित मूल्य ₹ 750/- करोड़ निर्धारित किया गया था। पोदार मिल्स का आरक्षित मूल्य ₹ 250/- करोड था। पोदार मिल्स (प्रोसेस हाऊस) की 2.39 एकड़ भूमि की बिक्री के लिए 29 जुलाई-31 जुलाई 2010 और भारत टेक्सटाइल मिल्स की 8.38 एकड़ भूमि की बिक्री के लिए 4 अगस्त – 6 अगस्त 2010 से ई – नीलामी की गई थी ।

बीआईएफआर ने पोदार मिल्स (प्रोसेस हाऊस) की भूमि की बिक्री के लिए इंडिया बुल्स इंफ्राटेक लिमिटेड के पक्ष में ₹ 474 करोड़ (₹ 198.32 करोड़ प्रति एकड़ की दर से) और भारत टेक्सटाइल मिल्स के लिए इंडिया बुल्स इंफ्रास्टेट लिमिटेड दोनो ई –नीलामी में एच-I बोलीदाता के पक्ष में ₹1,505 करोड़ (₹ 179.59 करोड़ प्रति एकड़ की दर से) भूमि की बिक्री अनुमोदित की (सितम्बर 2010)। भारत टेक्सटाइल मिल्स के लिए कम यूनिट दर स्वीकार करने के लिए कोई कारण रिकार्ड पर नहीं पाया गया था। बीआईएफआर के

दिशार्निदेशों (अगस्त 2009) के अनुसार, सामन्यतया उच्चतम स्वीकार्य प्रतिक्रियाशील बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाती थी। तथापि, यदि बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित कीमत स्वीकार्य नहीं है तो केवल उस बोलीदाता से बातचीत की जा सकती थी। यदि बोलीदाता से वांछित परिणाम न मिल पाए तो ऐसे मामले में उचित या स्वीकार्य कीमत अगले उच्चतम प्रतिक्रियाशील बोलीदाता (ओं) को प्रति प्रस्तावित की जा सकती है।

लेखापरीक्षा जॉच में पता चला कि:

- कम्पनी ने उच्चतम बोलीदाता के साथ बातचीत का विकल्प खोजने के बजाय हाल ही में केवल एक सप्ताह पूर्व पोदार मिल्स (प्रोसेस हाऊस) की भूमि की बिक्री से ₹ 198.32 करोड़ प्रति एकड़ की दर प्राप्त करने के बावजूद भारत टेक्स्टाइल मिल्स की भूमि की बिक्री ₹179.59 करोड़ प्रति एकड की दर पर की (सितम्बर 2010)। इस प्रकार, कम्पनी ने भूमि की बिक्री से ₹156.97[♥] करोड़ अधिक अर्जित करने का अवसर खो दिया।
- बातचीत के विकल्प की अवहेलना करना एक विवेकपूर्ण निर्णय नहीं था विशेष रूप से इस तथ्य के दृष्टिगत कि भारत टेक्स्टाइल मिल्स और पोदार मिल्स सन्निकट मिल्स थी और दोनो भूमियों की बिक्री का एच-। बोलीदाता एक ही कम्पनी के समूह से था अर्थात इंडिया बुल्स।

कम्पनी ने बताया (फरवरी 2014) कि:

- बीआईएफआर दिशानिर्देशों में बताया गया कि सामान्यतया उच्चतम उचित जिम्मेदार बोलीदाता की बोली को स्वीकार किया जाना चाहिए।
- कम्पनी को सम्पत्ति की काफी अच्छी कीमत मिल गई थी जोकि आरक्षित कीमत से दोगुना से भी अधिक थी और इसलिए उसने बातचीत के बारे में और नहीं सोचा।
- सामान्यत: छोटे प्लॉट भूमि के बड़े टुकड़ो की तुलना में उच्च कीमत पर बेचे जाते हैं।

उत्तर का निम्न तथ्यों के प्रति अवलोकन करने की आवश्यकता है:

[♥] *(₹ 474 करोड़/2.39 एकड x 8.38 एकड़) – ₹ 1505 करोड़ = ₹ 156.97 करोड़*

- यद्यपि बीआईएफआर दिशानिर्देश बताते है कि सामान्यतया उच्चतम उचित जिम्मेदार बोलीदाता को स्वीकार किया जाना चाहिए, दिशानिर्देशों के साथ साथ निविदा शर्तों (9 खण्ड)में बातचीत का अधिकार भी प्रदान किया गया है। इस मामले में कम्पनी के पास इस तथ्य के दृष्टिगत बातचीत करने का एक वैद्य आधार था कि सन्निकट भूमि के लिए उसने एक सप्ताह पहले ही उच्चतर कीमत प्राप्त की है।
- आरक्षित मूल्य का निर्धारण सरकार द्वारा अनुमोदित मूल्यांककों द्वारा केवल वर्तमान रूप से मौजूद 1.33 के फ्लोर स्पेस इन्डैक्स के आधार पर (एफएसआई) कन पर विचार करते हुए किया गया था। तथापिकिए गए मूल्यां, निविदा के खण्ड 1.3 (vi) के अनुसार विभिन्न उपयोगों के लिए मिल की भूमि की एफएसआई संभावना अधिक थी। आरक्षित मूल्य के निर्धारण के लिए इस पर विचार नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त यह तथ्य कि कम्पनी ने नीलामी में दोगुने से अधिक आरक्षित मूल्य प्राप्त किया था, से पता चलता है कि आरक्षित मूल्य उचित बाजार मूल्य को नहीं दर्शाता था।
- कम्पनी को भूमि के लिए ₹ 1602 करोड़ तक के पश्च बोली प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि भूमि में अधिक मूल्य प्राप्त करने की संभावना थी।

इस प्रकार, बीआईएफआर दिशानिर्देशों के अनुसार बातचीत के विकल्प का उपयोग किए बिना भारत टेक्सटाइल मिल्स की भूमि की बिक्री को एक सप्ताह पूर्व हुई बिक्री से कम दर पर करने के निर्णय के परिणामस्वरूप भारत टेक्सटाइल मिल्स की भूमि की बिक्री से ₹ 156.97 करोड़ अधिक अर्जित करने के अवसर की हानि हुई।

मामला नवम्बर 2013 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2014)।

अध्याय XIX

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर अनुवर्ती कार्रवाई

सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पीएसयूज के विभिन्न कार्यालयों एवं विभागों में अनुरक्षित लेखाओं ओर अभिलेखों की संवीक्षा की प्रक्रिया के चरमबिन्दु को प्रदर्शित करते हैं। अत: यह आवश्यक है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल लेखापरीक्षा निष्कर्षो पर व्यवस्थापकों से समुचित और समय से उत्तर प्राप्त हों।

लोकसभा सचिवालय ने ससंद के दोनों सदनों के पटल पर रखे गए सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में समावेशित विभिन्न पैराग्राफो/मूल्यांकनों पर उनके द्वारा की गई उपचारी/ सुधारात्मक कार्रवाई को दर्शाते हुए समस्त मंत्रालयों को (लेखापरीक्षा द्वारा उचित रूप से पुनरीक्षित) टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अनुरोध किया (जुलाई 1985)। ये टिप्पणियां विस्तृत जांच हेतु सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम समिति (सीओपीयू) द्वारा न चुने गए पैराग्राफों/मूल्यांकनों के सम्बन्ध में भी प्रस्तुत की जानी अपेक्षित थी। सीओपीयू ने अपने द्वितीय प्रतिवेदन (1998-99 बारहवी लोकसभा) में उपर्युक्त अनुदेशों को दोहराते समय सिफरिश की कि:

- व्यक्तिगत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) के संबंध में की गई कार्रवाई टिप्पणियों (एटीएन) के प्रस्तुतीकरण को मानीटर करने हेतु प्रत्येक मंत्रालय में एक मॉनीटरिंग सेल की स्थापना करना।
- विभिन्न मंत्रालयों के अन्तर्गत पीएसयूज की संख्या से सबंधित पैरोओं को समावेशित करने वाले प्रतिवेदनो के संबंध में एटीएन के प्रस्तुतीकरण को मानीटर करने के लिए लोक उद्यम विभाग (डीपीई) में एक मानीटरिंग सेल की स्थापना करना, और
- प्रासंगिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण की तिथि से छ: माह के अन्दर समिति को संसद में प्रस्तुत किए गए सीएजी के समस्त प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा उचित रूप से पुनरीक्षित अनुवर्ती एटीएन का प्रस्तुतीकरण।

उपरोक्त सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करते समय सीओपीयू ने अपने प्रथम प्रतिवेदन (1999-2000-तेरहवीं लोक सभा) में अपनी प्रारम्भिक सिफारिशों को दोहराया कि डीपीई को अलग अलग उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनो (वाणिज्यिक) में समाविष्ट अभ्युक्तियों पर अनेक मंत्रालयों/विभागों द्वारा की गई उपचारी कार्रवाई को मानीटर करने के लिए अपने स्वयं के डीपीई में एक पृथक मॉनीटरिंग सेल की स्थापना करनी चाहिए। तदनुसार सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा एटीएन के प्रस्तुतीकरण पर आगे की कार्रवाई मॉनीटर करने के लिए अगस्त 2000 से डीपीई में एक मानीटरिंग सेल कार्य कर रहा है। सीएजी के विभिन्न प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर एटीएन के प्रस्तुतीकरण के लिए सम्बन्धित मंत्रालयों के अन्दर मानीटरिंग सेलों की स्थापना की गई है।

इसके अतिरिक्त सचिवों की समिति (जून 2010) की बैठक मे सीएजी लेखापरीक्षा पैराओं तथा पीएसी की सिफारिशों पर लम्बित एटीएन/एटीआर को अगले तीन महीने के अन्दर पूरा करने के लिए विशेष प्रयास करने का निर्णय लिया गया था। इस निर्णय को सम्प्रेषित करते समय (जुलाई 2010) वित्त मंत्रालय ने भविष्य में शीघ्र कार्रवाई करने के लिए संस्थागत तंत्र की सिफारिश की।

लेखापरीक्षा में की गई एक समीक्षा से पता चला कि अनुस्मारकों के बावजूद विभिन्न मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन पीएसयू से संबंधित विगत पॉच वर्षो के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में समाविष्ट संव्यवहार लेखापरीक्षा/अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफों/समीक्षाओं पर उपचारी/सुधारात्मक एटीएन जैसा कि **परिशिष्ट-।।।** में ब्यौरा दिया गया है, समीक्षा के लिए लेखापरीक्षा द्वारा प्राप्त नही किए गए थे। 2008, 2009, 2010, 2011 और 2012 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में समाविष्ट क्रमश 3,3,8,12, ओर 25 संव्यवहार लेखापरीक्षा/अनुपालन लेखापरीक्षा पेराग्राफों/समीक्षाओं के संबंध में कोई एटीएन प्राप्त नही हुआ है। इसके अतिरिक्त मई से सितम्बर 2013 के दौरान संसद में प्रस्तुत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में निहत 40 संव्यवहार लेखापरीक्षा/ अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ/समीक्षाए भी प्रतिक्षित हैं।

91 पैराओं/समीक्षाओं जिन पर एटीएन प्रतिक्षित थे, में से 24 पैराग्राफ वित्त मंत्रालय (बैंकिंग एवं बीमा डिवीजन) के अधीन पीएसयूज से संबंधित थे, 11 पैराग्राफ पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन पीएसयूज से संबंधित थे, 10 पैराग्राफ रक्षा मंत्रालय के अधीन पीएसयूज़ से संबंधित थे और 6 पैराग्राफ भारी उधोग एवं सार्वजनिक उयम मंत्रालय के अधीन पीएसयूज़ से संबंधित थे।

उ० शंकर

नई दिल्ली **(उषा शंकर)**
दिनांक : 26 मई 2014 **उप-नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**
एवं अध्यक्षा, लेखापरीक्षा बोर्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

शशी कान्त शर्मा

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**
दिनांक : 30 मई 2014 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट -I

(पैरा *13.3* देखें)

2012-13 के दौरान लेखापरीक्षा के बताने पर वसूलियाँ

(₹ लाख में)

मंत्रालय/विभाग का नाम	सा.क्षे.उ. का नाम	लेखापरीक्षा आपत्तियाँ (संक्षेप में)	लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई वसूली की राशि	प्रबंधन द्वारा वसूली गयी राशि
वित्त/बीमा डिवीजन	जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	जीवन पुर्नबीमा व्यवसाय के संबंध में सेवाकर की गैर वसूली	21.83	23.93
कोयला	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	वन विभाग को अधिक भुगतान	1874.29	69.47
इस्पात	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड/ आईएसपी बर्नपुर	बाहरी लोगों को चिकित्सा उपचार हेतु राशि की गैर-वसूली	36.03	33.29
	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड/ वीआईएसपी, भद्रावती	संविदा श्रमिक भुगतान में अनियमिततायें	5.62	5.62
	एनएमडीसी लिमिटेड	अध्यक्ष सह-प्रबंध निदेशक को पट्टा आवास का अनियमित भुगतान	9.94	9.94

पेट्रालियम और प्राकृतिक गैस	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड	ठेकेदार से घर किराया, इलेक्ट्रिसिटी और गैस प्रभारों की गैर वसूली	1.57	1.57
		अप्रत्याशित घटना की स्थिति में ठेकेदार को किया गया भुगतान	25.00	25.00
		विलम्ब शुल्क भुगतान के प्रति आपूर्तिकर्ता से गैर वसूली और कर्मचारियों को मंजूर अग्रिमों की गैर वसूली	67.00	34.00
		इंडेटर से समय पर आवश्यक प्रमाणपत्रों (ईसी) को प्राप्त करने में विफलता के कारण हुई परिहार्य हानि	34.00	29.00
नागर विमानन	एयरपोर्टस अथॉरिटी ऑफ इंडिया	मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा यात्री सर्विस की स्क्रो एकाउंट से व्यय से संबंधित भारत सरकार के आदेशों का उल्लंघन	1522.00	1522.00
हेवी इंडस्ट्रीज एण्ड पब्लिक इंटरप्राइजेज़	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, झाँसी	दो वर्षों से अधिक के लिए फैब्रिकेटर्स से सामान की गैर प्राप्ति	151.86	66.91
उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	एफसीआई, डीओ लुधियाना	लेवी राइस की कम सुपुर्दगी के लिए वसूली न करने के कारण चावल मिलमालिकों को अनुचित लाभ	463.00	462.77
		गेहूँ पर ब्याज के प्रभारों को अग्रनयन का अधिक भुगतान	31.96	31.96
	एफसीआई, डीओ कुरूक्षेत्र	असामान्य कमी हानि/लाभ की गैर वसूली	93.54	1.00
		निजी किराए के गोदामों के तौल प्रभारों की गैर वसूली	3.60	3.60

		गेहूँ पर कम लाभ के लिए राज्य एजेंसियों को अधिक भुगतान	23.48	23.48
	एफसीआई डीओ मोगा	लेवी चावल फसल की गैर सुपुर्दगी के लिए खाद्य एवं आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला विभाग (डीएफएससी) के निदेशक से गैर वसूली	552.00	552.00
	एफसीआई डीओ जालंधर	सीडब्ल्यूसी को भंडारण व्यय का अधिक भुगतान	13.71	13.71
	एफसीआई डीओ कपूरथला	लेवी राइस की कम सुपुर्दगी-जब्ती राशि की गैर वसूली	630.00	630.00
	एफसीआई	मंडी श्रमिक प्रभारों का अधिक भुगतान	8516.00	8014.00
		कुल	**14076.43**	**11553.25**

परिशिष्ठ- II

(पैरा 13.4 में संदर्भित)

लेखापरीक्षा के बताने पर सुधार/ परिशोधन

(राशि ₹ लाख में)

मंत्रालय/विभाग का नाम	सीपीएसई का नाम	लेखापरीक्षा टिप्पणी / सुझाव (संक्षेप में)	प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने ड्राफ्ट एनएचएआई विनियमावली जोकि संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई थी और जिसे एनएचएआई अधिनियम 1988 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित सरकारी राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया गया था, के आधार पर अपने कर्मचारियों को किराया/पट्टा किराया की सुविधा के कारण ₹ 40.68 करोड़ का अनियमित भुगतान किया। इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल से प्राप्त अनुमोदन के आधारपर (अक्तूबर 2000 और फरवरी 2011), एनएचएआई पट्टे पर लिए गए	लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने पर (अप्रैल/मई 2013) एनएचएआई ने पूर्वव्यापी प्रभाव से भारतीय राजपत्र सं. 329 दिनांक 23.12.2013 में प्रकाशित अपने संशोधनों सहित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई और पट्टे पर लिए गए आवास) विनियम, 1997 की अधिसूचना प्राप्त की। एनएचएआई ने आगे दिनांक

		लघु आवासों की मरम्मत की एवज में अपने कर्मचारियों को प्रति वर्ष दो माह के किराए का भुगतान कर रहा था। उसी अवधि के दौरान इसकी एवज में किया गया भुगतान ₹ 1.83 करोड़ निकाला गया जो जून 1999 के डीपीई दिशानिर्देशों का उल्लंघन था।	21.3.2014 के पत्र के माध्यम से सूचना दी कि उपरोक्त गजट अधिसूचना दिनांक 23-12-2013 को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए एमओआरटी एण्ड एच को पत्र दिनांक 13-01-2014 के माध्यम से भेजा गया है
वाणिज्य एवं उद्योग	एक्सपोर्ट क्रेडिट गारन्टी कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ईसीजीसी)	ईसीजीसी के परिपत्र के अनुसार ठेका में चूक/दिवालियापन/परित्याग के भुगतान/ घटना की देय तारीख के बाद दावा के अन्तर्गत नौभारों के संबंध में प्रीमियम के भुगतान को श्रेणी 'ए' चूक के रूप में माना गया था जिसे दावा की गई राशि से न्यूनतम 10% की कटौती करते हुए छोड़ा गया था। बोर्ड अधिनियम के उल्लंघन को माफ नहीं कर सका।	कम्पनी ने अपने परिपत्र में इसे लागू करते हुए संशोधन किया कि बोर्ड द्वारा चूक के लिए किसी माफी की अनुमति नहीं दी जाएगी, दावे पर खेद प्रकट किया गया।
इस्पात	स्टील अथोंरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल/आईएसपी/बर्नपुर)	मरीजों से भोजन प्रभार की कम वसूली के कारण ₹ 37.12 लाख की हानि	हकदार मरीजों के लिए भोजन प्रभार ₹ 20.00 से ₹ 40.00 तक बढ़ा दिया गया है।

भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	भेल ने डीपीई निर्देशों, जिनके अनुसार इसे @10% किराया या मानक किराया, जो भी कम हो, की वसूली करनी थी, कि अवहेलना करते हुए इसके द्वारा निर्धारित स्लैब दरों पर कार्यकारियों को पट्टे पर दिए गए आवासों पर किराया वसूल किया जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2004 से मार्च 2012 की अवधि के दौरान ₹ 35.58 करोड़ की कम वसूली हुई थी।	किराए की वसूली के मामले को मूल वेतन के 10 प्रतिशत पर किराया या वास्तविक किराया, जो भी कम है की वसूली के लिए 3.1.2014 को अनुदेश जारी करते हुए कम्पनी द्वारा परिशोधित किया गया है।
	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड निजी	लेखापरीक्षा ने पाया कि परेषणों की उतराई में अप्रभावी योजना के कारण भेल को ₹ 113.10 लाख की सीमा तक शुल्क पर परिहार्य अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।	विलम्ब शुल्क से बचने के लिए प्रभावी नीति को वैगनों की एन्ट्री, कार्यकारियों, पर्यवेक्षकों और वर्कमैन सहित सरल, सुरक्षित तीव्र उतराई की उचित निगरानी की प्रणाली के रूप में अंतिम रूप दिया गया हैं।

परिशिष्ट-III

(अध्याय XIX में देखें)

2013 से पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) जिनकी कृत टिप्पणियां कार्यवाही हेतु लंबित है के ब्यौरे दर्शाने वाले विवरण

प्रतिवेदन सं. एवं वर्ष	प्रतिवेदन का नाम	पैरा सं.
परमाणु ऊर्जा विभाग		
2013 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 1.1
कोयला मंत्रालय		
2011-12 की 3	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 3.2
2010-11 की 10	चयनित पीएसयूज की गतिविधियों की निष्पादन लेखापरीक्षा	अध्याय IV
2012-13 की 8	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 3.1 और 3.2
2013 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 4.1 और 12.1
वाणिज्यि तथा उद्योग मंत्रालय		
2013 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 5.1 और 5.2
ग्राहक मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		
2013 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 6.3
रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय		
2010-11 की 10	चयनित पीएसयूज की गतिविधियों की निष्पादन लेखापरीक्षा	अध्याय IV
2011-12 की 3	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 8.1 और 8.2
2013 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 8.1
नागर विमानन मंत्रालय		
2012-13 की 8	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 2.1
2013 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 और 3.5

रक्षा मंत्रालय		
2009-10 की 24	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 6.1.3
2009-10 की 9	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 7.1.1
2010-11 की 10	चयनित पीएसयूज की गतिविधियों की निष्पादन लेखापरीक्षा	अध्याय IV
2011-12 की 3	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 7.2
2011-12 की 4	भारत इलेक्ट्रोनिक लिमिटेड में खरीद प्रणाली की निष्पादन लेखापरीक्षा	
2012-13 की 8	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 7.2
2013 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 7.1, 7.2, 7.3 और 7.10
वित्त मंत्रालय (बैंकिंग डिविजन)		
2008 की सीए 10	केन्द्रीय पीएसयूज में सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग	अध्याय IV
2008 की सीए 11	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 2.2.1
वित्त मंत्रालय (बीमा डिविजन)		
2009-10 की 24	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 8.2.1
2010-11 की 10	चयनित पीएसयूज की गतिविधियों की निष्पादन लेखापरीक्षा	अध्याय V
2010-11 की 9	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 9.2.1, 9.4.1 और 9.4.3
2011-12 की 3	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 और 9.6
2012-13 की 8	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 और 8.6
2013 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 और 9.7
भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय		
2009-10 की 24	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 9.3.1
2011-12 की 3	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 14.1
2012-13 की 8	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 9.1, 9.2 और 9.3
2013 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 12.1

अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय		
2012-13 की 8	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 9.4
पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय		
2012-13 की 8	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 11.6
2012-13 की 11	ओएनजीसी लिमिटेड के हाइड्रोकार्बन एक्सपलोरेशन कार्यों पर निष्पादन लेखापरीक्षा	
2013 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 10.1, 10.2, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9 और 12.1
विद्युत मंत्रालय		
2008 की 11	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 20.1.1
2012-13 की 10	हाइड्रो पावर में क्षमता विस्तार पर निष्पादन लेखापरीक्षा	
2013 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 11.4 और 12.1
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय		
2012-13 की 8	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 13.1 और 13.3
विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय		
2012-13 की 8	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 9.4
पोत परिवहन मंत्रालय		
2013 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 12.1 और 13.1
सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण मंत्रालय		
2012-13 की 8	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 9.4
इस्पात मंत्रालय		
2012-13 की 8	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 15.1 और 15.2
2012-13 की 20	एनएमडीसी लिमिटेड द्वारा लौह अयस्क के उत्पादन तथा बिक्री पर निष्पादन लेखापरीक्षा	
2013 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 12.1 और 14.3

कपड़ा मंत्रालय		
2010-11 की 10	चयनित पीएसयूज के कार्यों की निष्पादन लेखापरीक्षा	अध्याय X
2012-13 की 8	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 16.1
आदिवासी मामला मंत्रालय		
2012-13 की 8	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 9.4
शहरी विकास मंत्रालय		
2013 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 15.1

© भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in